त्रयोदश माला, खंड 37, अंक 9

FOR REFERNCE ONLY.

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2003
21 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 26
Date 25/5/04

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 9, शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2003/21 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 162, 163, 165 और 169	4-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 161, 164, 166 से 168 और 170 से 180	31-55
अतारांकित प्रश्न संख्या 1616 से 1804	55-314
सभा पटल पर रखे गए पत्र	314-343
राज्य सभा से संदेश	344
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	344-345
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 107वां प्रतिवेदन	346
(दो) साक्ष्य	346
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
142वां से 147वां प्रतिवेदन	346
सभा का कार्य	347-351
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की–गई कार्यवाही की प्रगति	
श्री जसवंत सिंह	352-353
कार्यमंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	354-358
सदस्यों द्वारा निवेदन	
हज यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	353-366

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 369-420

बिहार में विकास कार्यों के लिए राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 369, 371-375

श्री सत्यव्रत मुखर्जी 369-370, 399

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 377-381

श्री रघुनाथ झा 382-385

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 385-390

श्री राम विलास पासवान ... 390-392

श्री प्रभुनाथ सिंह 392-394

श्री सुबोध राय 394-395

श्रीमती कान्ति सिंह .. 395-396

डा. मदन प्रसाद जायसवाल 396

श्री अरूण कुमार 396-397

श्री निखिल कुमार चौधरी 397

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 420-421

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण–वाद–विवाद स्थगित 421-464

श्री सुरेश कुरुप 421-432

श्री रमेश चेन्नितला 432-439

पो. ए. के. प्रेमाजम 439-443

श्री वरकला राधाकृष्णन 443-449

श्री शिवराज वि. पाटिल 449-464

वाद-विवाद स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव 466

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 29 और 30 का निलबंन 466-468

लोक सभा

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2003/21 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि दो वर्ष पूर्व, 13 दिसम्बर, 2001 को हमारी संसद को एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का लक्ष्य बनाया गया था। आतंकवादियों के इन प्रयासों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और संसद के वॉच एंड वार्ड के सुरक्षाकर्मियों ने विफल कर दिया था। आतंकवादियों को संसद की सीमा से दूर रखकर और इसके अंदर उपस्थित कर्मचारियों की रक्षा करने के अपने प्रयासों में दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल और संसद वॉच एंड वार्ड के दो सुरक्षा सहायकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस आतंकवादी हमले में एक माली भी मारा गया था। आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी पर, हम उन बहादुर आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह अवसर, हम सभी को आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा देश के लिए पैदा किए गए खतरे से हमेशा सजग रहने का स्मरण भी कराता है। अतः, इस अवसर पर, हमें पुनः यह संकल्प लेना चाहिए कि हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और अपने देश की एकता, अखण्डता और सार्वभौमिकता की रक्षा करेंगे।

अब सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

11.01 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल के बाद करिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : पूरे देश में हज यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हो रही है और कुछ शर्तें लगाई गई हैं हज यात्रियों पर।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला जीरो आवर में उठाइए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री यहां बैठे हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उन पर नई शर्तें लगाई गई हैं और किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, उसको दिल्ली से जाना पड़ेगा और उसके मां-बाप और पत्नी आदि लखनऊ से जाएंगे। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। हज यात्रियों को इससे अत्यधिक असुविधा हो रही है। किसी को विश्वास में नहीं लिया गया।...*(व्यवधान)* एक प्रतिनिधिमंडल भी विदेश मंत्री जी से मिला था। विदेश मंत्री जी सदन को आश्वस्त कर दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि कालिंग अटैन्शन नोटिस को प्रश्न काल के बाद प्रायॉरिटी मिलती है लेकिन यह विषय गंभीर होने के कारण केवल इस विषय को मैं कालिंग अटैन्शन से पहले दो मिनट दे दूंगा। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर दिन मुझे यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्वैश्चन आवर के समय केवल क्वैश्चन आवर होगा और आपको कुछ विषय उठाना है तो जीरो आवर में उठा सकते हैं। प्लीज, अभी बैठिए। मैं नियम के अनुसार काम करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष

महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी से मैं मिला था। उन्होंने कल आदेश कर दिया है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देश के किसी भी एयरपोर्ट से सारे लोग जेद्दाह के लिए जा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न काल ले लिया है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री जी, यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राशिद जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, रामदास आठवले जी, अब मैं आपको क्या कहूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं कि इसके बाद कालिंग अटेंशन मोशन चर्चा के लिए है, लेकिन चूंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इसलिए कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले मैं आपको इस प्रश्न को सदन में उठाने के लिए मौका दूंगा। इसलिए आपको भी मुझसे को–आपरेट करना चाहिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लिखकर दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए। मंत्री जी को मैंने बुलाया है और वे आने वाले हैं। उसके बाद मैं फैसला कर पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार गवर्नमेंट ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि विदेश मंत्री जी खुद यहां आकर उसे घोषित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

प्रश्न संख्या 161, श्री मानसिंह पटेल। वे उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह, वे भी उपस्थित नहीं हैं।

अब मैं प्रश्न संख्या 162 को लेता हूं। श्री सुरेश कुरुप।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेटेंट औषधों की सस्ते मूल्यों पर उपलब्धता

***162. श्री सुरेश कुरुप** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की बैठक में जन स्वास्थ्य के बारे में किए गए "ट्रिप्स" समझौते से पेटेण्ट औषधें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सस्ते मूल्यों पर औषधें उपलब्ध कराने के लिए सरकार की भविष्य में क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय पेटेंट व्यवस्था की स्थापना करने हेतु कोई उपाय भी किए हैं जिससे अद्यतन चिकित्सा और चिकित्सीय खोज सुलभ हो सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स करार में सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को पेटेंट संरक्षण प्रदान करने के लिए सदस्य देशों को बाध्य किया गया है। इस ट्रिप्स करार में अनिवार्य लाइसेंस के उपयोग में लचीलेपन की भी व्यवस्था है। ट्रिप्स करार एवं जन स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा में यह माना गया है कि ट्रिप्स करार में सदस्यों को जन–स्वास्थ्य की रक्षा करने का उपाय करने की मनाही नहीं है और न ही मनाही की जानी

चाहिए। इसमें ट्रिप्स करार के उन प्रावधानों का डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण उपयोग किए जाने के अधिकार की पुनः पुष्टि की गई है जो इस प्रयोजनार्थ लोचशीलता प्रदान करता है। इस घोषणा में यह माना गया है कि इन सुविधाओं में प्रत्येक सदस्य के पास अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार और ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जाने वाले आधारों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आपातकाल अथवा अत्यावश्यकता की परिस्थितियों के कारकों को निर्धारित करने का अधिकार और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को निकास की अपनी प्रणाली विकसित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

दोहा घोषणा के पैराग्राफ–6 में ट्रिप्स करार के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रभावी उपयोग करने में भेषजीय क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा विनिर्माण न कर सकने की क्षमताओं वाले डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की कठिनाइयां महसूस की गई थीं और ट्रिप्स परिषद को इस समस्या के शीघ्रता से समाधान का पता लगाकर 2002 की समाप्ति से पूर्व महापरिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

डब्ल्यूटीओ की महापरिषद द्वारा ट्रिप्स करार एवं जन–स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा के पैराग्राफ–6 के कार्यान्वयन 30 अगस्त, 2003 को एक निर्णय लिया गया था। इस निर्णय में अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत पेटेंट भेषजीय उत्पादों का विनिर्माण कर उनका उन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है जिन देशों के पास भेषजीय क्षेत्र में सीमित क्षमताएं हैं अथवा विनिर्माण नहीं करते हैं। इस निर्णय से भेषजीय क्षेत्र मे सीमित विनिर्माण की क्षमता वाले अथवा विनिर्माण न कर सकने वाले देश सस्ती कीमतों पर भेषजीय उत्पादों का आया कर सकेंगे।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था ताकि इसके प्रावधानों को ट्रिप्स करार के अनुरूप बनाया जा सके। वर्तमान में पेटेंट अधिनियम, 1970 में भेषजीय एवं रासायनिक उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। विकासशील देश के रूप में भारत ट्रिप्स करार के अंतर्गत उत्पाद पेटेंट संबंधी प्रावधानों का प्रयोग भारत में 1.1.2000 को इस प्रकार से असंरक्षणीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1.1.2005 तक रोक सकता है।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने और यदि जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं की गयीं हों अथवा पेटेंट अन्वेषण उचित सस्ती कीमत पर जनता को उपलब्ध नहीं होता है तो, पेटेंट का प्रतिसंहरण किए जाने के प्रावधान हैं।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इस सदन द्वारा पारित पेटेंट (संशोधन) अधिनियम के अनुसार विपणन के विशिष्ट अधिकार केवल उन्हीं कंपनियों को दिए जाएंगे जो इसके लिए आवेदन करेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख तक इस संबंध में सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदनों पर अधिकार देना स्वीकृत किया गया है और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। यदि ऐसा हुआ है तो आवेदनों के अस्वीकृत किए जाने क्या कारण हैं?

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, वास्तविक स्थिति यह है। जहां तक ट्रिप्स करार का संबंध है दोहा घोषणा के खंड 6 में औषधियों की सस्ती कीमत पर उपलब्धता के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि इसे पढ़ा जाए तो वह है कि :

"हमें डब्ल्यूटीओ के उन सदस्यों, जिनके पास भेषजीय क्षेत्र में विनिर्माण की अपर्याप्त या कोई क्षमता नहीं है, द्वारा ट्रिप्स करार के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के प्रभावी उपयोग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता है। हमने ट्रिप्स परिषद को इस समस्या का त्वरित हल ढूंढने तथा वर्ष 2002 के अंत से पहले इसके बारे में महापरिषद को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

लेकिन दुर्भाग्य से 2002 तक यह नहीं हो सका। अतः 30 अगस्त, 2003 को उन देशों, जिनके पास विनिर्माण क्षमता नहीं है या काफी कम है, को पेटेंट औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने योग्य बनाने के लिए निर्णय लिया गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कतिपय शर्तें पूरी करनी होती हैं।

श्री सुरेश कुरुप : मैंने यह प्रश्न पूछा है कि विपणन के विशिष्ट अधिकार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को अधिकार प्रदान किए गए और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए और इन आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं।

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : दोहा घोषणा के बाद केवल चार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री सुरेश कुरुप : क्या आपने किसी आवेदक को इसकी स्वीकृति दी है?

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : 30 अगस्त, 2003 के बाद दो विशिष्ट विपणन एकाधिकार के आवेदनों को स्वीकृति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई पूरक प्रश्न नहीं है?

श्री सुरेश कुरुप : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न भी है।

आम लोगों के बीच एक संदेह व्याप्त है कि 2005 के बाद जब पेटेंट उत्पाद शासन शुरू होगा तो पेटेंट औषधियां आम आदमी की पहुंच से परे होंगी। अतः मैं जानना चाहूंगा कि 2005 के बाद पेटेंट औषधियां आम आदमी की पहुंच में बनाए रखने के लिए, सरकार क्या कदम उठाना चाहती है। सरकार की इस बारे में क्या योजना है?

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : जहां तक 1 जनवरी, 2005 की समय सीमा का संबंध है, हमने अपने अधिनियम को इस सीमा तक संशोधित नहीं किया है। हमारे पास 1 जनवरी, 2005 तक का समय अभी भी है।

जहां तक औषधियों की कीमत का संबंध है, तो यह बहुत से कारकों पर निर्भर होता है जैसे कि प्रतिस्पर्धा की गहनता, वैकल्पिक औषधियों की कीमतें, मांग के अनुसार कीमतों में नमनीयता या बाजार में ऊंची कीमतों को खपा लेने की क्षमता या उपभोक्ताओं की क्रयक्षमता।

श्री सुरेश कुरुप : पेटेंट औषधियों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : पेटेंट द्वारा स्वीकृत एकाधिकार कीमतों के निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अनिवार्य लाइसेंस, पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत सरकार द्वारा समानांतर आयात (पैरलल इम्पोर्ट आफ पेटेंट्स एक्ट) का उपयोग औषध कीमत नियंत्रण आदेश 1995 आदि का प्रयोग करके सरकार पेटेंट औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण रख सकती है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर और ट्रिप्स करार तथा डब्ल्यूटीओ विचार-विमर्श के अनुरूप वर्ष 2002 में पेटेंट अधिनियम, 1970 में किए गए संशोधनों के अनुसार, हमारे देश में पेटेंट प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब हमें उत्पाद पेटेंट का कार्यान्वयन करना है। हमारे यहां 90 प्रतिशत औषधियां प्रक्रिया पेटेंट पर आधारित हैं और अचानक उत्पाद पेटेंट शुरू करने से काफी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब तक कि यहां पर अनुसंधान और विकास की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, केवल उत्पाद पेटेंट के कानून को पारित करने से औषधियों के निर्माण और आम आदमी के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस अधिनियम के आधार पर अभी कोई कदम उठाएगी ताकि उत्पाद पेटेंट व अनुसंधान और विकास की गतिविधियों में तेजी आए तथा आम आदमी को सस्ती कीमतों पर औषधियां मिल सकें।

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, अनुसंधान और विकास एक सतत प्रक्रिया है और जहां तक उत्पाद का सवाल है, हमारे पास 1 जनवरी, 2005 तक का समय है। इस बीच इन सभी पहलुओं पर विचार करके संसद में कोई उचित विधान पारित कर दिया जाएगा।

डा. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह बताया गया है कि 30 अगस्त, 2003 को डब्ल्यूटीओ की महापरिषद में ट्रिप्स करार और जन-स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा के पैराग्राफ-6 के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया था। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि इस विशिष्ट मुद्दे पर भारत सरकार की क्या राय है? मैं इस पर माननीय मंत्रीजी का तथ्यात्मक जवाब चाहती हूं क्योंकि उनके द्वारा दिया गया जवाब काफी भ्रामक है। यह सभा इस विशिष्ट मुद्दे पर सरकार द्वारा लिए गए वास्तविक निर्णय के बारे में जानना चाहती है।

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, 30 अगस्त, 2003 को लिए गए इस निर्णय से भारत को काफी लाभ हो सकता है क्योंकि बहुत से देशों में विनिर्माण क्षमता है ही नहीं या बहुत कम विनिर्माण क्षमता है। यदि वे लाइसेंस जारी करते हैं तो हम औषधियों का विनिर्माण करके उनका निर्यात कर सकते हैं। लेकिन आयात करने वाले देशों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

इसके लिए मैं यहां कुछ कारण बता सकता हूं। उचित वाणिज्यिक निबन्धन और शर्तों के अनुसार प्रस्तावित उपयोक्ता, अधिकार प्राप्त व्यक्ति से प्राधिकार प्राप्त करने का प्रयास करे तो ऐसे प्रयास एक निश्चित समय सीमा में सफल नहीं हो सकते। राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यावश्यकता की परिस्थितियों या आम जनता के लिए गैर-वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह पूर्वापेक्षाएं छोड़ी जा सकती हैं। ऐसा विशेष रूप से नहीं तथा अहस्तांतरणीय होगा। ऐसा कोई भी उपयोग घरेलू बाजार की आपूर्ति के लिए ही होगा और किसी न्यायिक समीक्षा या किसी अन्य स्वतंत्र विशिष्ट उच्चतर प्राधिकरण की समीक्षा के अध्यधीन इसके लिए पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

भारत को लाइसेंस मिलने के बाद हम उन औषधियों का उत्पादन कर संबंधित देशों को उनका निर्यात कर सकते

हैं। मुझे आशा है कि इससे भारत के लाभ में वृद्धि होगी क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियों का उत्पादन वहनीय मूल्यों पर कर सकते हैं जिन्हें, जहां तक अमरीका या अन्य देशों का संबंध है, उनके बहुत ऊंचे मूल्यों के कारण अन्य देश नहीं खरीद सकते। इस प्रकार अंततः यदि भारत के पक्ष में ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं तो इससे भारत के लाभ में बहुत वृद्धि होगी।

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से एचआईवी/एड्स से संबंधित औषधियों के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। भारतीय भेषज (फार्मास्यूटिकल्स) कंपनियों ने भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के समक्ष आवेदन किया है। वे अफ्रीकी देशों को एचआईवी/एड्स की औषधियां निर्यात करने की स्थिति में हैं। क्या उन्हें इनका निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी? क्योंकि भारी मात्रा में उत्पादन से भारत में भी एचआईवी/एड्स की औषधियों के मूल्यों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। मैं इसकी मौजूदा स्थिति जानना चाहता हूं।

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, श्री किरीट सोमैया ने बहुत सही कहा है और वस्तुतः अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन यदि और जब भी ऐसे लाइसेंस जारी किए जाएंगे तो हम उन औषधियों का उत्पादन करने और संबंधित देशों को इनका निर्यात करने में सक्षम होंगे परन्तु यह कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, मुझे यह अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं। सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में यह बताया गया है कि 1970 के पेटेंट अधिनियम में भेषज तथा रासायनिक उत्पादों को उत्पाद पेटेंट का संरक्षण प्राप्त नहीं है। भारत, एक विकासशील देश होने के नाते ट्रिप्स (टीआरआईपीएस) समझौते के अंतर्गत वर्ष 1.1.2005 तक उत्पाद पेटेंट संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन को विलम्बित कर सकता है।

महोदय, इसके लिए एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय और शेष है तथा माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि एक विधान बनाया जाएगा। लेकिन मैं यह महसूस करती हूं कि एक वर्ष के अंदर एक विधान बनाने से वास्तव में इच्छित परिणाम नहीं निकलेगा।

भारतीयों को वहनीय मूल्यों पर आम औषधियां उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है?

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि देश के लोगों को वहनीय मूल्यों पर ये औषधियां उपलब्ध हों। निजी क्षेत्र द्वारा अधिकांशतः अनुसंधान और विकास का कार्य किया जाता है और इसके अतिरिक्त हमारे भी कुछ अनुसंधान केन्द्र हैं। लेकिन, फिर यह, ऐसे अन्य बहुत कारकों पर निर्भर करता है जो औषधियों का मूल्य निर्धारित करते हैं। अब, हमारा प्रयास इस बात का ध्यान रखने का है कि वे औषधियां आम लोगों को वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध हों।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम यह संशोधन करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 जनवरी, 2005 तक का समय है।

आई.एस.आई. मार्क के अंतर्गत नई वस्तुएं

+

*163. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ नई वस्तुओं को आईएसआई मार्क के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य वस्तुओं को आईएसआई मार्क के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 24 नए इलेक्ट्रोनिक उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के तहत ला दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिसूचना वाणिजय

और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा "इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स, एपलायन्सेज एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेज एंड एक्सेसरीज (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2003" शीर्षक से दिनांक 17 फरवरी, 2003 के का.आ. संख्या 189 (अ) के द्वारा जारी की गई है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सीमेंटों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी किए 17 फरवरी, 2003 के का.आ. संख्या 19 (अ) के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया था।

(ग) से (ङ) उत्पादों पर अनिवार्य प्रमाणन को आमतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है। किसी उत्पाद को अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाने का अंतिम निर्णय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी चिन्ता का विषय है कि बाजार में इतना बन्द डिब्बों में खाने–पीने का सामान मिलता है, लेकिन किसी पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। वह समान मिलावटी है कि सही है, इसका पता नहीं चलता। कुछ विदेशों से भी सामान आ रहा है। माननीय मंत्रीजी ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो पानी बन्द बोतलों में आता है, उस पर कोई स्टैण्डर्ड न होने के कारण रोक दिया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों, तीन दिनों के बाद उसे फिर चालू कर दिया। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि विशेष रूप से इस देश में इतना पानी बिक रहा है, उसका कोई स्टैण्डर्ड है कि नहीं, उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं है, पानी की बोतल में न्यूट्रिशन की मात्रा कितनी है, वह बोतल कितने महीने पहले या कितने साल पहले बनी है, यानी उस पानी का स्टैण्डर्ड क्या है? पानी एक बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन इसमें बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है, बड़ा घोटाला हो रहा है। माननीय मंत्रीजी इस बारे में क्या कोई नीति बना रहे हैं, इसका कोई स्टैण्डर्ड निर्धारित किया है कि नहीं?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि पैकेज्ड वाटर का मामला हमारे विभाग से चला गया था कि उसके स्टैण्डर्ड क्या बनाए जाएं और वह नोटिफाइड हो गया है, हैल्थ मिनिस्ट्री ने इसे नोटीफाइड कर दिया है। दिसम्बर महीने के अंत तक उसके नए स्टैण्डर्ड हम लगाने वाले हैं।

दूसरा सवाल आपने किया है कि फूड आदि में जो मिलावट है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि हमारे पास जो 118 आइटम्स आते हैं, बाकी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंडर हैं, जो भी उनकी क्वालिटी है, उसे चैक करने के लिए एक विभाग नहीं है, कई तरह के विभाग हैं। मैं कहना चाहूंगा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में 43 आइटम्स आते हैं, दुग्ध उत्पादों के पांच हैं, पैकेज्ड जल हमारे पास है, उसे हम देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में स्टील और ट्यूब को इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देखती है, कोयला और खान का मामाला दूसरे मंत्रालय देखते हैं, इस तरह से काफी विभाग हैं। इसमें कई तरह के कानून हैं, जिनके अंतर्गत वे देखते हैं। दूसरे जो राज्य सरकारें हैं, अधिकांश एग्जीक्यूशन उनके हाथ में होता है और ऐसी कोई बात विशेष तौर पर हो या कोई चीज हो तो वह आप मेरे नोटिस में लाएंगे तो हम परस्यू करके स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो चीजें हैं, वे बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास जो मेन्डेटरी चीजें हैं, वे करीब 118 हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रोनिक गुड्स हैं, उनमें 24 तरह के आइटम्स हमारे हाथ में हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने विशेष रूप से पानी के बारे में प्रश्न पूछा था। मैं एक बार फिर माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको लाइसेंस देने की क्या प्रक्रिया है? मेरा दूसरा प्रश्न आईएसआई मार्क के बारे में है। इस देश में काफी सामान विदेशों से आ रहा है। जो कन्ज्यूमर्स गुड्स इस देश में आ रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि विदेशों से आया काफी सामान हमारे यहां की मार्केट में बिक रहा है। माननीय वित्त मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं। आप इस समय किसी भी मार्केट में जाकर देख लें कि कितनी उनकी भरमार हो चुकी है। हमारे कन्ज्यूमर गुड्स उनके आगे फेल हो चुके हैं तथा हमारी इंडस्ट्रीज भी चौपट होती जा रही हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आईएसआई मार्क देने के लिए आपका क्या मापदण्ड है? पता चलता है कि आईएसआई मार्क जिसे चाहे, उसे मिल जाये–जो पैसा वहां पहुंचा दे, उसको ठप्पा लगा देते हैं। ऐसे बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, बाहर से जो आइटम्स इस देश में आ रहे हैं, उनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा

है। जो सामान इस देश में मेनडेटरी हैं, उनको कस्टम डिपार्टमेंट सक्षम तरीके से देखता है। आईएसआई मार्क जिनको हमने इश्यू किया है, वह कस्टम डिपार्टमेंट के हाथ में है। जैसा आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से कस्टम विभाग के जरिए ऐसा कोई सामान यहां नहीं आ रहा है। कई अन्य रास्तों से वह यहां आ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या आप बता रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हम वित्त मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य की बात पूरी हो जाए तब मैं आपसे बात करूंगा। निश्चित रूप से बाहर से जो चीजें हमारे देश में आ रही हैं, जो सामान हमारे देश में मेनडेटरी है, जिनका सर्टिफिकेशन जरूरी है, उन वस्तुओं की बाकायदा लिस्ट होती है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैं कन्ज्यूमर गुड्स के बारे में पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : वह लिस्ट कस्टम डिपार्टमेंट के पास होती है। निश्चित रूप से, कस्टम के जरिए कोई गलत सामान इस देश में आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहीं आता होगा तो आप उसकी जानकारी हमें दें। हम उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। जो सामान अन्य तरीके से यहां आ रहा है, विशेष रूप से हमारे देश के पास जो कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सामान यहां आता है। वह सामान कई रास्तों से, कई तरीकों से यहां आता है। मैं सोचता हूं कि जहां आप रहते हैं, वहां भी ऐसे सामान के आने के रास्ते बहुत हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारे यहां नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय मंत्रीजी भी यहां पर हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है। मंत्रीजी ने स्वयं कहा है कि बहुत अधिक तस्करी हो रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मंत्रीजी, मैं मछलीशहर से आता हूं। वहां से नेपाल बार्डर 400 किलोमीटर दूर है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी से नेपाल 400 किलोमीटर दूर है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं न?

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मेरा इलाका अवध है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : ठीक है, वह बहुत दूर नहीं है। आप जानते हैं कि आईएसआई मार्क या सर्टिफिकेशन बहुत से आइटम्स पर नहीं है, जैसे इस सदन में माइक लगे हैं, उस पर यह सर्टिफिकेशन नहीं है। जो कपड़ा हमने पहना है, उस पर सर्टिफिकेशन नहीं है। बहुत सी चीजें जो इस सदन में इस्तेमाल हो रही हैं जैसे चश्मा है, उस आईएसआई मार्क जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है कि हम सभी चीजों पर इंसपेक्टर राज कर दें। कुछ चीजों पर जरूरी है, उसके लिए इंतजाम मुकम्मिल हैं। आपको कहीं कोई शिकायत है तो आप उसके बारे में हमें जरूर बता सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत जैसे एक महान देश में मानदण्ड व मानक निर्धारित करने हेतु एक एकीकृत एजेंसी नहीं है। यहां एक मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी कार्य कर रही है। विभिन्न मंत्रालयों—स्वास्थ्य मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय—के अंतर्गत अन्य विभिन्न एजेंसियां कार्यशील हैं व उनके बीच कोई समन्वय नहीं है। अन्ततः इससे देश के आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के समक्ष हमारी मदों और वस्तुओं के मानक के संबंध में इन एजेंसियों में समन्वय करने का कोई प्रस्ताव है?

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि, यहां तक कि भारतीय मानक ब्यूरो में भी मानकों के बारे में स्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई सुविधाएं नहीं हैं। तथ्य तो यह है कि इस देश की प्रयोगशालाएं प्राधिकृत नहीं हैं। यह बात सामने आई है कि बंगलौर और कोलकाता स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी की बहुत महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं को भारत सरकार की एजेंसियों ने प्राधिकृत नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, यह रिकॉर्ड में है और अधिकारियों ने यह कहा है कि यदि इस मामले को न्यायालय में ले जाया

जाता है तो न्यायालय भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा क्योंकि वह प्राधिकृत नहीं है। अतः इस देश में ये परिस्थितियां हैं। भारतीय मानक ब्यूरो कम से कम कुछ और कार्य क्यों नहीं करता, ऐसा कुछ और प्रबंध क्यों नहीं करता जिससे कि प्रत्येक मद के लिए निर्धारित किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मान्यता प्रदान की जाए? भारत सरकार द्वारा एक समन्वय एजेंसी भी गठित की जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा प्रश्न क्यों पूछते हैं, स्ट्रेट प्रश्न पूछिए। इससे आपका भी काम आसान होगा। मंत्रीजी आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक नहीं, कई प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं। क्वालिटी के मामले में मूल सवाल है लेकिन माननीय सदस्य उसे स्टैन्डर्ड पर ले गए। मैं मानता हूं कि हमारे बीआईएस में स्टाफ की भारी कमी है। अलग–अलग डिपार्टमैंट के पास अलग–अलग आइटम्स हैं और उनके पास ऐनफोर्समेंट मशीनरी भी है। सरकार इस पर विचार कर रही। लेकिन हमारे यहां टैक्नीकल कमेटी में सभी डिपार्टमेंट्स के लोग रहते हैं और उनमें कोआर्डीनेशन है। लेकिन मैं मानता हूं कि सक्षम कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज के समय में बीआईएस ऐसी संस्था है जिसे बहुत सक्षम बनाना चाहिए। मैंने वित्त मंत्रीजी और प्रधान मंत्री जी से कहा है कि इसमें जो वेकैन्सीज खाली हैं, जैसे साइंस एंड टैक्नोलॉजी विभाग में रोक नहीं हैं, इसमें जो रोक लगी हुई है, उसके चलते स्टाफ की कमी है और इसी कारण हम सक्षम तरीके से मामले डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी स्थिति है और हमारे पास जो भी साधन हैं, हम उनसे सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं।

आपने लैबोरेटरी के बारे में कहा–उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है और बाकी सब चीजों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का मामला आया तो बीआईएस ने सक्षम तरीके से उस मामले को डील करने का काम किया।...*(व्यवधान)*

श्रीमती प्रभा राव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जैसे सम्मानित सदस्य श्री अहमद ने कहा, केन्द्र और राज्यों में आईएसआई का जो काम इसके जरिए होता है, उसकी यंत्रणा यानी कोआर्डीनेट कैसे करती है, यह किसी को नहीं पता है। जिसे मार्क का काम लागू करना है, उसके बारे में कोई भी इन्फार्मेशन देने को तैयार नहीं है। अगर हम जैसे लोग जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए तो उसकी इन्फार्मेशन कौन देगा और इसके लिए कौन सी एजेंसी है जिसके जरिए यह काम ठीक से होगा? क्या इसके बारे में आपकी मिनिस्ट्री कोई प्रयास करना चाहती है और यदि करना चाहती है तो कब तक करेगी?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, आईएसआई मार्क कुछ जगहों में बाकायदा मैनडेटरी है लेकिन कुछ जगहों में वॉलंट्री है। जहां मैनडेटरी है, यदि आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि ऐसे आईएसआई मार्क्ड सामान में गड़बड़ी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी भी समय मुझे सूचना दें, उस पर जरूर एक्शन होगा और हम एक्शन लेते रहते हैं। मेरे पास फिगर नहीं है लेकिन आपने जो सवाल किया कि जिनको आईएसआई मार्क दिया हुआ है, वे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन मामलों में बराबर एक्शन चलते रहते हैं। यदि आपके पास कोई सूचना है कि मैनडेटरी आइटम्स में आईएसआई मार्क का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति खराब सामान बना रहा है, तो हम उसे देख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : वह विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय के बारे में पूछ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके वकील हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी : अध्यक्ष महोदय, भारत एक विशाल देश है जो कि यहां उत्पादित होने वाले उत्पादों की विभिन्न किस्मों के लिए जाना जाता है। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार हम कुल कितनी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं? मेरी जानकारी के अनुसार हम मात्रा की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं परन्तु गुणवत्ता के मामले में एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। मैंने यही महसूस किया है। हम किस्मों के अनुसार कुल कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं? कितनी किस्में भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? यह एक प्रतिशत

है, आधा प्रतिशत है या नगण्य है या शून्य है? मैं इस आईएसआई चिन्ह के बारे में यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की खाद्य उत्पादों, सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को वरीयता देने की नीति है। मेरी जानकारी के अनुसार गुणवत्ता के प्रश्न को निर्धारित करने में स्वास्थ्य उत्पादों तथा खाद्य उत्पादों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय, मैं, कृपया, आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि बहुत सी चीजों पर आईएसआई मार्क मैनडेटरी है और बहुत सी चीजों पर नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खासकर फूड प्रोडक्ट्स या बाकी प्रोडक्ट्स के मामले में जो सरकार के हाथ में है, वह उसे सक्षम तरीके से डील करती है। कुछ चीजें हमारे विभाग से डील नहीं होती हैं, फूड विभाग से डील होती है। मैं माफी चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ने कोआर्डिनेशन के बारे में पूछा था, स्टेट के चीफ सैक्रेटरी के हाथ में यह जिम्मेदारी होती है कि वह कोआर्डिनेशन करें।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी : यह प्रतिशत कितना है? क्या यह एक प्रतिशत है या आधा प्रतिशत?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : वह जानकारी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी की ओर से उत्तर आया है, मेरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से उससे उद्भूत होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि वस्तुओं का स्तर और गुणवत्ता बनाए रखी जाए, वस्तुओं के मानक बनाए जाएं और मिलावट या स्तरहीनता पर नियंत्रण रखा जा सके। स्वाभाविक है कि बीआईएस जिन वस्तुओं के लिए आईएसआई मार्क निर्धारित करता है, समय-समय पर उनकी जांच भी करता है कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों के अनुसार ठीक है या नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के अंदर बीआईएस ने ऐसी कितनी वस्तुओं की जांच की है जिनको आईएसआई मार्क दिया गया है और जांच में ऐसी कितनी वस्तुओं को पाया गया है, ऐसे कितने प्रकरण पाए गए हैं जहां आईएसआई मार्क होने के बावजूद उनकी गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं थी, ऐसे कितने प्रकरणों में कानूनी कार्रवाई की गई है और उनके परिणाम क्या निकले?

श्री शरद यादव : जो माननीय सदस्य ने पूछा है, अभी पिछले तीन महीनों में, जो आईएसआई मार्कड वस्तुएं हैं,...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं पिछले तीन वर्षों की जानकारी चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : पिछले तीन साल की सूचना मेरे पास नहीं है। मैं आपके पास इस बारे में जानकारी पहुंचा दूंगा, न ही मूल सवाल से आपका सवाल उठता है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सवाल तो उठता है। स्वाभाविक रूप से उठता है। आप पूरा प्रश्न पढ़ लें। गुणवत्ता सुनिश्चित करने से संबंधित यह प्रश्न है और इस मामले में बीआईएस की जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर जांच करें कि निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

श्री शरद यादव : मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं। तीन साल की मेरे पास जानकारी नहीं है। एक साल की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हमने पांच इलैक्ट्रिकल गुड्स के मामले में कार्रवाई की है। 125 के लगभग मामले पिछले एक वर्ष में दायर किए गए हैं। तीन वर्षों की जो बात आप कह रहे हैं, मैं इसकी सूचना आपके पास पहुंचा दूंगा। कार्रवाईयां होती हैं। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जितने सक्षम तरीके से बीआईएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इस दौर में बीआईएस को जितना मजबूत होना चाहिए, उसके हाथ, कान, पैर और दांत जितने मजबूत करने चाहिए, उसे हम मजबूत करने में लगे हुए हैं और इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय प्रधान मंत्री जी से बात की है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। चूंकि बीआईएस को अपग्रेड करना, उसे सक्षम करने की आज के वक्त की जरूरत है, जिस सक्षम तरीके से बीआईएस को चलना चाहिए, चूंकि एनफोर्समेंट मशीनरी में हमारे पास केवल 5-7 लोग हैं, हम लोगों को जितनी दिक्कत है, वह मैं आपसे बयान नहीं कर सकता।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : बयान मत करिए। उसे सुधारने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों

को हम नहीं समझेंगे तो जो रास्ते, तरीके अपनाए गए हैं, उनको सक्षम करने के प्रयास में हम लगे हैं। तीन वर्षों के केसेज के बारे में जो पूछा गया है, उसकी सूचना मैं आपके पास पहुंचा दूंगा।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, हमें जो जानकारी मिली है कि आईएसआई का जो मार्क लगाया जाता है, उसमें जो वस्तुएं ठीक नहीं हैं, उनको आईएसआई का मार्क लगा दिया जाता है और जो वस्तुएं अच्छी हैं, उनको आईएसआई मार्क से हटाया जाता है। क्या ऐसी जानकारी मंत्री महोदय के पास है कि अच्छा मार्क होने के बावजूद आईएसआई का मार्क नहीं लगाया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास जानकारी है?

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : हमारे पास तो जानकारी है। हम जानकारी दे देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तो वह जानकारी दे दो, अभी दे दो।

श्री रामदास आठवले : मैं भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : देश–हित में वह जानकारी अभी दे दो।

श्री रामदास आठवले : मैं भेज दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं, वह ठीक नहीं है। इस तरीके की यदि आपके पास कोई सूचना है तो हमें दीजिए। हम ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हैं। यदि लेनदेन के मामले का भी कहीं पता हो तो वह जानकारी हमें अभी दीजिए। ऐसा नहीं कि आप यहां गप लगाकर चले जाएं। निश्चित तौर पर ऐसा कोई मामला मेरी नजर में नहीं आया है। अगर आएगा तो उस पर सक्षम तरीके से कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 164 श्री के. ई. कृष्णमूर्ति–वह यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 164 नहीं आया, लेकिन हाउस में आ गया है इसलिए इस पर पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रबंधन में समन्वय

+

***165. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रबंधन में लगे विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार ने कोई विशेष कृतिक बल गठित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कृतिक बल के गठन और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के जरिए उनके वितरण के कार्य में केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं कि अभीष्ट लाभभोगियों तक खाद्यान्न पहुंच जाएं :

(i) राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति और उनकी समुचित उपलब्धता तथा वितरण बनाए रखने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की पहचान के कार्य में राज्य सरकारों से ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है।

(iii) प्रभावी मानीटरिंग के लिए उचित दर दुकान स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

(घ) अनियमितताओं को रोकने और सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना की जांच और मानीटरिंग के लिए कार्यबल दलों का गठन किया गया है।

(ड) और (च) उड़ीसा, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों का कार्यबल दलों ने पहले ही दौरा कर लिया है और उनके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यबल दलों द्वारा पाई गई कमियों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अपने लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 मे यथा अधिसूचित, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले लोगों, अंत्योदय परिवारों को उनका हिस्सा मिलेगा और यह जानने के लिए कि वे असली लाभार्थी हैं, उनके राशन कार्डों की जांच की जाएगी। इस बारे में कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं होगी। यहां मेरे पास नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें दो जून की रोटी नहीं मिलती। इससे लगता है कि बहुतायत में भी भुखमरी है। सरकार ने निर्धनतम वर्ग के लोगों की मदद के लिए ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई है।

जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47, और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को अपेक्षित पौष्टिक तत्व और पर्याप्त खाद्य मिलना चाहिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार अगर लक्षित लाभार्थी को उनका हिस्सा प्राप्त नहीं होता तो जो कर्मी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, वे अपराध करते हैं।

मेरा प्रश्न है कि–क्या अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया, क्या उनको लागू किया गया? यदि हां, तो क्या इसके अंतर्गत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और अगर नहीं, तो इसके क्या परिणाम निकले?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना विशेष प्रश्न पूछें।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : महोदय, यह सूचना सभा को दी जानी चाहिए। अगर उपरोक्त नहीं किया जाता है, तो क्या सरकार का प्रस्ताव है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे ताकि निर्धनतम व्यक्ति तक खाद्य पहुंच सके?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न में विभाग की करीब–करीब सारी जानकारी जाननी चाही है। उन्होंने पिछले तीन साल के आफटेक के बारे में पूछा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पीडीएस के तहत चला रही बीपीएल, अंत्योदय और अन्य योजनाओं में काफी सुधार हुआ है। 2000–01 में जहां इसके तहत 182 लाख मीट्रिक टन आफटेक था, वहीं 2001–02 में बढ़कर 313 लाख मीट्रिक टन आफटेक हो गया। इसी तरह 2002–03 में बढ़कर 496 लाख मीट्रिक टन आफटेक हो गया। अक्तूबर, 2003 तक 292 लाख मीट्रिक टन आफटेक हो चुका है। वित्त मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि पूरी अंत्योदय योजना साढे छः करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें 25 प्रतिशत के लिहाज से पहले जो एक करोड़ परिवारों को लिया था, अब डेढ़ करोड़ को शामिल किया गया है। इन परिवारों को दो रुपए प्रति किलो गेहूं और तीन रुपए प्रति किलो चावल दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य अगर चाहें तो वह सरकारी आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि दो रुपए प्रति किलो गेहूं और तीन रुपए प्रति किलो चावल के हिसाब से इस योजना में आफटेक का प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहा है और किन्हीं–किन्हीं राज्यों में तो शत–प्रतिशत रहा है। माननीय सदस्य ने यह जानकारी भी चाही है कि अधिकारियों द्वारा किस प्रकार विजिलेंस और मॉनिटरिंग की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक टास्क–फोर्स का गठन किया है जिसमें एफसीआई, डिपार्टमेंट और सीवीडब्ल्यूसी के 50 अधिकारियों का एक पैनल

बनाया गया है। जहां कहीं से शिकायतें आती हैं या नहीं भी आती हैं तो भी टास्क–फोर्स के दो–तीन या चार अधिकारियों की एक टीम बनाकर हम वहां भेजते हैं। टास्क–फोर्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों को भी हम साथ लेकर चलते हैं। छोटे ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर, यहां तक कि फेयर–प्राइस–शॉप लेवल पर भी विजिलेंस कमेटियां हैं जिसमें ग्राम–सेवक, सरपंच और पंचायत के मैम्बर्स को भी शामिल किया जाता है, जो देखते हैं कि कैसे काम ठीक चले। बावजूद इसके कि यह राज्यों का विषय है, हम उनके साथ सहयोग करते हैं।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : केन्द्र सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे–मिड–डे मील, अन्नपूर्णा और काम के बदले अनाज। ऐसे ही अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए ताकि प्रणाली अच्छी प्रकार कार्य कर सके। उसमें कार्यकुशलता आए, वह परिणाम उन्मुखी हो ताकि वह उत्तरदायी, जन–भागीदारी वाली हो और जिसमें पारदर्शिता आए और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा जो गरीबों को खाद्य सुरक्षा दे सके। विभिन्न एजेंसियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल दलों के गठित किए जाने के अलावा कौन सी प्रतिसूचना प्रणाली कार्य कर रही है। केन्द्रीय औचक निरीक्षण, यदि कोई है योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु किस प्रकार आयोजित किए जा रहे हैं और इसमें किस प्रकार हस्तक्षेप किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैलफेयर के तहत, मिड–डे–मील, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, अन्नपूर्णा–योजना, वैलफेयर इंस्टीट्यूशन्स में रह रहे दीन–हीन लोगों को अनाज की सप्लाई करना, फूड फॉर वर्क्स के तहत, संपूर्ण ग्रामीण योजना के तहत और किशोरियों के लिए पोषाहार, इस प्रकार की हमारी जो योजनाएं हैं, वे सभी राज्यों और सभी यूनियन–टैरेटरीज में काम कर रही हैं। इनके तहत जहां कहीं से भी शिकायतें आती हैं, छोटे लेवल के ऊपर उन शिकायतों का निपटारा, ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं वे करती हैं। हमारे पास जो शिकायतें सीधे आती हैं उन्हें हम संबंधित अधिकारियों को भेजकर और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके पूर्णतः देखते हैं। सभी जानते हैं कि पन्द्रह राज्यों में 300 से अधिक जिलों में अकाल और सूखे की मार से जूझ रहे लोगों को 100 करोड़ के करीब आनाज का आवंटन किया गया। यह हमारे सहयोग का जीता–जागता नमूना है और 100 करोड़ लोगों के देश में इतने अधिक अनाज का आवंटन और मॉनिटरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना अति–महत्व की योजनाएं हैं लेकिन मुझे अपने छोटे से गांव का अनुभव है कि वहां जो अनाज इन योजनाओं के तहत दिया जाता है वह गुणवत्ता के हिसाब से ठीक अनाज नहीं होता है और न ही वहां प्राइस–लिस्ट रखी जाती है। साथ ही वहां उचित दाम पर अनाज नहीं मिलता है। इन योजनाओं के तहत गुणवत्ता का अनाज मिले, गुणवत्ता वाला अनाज लोगों तक पहुंचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना को कारगर ढंग से लागू कराने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठाने वाली है? दूसरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार राज्यों के लिए जो कार्यदल बनाए थे, उन्होंने दौरा किया है और रिपोर्ट दी है। महाराष्ट्र के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र राज्य में भी कार्यदल गया है और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो–तीन सवाल खडे किए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के हाथ में देश की जरूरत के अनुसार एमएसपी पर अनाज खरीदना है और स्टोर करना है। देश भर में एक पार्टी का राज नहीं है, अलग–अलग पार्टियों का राज है। मैं उनकी एक बात से सहमत हूं, ऐसा नहीं है कि काम बिलकुल ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस स्तर से काम होना चाहिए, जिस लगन से काम होना चाहिए, उसका प्रभाव दूर तक नीचे पहुंच रहा है।

जहां तक उन्होंने क्वालिटी की बात कही है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि क्वालिटी के मामले में राज्य सरकारों और एफसीआई के जो बड़े सक्षम ऑफिसर होते हैं, उनके दस्तखतों के बाद ही सामान का उठान होता है। अब हमारे पास दो या तीन वर्षों से ज्यादा पुराना माल नहीं है। पहले हमारे पास 630 लाख टन अनाज था,

जो अब 272 लाख टन है। निश्चित तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज की गुणवत्ता के मामले में अब हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र में कोई इस तरह की शिकायत है, तो वह हमारे पास पहुंचाने का काम करें। लेकिन मुख्य काम गरीबों की पहचान करना, राशन–कार्ड बनाना, एफपीएस खोलना राज्य सरकारों का काम है। वैसे इसके लिए हमने सिटीजन चार्टर बना कर रखे हुए हैं, लेकिन उनको जमीन तक ले जाने का काम सक्षम तरीके से राज्य सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे हाथ में जो चीजें हैं, अगर उसमें कोई खामी है, कमी है, तो उसमें सुधारने का काम किया जाएगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव : महोदय, कार्यदल भेजने के बारे में कृपया मंत्री जी बताएं?

श्री शरद यादव : महोदय, जहां तक टास्क–फोर्स का सवाल है, टास्क–फोर्स यह देखता है कि व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए। जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसे हम सार्वजनिक नहीं करते हैं और न ही किसी कन्ट्रोवर्सी में डालते हैं बल्कि उस रिपोर्ट को अपने पास रखते हैं और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री से बात करते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या महाराष्ट्र के बारे मे कोई रिपोर्ट मिली है?

श्री शरद यादव : महाराष्ट्र में कोई टास्क–फोर्स नहीं गई है। अगर कोई शिकायत हो, तो टास्क–फोर्स वहां जाएगी ...*(व्यवधान)* बिहार में गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टास्क–फोर्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना नहीं है, टास्क–फोर्स का मतलब व्यवस्था में सुधार करने से है। यह कोई अधिकार सम्पन्न टास्क–फोर्स नहीं है और न ही इसके पास ऐसी कोई ताकत है, जो आईन में कार्य बंटे हुए हैं, उसको बिगाड़ सकती है। उसके साथ में इतना ही है कि वह सूचना देती है और हम उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करते हैं, बात करते हैं और व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक से चल रही है, लेकिन एक शिकायत आई है कि केरल में कुछ एफसीआई गोडाउन्स बन्द करने जा रहे हैं और इसके साथ ही चावल या जो अन्य सामग्री भेजी जा रही है, उसकी क्वालिटी के बारे में शिकायतें आ रही हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केरल में आम तौर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो ठीक से चल रही है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, तो उसके बारे में क्या आप विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं और जो भी लूपहोल्स पाए जाएं, उनको प्लग करने के लिए कदम उठाएंगे?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, चेन्नितला जी ने एक बात सही कही है, केरल से जो शिकायत आई थी, उस शिकायत पर सक्षम तरीके से कार्यवाही की गई है। वहां के चीफ सैक्रेटरी से बात हुई है, अब उस तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं यह मानता हूं कि केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत दूर तक सक्षम तरीके से चल रही है, लेकिन क्वालिटी के मामले में सुधार के मामले में या सप्लाई के मामले मे भारत सरकार मदद करने के लिए तैयार है। उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं रहेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या–166 श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या–167 श्री नवल किशोर राय–उपस्थित नहीं। डा. सुशील कुमार इन्दौरा–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या–168 श्री रतन लाल कटारिया–उपस्थित नहीं। डा. जसवंतसिंह यादव–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या–169 श्री किरीट सोमैया।

पूंजी बाजार में अत्यधिक वृद्धि

***169. श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन माह में पूंजी बाजार में हुई अत्यधिक वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी विनियामक संस्थाओं ने इसके कारणों का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सट्टा व्यापार में अत्यधिक वृद्धि के कारण बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान भारतीय निवेशकों और एफआईआई की ओर से किए गए वास्तविक निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विनियामकों द्वारा पूंजी बाजार, छोटे निवेशकों की रक्षा करने और किसी घोटाले को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां।

(ग). सेबी के अनुसार भारत में स्टॉक बाजार सूचकांकों में हाल की वृद्धि मुख्यतया वैश्विक अर्थव्यवस्था और नकदीकरण में समग्र सुधार, प्रत्यशित बेहतर सकल घरेलू उत्पाद अभिवृद्धि, अच्छे कारपोरेट अर्जन, न्यून ब्याज दर, और बढ़े हुए विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्वाह जैसे कारकों के कारण है।

(घ) दिनांक 28 नवंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार कुल बाजार पूंजीकरण मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 10,65,853 करोड़ रुपए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 9,79,540 करोड़ रुपए था जिसमें से 87721.2 करोड़ रुपए विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश के कारण है। जून, 2003–नवंबर, 2003 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवल निवेश 22,340 करोड़ रुपए था।

(ङ) स्टॉक एक्सचेंजों सहित सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की संरक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) कम अवधि वाले निपटान चक्र को अपनाना;

(2) स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के साथ साप्ताहिक निगरानी बैठकों को आयोजन;

(3) सट्टेबाजी को रोकने के लिए चुनिन्दा स्क्रिपों पर विशेष/तदर्थ मार्जिन लागू करना;

(4) निगरानी उपाय के रूप में सौदा दर सौदा आधार पर कारबार और निपटान हेतु बीएसई द्वारा लगभग 587 स्क्रिपों और एनएसई द्वारा 143 स्क्रिपों का अंतरण;

(5) विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप–खातों से अंडरलाईंग भारतीय प्रतिभूतियों के बारे में सभी अपतटीय व्युत्पाद लिखतों के निर्गम के बारे में सूचना मांगना;

(6) बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा कारबार सदस्यों के लिए सकल उद्मासन सीमाओं को घटाना;

(7) "डब्बा ट्रेडिंग" के विरुद्ध कार्रवाई और अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासी बोर्डों का अधिक्रमण।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पिछले दो महीने में कैपिटल मार्किट में जो उछाल आया, वह उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि मार्किट में

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एसआईआई) से आवक के कारण वृद्धि हुई है। मैं भारतीय पूंजी बाजार में मौजूद अनोखी प्रणाली की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एफआईआई से 22,340 करोड़ रुपए के आवक के कारण हमारा बाजार मूल्य 7 लाख करोड़ से 10.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मैं समझता हूं, यह अच्छी स्थिति नहीं है। क्या वित्त मंत्री इस पहलू पर विचार करेंगे ताकि बाजार को मजबूत, स्वस्थ, शक्तिशाली और समृद्ध बनाया जा सके। इस बारे में आपका क्या कहना है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सामान्य टिप्पणी है। पूंजी बाजार में हो रही गतिविधियों पर वित्त मंत्रालय और सेबी (एसईबीआई) पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम विदेशी संस्थागत निवेशकों के आवक की सतत निगरानी करते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक कुछ हद तक बाजार में धन लाते हैं। जबकि वह द्रवता रखनी पड़ती है, बाजार की तरणशीलता भी बनाए रखनी पड़ती है, बाजार को स्वास्थ हालत में भी रखना पड़ता है, पूर्व में की गई गलतियों से भी बचना होता है। इनके लिए वित्त मंत्रालय तथा सेबी के पास अनेक प्रणालियां हैं, जो पहले विगत के अनुभव से तैयार की गई हैं।

मैं माननीय सदस्य, जो पूंजी बाजार में अत्यधिक रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वे छोटे निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को सूचित करना चाहूंगा, कि आज देश के पूंजी बाजार में उछाल आया है तथा वह मजबूत और जोशीला हुआ है। किसी एक विशेष प्रवृत्ति के कारण ऐसा नहीं हुआ है। विगत में हमने अनेक उपाय किए हैं जिसकी वजह से मैं आज यहां सभा में खड़ा होकर कह रहा हूं कि पूंजी बाजार में अत्यधिक वृद्धि

अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती के कारण हुई है और इसलिए माननीय सदस्य को इस तथ्य से अवगत हो जाना चाहिए।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि "क्या हम किसी दलाल के व्युत्पन्न या सट्टाबाजी व्यापार की सीमा को उसके निवल मूल्य से जोड़ सकते हैं?" वर्तमान में एक दलाल की सीमा 50 करोड़ रुपए है चाहे उसका निवल मूल्य कुछ भी हो। पहले इसने पूंजी बाजार को प्रभावित किया था। इसलिए क्या सट्टाबाजी व्यापार के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) किसी दलाल की सीमा को उसके निवल मूल्य से जोड़ने के सुझाव पर विचार करेंगे? वर्तमान में एक बड़े दलाल के संदर्भ में उसके निवल मूल्य के साथ उच्चतम सीमा 50 करोड़ रुपए है और इसी प्रकार एक लाइसेंस धारी छोटे दलाल की अधिकतम सीमा भी 50 करोड़ रुपए है। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे?

श्री जसवंत सिंह : माननीय सदस्य के साथ मैं इस सिद्धांत पर उसी सीमा तक सहमत हूं जिसमें मैं अपना दायित्व वहन करने का प्रयास कर रहा हूं। हमने कई विनियामक तन्त्र बनाए हैं क्योंकि मेरा यह मानना है और मैंने प्रायः यह कहा है कि–मुक्त बाजार सभी के लिए मुक्त बाजार का पर्याय नहीं है। बाजार जितना मुक्त होगा, उस देश द्वारा स्थापित विनियामक तन्त्र को भी उतना ही सुदृढ़ होना चाहिए।

वित्त मंत्रालय विनयामक तन्त्र के लघु–प्रबंधन में विश्वास नहीं करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनयामक बोर्ड इस स्थिति में है। बाजार में जो किए जाने की आवश्यकता है वह कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनयामक बोर्ड का है। यदि वित्त मंत्रालय इस स्थिति का लघु प्रबंधन प्रारंभ करता है चाहे वह पूंजी बाजार हो, या बैंकिंग या बीमा–तो मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय का सम्पूर्ण कार्यकरण पूर्णतया अव्यवस्थित होगा। जिस प्रकार से हमने–निश्चित तौर पर मैंने वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है उनकी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जिस प्रणाली द्वारा संपूर्ण आर्थिक प्रबंधन स्थापित किया गया है वह अच्छा हो। हम सूक्ष्म प्रबंधन की बात नहीं करते। यदि माननीय सदस्य के पास इस प्रकार के सुझाव हों, तो वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को इस प्रकार की सिफारिशे देने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय द्वारा पूंजी बाजार में जान डालने के लिए किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। आज इसमें काफी उछाल है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु वहां एक गलत कार्य यह हो रहा है कि विदेशी सांस्थानिक निवेशकों का अस्वस्थ आधिपत्य है और वहां व्यवहार में कोई लघु निवेशक नहीं है जो कि वास्तव में बाजार का राजा होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1990 के दशक में बेइमान कंपनी प्रोत्साहनकर्त्ताओं और लालची व्यापारी बैंकरों के बीच मिली भगत के कारण लघु निवेशकों को हानि उठानी पड़ी और बाजार से गायब हो गए। इसलिए जब तक लघु निवेशक वापिस नहीं आते एक वास्तविक बाजार नहीं पनप सकता है क्योंकि एक बाजार विकसित करने के लिए खरीदने और बेचने वाले सैकड़ों और हजारों की संख्या में स्वतंत्र निर्णय कर्ताओं की आवश्यकता होती है। मात्र 8 या 9 विदेशी औद्योगिक निवेशकों और दो या तीन वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या वित्त मंत्रालय द्वारा लघु निवेशकों को बाजार में वापिस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : अस्वस्थ अनुपस्थिति या अस्वस्थ्य उपस्थिति के बारे में माननीय सदस्य के दावे का मैं खडन करना चाहता हूं। बाजार की दृष्टि से 1990 का भारत 2003 के भारत से भिन्न है। मुझे विश्वास है कि वह इस पहलू को पहचानते हैं। इसमें भारी परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती दोनों संयुक्त संसदीय समितियों के कारण हम बुद्धिमान हुए हैं और व्यवहार में उन दोनों समितियों की बुद्धिमत्ता का हमें लाभ हुआ है।

जहां तक लघु निवेशक के वापिस बाजार में आने की बात है, यह पूर्णतया विश्वास की बात है। दूसरा, उसे यह समझ लेना होगा कि अभी तक भी यही मानसिकता है, जो मेरे विचार से हमारे देशवासियों के सामाजिक व्यवहार का अंग है स्टॉक एक्सचेंजों के गौण बाजार के अधिकांश निवेशक शहरी हैं। जहां तक ग्रामीण भारत का संबंध है जो कि भारत का लगभग 80 प्रतिशत है। वहां स्टॉक बाजार में जो कार्यकलाप होते हैं उन्हें विभिन्न तथ्यों के कारण अभी भी एक प्रकार का सट्टा ही माना जाता है। गांवों में, मेरे गाव में महाजन के सिवाय कोई कार्य नहीं करता है। परन्तु लोग कहते हैं कि वह सटोरिया है। देश के बाजारों के प्रति दृष्टिकोण है। यह एक रात में समाप्त नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बाजार की वास्तविक शक्ति लघु निवेशक ही

होने चाहिए। विश्वास बहाली से ही लघु निवेशक बाजार में आ सकता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

विश्वास बन रहा है और मैं आपसे और अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि विश्वास को पुनः बहाल करने में लगे रहें जिससे लघु निवेशकों के वापिस बाजार में आने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बैंक ऋणों की वसूली

***161. श्री मानसिंह पटेल :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की वसूली से संबंधित कुछ मामले दस वर्षों से भी अधिक समय से न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऋणों की वसूली में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु वसूली तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को 27 अगस्त, 1993 को अधिनियमित किया गया था, ताकि तेजी से न्याय निर्णयन तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली हेतु ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने के लिए प्रावधान किया जा सके। इस समय देश में 29 ऋण वसूली अधिकरण कार्य कर रहे हैं। इन ऋण वसूली अधिकरणों को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्टाफ उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे सुचारु रूप से कार्य कर सकें। ऋण वसूली अधिकरण मामलों के लिए आर्थिक सीमा 10 लाख रुपए या इससे अधिक निर्धारित की गई है। 5 लाख रुपए की आर्थिक सीमा वाले मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध किया गया है कि लोक अदालत मामलों के संबंध में सीमा मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाए, ताकि अपेक्षाकृत अधिक मामले लोक अदालतों के दायरे में लाए जा सकें।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल वसूली 31 मार्च, 2002 को 14059.18 करोड रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2003 को 18730.15 करोड़ रुपए हो गई थी इस प्रकार 33.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण

मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार पिछले 10 वर्ष और इससे अधिक समय से लंबित वाद दाखिल मामलों और डिक्री वाले मामलों की संख्या

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	वाद दाखिल की संख्या		डिक्री वाले खाते		
	खाते	राशि	मामलों की सं.	राशि	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	368	156.49	126	41.06	2.35
आन्ध्रा बैंक	2885	127.98	1750	93.25	0.70
बैंक ऑफ बड़ौदा	2114	216.35	2595	90.82	9.31
बैंक ऑफ इंडिया	4438	250.25	3465	45.72	9.86

1	2	3	4	5	6
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	51	153.19	444	60.99	1.26
केनरा बैंक	1077	145.37	1842	15.81	0.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1486	122.64	144	78.00	30.78
कॉरपोरेशन बैंक	903	19.46	585	7.16	0.03
देना बैंक	818	109.98	432	44.60	0.09
इंडियन बैंक	4466	320.67	305	193.72	13.88
इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0.00	0	0.00	0.00
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1136	0.69	734	0.15	0.86
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1178	45.37	1720	27.08	0.00
पंजाब नैशनल बैंक	635	173.22	666	43.98	0.61
सिंडीकेट बैंक	793	75.04	2075	30.92	8.53
यूको बैंक	6196	84.44	3431	22.41	4.19
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1329	83.31	2347	22.89	14.49
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2209	57.88	0	0.00	0.00
विजया बैंक	435	9.85	792	6.21	0.00
कुल	32517	2152.09	23453	824.77	96.94
स्टेट बैंक समूह					
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	448	0.06	182	0.01	0.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	427	4.90	243	1.02	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	42205	1736.42	13996	222.67	45.56
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	93	7.86	146	1.94	0.04
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	408	1.17	226	1.64	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	355	34.81	239	5.60	0.56
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	974	7.71	376	2.78	0.17
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4858	117.10	3356	68.05	2.71
कुल	49768	1910.02	18764	303.71	49.04
कुल योग	82285	4062.12	42217	1128.48	145.98

[अनुवाद]

खाद्यान्नों पर राजसहायता कम करना

*164. **श्री के. ई. कृष्णमूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार को खाद्यान्न पर दी जा रही भारी राजसहायता को कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाद्यान्नों पर दी जा रही राजसहायता को कम करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत के संबंध में हाल में हुई विकास नीति समीक्षा में विश्व बैंक ने कहा है कि खाद्यान्न और निविष्टि पर दी जाने वाली राजसहायता ने सस्य प्रतिरूप और सरकारी निवेश को विकृत कर दिया है। इसने आगे और यह सुझाव दिया है कि कृषि में तीव्रतर वृद्धि खाद्य और उर्वरक के लिए दी जाने वाली राजसहायता को ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, सिचांई तथा कृषि की विस्तार सेवाओं में लगाकर हासिल की जा सकती है।

(ख) से (घ) सरकार, खाद्य राजसहायता सहित विभिन्न सहायताओं में वृद्धि की समस्याओं से अवगत है क्योंकि ये सरकार के वित्त साधनो और उसके बाद होने वाले राजकोषीय घाटे पर दबाव डालती हैं। खाद्य राजसहायताओं सहित मुख्य राजसहायताओं की समीक्षा सरकार द्वारा निरन्तर की जाती है।

तम्बाकू उत्पादकों की समस्याएं

*166. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, तम्बाकू उत्पादक विभिन्न मोर्चों पर गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू का मूल्य निर्धारण करने में तंबाकू बोर्ड के पक्षपातपूर्ण रवैये सहित केन्द्र सरकार के समक्ष कोई मांग रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तम्बाकू बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में उत्पादित तम्बाकू का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में उगाए जाने वाले संपूर्ण तम्बाकू की प्रति वर्ष सफलतापूर्वक नीलामी की जा रही है। अतः तम्बाकू के विपणन में कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। तथापि, तम्बाकू बोर्ड के समक्ष कृषकों द्वारा अक्सर रखी जानी वाली कुछ समस्याओं में शामिल हैं :

(i) कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में अनधिकृत खत्तों का नियमितीकरण।

(ii) अधिक तथा अनधिकृत उत्पादन से संबद्ध अर्थदण्ड।

(iii) आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय काली मिट्टी/उत्तरी काली मिट्टी के क्षेत्रों में कम उत्पादन कोटा का आवंटन।

(iv) आंध्र प्रदेश के उत्तरी हल्की मिट्टी के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की कमी।

(ग) तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू की बिक्री के लिए कीमतें निर्धारित नहीं करता है। यह केवल तम्बाकू बोर्ड द्वारा संचालित प्लेटफार्मों पर की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया के विपणन को सुकर बनाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अर्जित लाभांश राशि

*167. **श्री नवल किशोर राय** :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशक देश में उनके द्वारा किए गए निवेशों पर 13 प्रतिशत तक लाभांश अर्जित कर रहे हैं;

(ख) क्या इन संस्थागत निवेशकों को देश से बाहर लाभांश राशि निकालने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं द्वारा औसतन कितनी लाभांश राशि निकाली गई; और

(घ) उन पांच देशों के नाम क्या हैं जो देश से लाभांश अर्जित करने के मामले में सूची में शीर्ष पर हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को लागू कर उपबंधों की शर्त के अधीन लाभांश/आय के साथ-साथ पूंजी लाभों के प्रत्यावर्तन की अनुमति है।

भारतीय कंपनियों द्वारा कानून के अनुरूप और उनकी वाणिज्यिक विचारणाओं के आधार पर लाभांश घोषित किया जाता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अर्जित औसत लाभांश की प्रमात्रा तय करना संभव नहीं है। इनकी घोषणा अलग-अलग कंपनियों द्वारा समरूप आधार पर सभी शेयरधारकों के लिए की जाती है। आगे, विदेशी संस्थागत निवेशक विशिष्ट रूप से शेयरों के एक समूह में निवेश करते हैं और सेबी अलग-अलग निवेशकों द्वारा अर्जित लाभांशों का रिकार्ड नहीं रखता है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र हेतु बैंक ऋण

***168. श्री रतनलाल कटारिया :**
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिवर्ज बैंक ने कृषि क्षेत्र को ऋण हेतु बैंको के लिए 18 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्धारित लक्ष्य सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने के क्या कारण हैं,

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को क्रियान्वित कर रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित किए गए निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में मार्च, 2003 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कृषि के लिए ऋण उनके निवल बैंक ऋण का क्रमशः 15.3 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत था।

(ग) यह कमी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से हुई है :

(i) अन्य क्षेत्रों को बैंक ऋण तीव्र वृद्धि दर;

(ii) कृषि में कम पूंजीगत निर्माण के फलस्वरूप ऋण खपाने की कम क्षमता;

(iii) कई राज्यों में सूखा;

(iv) कॉफी, रबड़ आदि जैसी कृषि वस्तुओं की कीमतों में अचानक गिरावट का ऋण लेने पर प्रतिकूल प्रभाव;

(v) कृषि क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते में डालना; और

(vi) आधारभूत सुविधा के अभाव का ग्रामीण ऋण वितरण पर प्रभाव।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के कृषि अग्रिम संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कृषि के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए विशेष कृषि योजनाएं तैयार करने का परामर्श देना;

(ii) सभी पात्र किसानों को 31 मार्च, 2004 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल करना;

(iii) कृषि के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने में बैंकों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान करना;

(iv) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 50,000/- रुपए तक के फसल ऋणों के लिए ब्याज दर को कम करके 9 प्रतिशत करना; और

(v) कृषि ऋण में कमी के लिए दंड के रूप में ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान पर बैंकों के लिए कम ब्याज दरें।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिम

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिं शुक्रवार की स्थिति के अनुसार		
		2001	2002	2003
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1593.98	1928.00	2137.66
2.	आन्ध्रा बैंक	1048.89	1389.07	1628.19
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3032.81	3561.09	4069.33
4.	बैंक ऑफ इंडिया	3030.09	3530.59	4171.72
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	818.26	1026.62	1287.41
6.	केनरा बैंक	3510.76	3888.00	5408.00
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2544.91	3056.84	3997.26
8.	कॉरपोरेशन बैंक	719.27	937.77	924.69
9.	देना बैंक	1158.99	1165.56	1475.21
10.	इंडियन बैंक	1453.62	1526.69	1850.30
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1609.00	1966.06	2367.44
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1669.88	1972.62	2232.34
13.	पंजाब नेशनल बैंक	3849.64	5127.70	7059.52
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	849.99	943.15	1137.12
15.	सिंडीकेट बैंक	1750.00	1945.00	2175.55
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2050.87	2887.46	3688.10
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	765.00	1030.00	1126.00
18.	यूको बैंक	959.00	1549.00	2042.00
19.	विजया बैंक	751.45	859.17	1147.03
20.	भारतीय स्टेट बैंक	14982.31	16202.92	15870.76
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	818.76	941.67	1181.07
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1214.30	1408.39	1521.40
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	609.19	768.45	952.49
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	571.69	641.08	782.91
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1136.00	1380.00	1785.00
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	614.08	802.18	850.46
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	572.62	647.91	838.10
	सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	53685.36	63082.99	73507.06

विदेशी मुद्रा भण्डार

***170. श्री जे. एस. बराड़ :**
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को यह सलाह दी थी कि विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार रखने की नीति देश और विश्व की अथव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक विदेश मुद्रा भण्डार का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, विदेशी मुद्रा भण्डारों के प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण भुगतान–शेष के बदलते संघटन तथा विभिन्न प्रकार के मुद्रा–प्रवाहों से जुड़े नकदी संबंधी जोखिमों को बाकायदा प्रतिबिम्बित करता है। इस समय भारत के विदेशी मुद्रा भण्डारों की स्थिति बेहतर है और यह विकास दर, अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र के हिस्से तथा जोखिम समायोजित प्रवाह की मात्रा के अनुरूप है।

(ग) और (घ) भारत में विदेशी मुद्रा भण्डारों के प्रबंधन की नीति सोच–समझकर अनेक स्पष्ट कारकों तथा अन्य ऐसी आकस्मिताओं के आधार पर बनाई जाती जिनमें अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं–चालू लेखा घाटे की मात्रा; अल्पावधिक देनदारियों की मात्रा; पोर्टफोलियो निवेश तथा अन्य प्रकार के पूंजी प्रवाहों में संभावित परिवर्तनीयता, विदेशी आकस्मिक घटनाओं के कारण भुगतान–शेष की स्थिति पर दबाव और अनिवासी भारतीयों की प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा जमाराशियों में होने वाली घट–बढ़।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण/अग्रिम धनराशि

*171. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए ऋण और अग्रिम की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बकाया धनराशि में 31 मार्च, 2003 से आज तक राज्य–वार कितनी वृद्धि हुई है, और

(ग) राज्यों से यह धनराशि वसूलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसी बकाया धनराशि में निरंतर कमी लाई जा सके?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में मुख्यतः वित्त मंत्रालय द्वारा सकल ऋणों के रूप में मुहैया किए गए ऋण तथा लघु बचतों की उगाही के बदले दिया जाने वाला ऋण शामिल होता है। राज्यों को उपलब्ध कराए गए ऋणों और 31.3.2003 और 30.11.2003 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार ने एक ऋण विनिमय स्कीम शुरू की है ताकि राज्य सरकारें मौजूदा लघु बचत ऋणों और कम ब्याज दरों पर खुले बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर उच्च लागत वाले बकाया ऋणों को समय से पूर्व अदा कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को अभी तक के उच्च लागत वाले 49724 करोड़ रुपये के ऋणों को समय से पूर्व अदा करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

31.3.2003 और 30.11.2003 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों पर वित्त मंत्रालय के बकाया ऋण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं. राज्यों के नाम	30.11.03 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार सकल ऋणों, लघु बचत ऋणों और अर्थोपाय अग्रिम की बकाया राशि	31.03.03 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार सकल ऋणों और लघु बचत ऋणो की बकाया राशि
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	17875.18	19096.91
2. अरुणाचल प्रदेश	491.97	497.25
3. असम	3139.42	3858.08
4. बिहार	10248.87	11505.22
5. छत्तीसगढ़	2777.10	3090.61
6. गोवा	609.39	801.18
7. गुजरात	13702.93	16866.26

1	2	3	4
8.	हरियाणा	3707.74	4824.87
9.	हिमाचल प्रदेश	1889.41	2435.92
10.	जम्मू–कश्मीर	2834.80	3275.42
11.	झारखण्ड	3133.19	3587.27
12.	कर्नाटक	10780.51	11752.22
13.	केरल	5784.39	6421.51
14.	मध्य प्रदेश	8556.43	9258.34
15.	महाराष्ट्र	17082.86	22912.13
16.	मणिपुर	775.19	468.86
17.	मेघालय	364.74	395.01
18.	मिजोरम	311.48	309.03
19.	नागालैंड	363.01	395.61
20.	उडीसा	8334.38	8463.92
21.	पंजाब	5698.03	7864.24
22.	राजस्थान	8341.28	10008.32
23.	सिक्किम	233.06	236.52
24.	तमिलनाडु	9501.35	11314.63
25.	त्रिपुरा	601.39	683.08
26.	उत्तर प्रदेश	27413.77	31014.26
27.	उत्तरांचल	114.57	1211.44
28.	पश्चिम बंगाल	18954.00	24353.19
	कुल	183620.13	216901.30

[अनुवाद]

भारत रूस व्यापार

*172. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुचित बाजार अनुसंधान न होने के कारण भारत–रूस व्यापार विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिकूल व्यापार विस्तार के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या "फिक्की" ने समस्या का समाधान करने के लिए नवंबर, 2003 के दूसरे सप्ताह में रूस में एक शिष्टमंडल भेजा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या द्विपक्षीय व्यापार में सुधार हेतु रुपया–रूबल व्यापार इस समय सबसे बड़ी बाधा है; और

(च) यदि हां, तो रुपया–रूबल व्यापार को मुक्त विदेशी मुद्रा व्यापार में बदलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत–रूस व्यापार के विस्तार पर बाजार अनुसंधान के कारण उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि कतिपय अन्य कारकों के कारण। इन कारकों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं अपर्याप्त अंतर–बैंकिंग संबंध रूसी अर्थव्यवस्था का अपनी केन्द्रीय सुनियोजित प्रणाली का बाजार अर्थव्यस्था में संक्रमण, व्यापार–दर–व्यापार गहन संपर्क की कमी, दूरी और भाषा संबंधी बाधाएं।

(ग) और (घ) फिक्की ने नवंबर, 2003 में माननीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के साथ–साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। इस दौरे के दौरान शिष्टमण्डल ने अपने रूसी समकक्ष और अन्य संगठनों के साथ पारस्परिक व्यापार के हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था ताकि भारत–रूसी आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके।

(ङ) और (च) रूस से भारतीय आयात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होते हैं जबकि रूस को निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और ऋण पुनः भुगतान प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रुपए में हो सकता है। रुपया ऋण निधियों के घटते वार्षिक पुनःभुगतान कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और व्यापार के विस्तार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारत से सामान्य वाणिज्यिक माध्यमों के जरिए निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में शामिल हैं : रूसी बैंकों को ऋण लाइनें प्रदान करना, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच अनुकूल संबंध विकसित करना, भारतीय स्टेट

बैंक और कैनरा बैंक द्वारा एक संयुक्त उद्यम बैंक खोलने के लिए कदम उठाना, संयुक्त व्यापार परिषदों को पुनः सक्रिय करना, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना इत्यादि।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

*173. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेलों का किस्म-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या हाल के महीनों में इनके उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इनके मूल्यों में वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार ओजीएल के तहत खाद्य तेल का कितना आयात किया गया;

(ङ) क्या बढ़ते आयात से स्वदेशी तेल उद्योग पर प्रभाव पडने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वदेशी तेल उद्योग की रक्षा करने और उसे सवर्धित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या खाद्य तेल के किसी सस्ते स्रोत की पहचान की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों को घरेलू उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना में हाल के महीने में उत्पादन में गिरावट नहीं दर्शाई गई है। पिछले एक माह में आम खपत के खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) से (च) अप्रैल-जून, 2003 के दौरान केवल 14.94 लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ है। चूंकि आयात वस्तुतः स्थिर हैं इसलिए घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

विवरण

(लाख टन में)

तेल	2000-2001	2001-2002	2002-2003
मूंगफली	14.7	16.6	11.8
रेपसीड तथा सरसों	13.0	15.6	12.3
सोयाबीन	8.4	9.4	7.2
सूरजमुखी	2.1	2.4	2.7
तिल	1.6	2.3	1.3
नाइजरसीड	0.3	0.4	0.3
कुसुम	0.6	0.7	0.5
लिनसीड	0.6	0.7	0.6
नारियल	5.6	5.5	5.5
बिनौला	4.6	4.8	4.3
चावल की भूसी	4.8	5.5	6.0
विलायक निष्कर्षित तेल	2.0	2.8	2.0
वृक्ष और वनमूल के तेल	1.0	0.8	0.8

[अनुवाद]

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002

*174. **श्री जी. एम. बनातवाला :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक और वित्तीय संस्थाएं प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक–वार और वित्तीय संस्था–वार कितने मामलों में प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है और इसमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) तत्संबंधी क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने और आवास वित्त कंपनियों को भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के तहत लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(घ) कई उधारकर्ताओं ने न्यायालयों से अपने पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त किए हैं।

(ङ) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकार द्वारा इन अंतरिम आदेशों को रद्द कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक की श्रेणी । पूंजी वाली आवास वित्त कंपनियों को पहले ही इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है।

विवरण-I

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के तहत की गई कार्रवाई एवं की गई वसूली की बैंक–वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	जारी नोटिस	बकाया राशि	मामले जिनमें वसूली हुई	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	1547	487.33	603	20.45
2.	आन्ध्रा बैंक	400	99.63	112	10.29
3.	बैंक ऑफ इंडिया	1189	393.86	692	30.78
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	125	429.46	19	7.53
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	330	50.52	46	2.46
6.	केनरा बैंक	982	297.13	351	30.11
7.	कॉरपोरेशन बैंक	202	121.61	70	17.76
8.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2607	1195.13	360	36.85
9.	देना बैंक	348	358.59	130	18.77
10.	इंडियन बैंक	984	409.39	239	19.19
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1857	507	711	28.42
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2076	411.94	1099	38.26
13.	पंजाब नेशनल बैंक	2640	606.51	867	34.96
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1004	479.00	368	16.89
15.	सिंडिकेट बैंक	1223	155.64	478	16.11
16.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	143	13.98	53	1.81
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1487	542.28	409	15.58
18.	यूको बैंक	1130	88.40	138	4.60
19.	विजया बैंक	1921	231.29	603	20.07
20.	भारतीय स्टेट बैंक	6618	3794	598	34.00
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	569	108.14	202	3.58
22	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	827	282.53	102	9.75
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	348	67.93	110	4.74
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	337	99.47	32	4.17
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	789	120.73	203	4.01
26.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	314	70.25	56	3.15
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	47	25.36	25	1.39

विवरण-II

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के तहत की गई कार्रवाई एवं की गई वसूली की वित्तीय संस्था–वार स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय संस्था का नाम	जारी नोटिस (संचयी)	बकाया कुल राशि (संचयी)	मामलों की संख्या जिनमें राशि वसूली गई (संचयी)	वसूली गई कुल राशि (संचयी)
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	49	3201	7	8.60
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	62	3494.64	9	14.55
3.	भारतीय निर्यात आयात बैंक	14	103.72	1	1.07
4.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	6	3.78	3	0.12
5.	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	11	72.11$	Nil	Nil
6.	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.	18	*62.08	2	*14.50

$आईआईबीआई ने सूचित किया है कि दावाकृत राशि 164.08 करोड रुपये है तथा बकाया राशि 72.11 करोड रुपये है।

*केवल मूलधन।

[हिन्दी]

बोतल बन्द पानी/प्राकृतिक मिनरल वाटर हेतु मानदंड

***175. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कंपनियां बोतल बंद पानी/प्राकृतिक मिनरल वाटर की आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) कितनी कंपनियां आईएसआई द्वारा प्रमाणित हैं और कितनी कंपनियां आईएसआई द्वारा प्रमाणित नहीं हैं; और

(ग) आईएसआई द्वारा गैर–प्रमाणित कंपनी को किस आधार पर बोतल बंद पानी/प्राकृतिक मिनरल वाटर बेचने की अनुमति दी गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो को देश में बोतल बंद पानी सप्लाई कर रही कंपनियों की संख्या का पता नहीं है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी प्रमाणन चिह्न स्कीम के तहत पैकशुदा पेय जल के विनिर्माण के लिए 997 लाइसेंस और पैकशुदा प्राकृतिक खनिज जल के लिए 8 लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(ग) पैकशुदा प्राकृतिक खनिज जल और पैकशुदा पेय जल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 759(अ) और सा. का.नि. 760(अ) के जरिए 29 मार्च, 2001 से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत लाया गया था। अधिसूचनाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न के बिना पैकशुदा पेय जल के विनिर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। इसलिए विनिर्माताओं द्वारा बीआईएस प्रमाणन चिह्न लाइसेंस प्राप्त किए बिना बोतल बंद पानी की बिक्री करना गैर–कानूनी एवं अप्राधिकृत है। ऐसे विनिर्माताओं के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

केबल ऑपरेटरों द्वारा सेवा कर का अपवंचन

***176. श्री उत्तमराव पाटील :**
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में केबल ऑपरेटर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के सेवा कर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

द्वारा हाल ही में किए सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया है कि दिल्ली में केबल ऑपरेटर वार्षिक रूप से देय अनुमानित 6 करोड़ रुपए के कर के बदले कम कर का भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सेवा कर का अपवंचन करने वाले उक्त ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) केबल ऑपरेटर को एक कर अपवंचन सम्भाव्य सेवा के रूप में अभिज्ञात किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। गैर–पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की पहचान करने के लिए क्षेत्राधिकारिक कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान आवश्यक सर्वेक्षण किया गया था। अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजीकृत केबल ऑपरेटरों की संख्या 31.3.2003 की स्थितिनुसार 16,459 से बढ़कर 30.9.2003 की स्थितिनुसार 26,410 हो गई है। वर्ष 2002–03 के दौरान केबल ऑपरेटरों से वसूल किए गए सेवा कर की राशि 8.48 करोड़ रुपए थी और चालू वित्तीय वर्ष (2003–04) के पहले छह माह के दौरान यह राशि बढ़कर 22.14 करोड़ रुपए हो गई।

किसी सेवा प्रदाता के विरुद्ध पता लगाए गए अपवंचन के मामले में, ब्याज और अर्थदण्ड सहित देय सेवा कर वसूल करने के लिए कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है।

खरीद और भंडारण में गैर-सरकारी क्षेत्र

***177. डा. बी. बी. रमैया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न खरीद और भंडारण संबंधी प्रणाली में प्रतिस्पर्द्धा लाने के लिए, इसमें गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणास्वरूप भारतीय खाद्य निगम में रोजगार समेत क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की वसूली संबंधी वर्तमान सरकारी नीति के अधीन प्राइवेट सेक्टर भी किसानों से खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार प्रत्येक फसल वर्ष के लिए किसानों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है ताकि किसाानें के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें, मजबूरन बिक्री रोकी जा सके और ठोस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त बफर स्टाक रखा जा सके। किसानों के लिए यह स्वतंत्रता होती है कि वे अपना उत्पाद सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों को बेच सकते हैं। जून, 2000 के दौरन सरकार द्वारा घोषित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन प्राइवेट क्षेत्र को देश में विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और दुलाई सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) खाद्यान्नों की वसूली, हैंडलिंग और भंडारण में प्राइवेट क्षेत्र की अधिक प्रतिभागिता होने से भारतीय खाद्य निगम की स्थापना लागत कम होने के साथ–साथ प्रतिस्पर्धा, कुशलता और निवेश बढ़ने की संभावना है।

अनिवासी भारतीयों के जरिए विदेशी मुद्रा की आवक

***178. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज दर कम करने के एक माह बाद अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि की आवक में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि में कितनी कमी आई है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य में विदेशी मुद्रा की आवक हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि पर निर्भरता को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों की आवक अप्रैल, 2003 के 643 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में सितम्बर, 2003 में घटकर (–)53 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है।

(ग) उसी अवधि में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि दर्ज की गई है जो संकेत देती है कि इन प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पटसन संबंधी न्यूनतम समर्थन मूल्य

*179. **श्री के. पी. सिंह देव :**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में पटसन उत्पादों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या पूर्वी राज्यों में और विशेषकर उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं और भारतीय पटसन निगम पटसन उत्पादकों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पटसन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी, हां। भारत सरकार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में पटसन उपजकर्त्ताओं की समस्याओं की जानकारी है।

(ख) भारत सरकार प्रत्येक पटसन मौसम के लिए पटसन/मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती रही है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सीएसीपी) प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को मांग और आपूर्ति की उभरती स्थिति, बाजार की कीमतों, इनपुट की कीमतों में परिवर्तन, उत्पादन की लागत, अन्य फसलों/पटसन उत्पादों के साथ समानता और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए असम में टीडी–5 ग्रेड के कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए सिफारिश करता है। सीएसीपी की सिफारिशों से पटसन उपजकर्त्ताओं के कृषि लाग्त की तुलना में पर्याप्त आय मिलता है। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) को बिना किसी सीमा के पटसन उपजकर्त्ताओं से कच्चे पटसन की खरीद करने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार पटसन उपजकर्त्ता अपनी उपज के लिए लाभप्रद कीमतें प्राप्त करने में सक्षम हैं।

भारत सरकार भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) को पटसन में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों में होने वाले समग्र घाटों की प्रतिपूर्ति करती है। सरकार जेसीआई को बैंक गारंटी दे रही है जिसके आधार पर वह वित्तीय संस्थाओं से संसाधन जुटाता है। चालू पटसन मौसम के दौरान भारत सरकार ने जेसीआई को 33 करोड़ रुपए मूल्य की बैंक गारंटी दी है। इसलिए जेसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू करने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत है। जेसीआई 82 सहकारी समितियों, जो कि पटसन उपजाने वाले राज्यों में जेसीआई के एजेंटों के रूप में कार्य करती हैं, के अतिरिक्त 171 क्रय केंद्रों से किसानों से सीधे कच्चे पटसन की अधिप्राप्ति कर रहा है। जेसीआई के उड़ीसा में छः क्रय केंद्र स्थित हैं।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि अनेक वर्षों से न्यूनतम समर्थन में वृद्धि हुई। वर्ष 1997–98 से लेकर 2002–03 तक पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में (टीडी–5 असम के आधार पर) क्रमशः 60/– रुपए, 80/– रुपए, 100/– रुपए, 35/– रुपए, 25/– रुपए और 40/– रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। वर्ष 2002–03 के दौरान टीडी–5 असम के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 रुपए प्रति क्विंटल था वह वर्ष 2003–04 के दौरान बढ़कर 860 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।

बैंक ऋण चूककर्ता

*180. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री वाई. वी. राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी न करने वाले चूककर्ताओं के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बैंकों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों ने जून 2003 तक ऐसे कितने चूककर्ताओं की पहचान की है जिन पर 1 करोड़ या इससे अधिक के ऋण बकाए हैं;

(ग) अब तक कितने चूककर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई है;

(घ) उनसे कितने ऋण की वसूली की गई है; और

(ङ) शेष चूककर्ताओं के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर बैंकों को ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश देता रहा है।

(ख) और (ग) 30 सितम्बर, 2002 (नवीनतम उपलब्ध) तक की स्थिति के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के 10322

चूककर्ता थे, जिनका "संदिग्ध" या "घाटे" के रूप में वर्गीकृत खातों में 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक बकाया शेष था। ऐसे 7946 मामलों के संबंध में मुकदमे दायर कर दिए गए हैं।

(घ) बैंकों ने वर्ष 2002–2003 के दौरान एनपीए (अनुपयोज्य आस्ति) खातों से 23,182 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली है।

(ङ) बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई का सहारा लेते हैं और/या उन मामलों में जहां खाते की पुनर्व्यवस्था/पुनर्गठन संभवन न हो, वहां वे ऋणकर्ता को समझौते द्वारा निपटान के लिए सहमत करने का प्रयास करते हैं।

साफ्टवेयर निर्यात हेतु आवंटन

1616. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध किया था ताकि एएसआईडीई की तर्ज पर निर्यात सेवाओं पर विचार करने के बाद धन आवंटन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक के लिए एएसआईडीई योजना में साफ्टवेयर निर्यात हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश के आर्थिक विकास में सॉफ्टवेयर तथा आईटी समर्थित सेवाओं के योगादान को देखते हुए उनके निर्यातों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर विभाग में विचार किया गया था। तथापि, ऐसी सेवाओं के स्रोतों को अभिज्ञात करने में आने वाली कठिनाई के कारण, इन सेवाओं को एएसआईडीई योजना के अंतर्गत निधि के आवंटन हेतु निर्यात संबंधी आंकड़ों में शामिल करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तथापि, राज्य सरकार उसे आवंटित की गई निधि का उपयोग राज्य से होने वाले सॉफ्टवेयर के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए कर सकती है।

काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठन

1617. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में आज तक राज्य–वार कितने गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में रखा गया है;

(ख) उनको काली सूची में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी अनुदान सहायता रोक दी है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) मंत्रालय ने गत दो वर्षों से अब तक 9 गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। इन गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जांच के दौरान इन संगठनों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	काली सूची के कारण
1	2	3	4
1.	अरुंधती एजुकेशनल सोसायटी, म.नं. 10–5–779/34, वेंकट नगर, तुकाराम गेट, नार्थ लल्लागुडा, सिंकदराबाद, आंध्र प्रदेश	शैक्षिक परिसर	निरीक्षण के दौरान संगठन की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई।

1	2	3	4
2.	रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी, डोर नं. 32–35–22, जमींदार स्ट्रीट मच्छावरम, विजयवाड़ा–4, आंध्र प्रदेश	सचल औषधालय	–तदैव–
3.	सैम सोसायटी फार सोशल जस्टिस, 96, एचसी कालोनी, ओपोजिट डीयर पार्क, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	शैक्षिक परिसर	–तदैव–
4.	रूरल एंड अर्बन प्रोग्राम सोसायटी, एच.एन. नं. 1/6/39, नीयर इंस्पैक्शन बंगला, पो. एंड मंडल सदाशिवापेट, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश	शैक्षिक परिसर	–तदैव–
5.	लिटल फ्लावर सोसायटी, प्लॉट नं. 96, हाई कोर्ट कालोनी, वनस्थलीपुरम, आरआर जिला, आंध्र प्रदेश	शैक्षिक परिसर	–तदैव–
6.	श्री वेंकटश्वरा महिला मंडली, डी.नं. 5–8–11/3/2/7, ब्रोदीपत, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	शैक्षिक परिसर	–तदैव–
7.	ग्रामीण महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, ग्राम मुस्तफाबाद, पोस्ट गुंजनपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	शैक्षिक परिसर तथा आवासीय स्कूल	–तदैव–
8.	डा. अम्बेडकर सर्वोदय विकास परिषद, 10, इकबाल कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर	–तदैव–
9.	हिन्दू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, 82/75, गुरु गोबिंद मार्ग, लाल कुआं लखनऊ, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक परिसर तथा आवासीय स्कूल	–तदैव–

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमान

1618. श्रीमती प्रभा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और साधारण बीमा निगम के कर्मचारी वर्ष 2000–2007 की अवधि के लिए अपने समझौते के रूप में अपने वेतनमानों में संशोधन की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा रखी गई मांग का ब्यौरा क्या है और क्या उनकी मांगों के सम्मत निपटान हेतु कर्मचारियों के साथ कोई विचार विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम रूप से हुए समझौते का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) जी, हां। बीमा उद्योग के संबंध में 2002–2007 की अवधि के लिए वेतन–संशोधन अगस्त, 2002 से देय है। कर्मचारी यूनियनों द्वारा अपनी मांगें भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधकों को प्रस्तुत कर दी गई हैं। उन्होंने कर्मचारी यूनियानों के साथ वार्ताएं आयोजित की हैं तथा विशिष्ट सिफारिशों को, उन्हें अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ बीमा योजना

1619. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ बीमा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) यह योजना कब से कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) इस योजना के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यह योजना 14 जुलाई, 2003 से देश भर में शुरू की गई है।

(ग) इस योजना के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया बहुत जोरदार रही है। 6 दिसंबर, 2003 तक इस योजना के तहत किया गया कुल कारोबार निम्नानुसार है :

पॉलिसियों की संख्या – 2,02,460

प्राप्त प्रीमियम (लाख रु. में) – 3,62,506.63 रु.

विवरण

वरिष्ठ पेंशन योजना–मुख्य विशेषताएं

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसमें 9 प्रतिशत प्रतिलाभ पर पेंशन के लिए व्यवस्था है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

पात्रता

- 55 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के भारतीय नागरिक इसके पात्र हैं।
- परिवार से एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे और आश्रितों से है।
- जीवन बीमा निगम द्वारा आयु का कोई भी वैध प्रमाण स्वीकार किया जाएगा।

लाभ

- पेंशनभोगी को जीवन पर्यन्त पेंशन।
- पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके नामित व्यक्ति को बीमा का क्रय मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम पेंशन 250 रुपए प्रतिमाह और अधिकतम पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह।
- पेंशन के भुगतान का तरीका–मासिक, तिमाही, अर्ध–वार्षिक या वार्षिक, विकल्पानुसार।

प्रीमियम

मासिक पेंशन के लिए एकमुश्त देय एकल प्रीमियम न्यूनतम 33,335/– रुपए और अधिकतम 2,66,665/– रुपए।

छोड़ने का विकल्प

15 वर्ष के पश्चात पेंशनभोगी के पास विकल्प होगा कि वह योजना से नाम वापस ले ले। उस स्थिति में संपूर्ण क्रय मूल्य उसे वापस कर दिया जाएगा।

ऋण सुविधा

पालिसी के तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात जमा कराई गई कुल प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत तक ऋण के रूप में लेने की अनुमति दी जाएगी। ऋण पर ब्याज की दर का निर्धारण समय–समय पर जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

परियोजनाओं के निर्माण हेतु जापानी सहायता

1620. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जापान सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण हेतु भारत को ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में किन राज्यों में ये परियोजनाएं स्थापित किए जाने/चालू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	वित्त वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजना का नाम	परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी	राज्य	ऋण की राशि (मिलियन येन में)
	2000-2001			
1.	सिम्हाद्रि थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट–II	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	12194
2.	दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोजेक्ट–II	दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	6732
	2001-2002			
3.	सिम्हाद्रि थर्मल पावर स्टेशन, प्रोजेक्ट–III	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	27473
4.	दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोजेक्ट–III	दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	28659
	2002-2003			
5.	सिम्हाद्रि एंड विज़ाग ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोजेक्ट–II	ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ ऑफ आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	6400
6.	पश्चिम बंगाल ट्रांसमिशन सिस्टम, प्रोजेक्ट–II	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	3127
7.	सिम्हाद्रि थर्मल पावर सिस्टम, प्रोजेक्ट–IV	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	5684
8.	दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोजेक्ट–IV	दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	34012
9.	पंजाब वानिकीकरण, प्रोजेक्ट (II)	पंजाब सरकार	पंजाब	5054
10.	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट्स एक्सट, प्रोजेक्ट	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	36771
11.	राजस्थान फोरेस्टरी एंड बॉयोडाईवरस्टी प्रोजेक्ट	राजस्थान सरकार	राजस्थान	9054
12.	यमुना एक्शन प्लान, प्रोजेक्ट (II)	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा	13333
13.	अजन्ता एलोरा कंजरवेशन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय	महाराष्ट्र	7331

राज्य व्यापार निगम में हुए घाटे

1621. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) ने घाटे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे घाटों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार उक्त घाटे को किस प्रकार पूरा करेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीसी का लाभ (कर पश्चात)/घाटा निम्नानुसार रहा है

वर्ष	करोड़ रुपए में
2000–01	2.84
2001–02	(–)40.34
2002–03	(–)83.97

निगम को घाटा मुख्यतः वर्ष 2001–02 और 2002–03 के लिए अपने बही–खातों में कतिपय प्रावधान करने के कारण हुआ, था जैसे कि :

- यूएस–64 यूनिटों में किए गए निवेशों के मूल्य में कमी : वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान प्रत्येक वर्ष 19.31 करोड़ रुपए।
- पूर्ववर्ती वर्षों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम से संबंधित खर्चों का परिशोधन : 2001–02 में 5.32 करोड़ रुपए और 2002–03 में 24.55 करोड़ रुपए।
- वर्ष 2002–03 के दौरान सरकार से पुरानी देयताओं की वसूली में कमी के कारण 19.36 करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डालना।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले दो वर्षों के दौरान कम किराए एवं ब्याज आय से घाटा हुआ। इन वर्षों में घाटे का बड़ा हिस्सा निगम के निष्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था।

(ग) सामान्यतः उपर्युक्त घाटा किसी अधिकारी की बदनीयती के कारण नहीं हुआ।

(घ) उक्त घाटे के परिणामस्वरूप, निगम की आरक्षित निधि (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) 417 करोड़ रुपए से घटकर (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार) 243 करोड़ रुपए हो गई है। चालू वर्ष अर्थात 2003–04 के दौरान निगम अपनी स्थिति को सुधारने में समर्थ हुआ है जिसके कारण यह प्रवृत्ति बदल गई है। चालू अनुमान के आधार पर, यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एसटीसी को सकारात्मक परिणाम एवं लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सरकार का वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान हुए इसके घाटे की भरपाई करने हेतु एसटीसी को कोई बजटीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईएसआई) के प्रशिक्षण केन्द्र

1622. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने पूरे भारत में अपने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र हैं जिन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी राज्य–वार स्थान कौन–कौन से हैं; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि नीति पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल का निर्णय

1623. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल ने कृषि नीति पर अपना निर्णय भारत के विरुद्ध दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले पर भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन की एक अपील को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह के साथ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का विलय

1624. श्री मोहन रावले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनटीएच) के साथ विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किस उद्देश्य के पूरा होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर में आर्थिक पुनर्गठन

1625. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में आर्थिक पुनर्गठन हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रणनीति की व्यापक विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस रणनीति को किस प्रकार से कार्यान्वित करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। जम्मू और कश्मीर में आर्थिक पुनर्गठन हेतु सरकार की रणनीति की घोषणा, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 23.5.2002, 19.4.2003 और 29.8.2003 को अपने तीन दौरों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी।

(ख) और (ग) "रोजगार, रेल और सड़क विकास, सहायता और सुरक्षा" के लिए 6000 करोड़ रुपए की इस रणनीति की मुख्य विशेषताओं में अगले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर में कम से कम एक लाख रोजगार और स्वयं-रोजगार अवसरों का सृजन, पर्यटन की पुनःबहाली, विद्युत परियोनजाओं को पूरा करना, बशौली पुल का निर्माणा, कांदी क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना, सामुदायिक सूचना केन्द्रों आदि की स्थापना, जम्मू विश्वविद्यालय के लिए 30 करोड़ रुपए का अनुदान, कांदी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी करना, श्रीनगर से लेह के लिए ट्रांसमीशन लाइन बिछाना, 10 केन्द्रीय विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान जारी करना आदि शामिल है। इन्हें गैर-योजना सहायता की तरह राज्यों को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तौर पर क्रियान्वित किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट

1626. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले गए;

(ग) उक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान राज्य-वार कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवें वित्त आयेग ने मुख्यतः दो या अधिक वर्षों से अधिक समय से लंबित सेशन मामलों के निपटारे के लिए 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

(ख) पिछले तीन वर्ष में आरंभ किए गए त्वरित निपटान

न्यायालयों की संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) त्वरित निपटान न्यायालयों की परिकल्पना ऐसे अतिरिक्त न्यायालयों के रूप में की गई है जिनके पास जिला स्तर पर लंबित सेशन मामलों के विचारण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(घ) ग्यारहवें वित्त आयोग ने देश में 1734 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। इनमें से 1401 न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है और 1136 न्यायालयों ने कार्य आरंभ कर दिया है। सभी राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 31 दिसंबर, 2003 तक शेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने की सलाह दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1.4.2001 से 31.12.2001 तक	1.1.2002 से 30.11.2002 तक	1.12.2002 से 30.11.2003 तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	24	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0
3.	असम	15	0	5
4.	बिहार	37	73	2
5.	छत्तीसगढ़	11	12	8
6.	गोवा	1	0	0
7.	गुजरात	36	0	25
8.	हरियाणा	5	1	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	*9	0	0
11.	झारखण्ड	20	55	14
12.	कर्नाटक	8	2	25
13.	केरल	1	21	5
14.	मध्य प्रदेश	30	10	3
15.	महाराष्ट्र	103	0	0
16.	मणिपुर	2	0	0
17.	मेघालय	0	2	1
18.	मिजोरम	0	3	0
19.	नागालैंड	0	0	2
20.	उड़ीसा	17	9	5
21.	पंजाब	7	0	9
22.	राजस्थान	40	43	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	30	19	0
25.	त्रिपुरा	2	1	0
26.	उत्तरांचल	30	2	9
27.	उत्तर प्रदेश	150	56	36
28.	पश्चिम बंगाल	13	12	30
	योग	592	345	199

*जम्मू-कश्मीर ने अपने स्वयं के संसाधनों से 31 अतिरिक्त त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन

1627. श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 51016/2/90-ई.एस.एच.(सी.) दिनांक 10 सितंबर, 1993 के जरिए मंत्रालय से इसके नियंत्रणाधीन नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के निर्णय के अनुपालन में अस्थाई दर्जे की अनुमति और नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी) योजना लाने के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो आज तक उनके मंत्रालय द्वारा योजना को वास्तव में कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

खाद्य तेल का आयात

1628. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के तिलहनों की "प्रौद्योगिकी मिशन" संबंधी रिपोर्ट की कार्रवाई से इसके उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी और देश आज के समय के आयातकर्ता के बजाय खाद्य तेल निर्यातक बन गया था;

(ख) क्या विश्व बैंक के उदारीकरण संबंधी आदेश नीति परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है; और

(ग) नीति परिवर्तन के कारण हुई हानि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 1986 के दौरान गठित तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओपीपी) शुरू किए जाने के बाद तिलहनों का उत्पादन वर्ष 1985–86 में हुए 10.83 मिलि. टन से बढ़कर वर्ष 1998–99 में 24.75 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है।

प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ 2003–04 में तिलहनों का उत्पादन वर्ष 2002–03 के दौरान हुए 92.2 लाख मी.टन के उत्पादन की तुलना में 150.8 लाख मी. टन होने का अनुमान है। रबी 2003–04 के लिए तिलहन उत्पादन की संभावना भी काफी अधिक है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप वनस्पति तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल के आयात में कमी आने की संभावना है। तथापि भारत जरूरत के अनुसार खाद्य तेल का आयातक बना रहेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अभियांत्रिकी वस्तुओं का निर्यात

1629. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का अभियांत्रिकी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो 2002–2003 में इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) वर्ष 2003–04 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में आज तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग वस्तु क्षेत्र से निर्यात सहित भारत से निर्यातों का सवंर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। वर्ष 2002–03 के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 7750.55 मिलियन अम. डा. का हुआ जिसमें वर्ष 2001–02 निर्यातों की तुलना में 33.82 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) इंजीनियरिंग क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2003-2004 के लिए 8300 मिलियन अम. डा. का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अप्रैल–जून, 2003 के दौरान इस क्षेत्र का निर्यात निष्पादन 2370 मिलियन अम. डा. का रहा है जो उक्त लक्ष्य का 28.5 प्रतिशत बनता है।

[हिन्दी]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

1630. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों

और सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए घोषित की गई विशेष सुविधाएं क्या हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा भी उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वरिष्ठ नागरिकों सहित अनेक इकाई धारकों के भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पांच महीने बीत जाने के बाद भी बांड जारी नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रालय के कर्मचारी

1631. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री 25 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्रित करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना के कब तक एकत्रित किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) प्रश्न का उत्तर देने की निर्धारित तारीख तक पूरी सूचना प्राप्त न होने के कारण इस प्रश्न सं. 1631 में उल्लिखित दिनांक 25 जुलाई, 2002 के तारांकित प्रश्न सं. 739 के उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था। तत्पश्चात यह आश्वासन दिनांक 19.10.2003 को पूरा कर दिया गया था (विवरण I और II संलग्न हैं)।

विवरण-I

प्र.सं. तथा संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
श्री बालकृष्ण चौहान द्वारा दिनांक 25.7.2003 को पूछा गया अ.प्र.सं. 739	मंत्रालय में कर्मचारी (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों की समूह-वार संख्या क्या है; (ख) समूह-वार कुल कर्मचारियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और (ग) अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की समूह-वार संख्या क्या है?	(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (ग) अभीष्ट ब्यौरे विवरण (अनुबंध-I) में दिए गए हैं।	संबंधित सूचना मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित की जानी थी।

विवरण-II

कर्मचारियों की समूह–वार संख्या तथा कर्मचारियों की कुल संख्या में से अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	1769	48	76	307
ख	3071	136	131	463
ग	5419	273	320	1015
घ	2729	263	155	974
कुल	12988	720	682	2759

[अनुवाद]

के.बी.के. जिलों में बैंकों के माध्यम से ऋण

1632. श्री परसुराम माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर, क्योंझार (के. बी.के.) जिलों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक क्षेत्र, लघु क्षेत्र और स्व सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने में इन शाखाओं का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) 31.3.2003 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों की शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	जिला	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों की शाखाएं
1.	कोरापुट	12	15
2.	बोलनगीर	12	14
3.	कालाहांडी	11	24
	योग	35	53

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने में इन शाखाओं के जिला–वार कार्यनिष्पादन का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के डाटाबेस से स्व–सहायता समूहों को उधार देने के संबंध में वर्तमान में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

विवरण

उड़ीसा में के.बी.के. जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा उधार देना

(रुपए लाख में)

वर्ष	कोरापुट		बोलनगीर		कालाहांडी	
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	लघु उद्योग क्षेत्र	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	लघु उद्योग क्षेत्र	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	लघु उद्योग क्षेत्र
2000–01	2102.80	14.62	1071.82	184.26	1916.57	156.14
2001–02	2114.02	202.12	1456.08	90.69	3254.40	204.56
2002–03	1747.59	61.20	1431.29	158.72	3969.17	748.81

आंतरिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि

1633. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने एक आंतरिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि (एआरएफ) की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निदेश पद क्या है; और

(ग) यूटीआई की विभिन्न योजनाओं के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) में बढ़ोत्तरी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक ने सूचित किया है कि आंतरिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि का उद्देश्य यूटीआई एमएफ तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम की विभिन्न स्कीमों से गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्जन करना है। आंतरिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि ने चूककर्ता कंपनियों से देय राशि की वसूली के लिए संकेन्द्रित कदम उठाए हैं। वसूली गई राशि स्कीमों के बीच जिन्होंने गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियां तथा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि को अंतरित किया है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात 90 10 के अनुपात में वितरित की जाती है।

(ग) स्कीमों के निवल परिसंपत्ति मूल्यों (एनएवी) में बढोत्तरी हेतु परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना यूटीआई एएमसी का सतत मुख्य कार्य है।

गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता

1634. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा हेतु गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता की 50,000 रु. की राशि की वर्तमान सीमा को बढाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस सीमा तक बढ़ाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त तस्करी के सामान/मुद्रा

1635. श्री जे. जे. जावीया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से लेकर आज तक सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए तस्करी के सामानों और विदेशी मुद्रा का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सामानों और मुद्रा की तस्करी के प्रत्येक मामले में कितने भारतीय व विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) देश में सामान की और विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) सूचना संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ख) 323 भारतीयों और 36 विदेशियों को सामानों की तस्करी के लिए पकड़ा गया है जबकि विदेशी मुद्रा की तस्करी के लिए 52 भारतीयों और 15 विदेशियों को पकड़ा गया है।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबद्ध कानूनों के अंतर्गत सामान और व्यक्तियों के संबंध में कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विदेशी मुद्रा सहित निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क एवं सावधान हैं।

विवरण

1 जनवरी, 2003 से अभी तक राज्य–वार सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जब्त शुदा माल और विदेशी मुद्रा की मात्रा नीचे दी गई है :

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	तस्करी किए गए माल की मात्रा (करोड़ रु. में)	विदेशी मुद्रा की की मात्रा (करोड रु. में)
1	2	3
तमिलनाडु	88.2904	4.3445
गुजरात	142.6500	0.0451
महाराष्ट्र	113.8120	3.5860
कर्नाटक	17.4410	–

1	2	3
असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्य	19.5153	1.8255
केरल	12.6002	0.3563
उत्तर प्रदेश	9.8681	0.1300
बिहार	23.6870	0.0800
उड़ीसा	0.0005	–
दिल्ली	44.3508	5.0387
पश्चिम बंगाल	50.6100	1.6400
आंध्र प्रदेश	2.9032	1.7693
राजस्थान	0.3247	–
पंजाब	1.6355	0.1289
जम्मू–कश्मीर	0.1648	–
हिमाचल प्रदेश	0.0010	–
गोवा	1.1846	0.1200
पांडिचेरी	0.0055	–
योग	529.0446	19.0643

आयकर विभाग की जांच इकाई

1636. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :
श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आयकर विभाग की जांच इकाई में कर्मचारियों की संख्या कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्मचारियों की संख्या में कटौती से आयकर अपवंचन मामलों के निपटान में देरी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सरकार आयकर विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है जो मौजूदा समय में तलाशी एवं जब्ती क्रियाकलापों के लिए तैनात हैं। किस सीमा तक इसका आकार छोटा किया जाए, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त किए गए कार्मिकों को अन्य उत्पादक क्रियाकलापों में लगाया जाएगा।

(घ) और (ङ) आयकर विभाग के जांच स्कंध के अधिकारियों को मुख्यतः व्यापक कर–अपवंचन वाले मामलों में ही तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं। कम कर–अपवंचन वाले मामलों पर आय विवरणियों का सर्वेक्षण, इनकी जांच, संवीक्षा के रूप में कार्रवाई की जाती है। वार्षिक सूचना विवरणी द्वारा एकत्रित की जाने वाली सूचना को सुमेलित करने की प्रक्रिया कर–अपवंचन पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय भी हो सकता है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

1637. श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री भास्करराव पाटील :
डा. चरण दास महंत :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ न्यायविदों ने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) राज्यों की न्यायिक सेवा के कुछ सदस्यों और उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों के विरुद्ध

भ्रष्टाचार और नैतिक अधमता वाले पदभ्रष्ट व्यवहार के आरोप सरकार की जानकारी में आए हैं। तथापि, यह कहना उचित नहीं है कि देश में न्यायिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

(ग) और (घ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचार के संबंध में समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक स्थायी न्यायिक समिति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदभ्रष्ट न्यायिक आचरण की शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त किया जाए।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना के लिए संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 तारीख 9.5.2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आचार-संहिता तैयार करेगा। आयोग, स्वविवेक से या शिकायत पर या निर्देश किए जाने पर भी किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामलों या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने वाले मामलों से भिन्न किसी अन्य पदभ्रष्ट व्यवहार के मामलों की जांच-पड़ताल करेगा और ऐसी जांच-पड़ताल के पश्चात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में समुचित रूप स सलाह देगा।

जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है। अतः, जिला/सेशन न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की बाबत आनुशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय पर है। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखती है।

निर्यात प्रतिबद्धता पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

1638. डा. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईपीसीजी लाइसेंसधारकों के निर्यात प्रतिबद्धता पूर्ति प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) का ब्यौरा क्या है जिसे डीजीएफटी द्वारा केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सांठगांठ के कारण जारी नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या इस मामले में डीजीएफटी, केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली की कार्रवाई तर्कसंगत है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा निर्यात प्रतिबद्धता पूर्ति प्रमाण-पत्र (ईओडीसी) ईपीसीजी लाइसेंस की मंजूरी की शर्तों के एक भाग के रूप में लगाई गई निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने के बाद जारी किए जाते हैं। ऐसे प्रमाण-पत्र मंजूर करने से पहले संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को उक्त स्कीम के अंतर्गत आयातित मशीनरी के साथ उत्पाद के संबंध के अनुरूप निर्यात के जरिए निर्यात प्रतिबद्धता की पूर्ति की जांच करनी होती है।

1.4.2003 से पहले, एग्जिम नीति में उक्त स्कीम के अंतर्गत संबंध के प्रमाणीकरण के लिए छह महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसे घटाकर अब दो माह कर दिया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक सूचना संख्या 26 दिनांक 30.9.2003 के तहत ऐसे सभी ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को उक्त संबंध के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है जिनमें 50 करोड़ रुपए तक की शुल्क बचत राशि शामिल है ताकि इस प्रकार के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

ईओडीसी की मंजूरी के आवेदनों का निपटान करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान के सभी प्रयास किए जाते हैं तथापि, इनका निपटान निर्यात प्रतिबद्धता की पूर्ति के समर्थन में सभी संगत आंकड़ों तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर होता है।

रेशम बुनकरों को सहायता

1639. श्री कमलनाथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रेशम बुनकर परिवार दयनीय जीवन बिता रहे हैं तथा अगस्त/सितंबर, 2003 के दौरान भुखमरी की कुछ घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीब बुनकरों के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके उत्पादों की विदेशों में भारी मांग है परन्तु उनको कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) रेशम बुनकरों की दयनीय स्थिति अथवा भुखमरी के संबंध में कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और रेशम क्षेत्र के कामगारों सहित हथकरघा बनुकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें शामिल हैं : दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, डिजायन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला एवं आवास योजना, बुनकर कल्याण योजनाएं, हथकरघा निर्यात योजना तथा हथकरघा कार्यान्वयन (आरक्षण) अधिनियम। उपर्युक्त योजनागत स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2002–03 में 130.83 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

(ङ) और (च) संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथ से बुने भारतीय रेशम उत्पादों की बड़ी मांग है। सामान्यतः निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजन तथा अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(2) करघों का उन्नयन करके उत्पाद शृंखला का विकास और विविधीकरण तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करना।

(3) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से बाजार आसूचना तथा व्यापार सूचना का प्रचार–प्रसार।

(4) शुल्क हकदारी पास बुक योजना/शुल्क वापसी योजना इत्यादि जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों को प्रोत्साहनों की उपलब्धता।

जहां तक बुनकरों को क्रेडिट सुविधा देने का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोगों तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा हथकरघा बुनकरों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों को प्रदान की गई ऋण सहायता के अलावा, नाबार्ड हथकरघा बुनकरों को रिआयती ब्याज दर पर पुनर्वित्त क्रेडिट सुविधा प्रदान कर रहा है।

अंशदान विनियामक प्राधिकरण

1640. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी संगठनों और विदेशों में रह रहे लोगों से प्राप्त विदेशी मुद्रा अथवा सामानों की निगरानी करने हेतु एक अंशदान विनियामक प्राधिकरण (सी.आर.ए.) का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत में प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी परिस्थितियों में वितरण हेतु प्राप्त निधियां व सामान लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह अंशदान विनियामक प्राधिकरण नकद व सामानों को एकत्र और वितरित करने में किस हद तक लाभप्रद व सहायक सिद्ध होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, कोई संस्था जिसका एक सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम हो, वह केन्द्र सरकार के पास अपना पंजीकरण करवा कर अथवा विदेशी अंशदान को स्वीकार करने की पूर्व अनुमति ले कर, विदेशी अंशदान को स्वीकार कर सकती है। राजनीतिक स्वरूप वाला कोई संगठन, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, और जिसे इस रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा चुका हो, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अंशदान को स्वीकार नहीं कर सकता। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदान के दुरूपयोग के बारे में जब भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उनकी जांच की जाती है तथा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

पी पी एफ योजना

1641. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पीपीएफ योजना को धीरे–धीरे समाप्त करने पर विचार कर रही है ताकि पेंशन क्षेत्र के लिए नए अर्थक्षम ढांचे के साथ–साथ आवश्यक अंशदायी भी जुटाए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) पीपीएफ योजना को धीरे–धीरे समाप्त करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

बुनकरों के लिए योजनाएं

1642. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बुनाई उद्योग दयनीय स्थिति में है और अधिकांश बुनकर अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने बुनाई उद्योग के संरक्षण तथा बुनकरों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) बुनाई उद्योग को दयनीय स्थिति में होने तथा बुनकरों के दूसरे राज्यों में पालयन करने के बारे में राज्य सरकार से वस्त्र मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) भारत सरकार, देश भर में आन्ध्र प्रदेश सहित हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनमें निम्नवत शामिल हैं :

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
6. बुनकर कल्याण योजना।
7. हथकरघा निर्यात योजना।
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।
9. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना।

(ग) विद्युतकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं

(i) भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट 2003–2004 में विद्युतकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए एक विद्युतकरघा पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना उपलब्ध कराना तथा कार्य के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने तथा उच्च उत्पादकता की प्राप्ति हेतु समूह–कार्यशाला के लिए सहायता आदि देना है। यह पैकेज पूर्ण रूप से क्रियाशील है।

(ii) सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को आधुनिकीकरण एवं उन्हें समर्थ बनाने के लिए कदम उठाया है जो प्रशिक्षण, परीक्षण परियोजना तैयार करने इत्यादि से संबंधित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए हैं।

(iii) छोटे विद्युतकरघों एककों को इनके उत्पाद विकास इनपुट द्वारा नए डिजाइन एवं उन्नत फैब्रिक्स में वृद्धि करने हेतु कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(iv) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल लेस तथा 2.50 लाख सेमी आटोमेटिक एवं आटोमेटिक करघों में समावेश की घोषणा की गई है।

(v) प्रौद्योगिक उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन दिए गए हैं जिससे कि विद्युतकरघा मालिक 20 प्रतिशत ऋण से पूंजीगत आर्थिक सहायता या 5 प्रतिशत लिए गए कर्जे पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करके अपने विद्युतकरघा की लागत को कम कर सकता है।

(vi) शटल लेस करघों पर आयात शुल्क को कम किया गया है और इन्डिजिनियस आटोमेटिक लूम पर

उत्पाद शुल्क पर छूट दी गई है। टफ्स के तहत लगाई गई बुनकर मशीनरी पर 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में फायदा दिया गया है।

(vii) पावरलूम एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेंट कोटा (पीईई) पावरलूम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दिया गया।

[हिन्दी]

विभिन्न क्षेत्रों को दी गयी राजसहायता

1643. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों को किस हद तक राजसहायता दी गई है;

(ख) क्या यह राजसहायता वस्तुतः लोगों तक पहुंच पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2003–2004 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को किस हद तक राजसहायता देने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को दी गई आर्थिक सहायता और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसी के लिए बजटीय अनुमान नीचे दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार की मुख्य आर्थिक सहायता

(करोड़ रुपए)

		2000–01	2001–02	2002–03 (सं.अ.)	2003–04 (ब.अ.)
(क)	मुख्य आर्थिक सहायता	25860	30447	41774	48930
1.	खाद्य आर्थिक सहायता	12060	17499	24200	27800
2.	देशी उर्वरक (यूरिया)	9480	8044	7499	7555
3.	आयातित उर्वरक (यूरिया)	1	47	10	709
4.	किसानों को रियायत देते हुए विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	4319	4505	3500	4456
5.	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	–	–	6265	8116
6.	एमआईएस/पीपीएस के लिए नेफेड को अनुदान	–	353	300	294
(ख)	अन्य आर्थिक सहायता	978	760	2844	977
7.	खाद्य तेल, चीनी आदि का आयात/निर्यात	40	8	–	–
8.	ब्याज आर्थिक सहायता	111	210	765	179
9.	किसानों को ऋण राहत	–	–	–	–
10.	अन्य आर्थिक सहायता	827	542	2079	798
	कुल आर्थिक सहायता	26838	31207	44618	49907

(ख) और (ग) बजटीय सहायताओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है तथा उनके प्रभाव को जानने के लिए समय-समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नीति में सुधार किए जाते हैं। खाद्य सहायता गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) को लक्ष्य कर के दी गयी है। उर्वरक संबंधी सहायताओं को व्यय सुधार आयोग के सुझावों पर संशोधित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों के ए.टी.एम.

1644. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटीएम में नकद राशि की अनुपलब्धता पर गंभीर विचार करते हुए भारतीय रिवर्ज बैंक ने बैंकों से इन मशीनों में पर्याप्त नकदी रखने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान एटीएम मशीनों में करेन्सी की कमी के बैंक-वार कितने मामले भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में बैंकों को क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिए हैं कि उनके एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नोट उपलब्ध हों।

(ग) गत छह माह के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में मुद्रा की कमी का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है।

(घ) एटीएम की सुविधा देने वाले बैंकों से पर्याप्त संख्या में तिजौरियां खोलने सहित निवारक उपाय करके यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि नकदी की कोई कमी न हो।

अन्न का आयात

1645. श्री परशुराम माझी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीन द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अनाज का आयात किया गया है;

(ख) क्या चीन ने 2004-05 से अन्न के आयात को कम करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन द्वारा भारत से आयात किए गए अनाज की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
2000-2001	377	24
2001-2002	–	–
2002-2003	–	–

(स्रोत डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बित औद्योगिक लाइसेंस आवेदन

1646. श्री वी. वेन्निसेलवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ विभिन्न राज्यों के लम्बित पड़े लाइसेंस आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की लागत क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को संशोधन सहित पुनः प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लम्बित योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) विभिन्न आवेदकों से औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 1.12.2003 की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित निवेश सहित विचाराधीन औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) औद्योगिक लाइसेंस आवेदन उद्यमियों से प्राप्त होते हैं। आवेदनों का निपटान तत्परता से करने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों पर उनकी सिफारिशों और, जहां आवश्यक हो, वहां संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ-साथ अपेक्षित सूचना आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर भी निर्भर करता है।

विवरण

प्रस्तावित निवेश सहित विचाराधीन औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की राज्य-वार स्थिति (1.12.2003 के अनुसार)

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपए करोड़ में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	23	81.00
असम	16	765.74
छत्तीसगढ़	8	22.50
गुजरात	1	4.16
झारखंड	5	6.88
कर्नाटक	1	1.16
मध्य प्रदेश	4	13.59
महाराष्ट्र	7	47.01
उड़ीसा	5	16.12
पांडिचेरी	1	3.54
राजस्थान	1	1.34
तमिलनाडु	8	11.35
त्रिपुरा	4	361.29
उत्तर प्रदेश	3	59.12
पश्चिम बंगाल	2	2.25
एक राज्य से अधिक में स्थापना स्थल	5	11.80
योग	94	1408.85

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

1647. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में अधिकांश सहकारी बैंक या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और सरकार ने संसाधन की कमी से जूझ रहे ऐसे सहकारी बैंकों को पूंजीगत सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) यह सही नहीं है कि देशभर में खासकर गुजरात में सहकारी बैंक बंद होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2003 के दौरान 4 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों एवं गुजरात में 7 बैंकों सहित 21 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस संबंधी आवेदनों को रद्द कर दिया है/अस्वीकार कर दिया है। इसके अतिरिक्त, गुजरात स्थित पंचमहल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि. नकदी संकट का सामना कर रहा था तथा उसने समाशोधन गृह परिचालन से स्वेच्छापूर्वक हट जाने का निर्णय लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक की मांग पर गुजरात की सहकारी समितियों, रजिस्ट्रार ने बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया था।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के उपबंधों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के खातों की आवधिक जांच/छंटनी करता है। विलयन, समामेलन इत्यादि जैसे सभी अन्य संभावित उपायों की छान-बीन करने के पश्चात ही बैंक के लाइसेंस को निरस्त किया जाता है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में, नाबार्ड उनके खातों की जांच और शीघ्र अध्ययन करता है तथा जांच निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को लाइसेंस जारी करने/आवेदनों को रद्द करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश करता है। संसाधनों की कमी का सामना कर रहे किसी भी सहकारी बैंक को किसी प्रकार की पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए संविधि में कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण

1648. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान है। राष्ट्र कंपनी विधि ट्रिब्यूनल वर्तमान कंपनी विधि बोर्ड, वित्तीय एवं औद्योगिक पुनर्संरचना बोर्ड [रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985] तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक शक्तियां, जहां तक कंपनी अधिनियम, 1965 का संबंध है, की जगह लेगा।

(ग) मामला निर्णयाधीन होने के कारण अन्तिम निर्णय की समय सीमा न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

सामाजिक आर्थिक सुधार पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1649. श्री अम्बरीश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी अद्यतन रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि यदि भारत में सामाजिक-आर्थिक सुधारों में तीव्रता नहीं लायी जाती है तो भारत 2015 तक गरीबी कम करने और मानव विकास सुधारने में सफल नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा 2015 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सामाजिक-आर्थिक सुधारों में गति लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) विश्व बैंक के "सपोर्टिंग साउंड पालिसिस विद एडेक्वेट एंड एप्रोप्रिएट फाइनांसिंग : इम्पलिमेंटिंग द मोन्टेरी कान्सेंसस एट दी कंट्री लेवल" शीर्षक से प्रकाशित हाल ही के निबंध में भारत की गरीबी को कम करने की संभावनाओं और सन् 2015 तक मानव विकास को सुधारने के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्तमान प्रवृत्तियों के अंतर्गत निबंध के अनुसार भारत द्वारा आय और खाद्य गरीबी में सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को प्राप्त करने की संभावना है।

(ग) और (घ) विकास के उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों की पहचान देश की उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं और क्षेत्र विशेष से संबंधित नीतियों में की गई है जिनका उद्देश्य कुल मिलाकर सामाजिक आर्थिक सुधारों में तेजी लाना है।

लौह अयस्क का निर्यात

1650. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से देश भारत से लौह अयस्क का आयात कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन देशों को कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या कोई देश विशेषकर चीन भारत से और अधिक लौह अयस्क खरीदना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो चीन से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वे अन्य देश कौन से हैं जिन्हें 2003–2004 में लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत से लौह अयस्क का आयात करने वाले मुख्य देश और पिछले तीन वर्षों में उन्हें निर्यात किए लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : मिलियन टन)

देश	2000–01	2001–02	2002–03
चीन	14.10	19.22	26.27
जापान	16.77	15.62	15.75
दक्षिण कोरिया	2.31	3.00	2.41
ताइवान	0.90	0.43	0.58
यूरोप	1.48	1.81	2.04
अन्य (पाकिस्तान और मध्य–पूर्वी देशों सहित)	1.93	1.56	1.00
जोड़	37.49	41.64	48.64

(स्रोत : एमएमटीसी)

(ग) और (घ) महोदय, बाद में चीन भारतीय लौह अयस्क का मुख्य आयातक बन गया था। भारतीय लौह अयस्क का चीन को निर्यात 1998–99 में 7.45 मिलि. टन से बढ़कर 2002–03 में 25.27 मिलि. टन हो गया है। वस्तुतः पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि चीन को हुए निर्यातों में बढ़ोतरी के कारण संभव हो पाई है। भारत से लौह अयस्क के आयातों में चीन की बढ़ी हुई मांग इस समय भी है। अप्रैल–अक्तूबर, 2002 के दौरान 12.64 मिलि. टन के निर्यात की तुलना में, वित्त वर्ष 2003 की उसी अवधि के दौरान 15.98 मिलि. टन की मात्रा निर्यात हो गई है जिसमें 26.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चीन द्वारा भारतीय लौह अयस्क की मांग में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। इसकी वर्ष 2003–04 में और बाद के वर्षों में भी जारी रहने की संभावना है।

(ङ) उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) एमएमटीसी को 2003–04 में लौह अयस्क निर्यातों की वृद्धि के लिए अभी तक अन्य देशों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, चीन को लौह अयस्क का आयात, जो इस समय 26–27 मिलि. टन के स्तर पर है, के वर्ष 2003–04 में भी जारी रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारतीय लौह अयस्क के परम्परागत आयातक अर्थात जापान और दक्षिण कोरिया क्रमशः 15–16 मिलि. टन और 2–3 मिलि. टन के अपने आयात के वर्तमान स्तर को बनाए रखेंगे क्योंकि आपूर्ति दीर्घकालिक संविदाओं द्वारा निर्देशित है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1651. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदीर्घ समुद्र तट होने के बावजूद विश्व बाजार में भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात बहुत नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों की सहायता लेकर बड़े पैमाने पर यन्त्रीकृत मत्स्यन की अनुमति देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत विश्व के निर्यात बाजार में समुद्री उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 के दौरान विश्व के शिखर के निर्यातक देशों में भारत का 16वां स्थान था। निर्यातों को और बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं–समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजनाएं, स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन संबंधी उपाय; जल कृषि का विस्तार; रोगों के प्रकोप की रोकथाम

हेतु प्रबंधन की ठोस पद्धतियां अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यातों के लिए मूल्यवर्द्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सहायता; अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की भागीदारी; विदेशों में बाजारों का सर्वेक्षण करना, इत्यादि।

(ग) और (घ) सरकार ने 1.11.2002 को भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में भारतीय स्वामित्व के गहरे समुद्र मे मत्स्य जलयानों के प्रचालन के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों में हमारे उत्पादन, विशेषकर निर्यातों से संबंधित, को बढ़ाने के लिए भारतीय ईईजेड में प्रचालन के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के आयात की अनुमति दी गई है।

केरल में बैंक ऋण

1652. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में आज की तिथि के अनुसार बैंक–वार कुल जमाराशि कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन बैंकों द्वारा केरल में कुल कितना ऋण वितरित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) केरल राज्य में वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान जमाराशियों और अग्रिमों का बैंक–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशि और सकल बैंक ऋण–2001 से 2003 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपए में)

बैंक का नाम	कुल जमा राशियां			सकल बैंक ऋण		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	465064	574470	647637	232539	245430	259345
स्टेट बैंक ऑफ बी. एंड जय.	2781	2743	3130	1238	1396	1455
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3114	4223	5854	3585	3293	3912
स्ट बैंक ऑफ मैसूर	11090	7730	8027	5439	5473	4930
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	993	1233	1213	1333	1801	2053
स्ट बैंक ऑफ त्रावणकोर	983935	1138551	1287402	425711	494143	591795
बैंक ऑफ बड़ौदा	94281	106033	116991	32179	33098	35202
इलाहाबाद बैंक	2161	2284	2595	2229	2348	4422
बैंक ऑफ इंडिया	52885	58159	63869	28831	32434	37882
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5073	8446	7305	2078	12026	. 2524
केनरा बैंक	465902	536852	604008	16827	223866	274119
देना बैंक	13719	10563	11171	5737	6584	6389

1	2	3	4	5	6	7
इंडियन बैंक	126368	141076	162721	44720	42277	51969
इंडियन ओवरसीज बैंक	197987	217247	236621	54576	65187	76670
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	88837	98893	108727	32867	34296	38317
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	176450	195755	229164	77775	97284	123274
पंजाब नैशनल बैंक	13755	17748	19769	18380	21838	24474
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1428	1598	1815	977	1289	1968
यूको बैंक	14466	18410	22922	10018	13435	18578
सिंडीकेट बैंक	133485	135030	159222	44578	46571	54950
आन्ध्रा बैंक	8816	8566	9727	4265	5311	9080
कारपोरेशन बैंक	53291	58604	67186	18885	21688	27189
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6815	7134	9223	6145	7138	7296
पंजाब एंड सिंध बैंक	3959	3935	1772	1116	1079	1332
विजया बैंक	56399	63926	73001	20904	22485	29149
कुल	2983054	3419219	3861072	1244732	1441770	1688274

स्रोत : मूल सांख्यिकीय विवरणियां-7

मसालों का आयात

1653. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बड़ी मात्रा में मसालों का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मसालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान मसालों के आयात का डालर में कितना मूल्य रहा;

(घ) क्या भारत में ऐसे मसालों की उपज के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत द्वारा आयातित प्रमुख मसाले हैं काली मिर्च, लहसुन, लौंग, तेजपत्ता, इलायची (बड़ी) तथा जीरा।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान मसालों के आयातों का मूल्य 118 मिलियन अम. डा. था।

(घ) जी, हां।

(ङ) देश में मसालों का उत्पादन करने हेतु कृषकों/उपजकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा सहायता प्रदान करना सरकार/मसाला बोर्ड का सतत प्रयास है। सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रमों में गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन करना तथा उसका वितरण करना, विभिन्न मसालों

के क्षेत्र का विस्तार करना, अलाभकारी तथा रोगग्रस्त बागानों में पुनर्रोपण करना, एकीकृत कीट, रोग तथा पोषक तत्व प्रबंधन विधियों को अभिग्रहित/संवर्धित करना, सिंचाई तथा भूमि विकास करना तथा क्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना शामिल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पेशेवरों की आवाजाही

1654. श्री सुनील खां : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत श्रम/सेवा बाजार के खुलने और लोगों की आवाजाही का कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ के देश तीसरी दुनिया के देशों की शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता देने से इनकार करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से आकांक्षी भारतीय पेशेवरों की संभावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने इन विसंगतियों को विश्व व्यापार संगठन के मंच पर बातचीत द्वारा उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार में सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रकृत व्यक्तियों के अस्थाई आवागमन समेत प्रत्येक देश द्वारा क्षेत्रीय आधार पर सेवाओं के व्यापार के लिए और बाजार पहुंच तथा राष्ट्रीय व्यवहार की वचनबद्धताएं प्रदान करने के लिए सिद्धांतों एवं नियमों के एक बहुपक्षीय ढांचे की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में, उरूग्वे दौर के दौरान अधिकांश देशों द्वारा ली गई वचनबद्धताएं, वाणिज्यिक उपस्थिति से जुड़ी हुई हैं तथा अनेक सीमाओं एवं प्रशासनिक बाधाओं के अध्यधीन हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। यूरोपीय समुदाय ने अपनी वचनबद्धताओं में पहुंच प्राप्त करने के आकांक्षी व्यक्तियों की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं के मूल्यांकन की शर्त पर विभिन्न श्रेणियों में सेवा प्रदाताओं को अस्थाई आवागमन के लिए पहुंच का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विकसित देशों ने प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में बहुत ही कम वचनबद्धताएं ली हैं, भारत ने डब्ल्यू टी ओ में ऐसे आवागमन के उदारीकरण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें उसके सामने आयी रुकावटों को अभिज्ञात किया गया है तथा अर्थपूर्ण उदारीकरण प्राप्त करने के लिए नीतियां सुझायी हैं। इसके अलावा, अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से पहुँच प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को हटाने का भी अनुरोध किया गया है। इन पहलुओं पर सेवाओं के व्यापार में उत्तरोत्तर उदारीकरण प्राप्त करने के लिए चल रही अधिदेशित वार्ताओं के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

कारों और दुपहिया वाहनों का निर्यात

1655. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में विनिर्मित कारें और दुपहिया वाहन विदेशी बाजारों में लोकप्रिय हैं और इनके निर्यात को बढ़ावा देना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उनके निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई; और

(ग) किन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी बाजारों में भारतीय कारों और दुपहिया वाहनों का बेहतर निर्यात हो रहा है जैसा कि पिछले दो वर्षों के लिए निम्नलिखित आंकड़ों से पता चला जाएगा :

(मूल्य करोड़ रूपये में)

मद	2001–2002	2000–2003	2001–2002 की तुलना में 2002–2003 में वृद्धि का प्रतिशत
कार	418.28	897.11	114.47
दुपिया वाहन	263.26	513.17	94.93

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कोलकाता

(ग) भारत लगभाग 80 देशों को कारों का निर्यात कर रहा है जिनमें से नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, अल्जीरिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यू.के., फ्रांस, कोरिया गणराज्य, स्विटजरलैंड, मिस्र और यूनान को हमारे प्रमुख निर्यात किए जाते हैं। इसी प्रकार, दुपहिया वाहनों का निर्यात लगभग 115 देशों को किया जाता है। जिनमें से श्रीलंका, फिलीपींस, बंग्लादेश, नेपाल, मैक्सिको, कोलम्बिया, यू ए ई, डोमिनिकन गणराज्य, पेरू और यूएसए को हमारे प्रमुख निर्यात किए जाते हैं।

सोने और चांदी में वायदा कारोबार

1656. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एक वर्ष में 800 टन सोना और 3500 टन चांदी का उपयोग करने वाला प्रमुख खपतकर्ता देश है;

(ख) यदि हां, तो क्या 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने सोना और चांदी का वायदा कारोबार शुरू किया है जैसा कि 4 अक्तूबर, 2003 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "गोल्ड, सिल्वर फ्यूचर्स ट्रेड स्टार्टेड" शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सोना और चांदी के वायदा कारोबार के लिए फारवर्ड मार्केट कमिशन द्वारा कितने निकायों की पहचान की गई है, और

(घ) सरकार के इस निर्णय से सोना और चांदी की कीमतों में भारी उतार–चढ़ाव को रोकने में कितनी सफलता मिलने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) सोने और चांदी की खपत के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2002–2003 के दौरान लगभग 606 टन सोने और 3069 टन चांदी का विभिन्न रूपों में आयात किया गया था **(स्रोत** : जीजेईपीसी)।

(ख) से (घ) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., अहमदाबाद द्वारा 3 अक्तूबर, 2003 को वायदा व्यापार शुरू किया गया था। सोने एवं चांदी में वायदा व्यापार हेतु फारवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) द्वारा तीन एक्सचेंजों अर्थात (i) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., अहमदाबाद, (ii) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मुंबई और (iii) नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. मुंबई को मान्यता प्रदान की गई है। वायदा व्यापार का मूल उद्देश्य कीमत प्राप्ति एवं कीमत जोखिम प्रबंधन है। इस प्रक्रिया में इससे कीमतों में उतार–चढ़ाव को संतुलित करने में सुविधा मिलती है। तथापि, उसकी सही–सही मात्रा को विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

बिहार को धनराशि

1657. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्व घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार को इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार द्वारा शुरू किए गए वित्तीय सुधारों का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या अनुवर्ती केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान, बिहार सहित 29 राज्यों के लिए राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/घाटे की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बिहार शुरू में सुधार की श्रेणी में था लेकिन बाद में उसकी स्थिति बिगड़ी है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रारम्भ की गई राजकोषीय सुधार सुविधा के अंतर्गत प्रोत्साहन राजस्व घाटे की स्थिति में सुधार से जुड़ा हुआ है। चूंकि बिहार में मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः यह सहायता बिहार को जारी नहीं की गई है।

विवरण

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/घाटा

(प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य	1999–00 वास्तविक	2000–01 वास्तविक	2001–02 वास्तविक	2002–03 संशोधित अनुमान	2003–04 बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	–7.34	–18.46	–13.19	–13.91	–8.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.01	–1.90	5.14	20.60	19.97
3.	असम	–20.75	–13.83	–14.78	–13.11	–17.84
4.	बिहार	–28.22*	–26.01	0.79	–21.23	–11.19
5.	छत्तीसगढ़			–12.30	–8.68	–4.67
6.	दिल्ली	17.58	32.10	19.34	29.92	28.48
7.	गोवा	–17.01	–15.24	–12.20	–4.47	–2.17
8.	गुजरात	–26.02	–40.04	–42.10	–36.13	–28.36
9.	हरियाणा	–20.55	–9.24	–13.89	–12.37	–9.38
10.	हिमाचल प्रदेश	–2.86	–42.13	–23.16	–44.93	–44.35
11.	जम्मू–कश्मीर	–9.82	–16.97	–5.15	9.23	15.22
12.	झारखंड			1.65	–4.47	6.81
13.	कर्नाटक	–18.02	–12.56	–21.45	–20.05	–10.76
14.	केरल	–45.60	–36.05	–28.78	–16.57	–20.98
15.	मध्य प्रदेश	–22.21	–16.71	–28.17	–10.67	–3.88
16.	महाराष्ट्र	–16.89	–26.50	–27.21	–22.29	–11.86
17.	मणिपुर	–26.83	–8.26	–13.70	–0.64	–0.38
18.	मेघालय	1.68	4.65	–2.99	–2.92	6.38
19.	मिजोरम	–3.62	–23.35	–30.01	–3.70	–13.35
20.	नागालैंड	–0.82	–2.88	–7.70	6.01	12.20
21.	उड़ीसा	–43.74	–27.91	–40.15	–15.47	–24.53
22.	पंजाब	–36.52	–24.91	–42.35	–27.35	–22.97

1	2	3	4	5	6	7
23.	राजस्थान	−37.18	−21.24	−31.23	−30.19	−23.81
24.	सिक्किम	0.12	11.51	7.91	10.74	9.49
25.	तमिलनाडु	−26.95	−18.76	−14.55	−28.60	−17.35
26.	त्रिपुरा	−1.57	−5.86	2.91	−3.93	7.28
27.	उत्तर प्रदेश	−33.74	−25.42	−24.15	−16.96	−9.20
28.	उत्तरांचल			−3.65	−40.56	−23.32
29.	पश्चिम बंगाल	−90.95	−52.20	−60.92	−58.49	−57.49

स्रोत : वित्त लेखा/राज्य बजट।

*संशोधित अनुमान।

हवाला घोटाले में लिप्त व्यक्ति

1658. श्री रामटहल चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक हवाला घोटाले में लिप्त राज्य–वार कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ख) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) कितने व्यक्ति आतंकवादियों की मदद कर रहे थे और उनके नाम क्या हैं तथा वे किस राज्य के हैं, और

(घ) इस तथ्य के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है कि सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बावजूद हवाला घोटाला बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की आदिम जनजातियों के लिए प्रस्ताव

1659. श्री नरेश पुगलिया : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य के आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत अनुदान–सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है और आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त प्रस्तावों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, एक गदचिरोली तथा दूसरा नंदूरबार जिले के लिए।

(ग) से (ङ) यथोचित मंजूरी हेतु प्रस्तावों पर मंत्रालय की समीक्षा एवं चयन समिति द्वारा विचार किया गया है।

खाद्य तेल निधि

1660. डा. वी. सरोजा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि और मूल्य स्थिरीकरण के लिए सहायता देने के मद्देनजर खाद्य तेल निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई व्यवहारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखा फर्म

1661. श्री शिवाजी माने :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ लेखा फर्मों की तलाशी ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तलाशियों का दायरा क्या था;

(ग) ऐसी तलाशियों के परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या लेखा फर्मों पर निगरानी रखने के लिए भविष्य में नियमित अंतराल पर इस प्रकार की तलाशियां ली जाती रहेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के एक लेखा फर्म के परिसर की दिनांक 6.9.2002 को तलाशी ली गई थी। आयकर महानिदेशक/निदेशक (जांच) द्वारा इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि जिस आय की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई है अथवा जिसकी जानकारी दिए जाने की संभावना नहीं है तथा तलाशी के द्वारा जिसका पता लगाया जा सकता है, तलाशी का प्राधिकार दिया जाता है।

(ग) 2,50,000/रुपये नकद तथा 17,32,000 रुपये अंकित मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र जब्त किए गए थे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित कारणों से ही तलाशी ली जा सकती है।

[हिन्दी]

जनजातीय महिलाओं के लिए योजनाएं

1662. श्री रामशकल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जनजातीय महिलाओं के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम-वार कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) यह मंत्रालय केवल महिलाओं के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना से अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण और 1993-94 से जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर की योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीनवर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नामक भारत सरकार के एक उपक्रम ने 2002-03 से महिला सशक्तिकरण योजना नामक एक योजना भी प्रारंभ की है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए लडकियों के छात्रावासों के निर्माण की योजना में राज्य सरकारों को छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 50 : 50 के आधार पर (संघ शासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि मिडिल स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जा सकें। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता के विकास हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर की योजना में देश के उन 136 जिलों में शैक्षिक परिसर स्थापित और संचालित करने के लिए, जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है, गैर-सरकारी संठनों तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही समितियों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महिला सशक्तिकरण योजना की स्कीम के अंतर्गत दोहरी गरीबी रेखा परिवारों की अनुसूचित जनजाति की महिलाएं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से एनएसटीएफडीसी से 50,000/- रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली योजनाओं/ परियोजनाओं के

लिए आवधिक ऋण ले सकती हैं। इसमें प्रवर्तक के योगदान पर जोर नहीं दिया जाता और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक तक का ब्याज लिया जाता है। यह ऋण तिमाही/अर्धवार्षिक किस्तों में अधिकतम 10 वर्षों की अवधि में लौटाना होता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत कार्यक्रम-वार प्रदत्त अनुदान नीचे दिए गए हैं :

योजना	2000-01	2001-02	2002-03
लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण	2.33	7.20	6.34
जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	1.02	3.99	6.00
महिला सशक्तिकरण योजना	शून्य	शून्य	7.66

(ग) तीनों योजनाओं में मंत्रालय केवल कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान क्रमशः 3, 2 तथा 1 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

[अनुवाद]

सेवाओं पर विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं

1663. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दोहा घोषणा के अंतर्गत सेवाओं के संबंध में विश्व व्यापार संगठन में अनुरोध किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा किन सेवाओं में रुचि दिखाई गई है;

(ग) इस मुद्दे पर वार्ता की स्थिति क्या है;

(घ) क्या आपातकालीन सुरक्षोपायों पर वार्ता योजनानुसार समाप्त हुई है;

(ङ) क्या किसी विशेष प्रतिबद्धता पर निर्णय किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत ने लेखांकन, वास्तुकला, स्वास्थ्य, कम्प्यूटर संबंधी, निर्माण और अभियांत्रिकी, वित्त दृश्य-श्रव्य, पर्यटन और समुद्री यातायात सेवाओं के क्षेत्रों में अनेक व्यापारिक भागीदारों को अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। ये अनुरोध, अनुरोध-प्रस्ताव प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं जो इस समय डब्ल्यूटीओ में चल रही है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा पटल पर रखे गए अनुरोधों और प्रस्तावों के उत्तर में आगे की वार्ताएं, द्विपक्षीय, अनेक पक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर होंगी।

(घ) आपातकालीन सुरक्षा उपायों (ई एस एम) संबंधी वार्ताएं डब्ल्यू टी ओ में जारी हैं और इन्हें 31 मार्च, 2004 तक सम्पन्न किया जाना है।

(ङ) और (च) डब्ल्यू टी ओ के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा ली जाने वाली विशिष्ट बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार संबंधी वचनबद्धताओं के बारे में वार्ताएं चल रही हैं। अब तक लगभग 40 देशों ने ऐसी वचनबद्धताओं के लिए अपने "प्रारंभिक प्रस्ताव" प्रस्तुत किए हैं। परन्तु वचनबद्धताओं की अंतिम अनुसूचियां इस दौर की वार्ताओं की समाप्ति जो कि वर्तमान में 1.1.2005 के लिए निर्धारित है, पर ही तैयार की जाएंगी।

एशियाई आर्थिक समुदाय का गठन

1664. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2003 में दक्षिण-पूर्व के उद्यमियों और व्यापार मंडलों को नई दिल्ली में संबोधित करते हुए मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं सहित एशियाई आर्थिक समुदाय की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और संकल्प अपनाए गए;

(ग) मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं सहित ऐसा समुदाय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बैठक में अन्य किन विषयों पर चर्चा की गयी और उसके परिणाम क्या रहे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत–आसियान व्यापारी शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में भारत आसियान भागीदारी की महत्ता को रेखांकित किया था और यह घोषणा की थी कि भारत और आसियान के व्यापार मंत्री भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी ढांचागत करार पर हस्ताक्षार करने के लिए एक पाठ पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे यह सूचित किया कि बी आई एम एसटी–ई सी (बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग) से दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे दो निकटतम पड़ोसियों के बीच सार्थक संबंध बने हैं और यह कि बी आई एम एस टी–ई सी मुक्त व्यापार व्यवस्था की दिशा में कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी ढांचागत करार पर बाली, इंडोनेशिया में 8 अक्टूबर, 2003 को आयोजित दूसरी भारत–आसियान शिखर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के तहत भारत और आसियान वर्ष 2016 तक वस्तुओं में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करेंगे।

(घ) उद्घाटन भाषण में जिन अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी उनमें अन्य बातों के साथ–साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन एवं अवस्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में सहयोग हेतु नए कार्यक्रम; भारत–आसियान निधि के तहत सी एल एम वी (कम्बोडिया, लाओ, पीडी आर, म्यांमार और वियतनाम) के लिए सहयोगात्मक परियोजनाएं, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, मेकांग गंगा सहयोग; डब्ल्यू टी ओ मुद्दे आदि शामिल थे।

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1665. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कौन–कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन उपक्रम परियोजना" नामक राज्य क्षेत्र की एक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक के कुल 110.1 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से अक्टूबर, 2003 तक 14.554 मिलियन अमरीकी डालर उपयोग में लाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जल विज्ञान परियोजना, परिस्थितिकी विकास परियोजना और ग्रामीण महिला विकास तथा अधिकारिता परियोजना नामक तीन बहु–राज्य परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें मध्य प्रदेश भी एक भागीदार राज्य है।

सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

1666. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान भारत में सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के इन महीनों की तुलना में उक्त अवधि के दौरान कितनी गिरावट आयी है; और

(ग) इनके निर्यात को बढाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जुलाई, 2003 की अवधि के दौरान सिले–सिलाए परिधानों के निर्यात 1593.0 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2002 की इसी अवधी के दौरान ये निर्यात 1758.7 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए थे। इस प्रकार इनमें 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

(ग) सरकार सिले–सिलाए परिधानों सहित वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले–सिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दिया है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गई है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फैब्रिक उत्पादन को प्रतियोगी बनाने के लिए शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केंद्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग विशेष रूप से अपैरल, की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं सृजित की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व–परीक्षण करवाने में सक्षम हो सके।

(7) सरकार ने विकास संभावित केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए "अपैरल पार्क निर्यात योजना" नामक एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केंद्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

कृषि मजदूरों के लिए पेंशन

1667. श्री भानसिंह भौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के कृषि मजदूरों को पेंशन दिए जाने की किसी योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लागू किए जाने की संभावित समय–सीमा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सरकार ने खेतिहर मजदूरों हेतु कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 दिनांक 01.07.2001 से प्रारंभ की थी जिसे तीन वर्षों के लिए देश में 50 पहचान किए गए जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम में जीवन तथा दुर्घटना बीमा, मनी–बैक, पेंशन संबंधी लाभ तथा अधिवर्षिता लाभों को समाहित किया गया है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ–साथ किसी सदस्य को उसके जीवन अवधि के दौरान, कम से कम 10 वर्षों का अंशदान प्राप्त होने के अधीन, 100 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन भुगतान की व्यवस्था की गई है।

राज्यों में निवेश

1668. श्री प्रबोध पण्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 में वास्तविक घरेलू निवेश की दृष्टि से प्रमुख दस राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन दस राज्यों में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या कोई राज्य शीर्ष स्थान से गिर कर सबसे नीचे पहुंच गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) राष्ट्रीय लेखा ढांचे में राज्यवार निवेश केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति एवं

संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के संबंध में एसआईए आंकड़ों से संकलित निवेश आधारित सूचना जो, अनुबंध मे दी गई है। अनुबंध की सारणी में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2002 में अधिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्य हैं : गुजरात, पश्चित बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दादरा व नगर हवेली।

(ख) से (घ) वर्ष 2001, 2002, 2003 (जनवरी–सितम्बर) के दौरान आईईएम के संबंध में इन राज्यों की निवेश आधारित सूचना भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कार्यान्वित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का राज्य–वार विवरण (अगस्त 1991 से सितम्बर 2003)

उद्यमियों द्वारा फाइल किए गए आईईएम फार्म के भाग ख पर आधारित

क्र.सं.	राज्य	1992–2000	2001	2002	2003 (जनवरी–सितम्बर) निवेश (करोड़ रुपये)	2001 से सितम्बर 2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	गुजरात	26580	3921	2803	183	6907
2.	पश्चिम बंगाल	25498	581	1553	253	2387
3.	हरियाणा	9161	158	1360	7	1525
4.	महाराष्ट्र	24430	1791	822	216	2829
5.	पंजाब	4759	355	807	8	1170
6.	आंध्र प्रदेश	11533	1605	572	178	2355
7.	तमिलनाडु	8200	751	474	18	1243
8.	उत्तर प्रदेश	15554	721	328	304	1353
9.	राजस्थान	9770	1283	214	9	1506
10.	दादरा एवं नगर हवेली	976	45	202	0	247
11.	मध्य प्रदेश	8091	154	119	3	276
12.	गोवा	359	228	114	1	343
13.	झारखंड	1488	38	84	4	126
14.	उड़ीसा	1520	33	81	3	117
15.	असम	31	967	75	29	1071
16.	पांडिचेरी	220	26	65	0	91
17.	छत्तीसगढ़	1070	122	43	14	179

1	2	3	4	5	6	7
18.	कर्नाटक	8026	211	38	169	418
19.	मेघालय	1	7	19	9	35
20.	केरल	973	18	14	7	39
21.	दमन और दीव	2052	34	13	29	76
22.	उत्तरांचल	105	4	9	3	16
23.	हिमाचल प्रदेश	135	141	7	0	148
24.	जम्मू-कश्मीर	602	0	3	155	158
25.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
26.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
27.	बिहार	51	14	0	0	14
28.	चंडीगढ़	258	0	0	0	0
29.	दिल्ली	634	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
31.	नागालैंड	0	0	0	0	0
32.	सिक्किम	0	0	0	0	0
33.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
	कुल	161777	13208	9819	1602	24629

आईईएम : औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

टिप्पणी 1. वर्ष 1991 के दौरान किसी भी आवेदक ने आईईएम के कार्यान्वयन की सूचना नहीं दी थी।

2. निवेश के आंकडों की कतिपय क्षेत्रों के संबंध में संशोधित आंकडों के आधार पर पुनः अभिपुष्टि की गई है।

स्रोत : औद्योगिक सहायता सचिवालय सांख्यिकी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (अक्तूबर, 2003)

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों का कल्याण

1669. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रहने वाले आदिवासियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कल्याण कार्यक्रम/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में आदिवासियों के कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 73,18,281 अनुसूचित जनजातियां रह रही थीं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 9.27 प्रतिशत बैठता है। भारतीय संविधान

के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों का ब्यौरा वर्ष 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.ट्राइबल.निक.इन) पर भी मौजूद है।

(ख) और (ग) राज्य में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के विवरण सहित महाराष्ट्र में क्रियान्वित किए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं के ब्यौरे भी वर्ष 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट तथा मंत्रालय की उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

राज्यों को निधियां

1670. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को शीर्ष–वार, राज्य–वार कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ख) क्या केंद्र सरकार केंद्रीय राजस्व की 29 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है और उसकी राज्य–वार और शीर्ष–वार मात्रा कितनी है और राज्यों की मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) केंद्रीय करों तथा शुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग संविधान की धारा 280 के अधीन गठित वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अंतरित किया जाता है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, केंद्रीय करों तथा शुल्कों की निवल प्राप्तियों के 29.5 प्रतिशत भाग का बंटवारा वर्ष 2000–2005 की अवार्ड अवधि के लिए राज्यों के साथ किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के संबंध में कर–वार, राज्य–वार हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण–I से III में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई राज्य आयोजना हेतु केंद्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(घ) केंद्रीय करों तथा शुल्कों में अग्रिम हिस्से के निर्मोचन हेतु विभिन्न समयों पर विभिन्न राज्यों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा उनकी जांच की गई है और कई मामलों में राज्यों के अनुरोधों को पूरा करने हेतु अग्रिम निर्मोचन किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2000–2001 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी बंटवारा योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों तथा व्यय और सेवा कर की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से के मद में राज्यों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	निगम कर	आय कर	धन कर	सीमा शुल्क	केंद्रीय शुल्क	अन्य कर एवं उत्पाद	व्यय कर	सेवा कर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	810.06	630.98	3.18	1030.33	1445.36	18.17	7.60	50.63	3996.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.66	9.04	0.10	32.65	45.80	0.58	0.24	1.60	115.67
3.	असम	345.54	247.40	1.35	439.51	616.54	7.75	3.24	21.60	1682.93
4.	बिहार	1420.16	1051.85	5.57	1806.34	2533.96	31.85	11.43	76.20	6937.36
5.	छत्तीसगढ़	101.88	75.96	0.40	129.59	181.79	2.29	2.35	15.68	509.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोवा	21.67	15.31	0.09	27.56	38.66	0.49	0.20	1.36	105.34
7.	गुजरात	296.73	355.03	1.16	377.43	529.46	6.66	2.78	18.55	1587.80
8.	हरियाणा	99.30	150.83	0.39	126.30	177.17	2.23	0.93	6.20	563.35
9.	हिमाचल प्रदेश	71.85	32.07	0.28	91.38	128.19	1.61	0.67	4.49	330.54
10.	जम्मू-कश्मीर	135.69	65.34	0.54	172.59	242.11	3.04	0.00	0.00	619.31
11.	झारखंड	115.26	85.94	0.45	146.61	205.66	2.59	2.97	19.78	579.26
12.	कर्नाटक	518.58	419.44	2.03	659.59	925.29	11.63	4.86	32.41	2573.83
13.	केरल	321.56	258.23	1.26	409.00	573.75	7.21	3.02	20.10	1594.13
14.	मध्य प्रदेश	827.77	647.12	3.24	1052.86	1476.97	18.58	6.36	42.43	4075.31
15.	महाराष्ट्र	487.23	772.34	1.91	619.72	869.35	10.93	4.57	30.46	2796.51
16.	मणिपुर	38.50	17.62	0.15	48.97	68.69	0.86	0.36	2.41	177.56
17.	मेघालय	35.97	17.01	0.14	45.75	64.19	0.81	0.34	2.25	166.46
18.	मिजोरम	20.83	4.70	0.08	26.49	37.16	0.47	0.20	1.30	91.23
19.	नागालैंड	23.14	0.63	0.09	29.44	41.29	0.52	0.22	1.45	96.78
20.	उड़ीसा	531.83	394.52	2.08	676.45	948.93	11.93	4.99	33.24	2603.97
21.	पंजाब	120.65	224.75	0.47	153.46	215.27	2.71	1.13	7.54	725.98
22.	राजस्थान	575.69	444.93	2.26	732.24	1027.20	12.91	5.40	35.98	2836.61
23.	सिक्किम	19.35	10.28	0.08	24.62	34.54	0.43	0.18	1.21	90.69
24.	तमिलनाडु	566.43	499.24	2.22	720.47	1010.68	12.70	5.31	35.40	2852.45
25.	त्रिपुरा	51.23	23.50	0.20	65.16	91.40	1.15	0.48	3.20	236.32
27.	उत्तर प्रदेश	2056.00	1565.68	8.06	2615.11	3668.50	46.12	18.87	125.83	10104.17
28.	उत्तरांचल	26.49	19.75	0.10	33.70	47.27	0.60	0.65	4.34	132.90
29.	पश्चिम बंगाल	853.69	688.93	3.35	1085.86	1523.25	19.15	8.00	53.36	4235.59
	जोड़	10518.74	8728.42	41.23	13379.18	18768.43	235.95	97.35	649.00	52418.30

विवरण-II

वर्ष 2000–2001 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी बंटवारा योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों तथा व्यय और सेवा कर की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से के मद में राज्यों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	निगम कर	आय कर	धन कर	सीमा शुल्क	केंद्रीय शुल्क	अन्य कर एवं उत्पाद	व्यय कर	सेवा कर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	866.67	715.95	1.52	926.08	1440.57	21.05	6.80	82.86	4061.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.46	7.62	0.05	29.34	45.64	0.67	0.22	2.62	113.62
3.	असम	369.70	278.78	0.65	395.04	614.50	8.98	2.90	35.34	1705.89
4.	बिहार	1304.23	1142.06	2.29	1393.63	2167.86	31.67	10.34	124.69	6176.67
5.	छत्तीसगढ़	268.41	235.03	0.47	286.81	446.14	6.52	2.11	25.66	1271.15
6.	गोवा	23.18	18.32	0.04	24.77	38.53	0.56	0.18	2.22	107.80
7.	गुजरात	317.48	278.00	0.56	339.24	527.70	7.71	2.49	30.35	1503.53
8.	हरियाणा	106.24	93.03	0.19	113.52	176.59	2.58	0.83	10.15	503.13
9.	हिमाचल प्रदेश	76.87	28.36	0.13	82.13	127.76	1.87	0.60	7.35	325.07
10.	जम्मू–कश्मीर	145.18	64.21	0.25	155.13	241.31	3.53	0.00	0.00	609.61
11.	झारखंड	338.62	296.43	0.59	361.72	562.68	8.22	2.66	32.36	1603.18
12.	कर्नाटक	554.82	481.66	0.97	592.85	922.22	13.47	4.35	53.04	2623.38
13.	केरल	344.04	286.21	0.60	367.62	571.85	8.35	2.70	32.89	1614.26
14.	मध्य प्रदेश	726.22	635.92	1.28	776.00	1207.11	17.64	5.70	69.73	3439.30
15.	महाराष्ट्र	521.29	456.47	0.92	557.02	866.47	12.66	4.09	49.84	2468.76
16.	मणिपुर	41.19	17.04	0.07	44.01	68.46	1.00	0.32	3.94	176.03
17.	मेघालय	38.49	16.26	0.07	41.13	63.98	0.93	0.30	3.67	164.83
18.	मिजोरम	22.28	2.02	0.04	23.81	37.04	0.54	0.18	2.13	88.04
19.	नागालैंड	24.76	4.78	0.04	26.46	41.15	0.60	0.19	2.37	90.79
20.	उड़ीसा	569.00	442.13	1.00	608.01	945.79	13.82	4.47	54.40	2638.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	पंजाब	129.08	113.03	0.23	137.93	214.56	3.13	1.01	12.34	611.31
22.	राजस्थान	615.93	504.74	1.08	658.15	1023.79	14.96	4.83	58.88	2882.36
23.	सिक्किम	20.71	11.11	0.04	22.13	34.42	0.50	0.16	1.98	91.05
24.	तमिलनाडु	606.03	530.67	1.06	647.57	1007.33	14.72	4.76	57.93	2870.07
25.	त्रिपुरा	54.81	22.06	0.10	58.56	91.10	1.33	0.43	5.24	233.63
26.	उत्तर प्रदेश	2153.69	1885.89	3.78	2301.31	3579.81	52.30	16.91	205.90	10199.59
27.	उत्तरांचल	74.39	65.14	0.13	79.49	123.65	1.81	0.58	7.10	352.29
28.	पश्चिम बंगाल	913.38	792.88	1.60	975.98	1518.20	22.18	7.17	87.32	4318.71
	जोड़	11254.05	9416.24	19.75	12025.44	18706.21	273.30	87.18	1062.00	52844.17

विवरण-III

वर्ष 2000–2001 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी बंटवारा योग्य केंद्रीय करों और शुल्कों तथा व्यय और सेवा कर की निवल प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से के मद में राज्यों को जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	निगम कर	आय कर	धन कर	सीमा शुल्क	केंद्रीय शुल्क	अन्य कर एवं उत्पाद	व्यय कर	सेवा कर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	945.60	692.10	1.52	997.60	1534.17	22.94	6.80	115.08	4315.81
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.96	6.86	0.05	31.61	48.61	0.73	0.22	3.64	121.68
3.	असम	403.36	268.60	0.65	425.55	654.43	9.78	2.90	49.09	1814.36
4.	बिहार	1423.00	1106.16	2.29	1501.27	2308.73	34.51	10.24	173.18	6559.38
5.	छत्तीसगढ़	292.85	227.65	0.47	308.96	475.13	7.10	2.11	35.64	1349.91
6.	गोवा	26.30	17.68	0.04	26.69	41.04	0.61	0.18	3.08	114.62
7.	गुजरात	346.39	269.26	0.56	365.44	561.99	8.40	2.49	42.16	1596.69
8.	हरियाणा	115.91	90.11	0.19	122.29	188.06	2.81	0.93	14.10	534.30
9.	हिमाचल प्रदेश	83.86	26.24	0.14	88.48	136.07	2.03	0.60	10.21	347.63
10.	जम्मू–कश्मीर	158.40	60.21	0.25	167.11	256.99	3.84	0.00	0.00	646.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखंड	369.35	287.11	0.59	389.66	599.25	8.96	2.66	44.94	1702.52
12.	कर्नाटक	605.35	466.40	0.97	638.65	982.14	14.68	4.35	73.66	2786.20
13.	केरल	375.37	276.74	0.60	396.01	609.01	9.10	2.70	45.68	1715.21
14.	मध्य प्रदेश	792.36	615.94	1.28	835.84	1285.55	19.22	5.70	96.44	3652.43
15.	महाराष्ट्र	568.76	442.12	0.92	600.04	922.77	13.80	4.09	69.22	2621.72
16.	मणिपुर	44.94	15.91	0.07	47.41	72.91	1.09	0.32	5.47	188.12
17.	मेघालय	41.99	15.20	0.07	44.30	68.13	1.02	0.30	5.10	176.11
18.	मिजोरम	24.31	1.41	0.04	25.65	39.44	0.59	0.18	2.97	94.59
19.	नागालैंड	27.01	−5.46	0.04	28.50	43.83	0.66	0.20	3.29	98.07
20.	उड़ीसा	620.82	426.47	1.00	654.97	1007.24	15.06	4.47	75.55	2805.58
21.	पंजाब	140.84	109.48	0.23	148.59	228.50	3.42	1.01	17.14	649.21
22.	राजस्थान	672.02	487.78	1.08	708.99	1090.32	16.30	4.84	81.77	3063.10
23.	सिक्किम	22.59	10.54	0.04	23.83	36.66	0.55	0.16	2.74	97.11
24.	तमिलनाडु	661.22	513.99	1.06	697.59	1072.79	16.04	4.76	80.46	3047.91
25.	त्रिपुरा	59.80	20.55	0.10	63.09	97.02	1.45	0.43	7.27	249.71
26.	उत्तर प्रदेश	2349.81	1826.61	3.78	2479.06	3812.42	56.99	16.91	25.97	10831.55
27.	उत्तरांचल	81.16	63.09	0.13	82.63	131.68	1.97	0.58	9.87	374.11
28.	पश्चिम बंगाल	996.55	767.75	1.60	1051.37	1616.85	24.17	7.17	121.28	4586.74
	जोड़	12278.88	9106.50	19.76	12954.28	19921.73	297.82	87.20	1475.00	56141.17

विवरण-IV

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को उनके वार्षिक आयोजनाओं हेतु पिछले 3 वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई केंद्रीय सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2764.76	5092.59	3491.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	591.01	610.81	604.63
3.	असम	1544.27	1573.27	1775.46
4.	बिहार	1855.81	1442.21	1834.98
5.	छत्तीसगढ़	297.25	442.82	575.49
6.	गोवा	131.14	132.66	93.87
7.	गुजरात	2014.29	2801.52	2934.77
8.	हरियाणा	590.35	390.51	483.24
9.	हिमाचल प्रदेश	952.92	1027.69	1295.27

1	2	3	4	5
10.	झारखंड	315.23	438.16	557.09
11.	जम्मू–कश्मीर	1657.02	2022.56	2305.17
12.	कर्नाटक	1522.94	2847.31	1973.81
13.	केरल	682.02	786.44	1459.48
14.	मध्य प्रदेश	1499.30	1921.32	2026.64
15.	महाराष्ट्र	1241.79	1249.80	1692.01
16.	मणिपुर	413.41	575.58	567.67
17.	मेघालय	404.76	408.80	408.59
18.	मिजोरम	399.78	459.89	507.38
19.	नागालैंड	422.70	459.56	454.01
20.	उड़ीसा	1454.45	1286.74	1906.50
21.	पंजाब	546.28	665.95	584.43
22.	राजस्थान	1189.89	989.77	1363.21
23.	सिक्किम	266.36	303.30	290.83
24.	तमिलनाडु	1752.70	1259.97	1362.36
25.	त्रिपुरा	659.52	696.57	648.41
26.	उत्तरांचल	475.78	1148.54	1604.82
27.	उत्तर प्रदेश	4980.39	3506.85	4296.78
28.	पश्चिम बंगाल	2056.10	2073.00	2185.39
	जोड़	32664.22	36617.19	39284.02

[अनुवाद]

राज्यों की वित्तीय स्थिति

1671. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की राज्य–वार वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ख) गत तीन वर्षों के लिए राज्यों का राज्य–वार सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) और उनकी विकास दर क्या है;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में बढ़ती वित्तीय देनदारियां कितनी हैं तथा राज्यों का राज्य–वार राजस्व घाटा कितना है; और

(घ) सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) अद्यतन तीन वर्षों, जिनके जी.एस.डी.पी. संबंधी आंकडे उपलब्ध हैं, के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में उनके राजस्व अधिशेष/घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात के संदर्भ में राज्यों की वित्तीय स्थिति को संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है। राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा उनकी विकास दर संलग्न विवरण–II में दर्शाई गई है।

(घ) सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं जिनमें राजकोषीय सुधार सुविधा, ऋण विनिमय योजना, सुधारोन्मुखी योजनाएं यथा–त्वरित विद्युत सुधार व विकास योजनाएं, शहरी सुधार पहल फंड (यूआरआईएफ), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) आदि शामिल हैं। जमानत आधारित ऋणों के भुगतान में राज्यों के प्रदर्शन को सुचारु बनाए रखने की दृष्टि से सरकार ने ऋण भुगतान प्रक्रिया को भी सुवाही बनाया गया है।

विवरण-I

राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (%) में से राजस्व अधिशेष/घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात

क्र.सं.	राज्य	राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में राजस्व अधिशेष/घाटा			राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में सकल राजकोषीय घाटा		
		1999–2000	2000–01	2001–02	1999–2000	2000–2001	2001–02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	–0.98	–2.58	–1.92	–3.97	–5.25	–4.48

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.66	−0.96	2.87	−5.51	−14.94	−12.79
3.	असम	−3.43	−2.54	−2.72	−5.49	−5.01	−4.47
4.	बिहार	−8.38	−6.40	0.15	−14.42	−10.56	−1.19
5.	छत्तीसगढ़		1.24	−1.78		0.22	−3.59
6.	दिल्ली	1.43	3.04	उ.न.	−2.64	−2.80	उ.न.
7.	गोवा	−3.09	−3.01	−2.94	−5.04	−5.49	−5.31
8.	गुजरात	−3.36	−5.71	−5.39	−6.30	−7.23	−5.60
9.	हरियाणा	−2.43	−1.11	−1.77	−4.36	−4.14	−4.58
10.	हिमाचल प्रदेश	−0.87	−9.63	−5.85	−1.55	−13.84	−10.27
11.	जम्मू–कश्मीर	−3.88	−6.51	उ.न.	−9.59	−12.70	उ.न.
12.	झारखंड			उ.न.			उ.न.
13.	कर्नाटक	−2.44	−1.78	−3.00	−4.49	−4.03	−5.36
14.	केरल	−5.79	−4.56	−3.42	−7.25	−5.62	−4.29
15.	मध्य प्रदेश	−3.77	−2.93	−3.88	−5.03	−4.84	−4.48
16.	महाराष्ट्र	−1.76	−3.28	−3.02	−4.81	−3.76	−4.02
17.	मणिपुर	−9.00	−2.61	−4.49	−20.57	−5.54	−9.48
18.	मेघालय	0.48	1.41	−0.84	−6.35	−6.69	−5.55
19.	मिजोरम	−2.21	−10.93	−14.56	−15.18	−21.21	−23.61
20.	नागालैंड	−0.37	उ.न.	उ.न.	−7.80	उ.न.	उ.न.
21.	उड़ीसा	−6.66	−4.97	−6.54	−9.70	−8.57	−9.16
22.	पंजाब	−4.46	−3.54	−5.34	−5.22	−5.91	−7.01
23.	राजस्थान	−4.64	−3.31	−4.23	−6.83	−5.42	−6.41
24.	सिक्किम	−0.22	−10.90	−14.63	−11.02	−5.54	−6.84
25.	तमिलनाडु	−3.48	−2.43	−1.84	−4.25	−3.60	−3.19
26.	त्रिपुरा	−0.50	−1.82	0.90	−6.38	−8.45	−8.88
27.	उत्तर प्रदेश	−4.35	−3.64	−3.30	−6.65	−5.89	−5.29
28.	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	उ.न.		उ.न.	उ.न.
29.	पश्चिम बंगाल	−7.32	−5.42	−5.68	−9.20	−7.80	−7.57

विवरण-II

वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र.सं.	राज्य	(करोड़ रुपये में)			पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़त		
		1999–2000	2000–01 (पी)	2001–02 (क्यू)	1999–2000	2000–2001 (पी)	2001–02 (क्यू)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	125236	139137	150096	9.0	11.1	7.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1610	1898	1945	6.3	17.9	2.5
3.	असम	29263	30711	32428	14.5	4.9	5.6
4.	बिहार	42358	46259	50987	9.0	9.2	10.2
5.	छत्तीसगढ	25405	26.61	30265	5.6	2.6	16.1
6.	दिल्ली	52375	57547	उ.न.	11.6	9.9	उ.न.
7	गोवा	6772	7521	7771	11.3	11.2	3.3
8.	गुजरात	107618	110449	124905	2.2	2.6	13.1
9.	हरियाणा	48872	54660	59754	12.0	11.8	9.3
10.	हिमाचल प्रदेश	12229	13329	14717	14.3	9.0	10.4
11.	जम्मू–कश्मीर	13961	14750	उ.न.	11.1	5.7	उ.न.
12.	झारखंड	30511	28986	उ.न.	–0.1	–5.0	उ.न.
13.	कर्नाटक	95310	104815	109461	8.5	10.0	4.4
14.	केरल	62514	69042	76182	11.1	10.4	10.3
15.	मध्य प्रदेश	77804	73165	81286	12.4	–6.0	11.1
16.	महाराष्ट्र	243178	238875	271406	13.6	1.8	13.6
17.	मणिपुर	3188	3302	3591	22.0	3.6	8.8
18.	मेघालय	3291	3729	3978	11.9	13.3	6.7
19.	मिजोरम	1409	1769	1789	13.1	25.6	1.1
20.	नागालैंड	2547	उ.न.	उ.न.	6.8	उ.न.	उ.न.
21.	उड़ीसा	38629	38779	43293	8.6	0.4	11.6
22.	पंजाब	61178	66049	70751	9.8	8.0	7.1

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान	78481	79600	89727	7.3	1.4	12.7
24.	सिक्किम	840	911	977	7.4	8.5	7.2
25.	तमिलनाडु	126500	141150	148585	7.0	11.6	5.3
26.	त्रिपुरा	4544	5270	6062	19.1	16.0	15.0
27.	उत्तर प्रदेश	166808	172702	187231	8.4	3.5	8.4
28.	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
29.	पश्चिम बंगाल	126834	139969	156020	9.8	10.4	11.5
	अखिल भारतीय जी.डी.पी.	1761932	1917724	2094013	10.2	8.8	9.2

पी अनंतिम अनुमान उ.न. : उपलब्ध नहीं

एन.आई.एफ.टी. के केन्द्र

1672. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में तिरूपति और विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्रों की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मांग की है कि ऐसे केन्द्र विजयवाड़ा और वारंगल में भी खोले जाने चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का सुधार

1673. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवसरचना और औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार पर विचार किया है और इस परियोजनार्थ धन भी स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धन का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाना है,

(ग) क्या परियोजना चलाने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) भी चलाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दसवीं योजना में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा 675 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य चुनिंदा औद्योगिक समूहों/स्थापना–स्थलों में सरकारी–निजी भागीदारी दृष्टिकोण के जरिए बढ़िया अवसंरचना उपलब्ध कराकर स्वदेशी उद्योग की अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना है।

इस योजना में भौतिक अवसंरचना जैसे कि जल, परिवहन, सड़क, संचार, आदि के उपबंधों की परिकल्पना की गई है। ईंधन/गैस आपूर्ति प्रणाली, बहिःस्राव उपचार, ठोस कचरा निपटान, उत्पाद डिजाइन, केप्टिव विद्युत जनित्रण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना (आईसीटी) सहायता जैसी अन्य सामान्य

अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा समूह संघ द्वारा अभिज्ञात एवं शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित अवंरचनात्मक सुविधा पर भी इस योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय सहायता परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित होगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये होगी। शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित समूह/स्थापना–स्थल के अन्य शेयर धारक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उद्योग का न्यूनतम अंशदान कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत होगा। उन औद्योगिक क्षेत्रों, जहां पर इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, का निर्धारण इस योजना को अधिसूचित किये जाने के बाद एक अंतःमंत्रालयीय शीर्ष समिति द्वारा किया जायेगा।

उक्त योजना को समूह/उद्योग संघ द्वारा बनाए गए एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा जो कि औद्योगिक स्थापना–स्थलों में सृजित की गयी अवसंरचना सुविधा के विकास, संचालन और रखरखाव का कार्य करेगा। एसपीवी कंपनी सोसायटी अधिनियम के अधीन एक स्वतन्त्र कानूनी सत्ता के रूप में होगी।

जनजातीय लोगों का उत्थान

1674. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को गत छः माह के दौरान अनुसूचित जनजातीय लोगों के उत्थान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु कुछ योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार की मदद से अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण हेतु कितनी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा 2002–03 और 2003–04 के दौरान अभी तक इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) और (ख) मंत्रालय में पिछले 6 माह के दौरान अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु महाराष्ट्र सरकार से निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।

(2) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान।

(3) गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

(4) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(5) कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।

(6) आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

(7) जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(8) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।

(9) जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास।

(10) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल।

(ग) जनजातीय कल्याण हेतु प्रस्तावों की प्राप्ति एवं मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है। इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यवाही और मंजूरी तभी की जाती है जब संगत योजनाओं की पात्रता की शर्तें पूरी हों और निधियां उपलब्ध हों। विभिन्न योजनाओं के अधीन चालू वर्ष के दौरान अब तक महाराष्ट्र राज्य सरकार को 2736.68 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(घ) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु महाराष्ट्र राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा वर्ष 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.ट्राइबल.निक.इन) पर है।

(ङ) वर्ष 2002–03 और 2003–04 (30.11.2003 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन महाराष्ट्र राज्य को मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियां निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2002–2003	2003–2004 (30.11.2003 की स्थिति के अनुसार)
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता	3723.83	1675.72
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	2925.00	913.50
3.	गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान	70.61	65.36
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण	4.80	80.51
5.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	11.13	1.59
6.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	127.00	0.00
7.	राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम	100.00	0.00
8.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	165.02	0.00
9.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	6.00	0.00
	जोड़	7133.99	2736.68

[हिन्दी]

खरीद केंद्र

1675. श्री प्रदीप यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में खरीद केंद्र खोले हैं ताकि किसानों को गेहूं और धान के लिए लाभकारी मूल्य मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और उक्त केंद्रों द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव धान की खरीद के लिए झारखंड राज्य के गोड्डा, द्वारका और देवघर जिलों में खरीद केंद्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) जी, हां।

(ख) खरीफ और रबी विपणन मौसम, 2003–04 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रत्येक राज्य में खोले गए वसूली केंद्रों की संख्या और खरीदे गए धान तथा गेहूं की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान झारखंड में धान के लिए वसूली केंद्र खोलने संबंधी मामले पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। आरंभ में, यह प्रस्ताव था कि जिला गोड्डा में एक वसूली केंद्र स्थापित किया जाए। तथापि, चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित वसूली केंद्र चलाएगा

1. एफएसडी रांची
2. एआरडीसी तातिसिलयई
3. एफएसडी गुमला
4. एपीएमसी चाकुलिया
5. एफएसडी जसीडीह

जिला द्वारका में वसूली केंद्र खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। जसीडीह में स्थित केंद्र जिला देवघर में है।

विवरण

(मात्रा लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धान		गेहूं	
	वसूली केंद्रों की संख्या	*वसूली	वसूली केंद्रों की संख्या	वसूली
आंध्र प्रदेश	277	0.80		–
बिहार	100	नगण्य	100	0.01
चंडीगढ		–		नगण्य
छत्तीसगढ	1680	5.15		नगण्य
दिल्ली		–	2	0.12
हरियाणा	222	10.18	340	51.22
हिमाचल प्रदेश		–	4	0.01
मध्य प्रदेश	301	0.05	930	1.88
महाराष्ट्र	748	0.38		–
उडीसा	20	0.01		–
पंजाब	1458	98.47	1520	89.38
राजस्थान	12	0.20	60	2.59
उत्तरांचल	50	0.06	202	0.67
उत्तर प्रदेश	115	2.17	4222	12.13
जोड़	6023	117.47	7380	158.01

नगण्य – 500 टन से कम

टिप्पणी : धान और गेहूं की वसूली के ब्यौरे खरीफ विपणन मौसम/रबी विपणन मौसम 2003–04 से संबंधित हैं।

* – दिनांक 9.12.2003 को स्थिति।

[अनुवाद]

ऋण वसूली अधिकरण

1676. श्री एस. मुरुगेसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मदुरै में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) इस समय मदुरै में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 3 ऋण वसूली अधिकरण (चेन्नई–I, चेन्नई–II और कोयम्बतूर) हैं, जिनका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पांडिचेरी से संबंधित मामलों पर है। उपर्युक्त ऋण वसूली अधिकरणों के वर्तमान कार्यभार को देखते हुए तमिलनाडु और पांडिचेरी के मामलों को शामिल करने के लिए तत्काल एक अन्य ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

शेयर घोटाला

1677. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2003 के दौरान कुल कितने शेयर घोटाले हुए और कितने लोगों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किए गए; और

(घ) कितने लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की गई और कितने लोगों को छोड़ दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का यह सतत प्रयास रहा है कि शेयर बाजार की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा तथा दक्षता सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेबी ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, अन्यों के साथ–साथ निपटान चक्र को छोटा करना, स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण का वैश्विक तल–चिन्हन, गत्यात्मक मार्जिन व्यवस्था तथा जोखिम प्रबंधन, निगरानी कार्य का सुदृढ़ीकरण, वर्द्धित ऑन–साईट निरीक्षण कंपनियों के लिए सख्त प्रकटन मानक निर्धारित करना, कारपोरेट अभिशासन मानकों का बेहतर प्रवर्तन तथा पूंजी बाजारों के अनुवीक्षण हेतु अंतरविनियामक समन्वयन सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) विगत में बाजार हेराफेरी के कुछ उदाहरण सामने आए हैं। वर्ष 2001 के शेयर बाजार घोटाले की जांच हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया था जिसने दिसम्बर, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की एक सिफारिश थी कि बाजार की हेराफेरी की इस घटना में शामिल सभी व्यक्तियों/निकायों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए। जेपीसी की सिफारिशें/अवलोकनों पर प्रथम की गई कार्रवाई रिपोर्ट मई, 2003 में संसद में प्रस्तुत की गई। जेपीसी की सिफारिशों के अनुसरण में सेबी द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा सेबी बाजार मध्यवर्तियों तथा गैर-मध्यवर्तियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य के एक भाग के रूप में कार्रवाई करता है। विगत तीन वर्षों में की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कंपनी कार्य विभाग ने सेबी द्वारा बाजार दुराचार संबंधी आरंभिक जांच रिपोर्ट में नामित 98 कंपनियों की लेखा पुस्तिकाओं तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अब तक 539 अभियोजनों के आदेश दिए हैं/शुरू किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विगत 3 वर्षों के दौरान (30.11.2003 तक) 4 मामले दर्ज किए हैं तथा 2 मामलों में 8 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है।

विवरण

सेबी द्वारा जांच, प्रवर्तन तथा निगरानी के संबंध में की गई कार्रवाई	2000-2001	2001-2002	2002-2003
दी गई चेतावनियां	9	36	63
निलंबन	4	8	42
निरस्त/जमा किया गया कार्ड	1	1	11
वापस किए गए निर्गम/दिया गया विकल्प	4	–	2
जारी निर्देश	35	98	136
अभियोजन	20	110	229
व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया	98	613	848

[अनुवाद]

गायब होने वाली कंपनियां

1678. श्री राजैया मल्याला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को गायब होने वाली कंपनियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के सचिव और सेबी के अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता वाली समन्वय और अनुवीक्षण समिति (सीएमसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 185 कंपनियों की पहचान गायब होने वाली कंपनियों के रूप में की गई है। इस मामले में की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

(1) सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11(ख) के अंतर्गत 96 गायब होने वाली कंपनियों और ऐसी कंपनियों के 361 निदेशकों के विरुद्ध आदेश पारित किए हैं।

(2) गायब होने वाली कंपनियों/उनके निदेशकों के विरुद्ध 149 अभियोजन दर्ज किए गए हैं।

(3) आगे, उन सार्वजनिक कंपनियों, जिनमें उक्त निदेशकों का नियंत्रणकारी अथवा पर्याप्त हिस्सा है को पांच वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार से निधियां जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब कंपनियां/निदेशक विवर्जित किए जाते हैं, सेबी द्वारा राज्य सरकारों को प्रयोज्य निवेशक संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध करने के संदर्भ भेजे जाते हैं। विवर्जित कंपनियों तथा निदेशकों की सूचियां उचित कार्रवाई के लिए अन्य संबंधित एजेंसियों को भी अग्रेषित की जाती हैं।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

1679. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री 22 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3856 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पंजाब नेशनल बैंक में मृतकों के क्षेत्र-वार कितने आश्रित हैं जिन्हें अनुकंपा के आधार पर रोजगार नहीं दिया गया है;

(ख) कितने आश्रितों ने, विशेषकर मध्य प्रदेश में श्रम न्यायालयों में अपने मामले दायर किए हैं; और

(ग) उपर्युक्त मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हथकरघा समितियां

1680. श्रीमती रानी नरह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्र सरकार ने करघे स्थापित करने के पहले और करघे स्थापित करने के बाद परिवर्तन के लिए हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा वित्त निगम को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर असम के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) उससे राज्य-वार, विशेषकर असम के कितने लाभार्थियों को लाभ हुआ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के तहत भारत सरकार, हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए समेकित एवं समन्वित तरीके से वृहत एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर उत्पाद विकास, अवसंरचना सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति एवं प्री-लूम एवं पोस्ट-लूम के लिए विपणन सहायता जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। तथापि, योजना के तहत राज्य हथकरघा वित्त निगम को सहायता नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, हथकरघा निर्यात योजना के तहत करघों का परिवर्तन एक मात्र ऐसा घटक है जो वित्तीय सहायता लेने के पात्र हैं। उक्त योजना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार हथकरघा राज्य निदेशकों से प्राप्त किए जा रहे व्यवहार्य प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है जो निर्यात परियोजना का यह एक घटक है। असम राज्य के लिए पुरानी डी.ई.पी.एम. योजना के तहत अब तक तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ग) डीडीएचपीवाई योजना के तहत, केंद्र एवं राज्य के बीच अनुदान को शेयर किया जाता है। यह सहायता अनुदान, केंद्र और राज्य के बीच 50 : 50 के अनुपात में दी जाती है केवल पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जैसे सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश, वहां केंद्र एवं राज्य के बीच यह भागीदारी 90 : 10 के अनुपात में है। कार्यान्वयन एजेंसियों के मामले में जहां 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक लाभार्थी सदस्य हैं उनके लिए 75 : 25 के अनुपात में है। तथापि, विपणन प्रोत्साहन घटक के लिए यह भागीदारी सभी राज्यों में 50 : 50 के अनुपात में हैं।

(घ) विभिन्न हथकरघा विकास योजनाओं के तहत असम राज्य सहित विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कार्यान्वयन विभिन्न स्तर पर है तथा बुनकरों को मिलने वाले लाभ केवल अनुपूरक एवं संचयी किस्म के हैं, योजना के तहत लाभार्थी बुनकरों की संख्या की गिनती करना कठिन है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए अवमुक्त राशियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दी.द.ह.प्रो. योजना			निर्यात योग्य उत्पाद एवं उनके विपणन का विकास			कार्यशाला–सह–आवास			परियोजना पैकेज योजना			एचडीसी/क्यूडीयू योजना			स्वास्थ्य पैकेज योजना			शिफ्ट फंड योजना		
		99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	156.04	–	–	–	72.08	129.23	320.00	39.90	55.55	12.12	–	–	–	–	50.35	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	1,176.82	14.72	5.00	6.00	340.20	119.59	253.96	420.09	307.01	31.88	13.69	27.89	–	86.99	96.25	–	41.04	–	–
3.	असम	–	424.10	866.07	4.40	12.85	9.56	59.18	–	–	546.72	513.43	–	–	–	–	24.40	112.25	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	6.50	–	–	–	8.85	3.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	32.58	–	4.25	–	–	–	–	–	–	19.82	–	–	–	–	1.60	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	–	212.50	212.50	–	–	–	–	230.00	–	18.65	7.35	4.29	–	–	–	–	55.11	–	8.00	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	15.50	8.50		–	–	4.00	–	6.56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	6.89	24.23	56.25	53.97	44.00	22.93	–	2.21	34.16	10.47	19.17	2.84	5.10	–	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जम्मू–कश्मीर	–	44.54	–	2.64	–	–	–	–	–	28.55	47.83	–	–	–	–	–	–	–	–	0.79	–
12.	कर्नाटक	–	–	298.50	–	–	7.95	–	57.07	113.10	20.95	18.16	20.27	–	–	–	22.00	–	–	29.00	30.00	20.00
13.	केरल	–	–	225.00	–	8.90	–	–	–	90.00	68.80	283.45	486.30	15.99	–	–	6.43	37.22	–	–	–	10.43
14.	मध्य प्रदेश	–	32.71	9.34	7.50	–	16.25	–	–	–	29.50	16.02	1.25	–	–	–	–	–	–	2.96	1.03	3.72
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	0.95	8.42	50.00	5.03	89.87	2.00	–	–	–	–	–	–	25.83	4.78	2.26
16.	मणिपुर	143.51	–	–	–	–	–	127.50	188.75	–	180.80	236.24	19.04	–	–	–	–	32.53	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	7.48	–	–	–	10.25	–	7.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.	मेघालय	–	6.00	–	–	–	–	–	20.76	10.53	–	–	–	–	–	–	1.96	2.34	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	33.10	346.50	–	12.25	18.00	150.00	136.96	–	189.14	127.08	–	61.39	78.84	–	19.46	74.77	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	7.50	–	–	180.00	45.00	–	154.53	1.38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	पंजाब	–	–	–	13.25	4.25	28.50	–	–	–	8.90	3.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	92.24	–	26.61	92.99	–	–	–	–	1.78	5.00	–	–	1.00	–	–
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.80	2.50	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	–	677.05	1,662.37	13.13	5.25	–	199.92	181.46	114.13	121.38	141.76	11.96	290.09	–	–	83.06	37.70	35.31	241.16	262.16	291.22
26.	त्रिपुरा	–	33.14	3.92	–	–	–	–	14.05	–	24.00	4.54	–	–	–	–	–	29.83	–	–	0.29	0.13
27.	उत्तर प्रदेश	–	54.15	643.25	37.75	14.25	44.75	–	–	–	644.51	314.84	–	12.19	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	उत्तरांचल	–	–	40.25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	28.15	27.69	36.00	16.25	4.20	–	358.45	–	144.52	73.85	–	–	–	–	5.00	7.35	2.35	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	8.25	5.00	8.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.39
	कुल	–	1695.84	5725.06	208.87	157.72	202.96	1245.00	1499.99	980.54	2793.47	2255.48	634.66	396.19	111.83	1.78	273.10	539.89	37.66	348.98	299.05	320.15

विवरण

हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए अवमुक्त राशियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	समूह बीमा योजना			नई बीमा योजना			एमडीए योजना			जनता वस्त्र योजना			प्रचार एवं प्रदर्शनी			असहाय बुनकरों के लिए मनी मार्जिन			एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास		
		99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02	99–00	00–01	01–02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	2.31	10.51	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	16.00	24.00	22.73	15.19	–	–	451.31	295.95	70.07	–	–	–	15.50	66.25	52.47	26.50	–	–	33.00	129.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.	असम	1.50	–	–	0.25	–	–	50.22	40.04	10.26	14.60	–	–	27.80	67.48	64.96	–	–	–	44.75	–	–
4.	बिहार	–	–	–	3.59	0.37	–	5.76	–	–	9.00	–	–	5.82	21.94	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	0.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.00	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.24	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	0.97	1.57	2.15	2.63	2.73	2.99	21.04	117.60	0.87	–	–	–	9.50	–	19.00	0.70	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	116.59	16.46	16.98	–	–	–	12.61	–	12.00	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	42.14	32.15	–	–	–	–	1.00	12.39	10.17	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	0.33	34.94	12.00	–	–	–	–	13.98	25.89	65.78	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	20.00	–	14.12	–	–	–	102.52	193.12	–	–	–	–	6.51	1.00	6.70	–	4.50	–	–	–	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	108.49	110.77	43.44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.07
14.	मध्य प्रदेश	–	1.13	0.05	1.83	0.74	1.13	99.59	21.85	–	–	–	–	29.13	25.30	64.98	–	–	–	48.90	10.00	–
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	46.97	–	–	–	–	59.96	38.93	40.00	–	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	0.74	–	–	–	–	–	8.58	9.34	6.00	–	–	–	57.15	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	9.00	–	–	–	–	–	2.00
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	0.28	–	–	–	1.00	1.08	1.93	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	7.84	12.70	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	–	18.00	–	233.47	107.59	12.45	–	–	–	5.00	16.90	45.34	–	–	–	44.00	–	–
21.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	1.23	57.80	28.37	–	5.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	130.98	0.52	–	–	–	1.00	2.00	0.36	0.50	–	–	–	–	–
23.	राजस्थान	–	–	–	1.36	2.56	3.60	11.99	37.63	18.02	6.93	0.05	–	2.77	22.00	16.00	–	–	–	–	–	–
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.99	4.97	3.99	–	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	36.67	36.75	–	–	–	–	700.00	921.62	–	–	–	–	4.51	29.15	–	–	–	–	–	63.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26.	त्रिपुरा	–	–	–	0.15	0.60	0.51	18.02	6.06	5.15	–	–	–	4.63	4.19	5.76	–	–	–	42.75	–	10.50
27.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	125.66	233.40	31.22	1.63	–	–	8.89	30.72	43.64	–	0.86	1.00	–	–	6.00
28.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	7.38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	2.77	2.47	2.77	–	–	–	400.0	110.08	–	97.29	–	–	28.63	23.15	34.52	–	0.50	–	6.00	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	0.21	135.09	220.63	3.33	–	–	–	4.00	19.73	9.00	–	–	–	–	–	–
	जोड़	7791	6592	4232	2500	2500	1000	2905 37	2650 74	212 59	135 35	0 05	–	252 81	467 83	543 81	27 70	5 86	1 00	276 58	22 06	89 57

विभिन्न हथकरघा योजनाओं (08.12.2003 तक) के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002-2003 के तहत अवमुक्त की गई राशियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीडीएचपीवाई		विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम		कार्यशाला सह–आवास योजना		बुनकर कल्याण योजना							
								स्वास्थ्य पैकेज योजना		थ्रिफ्ट फंड योजना		ग्रुप इंशोयरेंस		न्यू इंशोयरेंस	
		2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004	2002–2003	2003–2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	1238.85	0.00	61.88	8.37	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.33	0	19.59	3.38	28.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	837.87	436.71	112.55	52.00	117.95	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	42.92	7.58	29.19	3.75	0.00	0.00	11.42	0.35	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	150.00	100.00	13.7	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	15.66	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02	0.00	0.59	2.21	1.32	3.46
9.	हरियाणा	0.00	0.00	11.52	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	हिमाचल प्रदेश	137.64	45.58	9.05	5	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	31.89	0	53.42	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
12.	झारखंड	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	156.61	9.19	24.45	12.14	250.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	7.51	12.36	0.00	0.00
14.	केरल	1067.13	154.73	4.00	3.20	34.69	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	62.20	6.66	41.87	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.48	0.77	0.00
16.	महाराष्ट्र	2.82	0.00	68.31	4.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	481.32	0.00	0.00	4.00	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	3.98	1.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.46	0.00	14.92	11.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	117.81	20.50	14.00	25.00	24.45	155.21	0.89	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
21.	उड़ीसा	22.34	0.00	18.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	9.77	0.00	59.08	51.52	0.00	0.00	5.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
25.	सिक्किम	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	2376.71	1223.52	0.00	25.11	227.800	0.00	106.22	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	7.72	0.00	19.07	7.00	0.00	20.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	589.04	244.35	103.74	44.58	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तरांचल	27.25	0.00	31.67	6.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	347.88	10.20	11.88	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.87	0.00	0.00
	जोड़	7729.56	2269.02	760.08	350.02	1050.00	281.52	237.08	74.58	275.03	0.00	10.45	17.92	7.44	10.71

विभिन्न हथकरघा योजनाओं (08.12.2003 तक) के तहत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2002-2003 के तहत अवमुक्त की गई राशियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना		हथ. अधि. (उ.व.मा.) 1985 का कार्यान्वयन		एमडीए योजना		जनता वस्त्र योजना		सेनवेट	
		2002–2003	2004–2004	2002–2003	2004–2004	2002–2003	2004–2004	2002–2003	2004–2004	2002–2003	2004–2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	17.94	0.00	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00	115.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.56	0.00	0.00	0.00	0.35
4.	बिहार	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.00	0.00	18.66	39.25	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	0.00	9.85	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	32.33	20.45	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	20.25	4.50	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैंड	5.90	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	119.65	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	पंजाब	14.10	0.00	0.00	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	0.00	0.00	61.75	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	69.40	40.25	0.00	0.00	113.15	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	6.26
	जोड़	186.26	80.55	120.00	39.25	500.00	355.62	0.00	0.00	0.00	161.70

सतर्कता मामलों की समीक्षा

1681. श्री रघुनाथ झा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को उन सतर्कता मामलों, जिनमें लगाया गया दंड आरोपों की गंभीरता के अनुरूप नहीं था की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामलों की निगमित कार्यालय और पंजाब में समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी निर्माताओं को आयात रजिस्ट्रेशन प्रदान करना

1682. श्री सईदुज्जमा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा परिसरों का निरीक्षण कराये बिना सभी विदेशी निर्माताओं को आयात रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परिसरों का निरीक्षण न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा, विशेषकर घटिया स्तर के उत्पाद बनाने वाले चीनी निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर पाटन के मद्देनजर उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 24.11.2000 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44, में शामिल सभी उत्पादों का आयात अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन है जो घरेलू वस्तुओं पर भी लागू है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए इन वस्तुओं के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत कराना अपेक्षित है। बीआईएस की विदेशी विनिर्माता स्कीम के अंतर्गत विनिर्माताओं को संगत भारतीय मानकों के अनुसार विनिर्माण एवं उत्पाद परीक्षण की उनकी क्षमता के सत्यापन के लिए उनके कारखाना परिसर का निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

जहां तक वस्तुओं के पाटन का संबंध है, वाणिज्य मंत्रालय में एक अलग पाटन रोधी निदेशालय है जो किसी पक्षकार द्वारा औपचारिक शिकायत या स्वतः आधार पर कार्रवाई शुरू करता है।

[हिन्दी]

बिहार की गौड जनजाति

1683. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत कुछ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा बिहार की गौड जनजाति को आरक्षित श्रेणी से निकाल दिया गया है जबकि वह पहले से आरक्षण प्राप्त कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गौड जनजाति को पुनः आरक्षण सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस जनजाति को कब तक आरक्षण सूची में पुनः शामिल किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) गौड जनजाति बिहार की अनुसूचित जनजाति की सूची में विनिर्दिष्ट नहीं थी। अतः इसे अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) गौड जनजाति जिसे बिहार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है, के पर्याय के रूप में गौर और गोनर (न कि गौड) जनजाति को शामिल करने के एक प्रस्ताव पर ऐसे दावों को तय करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ मंत्रणा की जानी है।

[अनुवाद]

कॉफी उत्पादकों के लिए राज सहायता

1684. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कर्नाटक और अन्य राज्यों में कॉफी उत्पादकों के लिए राजसहायता देने का **कोई प्रस्ताव है; और**

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दसवीं पंचपर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए कॉफी बोर्ड की योजना स्कीमों को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। कॉफी बोर्ड इन विकासात्मक स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनके अंतर्गत परंपरागत और गैर–परंपरागत, दोनों कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कॉफी उपजकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, फार्म उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रसंस्करण/विपणन क्षमता को बढ़ाने और कॉफी उपजकर्ताओं के ऋण बोध को कम करने के लिए कॉफी बोर्ड दसवीं योजना के दौरान काफी उपजकर्ताओं को सीधे वित्तीय सहायता/सब्सिडी प्रदान करने के लिए अनेक विशिष्ट कार्यक्रम चला रहा है। कॉफी के विकास से संबंधित कार्यकलाप करने के लिए कॉफी बोर्ड को 9वीं योजना अवधि के दौरान आबंटित 124 करोड़ रुपये की तुलना में 300 करोड रुपये आबंटित किए गए हैं।

वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी अस्तियां

1685. श्री वाई. वी. राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली में माध्यस्थम में फंसी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो माध्यस्थम में कुल कितनी राशि लगी हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा गैर–निष्पादनकारी अस्तियों की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थाएं ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी)/अन्य उपायों का सहारा लेती हैं तथा माध्यस्थम का सहारा नहीं लेती हैं।

(ग) सरकार ने अनुपयोज्य, आस्तियों (एनपीए) की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए ऋण वसूली, अधिकरणों (डीआरटी) के सुदृढ़ीकरण, कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) तंत्र का प्रारंभ, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधिनियम और आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) के गठन के माध्यम से विभिन्न समर्थकारी उपाय

शुरू किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के तहत समझौता निपटाने के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए विवेकाधिकार रहित एवं अभेदमूलक तंत्र आरंभ करने के लिए वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को परिपत्र भी जारी किए हैं।

तमिलनाडु को विदेशी वित्तीय संस्थाओं की सहायता

1686. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक तमिलनाडु सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता के लिए कितने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव की स्थिति, मूल्य क्या है और कुल स्वीकृत आवंटन कितना है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में अनुकूल रिपोर्ट भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा विश्व बैंक के समक्ष समेकित जल परियोजना की स्वीकृति में किए गए विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं

(i) **संरचनात्मक समायोजना ऋण** : (ऋण राशि : 600 मिलियन अमरीकी डालर)। परियोजना प्रस्ताव को विश्व बैंक के पास मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ii) **तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन परियोजना** : (कुल परिव्यय 214.44 मिलियन अमरीकी डालर)। परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक के परियोजना तैयार करने वाले एक मिशन ने जुलाई/अगस्त, 2003 में राज्य का दौरा किया था।

(iii) **कांची क्षेत्र विकास और सहभागिता परियोजना** : (कुल परिव्यय 2.34 मिलियन अमरीकी डालर)। परियोजना प्रस्ताव को निधिकरण हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव को कैलेंडर वर्ष के अंत में होने वाली भावी बैठकों में प्रस्तुत करने की सिफारिश की है।

(iv) **तमिलनाडु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति परियोजना** : (अनुमानित लागत : भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच निश्चित की जाएगी)। परियोजना को निधिकरण हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक ने परियोजना की तैयारी के लिए 415,000 अमरीकी डालर का एक पालिसी और मानव संसाधन विकास अनुदान अनुमोदित किया है।

(v) **तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना** : (अनुमानित लागत : 650 करोड़ रुपये)। इस परियोजना को निधिकरण हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना संबंधी तैयारी की जा रही है।

(vi) **तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना-II** : (अनुमानित लागत 3902 करोड़ रुपये)। इस परियोजना को निधिकरण हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु सरकार के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(vii) **जल विज्ञान परियोजना-II** : (अनुमानित लागत 709.50 करोड रुपये)। यह एक बहु राज्यीय परियोजना है जिसमें तमिलनाडु भागीदार राज्यों में से एक है। इस परियोजना को निधिकरण हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार तथा अन्य राज्यों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(viii) **तृतीय चैन्नई जल आपूर्ति तथा मलनिकासी परियोजना** : (अनुमानित लागत : 150 मिलियन अमरीकी डालर)। यह परियोजना भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच विचाराधीन है।

एशियाई देशों को फलों का निर्यात

1687. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल और सब्जियों के संबंध में सुदूर पूर्व और

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या जापान ने भारत से फलों विशेषकर आम के आयात में गहरी रुचि प्रदर्शित की है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने जापान को आम का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो जापान सहित विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आम निर्यात किया गया; और

(ङ) अन्य फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सुदूर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत के फल एवं सब्जियों के निर्यात की स्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा : मी. टन में	मूल्य करोड़ रुपये में
2001–02	5,07,813	423.36
2002–03	5,50,149	377.60

(**स्रोत** : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता)

(ख) और (ग) जी, नहीं। जापान को होने वाले निर्यात के लिए गैर टैरिफ बाधाएं हैं और यह बहुत कम है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को आमों के निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है

देश	आमों का निर्यात (2000–01 से 2002–03)					
	2000–01		2001–02		2002–03	
	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रु.)	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (रु.)
बंगलादेश	21426825	232356944	21033736	241040343	13392850	138854302
यू.के.	842707	34026148	1372870	45418724	1227568	53207383
कुवैत	940486	30360437	984700	30981634	807408	37363589
सऊदी अरब	2111693	47022478	2942882	66198115	2085023	68151442
सिंगापुर	302634	15218046	321928	11601997	292556	12224425
बहरीन	443202	14119916	596898	20066798	866887	23493478
नीदरलैंड	326284	14908681	301122	10779734	54720	2422111
यू.एस.ए.	716433	19832231	730689	16272953	467912	10453529
यू.ए.ई.	6859385	187294615	12809549	281877115	14033563	370331501
उप जोड़	33969649	595139496	41094374	724237413	33228487	716501760
अन्य	3140022	90931238	2334956	85676048	4774946	125442044
उप जोड	37109671	686070734	44429330	809913461	38003433	841943804

(**स्रोत** : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

(ङ) फलों एवं सब्जियों के निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के लिए एपीडा द्वारा शुरू किए गए उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं

- ताजे उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात का संवर्धन करने के लिए प्रमुख व्यापार मेलों में भाग लेना।

- क्रेता–विक्रेता बैठक आयोजित करना।
- प्रचार एवं सूचना का प्रसार।
- कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) की अवधारणा का कार्यान्वयन।
- फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

बिहार में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1688. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक विश्व बैंक की सहायता से कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अब तक का परियोजना–वार निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) इस समय बिहार में विश्व बैंक की सहायता से राज्य क्षेत्र की कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, बिहार सहित देश में विश्व बैंक की सहायता से अनेक केंद्रीय/बहु–राज्यीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम, ऋण/क्रेडिट संख्या	करार/समापन की तारीख	क्षेत्र	कार्यान्वयन का क्षेत्र	दाता	ऋण/ क्रेडिट राशि	31.10.03 को संचयी संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परि. एलएन. 4559–आईएन	11.8.2000/ 31.12.2005	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश/बिहार	आईबीआरडी	516.00	130.623
2.	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परि. एलएन. 4622–आईएन	27.7.2001/ 31.12.2006	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश/बिहार	आईबीआरडी	589.00	94.787
3.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परि. एलएन. 4296–आईएन/ सीआर. 3048 आईएन	22.6.1998/ 31.12.2004	बहु–राज्यीय	आं.प्र., बिहार, झारखंड, हि.प्र., महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब	आईडीए/ आईबीआरडी	96.8/ 100.00	124.098
4.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परि. एलएन. 2942–आईएन	14.9.1998/ 30.6.2004	बहु–राज्यीय	बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, म.प्र., छत्तीसगढ़, उ.प्र., उत्तरांचल	आईडीए	12.5	5.578
5.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना 2936–आईएन	14.3.1997/ 30.9.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	142.40	60.32
6.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना 2964–आईएन	30.7.1997/ 31.3.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	164.80	68.8
7.	II एचआईवी/एड्स 3242–आईएन	14.9.1999/ 31.7.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	194.75	111.19

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	टीकाकरण सुदृढीकरण परि. 3340–आईएन	19.5.2000/ 30.6.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	142.60	109.54
9.	II राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना, 3482–आईएन	19.7.2001/ 31.12.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	30.00	23.24
10.	आरसीएच परियोजना 018–आईएन	30.7.1997/ 31.3.2004	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईडीए	248.30	174.27
11.	डीपीईपी–III बिहार 3012–आईएन	23.2.1998 30.9.2004	केंद्रीय	बिहार और झारखंड	आईडीए	152.00	56.01
12.	पावर ग्रिड–II	13.6.2001/ 30.6.2006	केंद्रीय	राष्ट्रव्यापी	आईबीआरडी	450.00	173.504

*अतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ

[अनुवाद]

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां

1689. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2003 की अपनी रिपोर्ट संख्या 11 (प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के पृष्ठ 59 में अप्रैल, 1996 और जुलाई, 2002 के बीच करोड़ों रुपये का कम शुल्क लगाये जाने के संबंध में रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है और की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों द्वारा उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कमी के संबंध में उत्तरदायित्व और जवाबदेही निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) महोदय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) ने अपनी रिपोर्ट संख्या 2003 की 11 में प्रेक्षित किया है कि खरीददार के स्थान पर बेचे गए माल के गलत मूल्यांकन के दृष्टांत थे, जिनमें बीमा और भाड़ा प्रभार शामिल नहीं किए गए थे, और लेखा परीक्षा पैरा संख्या 9.1 के द्वारा सितम्बर, 1996 और अक्तूबर, 2001 के बीच 48.38 करोड़ रुपये का कम शुल्क लगाया गया सूचित किया गया है। यद्यपि, मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना सूचित किया है, फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002(146)ईएलटी 31(एससी) में सूचित मै. एस्काट्र्स जेसीबी लि. बनाम सीसीई, दिल्ली–II के मामले में और 2002(146) ईएलटी 497(एससी) में सूचित प्रभात जर्दा फैक्टरी लि. बनाम सीसीई के मामले में निर्धारितियों द्वारा अपील दाखिल करने की अनुमति दी और इसके फलस्वरूप निर्धारितियों को राहत दी थी।

अतः उपर्युक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर सी एंड ए जी ने उक्त लेखा परीक्षा आपत्ति को निपटा दिया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों/वित्तीय आस्तियों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1690. श्रीमती प्रभा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा चूककर्ता कंपनियों से कुल कितनी धनराशि की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली की गई है;

(ख) प्रत्येक वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा कुल कितनी

धनराशि की गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली की जानी है; और

(ग) चूककर्ता कंपनियों से सभी बकाया गैर–निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2002–03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 23,182 करोड़ रुपये की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली (बट्टे खाते डालने सहित) की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, आईएफसीआई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार 2002–03 के दौरान उनके द्वारा वसूल की गई अनुपयोज्य आस्तियों की कुल राशि 927.48 करोड़ थी।

(ख) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, आईएफसीआई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली अनुपयोज्य आस्तियों की राशियां क्रमशः 473.12 करोड़ रु., 7059.00 करोड़, रु., 1556.00 करोड़ रु., 784.00 करोड़ रु., 7161.01 करोड़ रु. और 0.31 करोड रु. थीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया अनुपयोज्य आस्तियां (बैंक–वार ब्यौरा) संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ग) अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के बढते क्रम से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने कई समर्थकारी उपाय किए हैं। इनमें ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) का सशक्तिकरण, कार्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसआरईएस) का अधिनियमन तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की स्थापना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के तहत समझौता निपटानों के जरिये सभी क्षेत्रों की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु विवेकाधिकार–हीन और भेदभाव–हीन तंत्र को अपनाने के आशय से वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को परिपत्र भी जारी किये हैं।

विवरण

मार्च, 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	बैंक समूह	बैंक का नाम	2002–03
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	1841.50
2.		आंध्रा बैंक	580.70
3.		बैंक आफ बडौदा	4167.90
4.		बैंक आफ इंडिया	3804.00
5.		बैंक आफ महाराष्ट्र	957.54
6.		केनरा बैंक	2474.78
7.		सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3244.00
8.		कारपोरेशन बैंक	657.34
9.		देना बैंक	1616.58
10.		इंडियन बैंक	1629.82
11		इंडियन ओवरसीज बैंक	1896.48
12.		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1146.25
13.		पंजाब एड सिंध बैंक	1246.89
14.		पंजाब नेशनल बैंक	4980.06
15.		सिंडिकेट बैंक	1416.22
16.		यूको बैंक	1366.49
17		यूनियन बैंक आफ इंडिया	2387.61
18.		यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	959.08
19.		विजया बैंक	505.54
		कुल (राष्ट्रीयकृत बैंक)	36878.78
20.	एसबीआई समूह	भारतीय स्टेट बैंक	13506.07
21.		स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	580.29

1	2	3	4
22.		स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	739.84
23.		स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	295.25
24.		स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	562.01
25.		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	533.85
26.		स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	354.34
27.		स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	635.26
		कुल (एसबीआई समूह)	17206.91
		कुल (सरकारी क्षेत्र के बैंक)	54085.69
28.	पुराने गैर–सरकारी बैंक	बैंक आफ राजस्थान लि.	266.08
29.		भारत ओवरसीज बैंक लि.	80.53
30.		कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	202.30
31.		सिटी यूनियन बैंक लि.	172.41
32.		डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	259.71
33.		धनलक्ष्मी बैंक लि.	148.15
34.		फेडरल बैंक लि.	527.99
35.		गणेश बैंक आफ कुरूडवाड लि.	19.32
36.		जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	253.00
37.		कर्नाटक बैंक लि.	538.02
38.		करूर वैश्य बैंक लि.	255.46
39.		लक्ष्मी विलास बैंक लि.	211.13
40.		लार्ड कृष्णा बैंक लि.	84.36
41.		नैनीताल बैंक लि.	10.59
42.		रत्नाकर बैंक लि.	39.23
43.		सांगली बैंक लि.	75.00
44.		एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लि.	86.91
45.		साउथ इंडियन बैंक लि.	345.84
46.		तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	340.56
47.		युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	447.71
48.		आईएनजी वैश्य बैंक लि.	202.87
		कुल (पुराने गैर–सरकारी बैंक)	4567.53
49.	नए गैर–सरकारी बैंक	बैंक आफ पंजाब लि.	169.61
50.		सेंचुरियन बैंक लि.	228.43
51.		ग्लोबल इंडस लि.	915.82
52.		एचडीएफसी बैंक	265.45
53.		आईसीआईसीआई बैंक लि.	5027.38
54.		आईडीबीआई बैंक लि.	115.17
55.		इंडसइंड बैंक लि.	266.28
56.		कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	15.06
57.		यूटीआई बैंक लि.	228.93
		कुल (नए गैर–सरकारी बैंक)	7232.13
58.	विदेशी बैंक	एबीएन एमरो बैंक	174.59
59.		अबु धाबी कमर्शियल बैंक लि.	52.54
60.		अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	259.79
61.		एन्टवेर्प बैंक लि.	0.00
62.		अरब बांग्लादेश बैंक लि.	0.78
63.		बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया	28.36
64.		बैंक मस्कट एसएओजी	15.96
65.		बैंक आफ अमेरिका एनए	34.30
66.		बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	50.32
67.		बैंक आफ सिलोन	35.34

1	2	3	4
68.		बैंक आफ नोवा स्कोटिया	165.24
69.		बैंक आफ टोकियो मितसुबिसी लि.	1.31
70.		बारकलेस बैंक पीएलसी	4.09
71.		बीएनपी परिबास	89.99
72.		चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0.48
73.		चोहांग बैंक	0.74
74.		सिटी बैंक एनए	247.50
75.		क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसनिस	123.73
76.		क्रेडिट लियोनिस	46.10
77.		ड्यूस बैंक एजी	41.01
78.		डेवलपमेंट बैंक आफ सिंगापुर लि.	25.13
79.		एचएसबीसी लि.	435.26
80.		आईएनजी बैंक एनवी	27.05
81.		जेपी मोरगान चेस लि.	0.00
82.		क्रंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	0.00
83.		मसरेक बैंक पीएससी	16.78
84.		मिजुइओ कारपोरेट बैंक लि.	25.36
85.		ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	173.78
86.		ओवरसीज-चाइनिज बैंकिंग कार. लि.	3.39
87.		सोसिएट जेनरल	14.00
88.		सोनाली बैंक	0.42
89.		स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	427.22
90.		स्टेट बैंक आफ मारिशस लि.	45.81
91.		सुमिटोमो मितसुई बैंकिंग कारपोरेशन	242.79
92.		टोरांटो-डोमोनियन बैंक लि.	0.00
93.		यूएफजे बैंक लि.	19.37
		कुल (विदेशी बैंक)	2828.53
		कुल (सभी बैंक)	68713.88

आजमजाही मिल की बिक्री

1691. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले की आजमजाही मिल की संपत्तियों की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से संपत्ति की बिक्री न करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। यह मिल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार पुनरुद्धार योग्य नहीं पाई गई है। इस मिल में वर्ष 1993 से कोई उत्पादन नहीं हुआ है और कामगारों को बिना काम के मजदूरी दी जा रही थी। बी आई एफ आर ने व्यवहार्यता का अध्ययन करने के बाद इस मिल को बंद करने के आदेश दिए। तद्नुसार कामगारों को वी आर एस के रूप में 20.27 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद यह मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर, 2002 से बंद कर दी गई थी। भूमि की बिक्री बी आई एफ आर योजना के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद ही की जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकार से उचित परामर्श करने के बाद रुग्ण/बंद वस्त्र मिल के स्थान पर एक गतिशील वस्त्र शहर, जिसमें एक आधुनिक अपैरल पार्क और एक विद्युतकरघा समूह शामिल है, के निर्माण में सहायता का निर्णय लिया गया था। बंद मिल की भूमि का उपयोग तद्नुसार किया जाएगा।

[हिन्दी]

निर्धारित वजन से कम वजन पर वस्तुओं की बिक्री

1692. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंपनियों द्वारा वस्तुओं पर छपे वजन से कम वजन पर वस्तुएं बेचना आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में किस सीमा तक सफलता मिली है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां। ट्रिब्यून में "अण्डरवेट घी" शीर्षक से छपे लेख को विभाग के ध्यान में लाया गया था।

(ख) राज्यों में प्रवर्तन एजेंसियों से अन्य बातों के अलावा, एक विशेष अभियान के रूप में देश भर में पैकेजों में कम सामान भरे जाने और वजन कम करने की घटनाओं को रोकने के लिए गहन निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। बाट तथा माप मानक अधिनियम में उपलब्ध दण्ड प्रावधानों को भी उनके ध्यान में लाया गया है।

(ग) देश भर में कम मापे जाने के 432 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में प्रवर्तन एजेंसी ने सूचित किया है कि अपराध की पुनरावृत्ति का कोई मामला नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को पोषक घटक

1693. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसंस्कृत उत्पादों के संबंध में पोषक घटकों को सूचीबद्ध करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर पोषक घटकों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने के लिए क्या तत्काल कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में यह व्यवस्था है कि जब खाद्य पदार्थ में खनिज, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक–तत्व मौजूद होने का दावा किया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त पोषक–तत्वों को लेबल पर दर्शाया जाएगा।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण

1694. श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :
डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात और बिहार में ग्रामीण बैंकों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या इन बैंकों में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) गत दो वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में और गुजरात व बिहार में संवितरित कुल ऋण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

राज्य	31.3.2002	31.3.2003
कुल संवितरित ऋण	10570.67	12641.00
गुजरात	305.36	355.08
बिहार	294.93	423.98

(ख) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा देश भर में कुल संवितरित ऋण 2001–2002 में 10570.67 करोड रु. से बढकर 2002–2003 में 12641.00 करोड़ रु. हो गया। संवितरण पिछले वर्ष की तुलना में 19.59% बढ़ गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा देश भर में ऋणों और अग्रिमों में निरंतर वृद्धि यह सूचित करती है कि किसान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरंतर लाभ उठा रहे हैं। जनता/किसानों द्वारा बैंक कर्मचारियों के खिलाफ ऋण स्वीकृत करने में भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों/आरोपों की जांच करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिये तंत्र और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को ऋण प्रदान से संबंधित कार्य निष्पादन और अधिक बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धि का पुनर्विलोकन करने और इन बैंकों द्वारा किसानों को बाधा रहित व सामयिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी), जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), खंड स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) आदि मंच हैं;

(ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत बैंक ऋण का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गहन निगरानी;

(iii) गरीबों को ऋण प्रवाह बढाने की दृष्टि से स्व–सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित किया जाता है,

(iv) अल्पविधि कृषि आवश्यकता के लिये किसानों को, सस्ते व सरल तरीके से, पर्याप्त और सामयिक ऋण बढाने के लिए किसान क्रेडिट कार्डों का जारी किया जाना;

(v) ऋण आवेदन पत्र, आदि स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं और प्रयोग किये जा रहे हैं;

(vi) शाखा प्रबंधकों को संस्वीकृति की और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के जरिये ऋणों की शीघ्र स्वीकृति, तथा

(vii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 60% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

चाय के निर्यात में गिरावट

1695. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चाय का आयात करने वाले देश चाय की विभिन्न किस्मों के मूल्य को कम करने के लिए निर्यातकों पर जोर डाल रहे हैं;

(ख) भारत से कौन–कौन से देश चाय का आयात कर रहे हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी चाय का निर्यात किया गया और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) चाय का आयात करने वाले देशों द्वारा मूल्यों में कमी के लिए जोर देने के परिणामस्वरूप चाय का निर्यात किस सीमा तक प्रभावित हुआ है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) भारत से निर्यातित चाय की विभिन्न किस्मों की कीमतों में कटौती के लिए आयातक देशों द्वारा किए गए ऐसे किसी अनुरोध की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) 80 से अधिक देश भारत से चाय का आयात करते हैं । इनमें रूस, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, इराक, पाकिस्तान, पोलैंड, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, आयरलैंड और नीदरलैंड शामिल हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यातित भारतीय चाय की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2001–2002	190.00	1695.79
2002–2003	84.40	1665.04

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थानों को घाटा

1696. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन वित्तीय संस्थानों को घाटा हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थानों को घाटे से उबारने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त घाटे को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) आईएफसीआई ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हानियां दर्ज की हैं :

(करोड़ रु. में)

वित्तीय संस्था	2001-01	2001-02	2002-03
आईएफसीआई	-261.93	-884.70	-259.70

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) ने वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान हानियां दर्ज की हैं।

(ख) आईएफसीआई के पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार आईएफसीआई के मूलधन एवं ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए आईएफसीआई को निम्नलिखित के अनुसार 5220 करोड रु. की वित्तीय सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव है। जिसकी सीमा 2011-12 तक है।

(i) सरकारी गारंटीकृत एसएलआर बांडों एवं निवेशकों की 1 लाख रु. की कम की फुटकर उधार राशियों के संबंध में आईएफसीआई की देयताएं सरकार द्वारा अधिगृहीत की जाएंगी।

(ii) एडीबी एवं केएफडब्ल्यू से आईएफसीआई द्वारा ली गई उधार राशियों को सरकार चुकायेगी।

(iii) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए एसएलआर बांडों पर विद्यमान लाभांश दर एवं वर्तमान सरकारी प्रतिभूति (जीसेक) दर में अंतर को इनकी परिपक्वता तक सरकार वहन करेगी।

आईएफसीआई को 5220 करोड़ रु. की कुल राशि में से 523 करोड़ रु. की राशि वर्ष 2002-2003 के दौरान ऋण के रूप में जारी कर दी गई है तथा अनुदान के रूप में 1573 करोड़ रु. की एक और राशि वर्ष 2003-2004 के दौरान जारी कर दी गई है।

आईएफसीआई के कर्ज/देयताओं के पुनर्निर्धारण के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने आईएफसीआई में अपने ऋणों/अग्रिमों/निवेशों को भी पुनर्निर्धारित कर दिया है।

सरकारी सहायता आईएफसीआई के कर्ज/देयताओं के पुनर्निर्धारण के लिए है।

(ग) आईएफसीआई की उक्त हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) आईएफसीआई को शेयरधारियों की बैठक में तैयार किए गए पैकेज में यथा उल्लिखित ऋण देयताओं के पुनर्निर्धारण को छोड़कर 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार अपनी बकाया स्थिति के अतिरिक्त नई उधार राशियां/जमा देयताएं नहीं उठानी चाहिए।

(ii) आईएससीआई अपने निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियों के प्रतिशत को वित्तीय वर्ष 2001-02 की समाप्ति के 22% से घटाकर वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति तक 9% करेगा।

(iii) आईएफसीआई के बोर्ड को उपर्युक्त पैराग्राफ (ii) की तर्ज पर वर्ष 2003-2004 के प्रारंभ से अगले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई द्वारा एआरसी को स्थानांतरित की जाने वाली आस्तियों की राशि के संबंध में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा।

(iv) एआरसी को बिक्री/स्थानांतरित करने से इतर साधनों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों से वसूली अनुपयोज्य आस्तियों में कटौती के लिए निर्धारित लक्ष्य की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी।

(v) 5% वार्षिक बिन्दु की दर पर कार्मिकों की संख्या में कटौती।

(vi) नई मंजूरियां एवं संवितरण उन मामलों तक सीमित किया जाएगा जिनमें 31 मार्च, 2003 से पहले एक्सपोजर किया गया है अथवा अन्यथा केवल शीर्ष रेटिंग वाले कारपोरेट ग्राहकों को ही किया जाएगा।

(vii) आईएफसीआई के शेयरधारियों के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अतिरिक्त शर्तों एवं निबंधनों के विशेष अनुपालन की मांग कर सकती है।

(viii) 1573 करोड़ रु. की मंजूरी की शर्तों एवं निबंधनों की एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट आईएफसीआई द्वारा बैंकिंग प्रभाग को भेजी जानी अपेक्षित है।

आईआईबीआई के संबंध में ऐसे ही कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

1697. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और फ्रांस की तुलना में भारत में कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कितना है;

(ख) क्या भारत और अन्य विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भारी अन्तर इसलिए है क्योंकि हमने बड़ी संख्या में अपने संभावित कर दाताओं का पता ही नहीं लगाया है और उन्हें कर दायरे में नहीं लाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बड़ी संख्या में संभावित कर दाताओं को कर दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) वर्ष 1999-2001 तक तीन वर्षों के लिए विश्व विकास संकेतकों 2001, 2002, और 2003 में यथा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सरकार का कर राजस्व निम्नलिखित है :

देश	1999	2000	2001
भारत	9.1	9.6	10.0
संयुक्त राष्ट्र	34.6	34.6	34.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	19.5	20.1	19.4
जापान	उ.न.	उ.न.	उ.न.
चीन	6.1	6.8	6.8
फ्रांस	38.9	उ.न.	उ.न.

(ख) विकसित और विकासशील देशों के बीच सकल घरेलू उत्पाद के अनुपातों की तुलना में कर राजस्व में अंतर मुख्यतः विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण भुगतान की क्षमता कम होने की वजह से है जिसके परिणामस्वरूप कराधार निम्नतर है।

(ग) व्यापक कर सुधारों के लिए पिछले दशक में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में अन्यों के साथ-साथ कर दरों में तीव्र कमी और इनका यौक्तिकीकरण, बहुत सी छूटों और कटौतियों को हटाया जाना, सेवा कर लागू करके कराधार का विस्तार करना, नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के कर्मचारी

1698. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या वस्त्र मंत्री अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी के बारे में 25.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना कब एकत्रित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एम.आर.टी.पी. कमीशन के अन्तर्गत दर्ज मामले

1699. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एम.आर.टी.पी. कमीशन के पास दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) आयोग द्वारा शेष मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान एम.आर.टी.पी. आयोग के द्वारा निम्नानुसार मामले पंजीकृत किए गए और निपटाए गए :

	2001	2002
वर्ष के आरम्भ में मामले	5066	2677
पंजीकृत	436	334
निपटाए गए	2825	760
लंबित	2677	2251

(ग) एम.आर.टी.पी. आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है तथा इसके द्वारा मामलों पर विचार करना एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए बाकी मामलों के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

न्याय प्रशासन संबंधी नियंत्रण

1700. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर ही छोड़ दी जाए और सिफारिश की है कि सरकार द्वारा इस पर नियत्रंण न रख जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दांडिक मामले, दां. एम. (एम.) सं. 2686/2003 में अपने निर्णय में यह संप्रेक्षण किया था कि सरकार को न्यायालय प्रशासन के उत्तरदायित्व को अनन्य रूप से न्यायपालिका को अंतरित कर देना चाहिए क्योंकि जनता अंततः न्याय प्रशसन की सभी त्रुटियों और असफलताओं के लिए न्यायपालिका को ही दोषी ठहराती है, यद्यपि, न्यायाधीशों की उपलब्धता, प्रशासनिक संगठनों के प्रदाय और वित्तीय मंजूरियों संबंधी सभी नियंत्रण सरकार में निहित हैं ।

उपरोक्त संप्रेक्षण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन चैक बाउंस होने के मामले के संक्षिप्त निपटारे के लिए, एक प्राइवेट पक्षकार द्वारा फाइल की गई अपील की सुनवाई के दौरान किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 233, 234 तथा 235, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, जिला न्यायालयों तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जैसे अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासन संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत न्यायिक सेवा के व्यक्तियों को तैनात करना और उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हें छुट्टी मंजूर करना भी है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय को पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं ।

उपरोक्त को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के संप्रेक्षण पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा गया था और इसे केवल भावी प्रति निर्देश के लिए नोट कर लिया गया था।

प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

1701. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु किसी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ग) न्याय विभाग केवल संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों के प्रति प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, इसलिए इस विभाग में राज्यों में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य सरकारों ने प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

(च) सांविधानिक उपबंधों के अधीन अधीनस्थ न्यायपालिका पूर्णतया राज्य सरकारों की अधिकारिता के भीतर आती है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारें ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में पक्षकार हैं और वे इस मामले पर वित्त आयोग या संघ के वित्त मंत्रालय से सीधे बातचीत कर सकती हैं।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई समेकित प्रणाली

1702. श्री साईदुज्जमा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी को रोकने के लिए नई समेकित प्रणाली का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी सफलता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्याप्त निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर विचार करते हुए और संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं पर भी उचित ध्यान देते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों और सभी नकद तथा व्युत्पाद बाजारों में एक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है।

इसके अनुसरण में, सितम्बर, 2003 में, भारतीय पूंजी बाजार के लिए ऐसी प्रणाली के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की जांच करने और साथ ही इस प्रणाली के लिए संपूर्ण मार्ग चित्र, उच्च स्तरीय वास्तुकला और समय तथा लागत आकलन तैयार करने के लिए सेबी की पहल पर, प्रतिभूति डीलर के राष्ट्रीय संघ (एनएएसडी) की टीम द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था कि ऐसी प्रणाली के कार्यान्वयन में परियोजना के विभिन्न संघटक विक्रेताओं को प्रदान किए जाने के पश्चात दो वर्ष की समय अवधि लगेगी। परिकल्पित विनियामक मंच अग्रणी सक्रिय निगरानी के लिए स्वचालित आंकड़ा रिपोर्टिंग उपलब्ध कराएगा, जो बाजार कारोबार के अभिग्रहण, संदर्भ डाटा अनुसंधान, विनियामक विश्लेषण और बाजार सचेतक सृजन में सक्षम होगा।

इस्पात के आयात हेतु मानदंडों में संशोधन

1703. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू बाजार में उपयोग हेतु इस्पात के आयात से संबंधित वर्तमान मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बढ़ते इस्पात मूल्यों के लिए इस्पात के आयात के वर्तमान मानदंड उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में उपयोग हेतु इस्पात के आयात को बढ़ाने और इस्पात के मूल्यों में कमी हेतु वर्तमान मानदंडों को सरल बनाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात के आयात के लिए संशोधित/परिवर्तित मानदंडों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) इस्पात सहित

अनेक मदों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को आर्थिक उदारीकरण की नीति और देश की अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के अनुरूप हटाया गया है। घरेलू वस्तुओं पर लागू होने वाले अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों को निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची–I के परिशिष्ट–III के अनुसार सभी उत्पादों के आयात पर लागू किया गया था।

पिछले तीन महीनों के दौरान अगस्त, 2003 में प्रचलित कीमतों की तुलना में इस्पात की घरेलू कीमतों में कोई सामान्य वृद्धि नहीं हुई है। अगस्त, 2003 तक इस्पात की कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण इस्पात की मांग में वैश्विक वृद्धि रहा है। घरेलू कीमतों ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की सामान्य पद्धति का अनुसरण किया है। घरेलू इस्पात की खपत करने वाले उद्योगों से मांग में वृद्धि होने के कारण कीमतों में आगे और ऊर्ध्वगामी वृद्धि हुई थी। मेटेलिक्स तथा लौह अयस्क, कोयला, कोक, निकिल तथा फैरो एलाय जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण निविष्टियों की लागत में तेजी से वृद्धि होने के कारण भी कीमतों में बढोतरी हुई थी।

इस्पात मंत्रालय ने 28 अक्तूबर, 2003 की सार्वजनिक सूचना 1 के तहत इस्पात पर मात्रा संबंधी विनिर्देशन समाप्त कर दिए हैं। डी जी एफ टी ने भी इस्पात मदों के आयात पर मात्रा संबंधी मानकों को समाप्त करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

टन भार कर

1704. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति ने सामान्य कॉरपोरेट कर ढांचे के विकल्प के रूप में घरेलू पोत परिवहन उद्योग हेतु नई रनेज आधारित कर व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रनेज पर राकेश मोहन समिति की सिफारिशें इससे कितनी भिन्न हैं; और

(घ) इस संबंध में विधान कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आयकर अधिनियम को संशोधित किए जाने संबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता है तथा सरकार के निर्णय को वार्षिक वित्त विधेयक में परिलक्षित किया जाता है।

चाय निर्यातकों को उत्पादन प्रोत्साहन

1705. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या निर्यातकों ने निर्धारित पारंपरिक प्रीमियम चाय के प्रति किलोग्राम पर उत्पादन प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी, हां। चाय उद्योग ने निर्यातों के लिए उत्पादित परम्परागत चाय पर 7 रुपए प्रति किग्रा. के प्रोत्साहन की मांग की है।

(ग) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कपास का निर्यात

1706. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपास के मूल्यों में स्थिरता लाने के दृष्टिकोण से कपास के निर्यात को सीमित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूती निर्यात को प्रतिबंधित करने कि लिए अनुरोध

प्राप्त हुए हैं, तथापि, सरकार जब भी आवश्यक समझेगी समुचित कार्रवाई करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बारीकी से नजर रख रही है।

चीन के साथ व्यापार

1707. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल ही की चीन यात्रा के दौरान 10 बिलियन डालर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु भारत और चीन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कितना लाभ होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। तथापि प्रधान मंत्री के अगले दौरे के समय दोनों पक्षों ने यह आशा व्यक्त की थी कि द्विपक्षीय व्यापार शीघ्र ही 10 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच जाएगा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निजी निर्यातकों के साथ भारतीय खाद्य निगम का सौदा

1708. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने निजी निर्यातकों से निर्यात प्रयोजन हेतु उनको बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के बदले जमा के रूप में 1200 करोड़ रुपए उधार लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहले सौदे को पूरा करने से पहले गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट निर्यातकों से उधार नहीं लेता है। भारतीय खाद्य निगम अपेक्षित धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्यातकों को निर्यात हेतु खाद्यान्नों को जारी करने के लिए "रिलीज आर्डर" सौंपता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात के पेशकश मूल्य 3 माह की अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं जिसमें स्टाक का उठान करने के लिए एक और माह का समय दिया जाता है। संबंधित तिमाही के लिए मूल्यों की घोषणा पहले ही कर दी जाती है।

[अनुवाद]

जब्त सामान

1709. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का पकड़ा गया एवं जब्त किया गया सामान 26 आयुक्तालयों में निपटान हेतु लंबित पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित पड़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि गत लगभग 50 वर्षों से 190.80 करोड़ रुपए (वर्तमान दरों पर 270 करोड़ रुपए) मूल्य का सोना, 15.89 करोड़ रुपए की चांदी तथा 82 करोड़ के हीरे/कीमती पत्थर निपटान की प्रतीक्षा में है जिसमें ब्याज सहित 300 करोड़ रुपए का सरकारी राजस्व अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सामान की भारी मांग को देखते हुए सरकार द्वारा जब्त किए गए और पकड़े गए सामान को निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

साधारण बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1710. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या साधारण बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिए हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पुनः शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के कारण इन कंपनियों द्वारा कितना अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) यह स्कीम सरकारी क्षेत्र की जीवन-भिन्न बीमा कंपनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों (विकास अधिकारियों को छोड़कर) के लिए पहली बार लागू की जा रही है। विकास अधिकारियों को इस स्कीम से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें जनवरी, 2003 में पहले ही इस प्रकार की स्कीम की सुविधा दे दी गई थी।

इस स्कीम के अन्तर्गत विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला कर्मचारी या तो अपनी सेवा अवधि के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 60 दिन की अनुग्रह राशि प्राप्त करने का अथवा सेवा के शेष महीनों का वेतन, इनमें जो भी राशि कम बैठती हो, प्राप्त करने का हकदार होगा। आशा की जाती है कि इस स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 10 प्रतिशत कर्मचारी विकल्प देंगे। अनुग्रह राशि के भुगतान पर होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगभग 502 करोड़ रुपए लगाया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों का कार्य निष्पादन

1711. श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा संवितरित ऋण की राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नैशनल बैंक का वित्तीय कार्य निष्पादन क्या है; और

(ग) आज की तिथि तक इन बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नैशनल बैंक द्वारा दिए गए पिछले तीन वर्षों के राज्य-वार अग्रिम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पंजाब नैशनल बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पिछले तीन वर्षों के निवल लाभ निम्नानुसार हैं

(करोड़ रु. में)

बैंक	2000-01	2001-02	2002-03
पंजाब नैशनल बैंक	463.64	562.39	842.20
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	19.14	119.04	305.19

(ग) 31 मार्च, 2003 तक की स्थिति के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की कुल अनुपयोज्य आस्तियां क्रमशः 4980.06 करोड रु. और 959.08 करोड़ रु. थीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के लिए पंजाब नैशनल बैंक एवं युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के राज्य-वार अग्रिम

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	पंजाब नैशनल बैंक			युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया		
	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	164.12	433.50	373.69	55.82	62.05	110.16
असम	19.22	11.46	40.93	624.10	653.63	547.51
बिहार	246.00	390.00	517.00	61.27	73.69	83.14
छत्तीसगढ़	57.23	148.23	213.12	2.41	3.41	3.55
चंडीगढ़	–	–	–	0.60	0.73	1.10
दिल्ली	1310.00	1869.00	1111.00	917.93	1302.09	1591.91
गोवा	39.65	38.16	53.79	3.01	3.02	3.32
गुजरात	875.01	920.55	219.71	31.76	53.07	91.62
हरियाणा	1063.79	1184.40	1890.74	4.18	4.60	30.51
हिमाचल प्रदेश	300.02	196.87	264.19	0.19	0.21	0.23
जम्मू-कश्मीर	78.70	106.32	105.36	0.90	1.27	1.52
झारखंड	25.51	68.97	78.10	102.04	90.56	80.26
कर्नाटक	450.73	592.18	539.45	17.51	81.85	119.62
केरल	29.93	29.91	30.13	9.77	12.89	19.68
मध्य प्रदेश	162.97	445.45	596.40	3.44	3.53	5.24
महाराष्ट्र	3966.90	4185.98	5085.36	1926.63	592.40	677.49
मणिपुर	–	–	–	56.25	45.53	50.27
मेघालय	–	–	–	17.01	38.00	119.63
नागालैंड	–	–	–	3.79	3.65	4.29
उड़ीसा	53.15	47.11	38.59	225.98	230.37	252.09
पांडिचेरी	1.11	0.77	1.81	0.98	1.04	2.54

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	635.00	703.00	985.00	3.74	3.91	4.61
राजस्थान	566.30	889.77	955.06	6.67	9.35	64.17
तमिलनाडु	711.54	1068.58	1125.01	196.19	176.30	248.80
त्रिपुरा				91.66	95.79	152.77
अरुणाचल प्रदेश				1.50	1.69	1.80
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				1.83	3.19	5.00
उत्तर प्रदेश	974.38	1496.60	1648.05	81.79	88.76	88.12
उत्तरांचल	44.00	131.00	204.00	0.65	0.95	1.20
पश्चिम बंगाल	478.17	993.39	1002.02	2110.67	3884.80	3529.55
कुल	12253.43	15951.20	17078.51	6560.27	7522.33	7891.70

बीमा संबंधी दावे

1712. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री 22 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4020 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्न सं. 4020 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को दिनांक 6.11.2003 को पूरा कर दिया गया था।

(ग) उक्त आश्वासन पूर्ति से संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट को दिनांक 10.12.2003 को सभा पटल पर रखा जाना तय किया गया है।

न्यायिक सुधार

1713. श्री बीर सिंह महतो :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी जवाबदेही सहित न्यायिक सुधारों के संबंध में दो तरफा रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त को अपनाने और उसको क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के लिए तारीख 9 मई, 2003 को संसद में संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया गया है। प्रस्तावित आयोग :

(i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिशें करेगा;

(ii) एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिशें करेगा;

(iii) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और न्यायाधीशों के लिए आचार–संहिता तैयार करेगा;

(iv) स्वविवेक से या शिकायत पर या निर्देश किए जाने पर किसी न्यायाधीश के कदाचार के मामलों या उसे हटाए जाने की अपेक्षा करने वाले मामलों से भिन्न किसी अन्य विसामान्य व्यवहार के मामलों की जांच–पड़ताल करेगा और ऐसी जांच–पड़ताल के पश्चात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को इस संबंध में समुचित रूप से सलाह देगा।

चीनी विपणन की सम्हलाई

1714. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी निर्यातकों को कुछ सहुलियतें देने पर स्वीकृति दी है और उन राज्यों को जहां गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं है उनको इस संकट से उबारने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 500 रुपए प्रति टन की दर पर चीनी निर्यात के लिए सम्हलाई और विपणन प्रभार की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खुदरा चीनी मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों (जहां गन्ने के लिए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की प्रणाली मौजूद नहीं है) को चीनी मौसम, 2002–03 के लिए गन्ना मूल्य भुगतान के खाते पर बकाया का भुगतान करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों की सहायता करने हेतु बाजार से अतिरिक्त उधारियां लेने की अनुमति दी जाए। चीनी के निर्यात को और बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने 3 अक्तूबर, 2003 को अथवा इसके बाद चीनी फैक्ट्रियों द्वारा निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर 500 रुपए प्रति टन की दर से चीनी फैक्ट्रियों को हैंडलिंग और विपणन प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। निर्यातित चीनी के संबंध में चीनी फैक्ट्रियों को ऐसी प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए आवश्यक प्रावधान 19 नवंबर, 2003 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में समाहित कर दिए गए हैं। हैंडलिंग और विपणन प्रभारों की प्रतिपूर्ति का घरेलू बाजार में चीनी के खुदरा मूल्यों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

जनजातियों हेतु पुनर्वास योजना

1715. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनजातियों के पुनर्वास हेतु नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी, भुखमरी और पेयजल की कमी जैसी समस्याओं की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुनर्वास नीति तैयार करते समय समस्याओं को दूर करने हेतु उचारात्मक कदम उठाने का है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, विस्थापित जनजातियों सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनःस्थापना हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार कर रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी और पेयजल की समस्याओं का निपटान, संबंधित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ मंत्रणा करके किया जा रहा है। तथापि, यह मंत्रालय इन समस्याओं का सामना करने के लिए राज्यों को जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता मुहैय्या कराता है और इसकी ग्रामीण अन्न बैंक की एक योजना भी है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता में गतिरोध को सुलझाने हेतु अमरीका को भारत का समर्थन

1716. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानकुन में मंत्रियों के सम्मेलन के विफल होने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता में आए गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत का समर्थन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) कानकुन में डब्ल्यूटीओ मंत्रियों द्वारा 14 सितम्बर, 2003 को उक्त सम्मेलन के समापन पर पारित किए गए अंतिम मंत्रिस्तरीय वक्तव्य में दिए गए अधिदेश के अनुसार, महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के साथ घनिष्ठ समन्वयन से 15 दिसम्बर, 2003 को जेनेवा में महापरिषद की वरिष्ठ अधिकारी स्तर की बैठक के संबंध में बकाया मुद्दों पर किए गए कार्य का समन्वयन किया जा रहा है। अमरीका और भारत सहित सभी सदस्य देश दोहा कार्य योजना के तहत वार्ताओं की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के तरीकों का पता लगा रहे हैं। भारत इस संबंध में सभी अनौपचारिक विचार-विमर्शों में भाग ले रहा है और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य सदस्यों के साथ भी बातचीत कर रहा है। हम इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि सभी सदस्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केवल एक संतुलित एवं निष्पक्ष परिणाम ही स्वीकार्य होगा और यह कि इसके लिए सभी सदस्यों द्वारा बहुपक्षीय प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता अपेक्षित होगी।

कानकुन सम्मेलन की विफलता का प्रभाव

1717. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री मंजय लाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानकुन में व्यापार वार्ता की विफलता व्यापार वृद्धि को बनाए रखने में समस्या पैदा कर सकती है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को भी प्रभावित कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत कानकुन सम्मेलन के गतिरोध को दूर करने हेतु विश्व व्यापार संगठन में वार्ता पुनः शुरू करना चाहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अनेक अन्य देशों से भी सम्पर्क किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) व्यापार वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मांग, निर्यात एवं आयात के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विनिमय दरों में तुलनात्मक उतार-चढ़ाव सहित विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। विभिन्न अनुमानों से यह पता चलता है कि वर्ष 2003-2004 में भारत का व्यापार और जीडीपी वृद्धि अनेक विकसित और विकासशील देशों के व्यापार और जीडीपी वृद्धि से आगे निकल जाएगी।

14 सितम्बर, 2003 को सम्मेलन के समापन पर पारित अंतिम मंत्रिस्तरीय वक्तव्य में कानकुन में डब्ल्यूटीओ मंत्रियों द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अनुसार महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के घनिष्ठ समन्वय से 14 दिसम्बर, 2003 को जेनेवा में वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर महापरिषद की बैठक के बारे में बकाया मुद्दों पर कार्य का समन्वय किया जा रहा है।

भारत ने हमेशा ही नियम आधारित एवं निष्पक्ष बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारु कार्यचालन का समर्थन किया है। साथ ही साथ हम इस बात पर भी जोर देते आ रहे हैं कि यदि आगे प्रगति की आशा करनी है तो सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को बहुपक्षीय प्रक्रिया पुनः शुरू करने के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। अनेक विकासशील देशों जिनमें उनमें से सबसे कम विकसित देश भी शामिल हैं, की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा और दोहा अधिदेश में परिकल्पित विकास आयाम को वस्तुतः बरकरार रखना होगा। भारत इस संबंध में सभी अनौपचारिक विचार–विमर्शों में भाग ले रहा है और वह प्रक्रिया को सुकर बनाने की दृष्टि से अन्य सदस्यों के साथ विचार–विनिमय भी कर रहा है। भारत विभिन्न विकासशील देशों के समूह खासकर कृषि संबंधी जी–20 और सिंगापुर मुद्दों संबंधी जी–16 के साथ भी घनिष्ठ समन्वय कर रहा है।

बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते को वापस लिया जाना

1718. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता जिस पर भारत ने 1989 में हस्ताक्षर किए थे के कारण दवाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समझौते की समीक्षा करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 में इस समय भेषजीय एवं रासायनिक उत्पादों के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण का उपबंध नहीं है। विकासशील देश के रूप में भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों, जो 1.1.2000 को भारत में इस प्रकार के संरक्षण के योग्य नहीं थे, पर ट्रिप्स करार के तहत उत्पाद पेटेंट संबंधी उपबंधों के प्रयोग में 1.1.2005 तक विलम्ब कर सकता है। तदनुसार, भारत केवल 1.1.2005 से भोषजीय उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

ट्रिप्स करार और लोक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा–पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि ट्रिप्स करार से सदस्यों को लोक स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय करने से वंचित नहीं किया जाए और न ही उन्हें वंचित किया जाना चाहिए। इसमें ट्रिप्स करार के प्रावधानों का पूरी तरह उपयोग करने के डब्ल्यूटीओ सदस्यों के अधिकार की पुनः पुष्टि की गई थी, जो इस उद्देश्य के लिए लोचशीलता प्रदान करता है। घोषणा–पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि इन सुविधाओं में अनिवार्य लाइसैंस प्रदान करने के प्रत्येक सदस्य को अधिकार और जिस आधार पर ऐसे लाइसैंस प्रदन किए जाते हैं, उसका निर्धारण करने की स्वतंत्रता, इस बात का निर्धारण करने का अधिकार शामिल है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात अथवा अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियां बनती हैं और इसमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सामपन हेतु अपनी खुद की प्रणाली स्थापित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

गोदामों का निर्माण

1719. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने हेतु गोदामों के निर्माण के लिए धन के आवंटन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा जारी राज्य–वार धनराशि कितनी है, और

(घ) अस्वीकार किए गए अनुरोधों की राज्य–वार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) वर्ष 2001–2002 के लिए अपेक्षित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। गोदामों का निर्माण करने की केन्द्र प्रायोजित योजना पहली अप्रैल, 2002 से बंद कर दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	गोदामों की संख्या जिनके लिए प्रस्ताव	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए में)	स्वीकृत गोदमों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)	स्वीकृति नहीं करने के कारण अथवा प्रस्ताव की आंशिक स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	17	460.04	6	169.95	बजटीय बाधाओं के कारण स्थायी वित्त समिति द्वारा 11 गोदामों हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।
2.	हिमाचल प्रदेश	3	85.28	3	70.78	
3.	मध्य प्रदेश	16	335.75	16	321.37	
4.	त्रिपुरा	15	620.03	7	35.07	बजटीय बाधाओं के कारण स्थायी वित्त समिति द्वारा 1 गोदाम हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।
5.	पांडिचेरी	3	135.50	1	15.06	बजटीय बाधाओं के कारण स्थायी वित्त समिति द्वारा 2 गोदामों हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।
6.	सिक्किम	1	28.50	1	8.05	
7.	गुजरात	15	221.26	5	43.09	बजटीय बाधाओं के कारण स्थायी वित्त समिति द्वारा 10 गोदामों हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया। केवल भूकंप से प्रभावित स्थानों के लिए स्वीकृति दी गई है।
8.	मणिपुर	10	941.61	1	57.78	बजटीय बाधाओं के कारण राशि सीमित की गई।
9.	राजस्थान	27	641.43	शून्य	शून्य	1998–99 से 2000–2001 के दौरान 29 गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को 656.33 लाख रुपए दिए गए। 79.47 लाख रुपयों की व्यय न की गई राशि राज्य सरकार द्वारा वापस की जानी अपेक्षित है। इस संदर्भ में स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।
10.	उत्तर प्रदेश	21	715.41	शून्य	शून्य	1998–99 से 1999–2000 के दौरान स्वीकृत सहायता मे राज्य सरकार को 98.165 लाख रुपयों की व्यय न की गई राशि वापस करनी थी। पर्वतीय क्षेत्रों में

1	2	3	4	5	6	7
						62 गोदामों हेतु 1024 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए थे जो अब उत्तरांचल में है। इसमें से 233 लाख रुपए की राशि उत्तरांचल को अंतरित नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई।
11.	केरल	18	669.15	4	179.75	बजटीय बाधाओं के कारण स्थायी वित्त समिति द्वारा 10 गोदामों हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया। अन्य 4 गोदामों हेतु प्रस्ताव सितम्बर, 2002 में प्राप्त हुए थे जबकि योजना प्रचालन में नहीं थी।
12.	मिजोरम	4	276.42	शून्य	शून्य	बजटीय बाधाओं के कारण स्थाई वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया।
13.	पंजाब	17	150.00	शून्य	शून्य	राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्धता प्रमाण–पत्र, विस्तृत नक्शा और अनुमान नहीं दिए गए थे। अतः प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
14.	कर्नाटक	45	2237.35	शून्य	शून्य	पूर्व स्वीकृतियों और बजटीय बाधाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा देय वापसियों को ध्यान में रखते हुए स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया।
15.	आंध्र प्रदेश	36	360.00	शून्य	शून्य	प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं था।
16.	असम	6	202.62	शून्य	शून्य	1996–97 से 1998–99 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया।
17.	बिहार	229	2060.35	शून्य	शून्य	वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य सरकार से उपयोग प्रामाण–पत्र लंबित हैं।
18.	तमिलनाडु	4	132.00	शून्य	शून्य	1996–97 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया और उसी को वित्तीय वर्ष 2001–2002 में उपयोग के पुनर्विध कर दिया गया।

फास्ट ट्रैक न्यायालय

1720. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन करने हेतु विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आवधिक रूप से राज्य सरकारों को उद्दिष्ट त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करने के लिए पत्र लिखे हैं। राज्यों के विधि/गृह सचिवों तथा सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों के सम्मेलन में, जिसे वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है, त्वरित निपटान न्यायालय के कार्यपालन का पुनर्विलोकन किया जाता है। इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30.11.2003 तक राज्यों द्वारा 1401 त्वरित निपटान न्यायालय अधिसूचित किए गए है, जिनमें से 1136 कार्य कर रहे हैं। ऐसे न्यायालयों को 5,72,777 मामले अंतरित किए गए हैं, जिनमें से 2,77,120 मामलों का निपटान कर दिया गया है।

(ग) संघीय सरकार द्वारा किसी राज्य को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है।

गन्ना मूल्य संबंधी बकाया धनराशि

1721. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री ब्रह्मानंद :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2002–2003 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गन्ना मूल्य संबंधी बकाया धनराशि के निपटान हेतु राज्य सरकारों के लिए कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार आवंटित निधियां कितनी हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को उनके राज्यों में निजी फैक्ट्रियों द्वारा 2002–03 चीनी मौसम के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सहायता करने के लिए निम्नानुसार 678.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं :

राज्य का नाम	आवंटन (करोड़ रुपए में)
उत्तर प्रदेश	490.21
उत्तरांचल	32.25
बिहार	39.91
पंजाब	30.96
हरियाणा	64.73

केन्द्र सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि 2002–03 चीनी मौसम के गन्ना मूल्य बकाया को क्लियर करने में चीनी फैक्ट्रियों की सहायता करने हेतु बाजार उधारियों के तरीके से राज्य सरकारों को सहायता देने की पेशकश की जाए। इस निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों को अतिरिक्त बाजार उधारियों के माध्यम से जारी किए बांडों पर कूपन दर और 4 प्रतिशत (वह दर जिस पर चीनी मिलों को ऋण दिया जा रहा है) के बीच के ब्याज–अंतर को पूरा करने के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। यह सहायता उन राज्यों में सहकारी और सरकारी क्षेत्र की मिलों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनमें गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की पद्धति प्रचलन में है और उन राज्यों में सभी चीनी मिलों के लिए उपलब्ध होगी जहां ऐसी पद्धति मौजूद नहीं है। खुले बाजार से उधारियों की सीमा 2002–03 चीनी मौसम के गन्ना मूल्य बकाया पर निर्भर करेगी।

डाभोल विद्युत कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का निपटान

1722. श्री सुनील खां : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित छह बैंकों ने डाभोल विद्युत कंपनी के संबंध में दावों के निपटान के लिए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा मांग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) डाभोल विद्युत परियोजना के 7 विदेशी उधारदाताओं ने भारत सरकार द्वारा की गई द्विपक्षीय निवेश संधियों के तहत भारत सरकार को नोटिस जारी किए हैं जिनमें डाभोल विद्युत कंपनी के विरुद्ध दावों के एवज में क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	उधारदाता का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	77
2.	एएनजेडईएफ लिमिटेड	35.2
3.	बीएनपी परीबास	14.6
4.	क्रेडिट लियोनास एसए	19.5
5.	क्रेडिट सूसे फर्स्ट बोस्टन	35.3
6.	अर्स्ट बैंक डार ओस्ट्रिचिस्चेन स्पार्कसेन एजी	9.7
7.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	14.6

आम निर्यातकों को प्रोत्साहन

1723. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन को आम भेजने वाले आम निर्यातकों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है और चीन ने अपने घरेलू बाजार में आम के आयात के लिए हाल ही में अपना बाजार खोल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) चीन को आमों के निर्यात हेतु आम निर्यातकों के लिए किन्हीं विशिष्ट प्रोत्साहनों की योजना नहीं है। तथापि, आमों के निर्यात हेतु चीन की संगरोध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विशिष्ट उपाय किए हैं। चीन को आमों के निर्यात हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं

- आमों के निर्यात हेतु पादप स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं के बारे में चीन के साथ प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करना।
- पैक हाउस सुविधाओं का उन्नयन एवं उनकी मान्यता।
- भारतीय आमों को लोकप्रिय बनाने के लिए बीजिंग और शंघाई में आम संवर्धन अभियान चलाना।

विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंध

1724. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत ने कौन-कौन से क्षेत्रों में रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी देशों के साथ अपने वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) उन क्षेत्रों का विवरण संलग्न है जिनमें भारत ने रूस, चीन, अमरीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड (यू.के.) के साथ व्यापार संधियां की है।

(ख) से (घ) सरकार और उद्योग स्तर के परस्पर कार्यकलाप जैसे संयुक्त आयोग बैठकें, क्षेत्रीय व्यवसाय शिष्टमंडलों को बुलाना और भेजना, व्यापार मेलों में भाग लेना, इन देशों में गोष्ठियों और सड़क प्रदर्शन के आयोजनों के जरिए व्यापार का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। नए क्षेत्रों में प्रवेश करने, दोहन न की गई संभावनाओं का पता लगाने और तेजी से विकसित हो रहे अभिज्ञात क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने

के लिए उत्तम निर्यात संभावना वाले उत्पादों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं। जनवरी 2002 में घोषित मध्यावधि निर्यात नीति 2002–07 में निहित कार्यनीतियों के आधार पर केन्द्रीय बजट 2003–04 और एक्जिम नीति 2003–04 के जरिए अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं। एक्जिम नीति 2003–04 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) आदि को सुदृढ़ करने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। "फोकस सीआईएस" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमें मजबूत की गई हैं। निर्यात संवर्धन सरकार का एक सतत प्रयास होने के कारण निर्यात कार्य निष्पादन पर व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की दृष्टि से नियमित आधार पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 2002–2003 के दौरान चुनिन्दा देशों (मुख्य मदों) के साथ भारत का व्यापार

देश	निर्यात की मुख्य मदें	आयात की मुख्य मदें
रूस	सहायक वस्तुओं सहित आरएमजी कॉटन, भेषज और परिष्कृत रसायन, चाय, कॉफी।	लोहा और इस्पात, उर्वरक, अलौह धातुएं, अखबारी कागज।
चीन	प्राथमिक और अर्ध–परिष्कृत लोहा एवं इस्पात, लौह अयस्क, प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद, अन्य अयस्क और खनिज।	इलैक्ट्रानिक सामान, कार्बनिक रसायन, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट्स, औषधीय एवं फार्मा उत्पाद।
अमरीका (यूएसए)	रत्न एवं आभूषण, सहायक वस्तुओं सहित आरएमजी कॉटन, कॉटन यार्न, फैब्रिक, मेड अप्स, औषध भेषजीय एवं परिष्कृत रसायन।	इलैक्ट्रानिक सामान, परिवहन उपकरण, मशीनें, इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रानिक को छोडकर, व्यावसायिक उपकरण इत्यादि।
पाकिस्तान	प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद, औषध, भेषजीय एवं परिष्कृत रसायन, रंजक/मध्यवर्ती, पेट्रोलियम उत्पाद।	दालें, फल तथा काजू गिरी को छोड़कर गिरी, कॉटन यार्न और फैब्रिक्स।
बंगलादेश	कॉटन यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड अप्स, बासमती के अलावा चावल, गेहूं, चीनी।	कच्चा पटसन, अकार्बनिक रसायन, फल काजू गिरी को छोड़कर गिरी, तैयार वस्त्र (बुने हुए)।
इंग्लैंड (यू.के)	सहायक वस्तुओं सहित आरएमजी कॉटन, रत्न एवं आभूषण, धातु के विनिर्माण, कॉटन यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड अप्स।	मोती, कीमती और बेशकीमती पत्थर, इलैक्ट्रिक और इलैक्ट्रानिक को छोड़कर मशीनें, इलैक्ट्रानिक सामान, सोना तथा चांदी।

बैंकों की ब्याज दरें

1725. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मुख्य ऋण दर से भी कम दर पर उपभोक्ता ऋण स्वीकृत करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का विशेष ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के आकार पर कोई सीमा बनाई है;

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के लिए ऋण सीमित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्यम वर्ग को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करने हेतु अन्य क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) अब बैंक अपने–अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से मूल उधार दर का संदर्भ दिए बिना और ऐसे ऋणों के आकार पर ध्यान दिए बिना व्यक्तियों को दिए जाने वाले

उपभोक्ता ऋणों तथा अन्य गैर–प्राथमिकता क्षेत्र व्यक्तिगत ऋणों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए युक्तियुक्तकरण ने बैंको के मूल उधार दर (पीएलआर) से कम दरों पर विशेष रूप से आवास एवं अन्य प्रकार के खुदरा ऋणों को मध्यम वर्ग एवं अन्य उधारकर्ताओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न

1726. श्री सुनील खां :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री राजो सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड में गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है;

(ख) बिहार और झारखंड में उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और वास्तविक खरीद कितनी रही;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों का प्रचलित मूल्य क्या है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को किस मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितना व्यय किया गया और कितनी राजसहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन विशेषज्ञ समूह की पद्धति के आधार पर योजना आयोग (1993–1994) के निर्धनता अनुमानों के अनुरूप 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अद्यतन किए गए महापंजीयक के जनसंख्या प्रक्षेपणों के अनुसार किया गया है। बिहार और झारखंड राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या क्रमशः 65.23 लाख और 23.94 लाख है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार और झारखंड को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा और इन राज्यों द्वारा उठाई गई मात्रा निम्नानुसार है :

	खाद्यान्नों का आवंटन (लाख टन में)			खाद्यान्नों का उठान (लाख टन में)		
	2000–01	2001–02	2002–03	2000–01	2001–02	2002–03
बिहार						
गरीबी रेखा से नीचे	18.771	18.209	22.442	6.026	3.781	4.383
गरीबी रेखा से ऊपर	2.165	1.743	22.915	0.023	0.010	0.035
अंत्योदय अन्न योजना	0.000	1.500	4.200	0.000	1.086	3.339
झारखंड						
गरीबी रेखा से नीचे	1.845	5.675	8.147	0.867	2.291	2.261
गरीबी रेखा से ऊपर	0.211	0.633	2.163	0.002	0.065	0.037
अंत्योदय अन्न योजना	0.000	0.916	1.539	0.000	0.628	1.097

(ग) गरीबी रेखा से नीचे के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य और खुदरा निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं

केन्द्रीय निर्गम मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

चावल	गेहूं	निम्न तारीख से प्रभावी
590	450	1.4.2000
565	415	25.7.2000

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य एक-समान हैं।

खुदरा निर्गम मूल्य

बिहार

(रुपए प्रति किलोग्राम)

चावल	गेहूं	निम्न तारीख से प्रभावी
6.48	5.10	1.4.2000
6.22	4.73	25.7.2000

झारखंड

(रुपए प्रति किलोग्राम)

चावल	गेहूं	निम्न तारीख से प्रभावी
6.48	5.10	1.4.2000*
6.22	4.73	25.7.2000*
6.15	4.62	1.4.2000

*बिहार राज्य के अंग के रूप में।

(घ) जारी किए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गई कुल लागत (आर्थिक लागत) और उसमें अंतर्ग्रस्त राजसहायता निम्नानुसार है :

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत (रुपए प्रति क्विंटल)		अंतर्ग्रस्त राजसहायता (करोड़ रुपए में)	
	चावल	गेहूं	बिहार	झारखंड
2000-01	1180.47	858.26	295.94	**
2001-02	1195.55	859.20	234.81	148.94
2002-03	1223.17	891.73	388.42	182.90

**इसे बिहार की राजसहायता में शामिल कर लिया गया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न, गुणवत्ता के संबंध में उनकी संतुष्टि और संयुक्त नमूना प्रणाली की अनुपालना के बाद ही जारी किए जाते हैं। जारी किए गए खाद्यान्न उचित औसत किस्म से नीचे के नहीं होते हैं।

चमड़ा औद्योगिक उद्यान

1727. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से राज्य में एक चमडा औद्योगिक उद्यान स्वीकृत करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ राज्य के समुद्र तट के पहले एक हजार एकड़ क्षेत्र वाला एक भूखंड पहले ही स्वीकृत कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना को कब तक औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ताकि राज्य सरकार सभी संबद्ध आवश्यक कार्यों को आरंभ कर सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से अपने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा परिसर की स्थापना करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि "नेल्लोर जिले में भूमि का चयन करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है"।

एक उपयुक्त स्थल पर चमड़ा परिसर की स्थापना करने की स्कीम "एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम" (आईएलडीपी) का एक हिस्सा है जिसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है और इसमें अनेक योजनाएं/पहल शामिल हैं। उक्त आईएलडीपी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी तक अंतिम अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। चमड़ा परिसर के लिए उपयुक्त स्थापना-स्थल का चयन करने के साथ-साथ उक्त परिसर की स्थापना करने के लिए योजना का क्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन मिलने के बाद ही हो सकता है।

निर्यात मूल्य

1728. श्री मोहन रावले :
श्री रामशकल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्त वर्ष के आरंभिक दो महीनों के दौरान कितने मूल्य का वस्त्र निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 2002 के आरंभिक दो महीनों की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत गिरावट/वृद्धि हुई;

(ग) यदि गिरावट है, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस उद्योग ने वस्त्र निर्यात में आई गिरावट को रोकने के लिए कतिपय रियायतों की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जुलाई, 2003 की अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात 3696.8 मियिलन अमरीकी डॉलर मूल्य का हुआ वर्ष 2002 की इसी अवधि की तुलना में वस्त्र निर्यात 4088.6 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का हुआ जिसमें 9.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इस कमी के प्रमुख कारण अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारिक हिस्सेदारों की अर्थव्यवस्था में सामान्य कमी और चीन, बांग्लादेश तथा श्रीलंका आदि जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा बढ़ना माना जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार वस्त्र व्यापार एवं उद्योग के क्रॉस सेक्शन से नियमित रूप से परामर्श कर रही है और वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले–सिलाए परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। इसने निटिंग क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा भी बढ़ा कर 5 करोड़ रु. कर दी है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्ति योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(3) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा की प्रदान की गई है। राजकोषीय नीतिगत उपायों से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है। इससे आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) फैब्रिक उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से शटलरहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी) डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग विशेषकर अपैरल की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(6) पारि–परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उत्पादों का पूर्व–परीक्षण करवा सकें।

(7) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों के गठन पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए अपैरल पार्क निर्यात योजना नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है।

(8) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

[हिन्दी]

सड़कों/पुलों के लिए ऋण

1729. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सड़क और पुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नाबार्ड को भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) नाबार्ड द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(च) इन योजनाओं का कार्यान्वयन कब तक आरंभ किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ–IX–2003–04) के तहत वित्तीय सहायता के लिए दो परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	कुल अनुमानित परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1.	पांच जिलों में ग्रामीण संबद्धता (कनेक्टिविटी)	26	32	399.76
2.	विभिन्न जिलों में पुल परियोजना	–	70	135.73

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि ग्रामीण संबद्धता की नमूना परियोजना की तकनीकी संवीक्षा पहले ही की जा चुकी है। राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, परियोजना का विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन कर दिया गया है। जहां तक अन्य प्रस्ताव (70 पुल) का संबंध है, राज्य सरकार के प्रमुख (नोडल) विभाग से अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है तथा नाबार्ड द्वारा परियोजना पर विचार इसके प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

(ङ) और (च) जिन परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है, उन पर विचार नाबार्ड की परियोजना संस्वीकृति समिति की आगामी बैठक में किया जाएगा। आशा की जाती है कि परियोजनाओं की मंजूरी के पश्चात राज्य सरकार कार्यान्वयन शुरू कर देगी।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

1730. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को एड्स, क्षयरोग और अन्य महामारियों से निपटने के लिए जीवन रक्षक औषधियों का आयात करने की अनुमति प्रदान करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के साथ कोई सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के इस सौदे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जीवनरक्षक औषधियों पर शुल्क प्रणाली का निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) ट्रिप्स करार और लोक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा–पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि ट्रिप्स करार से सदस्यों को लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने से वंचित नहीं किया जाए और न ही उन्हें वंचित किया जाना चाहिए। इसमें ट्रिप्स करार के प्रावधानों का पूरी तरह उपयोग करने के डब्ल्यूटीओ सदस्यों के अधिकार की पुनः पुष्टि की गई थी, जो इस उद्देश्य के लिए लोचशीलता प्रदान करता है। घोषणा–पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि इन सुविधाओं में ये शामिल है : अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के प्रत्येक सदस्य के अधिकार और जिस आधार पर ऐसे लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, उसका निर्धारण करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आपात अथवा अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों का निर्धारण करने का अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के समापन हेतु अपनी खुद की प्रणाली स्थापित करने की स्वतंत्रता।

दोहा घोषणा–पत्र के पैराग्राफ 6 में ट्रिप्स करार के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग का कारगर उपयोग करने में भेषज क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण सुविधा न रखने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों की कठिनाइयों को स्वीकार किया गया था और ट्रिप्स परिषद को यह निर्देश किया गया था कि वह इस समस्या का शीघ्र समाधान निकाले।

डब्ल्यूटीओ की महापरिषद ने ट्रिप्स करार एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणा–पत्र के पैराग्राफ 6 के कार्यान्वयन हेतु 30 अगस्त, 2003 को एक निर्णय लिया था। इस निर्णय में भेषज क्षेत्र में सीमित अथवा कोई विनिर्माण सुविधा न रखने वाले देशों को अनिवार्य लाइसेंस के तहत पेटेंटशुदा भेषजीय उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से भेषज क्षेत्र में सीमित अथवा कोई विनिर्माण सुविधा न रखने वाले देश वहनीय कीमतों पर भेषजीय उत्पादों का आयात करने में समर्थ होंगे।

(ग) और (घ) दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. के तहत 126 जीवन रक्षक दवाओं/औषधियों पर सीमाशुल्क शून्य कर दिया गया था।

स्टैम्प पेपरों के लिए नई सुरक्षा विशेषताएं

1731. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपरों की छपाई को त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से कृतक बल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतक बल ने क्या सुझाव दिए हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार जाली स्टैम्प पेपरों के इस्तेमाल वाले घोटालों से उत्पन्न कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जाली नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपरों की बढ़ी मात्रा में जब्ती को देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी, 2001 में त्रुटियां दूर करने के उपाय सुझाने तथा नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर में वर्तमान सुरक्षा उपायों के मूल्यांकन के लिए नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर का कार्य दल गठित किया है। कार्यदल ने दिसम्बर, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर संशोधित सुरक्षा के उपायों सहित 1 जुलाई, 2004 से छपने वाले हैं।

(ग) से (ङ) राजस्व विभाग, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके जाली स्टैम्प पेपरों में बनाए गए कागजातों के न्यायिक पहलुओं की जांच कर रहा है।

उत्पादन की लागत और एम.आर.पी.

1732. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री अरुण कुमार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्पादन की लागत और एमआरपी के पीछे तर्काधार न होने की जानकारी है जिससे उपभोक्ताओं का बहुत शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की लागत और एमआरपी के बीच तर्काधार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बहुत सी खाद्य वस्तुओं तथा पटाखों और फायरवर्क्स का एमआरपी थोक मूल्य 150–200 प्रतिशत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए कि एमआरपी अत्यधिक न हो ताकि उपभोक्ताओं को शोषण न हो, का कोई प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार उपभोक्ता की सूचना के लिए पैकेज के खुदरा मूल्य की "अधिकतम खुदरा मूल्य.....(सभी करों सहित)" के रूप में घोषणा करना अपेक्षित होता है। पैकेज पर अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा वस्तु के विनिर्माता अथवा पैकर को करनी होती है। नियमों में दण्ड का प्रावधान है जो खुदरा व्यापारी को पैकशुदा वस्तु को घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने से रोकता है। पैकशुदा वस्तु का बिक्री मूल्य परिवहन, स्थानीय करों, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग स्थान पर अलग–अलग हो सकता है और वह घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य कम हो सकता है। उपभोक्ता को इसका यह लाभ होता है कि खुदरा व्यापारी घोषित अधिकतम

खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूल सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार ताकतें विनिर्माताओं/ पैकरों को अनुचित रूप से उच्च अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित करने से हतोत्साहित करेंगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान

1733. श्री रामशकल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) राज्य-वार कौन-कौन से जिलों की पहचान औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में की गई है; और

(ग) इन जिलों की औद्योगिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिसमापन

1734. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान देश में कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिसमापन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघ ने इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिसमापन के केन्द्र सरकार के प्रयासों पर चिंता प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के संशोधन संबंधी कार्य समूह की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) फिलहाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री एम. वी. एस. चलपति राव की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने अन्य बातों के साथ पूंजी विन्यास स्वामित्व पैटर्न इत्यादि में बदलाव का सुझाव देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित व्यापक सिफारिशें की हैं। कार्यदल की सिफारिशों पर अन्य जोखिम उठाने वालों यथा राज्य सरकारों एवं प्रायोजक बैंकों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दीर्घकालिक अर्थक्षमता, ग्रामीण ऋण वितरण के लिए उनकी प्रासंगिकता, अपेक्षित पूंजी विन्यास एवं बेहतर एवं प्रभावी प्रबंधन के संदर्भ में इन सिफारिशों पर विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। फिलहाल, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए भारतीय बैंक संघ, (प्रायोजक बैंक) भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा इस समय विचार-विमर्श से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाना

1735. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकों को अब बड़ी धनराशि का ऋण लेने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऋण देने हेतु बैंकों के पास इस समय कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(घ) बैंकों के पास उपलब्ध इस अतिरिक्त धनराशि के सदुपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अशोध्य ऋण/गैर निष्पादन आस्तियों की वर्तमान राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि 12,80,853 करोड़ रुपए थी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 68,714 करोड़ रुपए थीं।

अर्बन हाट

1736. डा. एंन. वेंकटस्वामी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 सितम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार शिल्पकारों और बुनकरों को सीधे विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में राज्य–वार कितने "अर्बन हाट" स्थापित किए गए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार कुल कितने शिल्पकार/बुनकर लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई या खर्च की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कारीगरों और बुनकरों को सीधी विपणन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 30 सितम्बर, 03 की स्थिति के अनुसार स्थापित की गई शहरी हॉटों की राज्य–वार संख्या निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	स्थान	राज्य का नाम	वार्षिक रूप से लाभान्वित होने वाले कारीगर/ बुनकर
1.	करनाल	हरियाणा	825
2.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	825
3.	जम्मू	जम्मू–कश्मीर	825
4.	भुवनेश्वर	उडीसा	825

(ग) योजना के अनुसार राज्य–वार कुल अनुमोदित परियोजना लागत और जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शहरी हॉटों के स्थान	कुल अनुमोदित परियोजना लागत (रुपए में)	जारी की गई धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	अगरतला	त्रिपुरा	1,35,00,000.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	1,67,00,000.00	63,45,00,000.00
3.	असम	गुवाहाटी	1,98,00,000.00	10,00,000.00
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1,60,00,000.00	–
5	गुजरात	1. अहमदाबाद	1,70,00,000.00	29,75,000.00
		2. सूरत	2,00,00,000.00	–
		3. भुज	1,42,00,000.00	–
6.	हरियाणा	करनाल (उचाना)	1,23,00,000.00	20,70,000.00
7.	जम्मू–कश्मीर	1. जम्मू	1,37,00,000.00	52,95,000.00
		2. श्रीनगर	2,00,00,000.00	35,00,000.00

1	2	3	4	5
8.	झारखण्ड	1. रांची	1,81,00,000.00	31,67,000.00
		2. हजारीबाग	2,00,00,000.00	–
9.	कर्नाटक	मैसूर	1,96,00,000.00	
10.	केरल	त्रिवेन्द्रम	सिद्धांतत् अनुमोदन	–
11.	मध्य प्रदेश	गौहर महल	1,80,00,000.00	31,50,000.00
12.	नागालैण्ड	दीमापुर	सिद्धांतत् अनुमोदन	–
13.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1,86,00,000.00	34,40,000.00
14.	पंजाब	पटियाला	1,95,70,000.00	–
15.	राजस्थान	1. जोधपुर	2,00,00,000.00	35,00,000.00
		2. जयपुर	सिद्धांतत् अनुमोदन	–
16.	उत्तरांचल	देहरादून	1,81,00,000.00	–
17.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	2,00,00,000.00	35,00,000.00
		2. आगरा	1,05,00,000.00	23,80,000.00
		3. कानपुर	2,00,00,000.00	–
		4. वाराणसी	1,95,00,000.00	–
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1,75,00,000.00	30,62,500.00
	कुल	26	40,26,70,000.00	4,33,84,500.00

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

1737. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा भोले भाले ग्राहकों को क्रेडिट/डेबिट कार्ड देने उनसे बाद में अधिक भुगतान लेने के खतरे और उत्पीडन का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या आरंभ में ऐसे कार्ड निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, लेकिन बाद में उपभोक्ताओं की पूर्व अनुमति और जानकारी के बिना उनके खाते से नवीकरण/सेवा शुल्क का खर्च ले लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों विशेषकर गैर–सरकारी बैंकों द्वारा लिप्त इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्रेडिट/डेबिट कार्डों के मामले में, बैंक और कार्डधारक के बीच संबंध संविदागत होता है। क्रेडिट/डेबिट कार्डों को बढ़ावा देने के लिए, कई बैंक प्रथम वर्ष में सदस्यता शुल्क (ज्वाइनिंग फीस) माफ कर देते हैं (सामान्यतया निःशुल्क जारी किया जाता है) और बाद के वर्षों के लिए इन बैंकों द्वारा विनिर्दिष्ट संविदागत शर्तों के अनुसार वार्षिक शुल्क, नवीकरण शुल्क, सेवा प्रभार आदि प्रभारित करते हैं। क्रेडिट कार्डों के मामले में खातों को नामे डालने का प्रश्न ही नहीं उठता है

क्योंकि कार्डधारकों का बैंक का खाताधारक होना आवश्यक नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया है कि कार्डधारकों को, क्रेडिट कार्ड के लिए उनके द्वारा आवेदन किए जाने के समय शुल्क/प्रभार (सदस्यता, नवीकरण, सेवा प्रभार, दंडात्मक प्रभार आदि) के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। विशेष रूप से, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सदस्यता/नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त भुगतान में विलंब और चूक के मामले में प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरों को कार्डधारक के ध्यान में लाएं।

डेबिट कार्डों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि प्रत्येक बैंक को ऐसे कार्ड के निर्गम एवं उपयोग को नियंत्रित करने वाली संविदागत शर्तों का सेट लिखित रूप में उपलब्ध कराना चाहिए। क्रेडिट/डेबिट कार्ड का लाभ प्राप्त करने वाले ग्राहक से आशा की जाती है कि वे कार्ड को स्वीकार करने से पूर्व शर्तों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।

रूस को चाय का निर्यात

1738. श्री प्रबोध पण्डा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने रूस में भारतीय चाय को बढ़ावा देने हेतु रूस के साथ एक संयुक्त विपणन रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस के बाजारों ने भारत द्वारा निर्यात की गई चाय का 50 प्रतिशत से अधिक भाग खरीद लिया है;

(घ) क्या रूस भारत के स्थान पर अब श्रीलंका से अधिक चाय खरीद रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) 10वीं योजना के दौरान चाय बोर्ड बाजार संवर्धन स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य रूस समेत विभिन्न बाजारों को भारतीय चाय के निर्यातों का संवर्धन करना है। चाय बोर्ड ने भारतीय चाय तथा चाय बोर्ड द्वारा विकसित लोगों को बढ़ावा देने के लिए रूस में प्रचार-प्रसार अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय चाय लोगो वाले ब्रांडों अर्थात उन ब्रांडों के लिए जिनकी रूसी बाजारों में पर्याप्त उपस्थिति है तथा जिनमें न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली 100 प्रतिशत भारतीय चाय हो, का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम में रूसी आयातकों/पैकरों के साथ संयुक्त उद्यमों के अधीन रूस में पैक की गई भारतीय चाय के लिए संयुक्त संवर्धन अभियानों की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान भारत से रूस को किए गए चाय के निर्यातों की मात्रा भारतीय चाय के कुल निर्यातों के 50 प्रतिशत से कम रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। रूस द्वारा श्रीलंका से चाय की अधिक खरीद किए जाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण रूस के उपभोक्ताओं द्वारा कट-टियर-कर्ल (सीटीसी) के स्थान पर चाय की परंपरागत किस्म को तरजीह देना रहा है और श्रीलंका परंपरागत चाय का एक प्रमुख उत्पादक है। दूसरी ओर भारत अधिकतर सीटीसी चाय का उत्पादन करता है।

आई.एफ.सी.आई. का पुनरुद्धार

1739. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आईएफसीआई को धनराशि प्रदान करके इसका पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इसके पुनरुद्धार के लिए धनराशि जुटाने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आईएफसीआई का भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ विलय करने की संभावना का पता लगाया है अथवा पता लगाया जाना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आईएफसीआई के मूलधन एवं ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए आईएफसीआई को निम्नलिखित के अनुसार 5220 करोड़ रुपए की अदायगी नियत की है जिसकी समय 2011-12 तक है।

(i) सरकार द्वारा सरकार के गारंटीकृत एसएलआर बांडों एवं निवेशकों की 1 लाख रुपए से कम की फुटकर उधार राशियों के संबंध में आईएफसीआई की देयताएं अधिगृहीत की जाएंगी।

(ii) सरकार एडीबी एवं केएफडब्ल्यू से आईएफसीआई द्वारा ली गई उधार राशियों को चुकाएगी।

(iii) सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा रखे गए एसएलआर बांडों पर विद्यमान लाभांश दर एवं वर्तमान सरकारी प्रतिभूति (जीसेक) दर में अंतर को इनकी परिपक्वता तक वहन करेगी।

आईएफसीआई को 5220 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 523 करोड रुपए की राशि वर्ष 2002–03 के दौरान ऋण के रूप में जारी कर दी गई है तथा अनुदान के रूप में 1573 करोड़ रुपए की एक और राशि वर्ष 2003–04 के दौरान आईएफसीआई को जारी कर दी गई है।

आईएफसीआई के कर्जदेयताओं के पुनर्निर्धारण के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों एव वित्तीय संस्थाओं ने आईएफसीआई में अपने ऋणों/अग्रिमों/निवेशों को भी पुनर्निर्धारित कर दिया है।

सरकारी सहायता आईएफसीआई के कर्ज/देयताओं के पुर्निर्धारण के लिए है और यह पुनरुज्जीवन योजना का हिस्सा नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आपूर्ति

1740. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन–चार महीनों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी की आपूर्ति रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आपूर्ति को पुनः कब आरंभ किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

1741. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह "क" और "ख" में कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में जितनी संख्या में होनी चाहिए उससे बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और रोजगार के अवसरों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की समूह "क", "ख", "ग" और "घ" में प्रतिनिधित्व को वर्तमान स्थिति के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभिन्न विभागों स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है; और

(च) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में

राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोक अदालत

1742. श्री सुरेश कुरुप : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकार की संलिप्तता वाली जन उपयोगी सेवा के मामले को लोक अदालत के दायरे में लाने के लिए स्थायी लोक अदालतों के गठन हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन से सिविल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम में किस तरह तेजी आने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेनल ऑन कारपोरेट गवर्नेन्स

1743. श्री वाई. वी. राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने विशेष पेनल ऑन कारपोरेट गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल के कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। सेबी ने विद्यमान कंपनी अभिशासन पद्धतियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने तथा इन पद्धतियों में और सुधार लाने के लिए श्री एन. आर. नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में कंपनी अभिशासन संबंधी एक समिति (जो कंपनी अभिशासन पर नारायण मूर्ति समिति के नाम से जानी जाती है) का गठन किया था।

(ख) कंपनी अभिशासन संबंधी नारायण मूर्ति समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

1. कंपनी अभिशासन के निष्पादन की समीक्षा करना, और
2. बाजार की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के लिए, बाजार में परिचालित अफवाहों और अन्य मूल्य संवेदी सूचना की अनुक्रिया में कंपनियों की भूमिका का निर्धारण करना।

(ग) कंपनी अभिशासन संबंधी नारायण मूर्ति समिति ने दिनांक 8 फरवरी, 2003 को अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंपी थी।

म्यांमार के साथ व्यापार

1744. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत और म्यांमार के बीच कुल कितना व्यापार हुआ;

(ख) क्या सरकार भारत और म्यांमार के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने की संभावना तलाश रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के उपायों के तहत दोनों देशों ने आयात के लिए कुल मदों को मंजूरी प्रदान की है जिन पर पहले दोनों देशों ने प्रतिबंध लगा रखे थे; और

(ङ) उन मदों की सूची क्या है जिन पर दोनों देशों ने व्यापार प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार निम्नानुसार रहा था :

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	कुल व्यापार
2000–01	231.73
2001–02	435.32
2002–03	411.03

(ख) और (ग) यह एक सतत प्रक्रिया है। दोनों देशों

के बीच संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के प्रथम सत्र का आयोजन 15 जुलाई 2003 को यंगून में किया गया था। बैठक में व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए पारस्परिक हित के अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) जेटीसी से उपर्युक्त विचार-विमर्शों में आयातों के लिए किसी प्रतिबंधित मदों को मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी।

(ङ) "दोनों देशों के बीच" व्यापार की जिन मदों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनकी सूची तत्काल उपलब्ध नहीं है।

नए पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट पर प्रतिबंध

1745. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत में नए पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट पर विदेशी कारपोरेट निकायों का प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कंपनियों में विदेशी कारपोरेट निकायों के निवेश पर अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए कारपोरेट क्षेत्र से सरकार को कितने प्रस्ताव मिले और क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ङ) अनिवासी भारतीयों/विदेशी कारपोरेट निकायों के लिए पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत विदेशी कारपोरेट निकायों द्वारा नए निवेश पर प्रतिबंध लगाने के 29.11.2001 को लिए गए निर्णय की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि पूर्ववर्ती प्रतिबंध को जारी रखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के 16 सितम्बर, 2003 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार सरकार ने "निवेशक की श्रेणी" के रूप में विदेशी कारपोरेट निकायों को अब अमान्य कर दिया है। इसलिए विदेशी कारपोरेट निकाय पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत निवेश नहीं कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक अपार्टमेंट

1746. श्री के. येरननायडु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का विचार वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक अपार्टमेंट बनाने हेतु किसी कंपनी को वित्तपोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपार्टमेंटों को पट्टे पर लेने के लिए निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि देश भर में वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करने के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एलआईसीएचएफएल केयर होम्स लिमिटेड नामक एक पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी आरंभ की है।

(ख) इस कंपनी का केयर होम्स की स्थापना करने हेतु बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा मुंबई में भूमि खरीदने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं। भूमि खरीदने तथा इन यूनिटों का निर्माण करने के पश्चात ही संबंधित शर्तों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा क्षेत्र में निवेश

1747. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) जी, हां। विदेशी निवेश के मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है। सरकार ने पहले से ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को यह सुनिश्चित करने के लिए लिख दिया है कि सभी भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी इक्विटी धारिता बीमा अधिनियम, 1938 के विद्यमान उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए।

विकासशील देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग

1748. श्री रतन लाल कटारिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत विकासशील देशों को तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करके भारत ने कितने देशों की सहायता की है;

(ग) क्या भारत कई एशियाई, अफ्रीकी और राष्ट्रकुल के अनेक देशों को ऋण भी प्रदान कर रहा है, और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) भारत विकासशील देशों के आर्थिक हितों की सहायता हेतु एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है तथा इन देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	देशों की संख्या
2000–01	102
2001–02	81
2002–03	110

(ग) और (घ) यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय निर्यात–आयात बैंक के माध्यम से वियतनाम, म्यांमार, सीरिया, जाम्बिया, दजिबूती, मोजाम्बिक, घाना, सुडान, लिसोथो तथा ताजिकिस्तान को ऋण शृंखलाएं प्रदान की जाएं। ऐसे प्रत्येक मामले में निबंधन और शर्तें तय की जाती हैं।

[हिन्दी]

फेरा उल्लंघन

1749. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान फेरा उल्लंघन मामले में कितने व्यक्ति लिप्त हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं;

(ग) कितने मामलों में जांच शुरू की गई है;

(घ) क्या फेरा उल्लंघन में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में अनावश्यक विलंब हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) चूंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 31 मई, 2000 से निरस्त हो गया है, अतः चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में लिप्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पान मसाला विनिर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1750. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पान मसाला के विनिर्माता करोड़ों रुपए के उत्पाद शुल्क का अपवंचन करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बड़े-बड़े पान विनिर्माताओं से कितनी उत्पाद शुल्क की वसूली की गई;

(ग) उन पान मसाला निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने उत्पादन बहुत अधिक होने के बावजूद कम उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है; और

(घ) इन पान मसाला विनिर्माताओं में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) पान मसाला विनिर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता चला है।

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 और अप्रैल-अगस्त, 2003 की अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के उप-शीर्ष सं. 2016.00 के अंतर्गत आने वाले पान मसाला से वसूल किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अस्थाई आंकड़ा) नीचे दिया गया है

अवधि	शुल्क (करोड़ रु. में)
2001-02	98
2002-03	73
अप्रैल-अगस्त, 2003	30

पान मसाला के व्यष्टि विनिर्माताओं से वसूल किए गए राजस्व की केन्द्रीकृत रूप से निगरानी नहीं रखी जाती है।

(ग) पान मसाला विनिर्माताओं के विरुद्ध पता चले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के प्रमुख मामले नीचे दिए गए हैं

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	उत्पाद शुल्क का अनुमानित अपवंचन (करोड़ रु. में)
1.	मैसर्स धारीवाल, इंडस्ट्रीज, हैदराबाद	11.43
2.	मैसर्स दिनेश पॉउचेज, जोधपुर	1.13
3.	मैसर्स संकेत फूड्स प्रा.लि. जालना	11.66

(घ) विधि के अनुसार उक्त विनिर्माताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्त्र

1751. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र के उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 और 2002-2003 के दौरान इस क्षेत्र में कितना और कितने मूल्य के वस्त्रों का उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई अध्ययन दल गठित किया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दल का गठन कब किया गया था और उसमें कौन-कौन लोग शामिल किए गए थे और उक्त दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1998-99 एवं 2002-03 को छोड़कर पिछले कई वर्षों के दौरान, देश में हथकरघा कपड़े के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1997-98 और 2002-2003 के दौरान हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन क्रमशः 7603 मिलियन वर्ग मीटर तथा 5980 मिलियन वर्ग मीटर आंका गया है। गुणवत्ता, आकार, रेशों की बनावट इत्यादि में अधिक अंतर होने के कारण उत्पादित कपड़े के मूल्य का लेखा-जोखा नहीं रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न शीर्षों के तहत जीआईसी द्वारा व्यय

1752. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान वेतन, किराया, टेलीफोन बिल, कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा और अन्य मदों में किए गए भुगतान पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कितना व्यय किया गया है ओर इसी अवधि

के दौरान इन कंपनियों को पॉलिसी प्रीमियमों, शेयरों, बांडों, रेन्टलों और ब्याज या किन्हीं अन्य मदों से अलग-अलग मद-वार और कंपनी-वार कुल कितनी आय हुई है;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा किए गए व्यय उनकी पॉलिसी प्रीमियम से होने वाली आय से कहीं अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन कंपनियों के व्यय को कम करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसे किस तरह कम किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कंपनियों ने प्रबंधन व्ययों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं-कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए वेतन-बिलों में कटौती, कार्यालयों का यौक्तिकीकरण, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन में सादगी, टेलीफोन, सरकारी वाहनों के उपयोग में किफायत इत्यादि। यह आशा की जाती है कि इन उपायों से प्रबंधन के समग्र खर्चों में कमी आएगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2002-2003 के दौरान सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा किए गए व्यय और अर्जित आय का ब्यौरा

(करोड रु. में)

		नेशनल	न्यू इंडिया	ओरियंटल	यूनाइटेड इंडिया
निम्नलिखित पर हुआ व्यय					
(i)	वेतन का भुगतान	319.20	590.39	534.58	465.72
(ii)	किराया	22.99	34.90	22.77	20.93
(iii)	टेलीफोन	7.87	19.64	7.00	12.28
(iv)	दौरे	13.14	29.91	9.28	22.85
(v)	अन्य मदें	237.80	215.78	78.96	106.60
	कुल	601.00	890.62	652.59	622.40
निम्नलिखित से अर्जित आय					
(i)	सकल प्रीमियम	2869.87	4812.19	2868.15	2969.63
(ii)	शेयर एवं बाण्ड	65.00	696.25	74.81	200.45
(iii)	किराए	1.20	0.84	1.74	(-)4.88
(iv)	ब्याज	320.14	65.05	325.28	308.15
(v)	अन्य मदें	99.54	40.94	91.18	171.10
	जोड़	3355.75	5615.87	3361.16	3644.45

[अनुवाद]

वित्त आसूचना यूनिट

1753. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने धन शोधन संबंधी अपराधों का पता लगाने के लिए एक वित्तीय आसूचना एफआईयू के गठन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी यूनिट के संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नई बॉडी मौजूदा सेन्ट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थान लेगी;

(घ) यदि हां, तो इस एफआईयू संगठन को अन्य कौन–कौन से कार्य दिए जाएंगे; और

(ड) कर्मचारियों, प्रबंधन आदि के संदर्भ में इस नई बॉडी का गठन और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ड) वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू) की स्थापना, इसकी संगठनात्मक संरचना, कर्तव्यों आदि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

तिलहन/दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1754. श्री के. पी. सिंहदेव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितना समय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार ने 2003–04 मौसम की तिलहनों और दालों सहित प्रमुख खरीफ फसलों के लिए न्यूनतग समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं। खरीफ तिलहनों नामतः मूंगफली (छिलके सहित), सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (काली) और सोयाबीन (पीली) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2002–03 की तुलना में 2003–04 में क्रमशः 45/– रुपए प्रति क्विंटल, 55/– रुपए प्रति क्विंटल, 45/– रुपए प्रति क्विंटल और 45/– रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। दालों नामतः अरहर (तूर), मूंग और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 2002–03 की तुलना में 2003–04 में प्रत्येक के संबंध में 40/– रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते की उपलब्धियां

1755. श्रीमती रेणूका चौधरी :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन/गैर वार्ता कब से चल रही है और आज तक कितने दौर की वार्ता हो चुकी है;

(ख) अमरीका और यूरोप से भारत को टेक्सटाइल कोटा में कितना लाभ हुआ है;

(ग) विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् भारत को अन्य क्षेत्रों में हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यू एन सी टी ए डी के सहयोग से एक संयुक्त परियोजना शुरू की है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) 1 जनवरी, 1948 से टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के लागू होने से 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की स्थापना तक आठ (8) बार बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं हुई थीं। डब्ल्यू टी ओ की स्थापना के पश्चात पांच मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुए हैं। दोहा कार्यक्रम चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू किया गया था।

(ख) डब्ल्यू टी ओ के टेक्सटाइल और क्लोदिग संबंधी

करार (ए टी सी) के अनुसार डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्य देशों के लिए डब्ल्यू टी ओ के कार्य ढांचे में अपने टेक्सटाइल और क्लोदिंग व्यापार की विशिष्ट मात्राओं को समेकित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त कोटा बनाए रखने वाले नियंत्रक देशों द्वारा कोटे के आकार को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया था। इन उपायों से कुछ सीमा तक बाजार पहुंच में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि इनमें से अधिकांश कोटों को 31 दिसम्बर, 2000 को ए टी सी के अंतर्गत समेकित करने के अंतिम स्तर पर ही हटाया जाएगा। दिनांक 1.1.2005 से समस्त टेक्सटाइल और क्लोदिंग व्यापार डब्ल्यू टी ओ के बहुपक्षीय कार्य ढांचे में समेकित हो जाएगा।

(ग) डब्ल्यू टी ओ एक नियम आधारित संगठन है जो सभी सदस्यों के हितों की देखभाल करता है। डब्ल्यू टी ओ का सदस्य देश होने के कारण भारत डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों को अपने निर्यातों के लिए परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) व्यवहार और राष्ट्रीय व्यवहार का लाभ भी उठाता है।

1995 से जब भारत डब्ल्यू टी ओ का सदस्य बना था, भारत के निर्यातों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। हमारे निर्यात 1994–95 में 26330.60 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2002–03 में 51702.22 मिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम आंकड़े) तक पहुंच गए हैं। माल और वाणिज्यिक सेवाओं के सकल विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा 1995 में 0.61 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 0.86 प्रतिशत हो गया है, जबकि माल और वाणिज्यिक सेवाओं के सकल विश्व आयातों के संबंध में यह हिस्सा इसी अवधि में 0.78 प्रतिशत से बढ़कर 0.99 प्रतिशत हो गया है।

(घ) और (ङ) वाणिज्य विभाग ने यू एन व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) और यू के के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी एफ आई डी) के सहयोग से जनवरी, 2003 में "भारत में व्यापार और वैश्वीकरण के लिए कार्य नीतियां और तैयारी" नामक एक परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य द्विशाखीय अर्थात मुख्य व्यापार मुद्दों विशेषतः वह जो डब्ल्यू टो ओ की वर्तमान कार्य सूची से संबंधित है, के विकास आयामों को समझने में सहायता करना और वैश्वीकरण से संबंधित मुद्दों के विश्लेषण के लिए देश की मानव और संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करन तथा एक नीतिगत वातावरण की सुविधा प्रदान करना है जिससे वैश्वीकरण की एक अधिक समान प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।

लघु बचत

1756. श्रीमती प्रभा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–2004 के दौरान लघु बचत योजनाओं से वसूल की जाने वाली धनराशि संबंधी निर्धारित लक्ष्य कितना है और वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान एकत्रित धनराशि कितनी है; और

(ख) लघु बचतों की ब्याज दरों में कमी करने के क्या प्रभाव हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) वर्ष 2003–2004 के दौरान लघु बचत योजनाओं के अधीन सकल तथा निवल संग्रहणों के बजट अनुमान क्रमशः 1,25,000 करोड़ रुपए तथा 61,200 करोड़ रुपए हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह माह के दौरान 64,521 करोड़ रुपए (सकल) तथा 29,292 करोड़ रुपए (निवल) की राशि संगृहीत की गयी।

(ख) हाल के वर्षों में ब्याज दरों में संशोधन के बावजूद लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहणों में वृद्धि होना जारी रहा।

आस्ट्रिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार

1757. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रिया व्यापार के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) इनके लिए किन–किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या दोनों देशों में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान कौन सा है और दोनों देशों की भागीदारी का अनुपात क्या होगा और भारत को इससे कितना वित्तीय लाभ होने की संभावना है; और

(छ) आस्ट्रिया के साथ उक्त मजबूत वाणिज्यिक संबंधों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किस सीमा तक सुधरेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए भारत और आस्ट्रिया निरंतर प्रयासरत हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान भारत और आस्ट्रिया के बीच 245.48 मिलि. अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।

(ग) इसके लिए अभिज्ञात क्षेत्र रेलवे, ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस्पात इत्यादि हैं।

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों में भारत–आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग, संयुक्त कार्य दलों के माध्यम से रेलवे, ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में पारस्परिक कार्यकलाप, व्यापारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्कों को सुकर बनाना, व्यापार संवर्धन कार्य–कलापों में भाग लेना इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) और (च) अनेक घटकों जैसे वित्तीय भागीदारी का स्तर, तकनीकी सहयोग, वाणिज्यिक लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए व्यापार एवं उद्योग जगत द्वारा संयुक्त उद्यमों की स्थापना की जाती है।

(छ) भारत और आस्ट्रिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधी सहयोग में वृद्धि से भारत–ई यू के आर्थिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव होने की आशा है।

आर्थिक विकास

1758. श्री जी. एस. बसवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2003–2004 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कुछ बेहतर संभावनाओं के साथ 5.5 फीसदी तक बढ़ेगी किन्तु देश का वित्तीय घाटा और सरकारी ऋण एक आर्थिक बोझ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरबीआई ने विकास संबंधी आकलन पर फिर से दृष्टिपात करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने आर्थिक विकास के मामले में आईएमएफ की रिपोर्ट से कहां तक सहमति जताई है; और

(घ) आरबीआई ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 21 अगस्त, 2003 के अपने सरकारी सूचना नोटिस में यह भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2003–2004 में भारत की अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी लेकिन इस अनुमान में कुछ बढ़ोत्तरी की संभावना है। जहां तक राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण का संबंध है यह कहा गया है कि ये पूर्ववर्ती वृद्धि के अनुरूप आर्थिक लागत को सुनिश्चित कर रहे हैं। तथापि, अच्छे मानसून के उपरान्त आईएमएफ ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि संबंधी अपनी भविष्यवाणी में संशोधन करते हुए कहा है कि इसमें 6.5 से लेकर 7.0 प्रतिशत की और वृद्धि होगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक और ऋण नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा (3 नवम्बर, 2003) में यह भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2003–2004 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि उनके 6.0 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में 6.5 प्रतिशत से 7.0 प्रतिशत पर और अधिक होगी।

(ग) वित्त मंत्रालय की मध्यावधि समीक्षा (नवम्बर, 2003) में भी ठोस वृहत आर्थिक मौलिक तत्वों, अच्छे मानसून, संतुलित मुद्रास्फीति और विदेशी क्षेत्र के जोरदार निष्पादन के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की भविष्यवाणी की गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक और ऋण नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा में बढ़ते हुए ऋण की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी निधि की व्यवस्था करने, मूल्य स्तर में घट–बढ़ पर निगरानी रखते हुए अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को समर्थन देने और वृहत आर्थिक स्थिरता के ढांचे के अन्तर्गत उदार और लचीले ब्याज दर परिवेश को बनाए रखने के लिए

वार्षिक नीति विवरणी (अप्रैल, 2003) में घोषित मौद्रित नीति की समग्र स्थिति को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है।

मसालों का निर्यात

1759. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालों का निर्यात कौन-कौन से देशों को किया जाता है;

(ख) विगत वर्षों के दौरान इन देशों को वर्ष-वार और देश-वार मसालों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था;

(ग) क्या वर्ष 2003-2004 की पहली छमाही में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मसालों के निर्यात में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जिन प्रमुख देशों को मसालों का निर्यात किया जाता है वे हैं, यू एस ए, यू के, जापान, जर्मनी, श्रीलंका, सिंगापुर, यू ए ई, मलेशिया, सऊदी अरब तथा बंगलादेश।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 2003-2004 के प्रथम छः महीनों के दौरान मसालों के निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मात्रा के रूप में 17% तथा मूल्य के रूप में 6% की गिरावट आई है।

(घ) मसालों के निर्यातों में गिरावट प्रमुखतः भारत द्वारा मिर्च, हल्दी तथा मेथी की उच्च कीमतों का प्रस्ताव किए जाने के कारण आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये मसाले अप्रतिस्पर्धी बन गए हैं।

(ङ) मसालों के निर्यात में वृद्धि करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। सामान्य व्यापार नीतिगत सुधारों के अतिरिक्त, मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए है जिनमें उच्च-तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाना तथा मूल्य संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, इन-हाउस लेबोरेटरियों की स्थापना तथा आधुनिक विश्लेषणपरक गैजेटों की स्थापना हेतु निर्यातकों को सहायता प्रदान करना, बाजार संवर्धन, जैविक मसाला खेती के लिए सहायता प्रदान करना, एकीकृत कीट तथा रोग प्रबंधन और बेहतर फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

निर्यातित मसालों का मूल्य करोड़ रु. में

देश	2000-01 के दौरान मूल्य	2001-02 के दौरान मूल्य(अ)	2002-03 के दौरान मूल्य(अ)
1	2	3	4
यू एस ए	470.07	420.45	427.65
यू के	116.57	115.61	113.57
जापान	121.39	115.87	102.44
जर्मनी	67.70	60.49	94.47
श्रीलंका	73.53	94.76	89.32
चीन	32.84	23.10	78.65
सिंगापुर	60.81	41.01	70.42
यू ए ई	84.36	78.34	63.51
मलेशिया	45.44	49.99	59.54
सऊदी अरब	59.50	46.08	53.19
बंगलादेश	54.35	46.56	49.45
फ्रांस	40.92	46.02	48.06
कनाडा	46.23	49.48	47.13
नीदरलैंड	52.90	28.18	40.60
स्पेन	61.30	24.72	36.19
नेपाल	39.55	39.93	36.05
दक्षिण अफ्रीका	27.11	20.44	23.75

1	2	3	4
इटली	28.52	25.42	22.97
आस्ट्रेलिया	15.82	15.78	21.07
बेल्जियम	9.61	13.50	19.53
कोरिया (दक्षिण)	10.37	11.87	17.41
पाकिस्तान	32.70	16.21	15.55
ब्राजील	30.90	16.10	14.21
इंडोनेशिया	11.42	17.50	13.75
रूस	16.41	10.97	12.07
ताईवान	15.74	7.01	11.75
मिस्र (ए आर ई)	16.69	8.88	11.67
मेक्सिको	20.68	24.98	11.08
कुवैत	12.79	15.29	10.91
हांगकांग	12.62	6.78	10.89
पैराग्वे	1.51	3.84	10.46
इस्रायल	10.24	9.02	9.63
वाई ए आर	7.92	7.01	9.04
डेनमार्क	10.55	6.21	8.88
थाइलैंड	3.70	4.33	8.60
फिलीपींस	6.17	4.61	7.81
स्वीडन	5.78	6.23	7.37
स्विट्जरलैंड	6.31	5.17	6.22
बहरीन	5.75	5.26	5.79
पोलैंड	3.67	4.81	5.61
न्यूजीलैंड	2.45	4.39	5.51
ईरान	6.71	6.09	5.22
अन्य	73.89	67.07	73.03
कुल	1833.53	1625.35	1790.00

(अ) : अनुमानित स्रोत : मसाला बोर्ड

सममूल्य नोटों में असमरूपता

1760. सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक, सल बोनी (मिदनापुर) और मैसूर की प्रेसों में मुद्रित उच्च मूल्य के प्रामाणिक नोटों के क्रमांकों की सुरक्षा विशेषताओं में कतिपय असमरूपताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन असमरूपताओं के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उच्च मूल्य के मुद्रा नोटों के परिशुद्ध मानकीकरण के कौन से नए और सुदृढ़ उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय घाटा

1761. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2003 के अंत तक देश का वित्तीय घाटा गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 57,746 करोड़ के वित्तीय घाटे की तुलना में 40 प्रतिशत बढ़कर 81,014 करोड़ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय लघु बचत निधि के ऋण की अदायगी करने संबंधी सरकार के निर्णय के कारण घाटे में और अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या घाटे में कमी के लिए सरकार की कोई नई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और वह समय सीमा क्या है जिससे सरकार के कुल घाटे को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। देश का राजकोषीय घाटा सितम्बर, 2003 के अन्त में 40 प्रतिशत बढ़ कर विगत वर्ष की तदनुरूपी

अवधि के 57,746 करोड़ रुपए की तुलना में 81,014 करोड़ रुपए के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया।

(ख) ऋण स्वैप योजना जिसमें राज्य सरकार के वर्तमान ऊंची लागत वाले केन्द्रीय ऋणों को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के तहत न्यून कूपन वाले ऋणों और मुक्त बाजार उधारों में बदलने का विचार किया गया है, के तहत अप्रैल–सितम्बर, 2003 में 32,602 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। केन्द्र सरकार ने समतुल्य राशि से एनएसएसएफ को अपने स्वयं के ऋण का वापसी भुगतान किया है। इसलिए, एनएसएसएफ को ऋण के वापसी भुगतान का घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में सरकार को मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उचित उपाय करते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने तथा जैसा भी नियमों में उल्लिखित हो, इसे वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार निर्दिष्ट करने का आदेश दिया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत नियम तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है और यह अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

1762. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 मिलियन किग्रा. चाय का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) पाकिस्तान को और अधिक चाय का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(ङ) पाकिस्तान सरकार ने इनकी कितनी सराहना की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 2003–2004 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान भारत ने वर्ष 2002–2003 की इसी अवधि के दौरान हुए चाय के 1.98 मिलि. किग्रा. के निर्यात की तुलना में पाकिस्तान को 3.25 मिलि. किग्रा. का निर्यात किया है।

(घ) और (ङ) भारत और पाकिस्तान के चाय उद्योग के बीच व्यापक विचार विनिमय हुआ है। भारतीय चाय उद्योग ने भारतीय चाय एसोसिएशन (आईटीए) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जून, 2003 में पाकिस्तान भेजा था और जुलाई, 2003 से जून, 2004 तक की अवधि के दौरान 10 मिलियन किग्रा. चाय का निर्यात करने के लिए पाकिस्तान चाय एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में पाकिस्तान के एक चाय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत का दौरा किया था और भारत से चाय के आयात हेतु भारतीय चाय उत्पादकों के साथ विचार–विमर्श किया था। चूंकि यह विचार विनिमय चाय उद्योग के स्तर पर हुआ था इसलिए पाकिस्तान की सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण आवास क्षेत्र के लिए पैकेज

1763. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :
डा. चरणदास महंत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और ग्रामीण आवास क्षेत्र हेतु शीघ्र ही एक पैकेज घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त पैकेज पर कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है; और

(घ) कृषि और ग्रामीण आवास क्षेत्र हेतु उपर्युक्त पैकेज के अंतर्गत राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

निर्णय सुनाने हेतु समय-सीमा

1764. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कई उच्च न्यायालय अधिकांश मामलों में बहस समाप्त होने के पश्चात् निर्णयों को रोक लेते हैं और दीर्घावधि तक निर्णय नहीं सुनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्णय सुनाने के लिए किसी समय-सीमा को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्रमशः छः माह, एक वर्ष और एक वर्ष से अधिक अवधि से कितने मामले निर्णय सुनाने हेतु लंबित हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में (30 जून, 2003 को) 68 मामले, कलकत्ता उच्च न्यायालय में (31.12.2002 को) 5 मामले और कर्नाटक उच्च न्यायालय में (31 मार्च, 2003 को) 14 मामले थे जिनमें निर्णय को सुरक्षित रखा गया था। अन्य उच्च न्यायालयों की दशा में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें निर्णय को सुरक्षित रखा गया हो।

(ग) और (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 का आदेश 20 नियम (1) (i) निम्नानुसार उपबंध करता है :

> "न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरंत या तत्पश्चात् यथा-साध्यशीघ्र सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्ती दिन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी :
>
> परंतु जहां निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया है, वहां न्यायालय, उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, तीस दिन के भीतर निर्णय सुनाने का पूरा प्रयास करेगा किंतु जहां मामले की आपवादिक और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना साध्य नहीं है वहां न्यायालय, निर्णय सुनाने के लिए कोई भविष्यवर्ती दिन नियत करेगा और ऐसा दिन साधारणतः उस तारीख से, जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, साठ दिन के बाद का नहीं होगा और इस प्रकार नियत किए गए दिन की सम्यक् सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी।"

(ड) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में (30 जून, 2003 को) 68 मामले, कलकत्ता उच्च न्यायालय में (31.12.2002 को) 4 मामले और कर्नाटक उच्च न्यायालय में (31 मार्च, 2003 को) 14 मामले ऐसे थे जिनमें एक मास से अधिक किंतु छह मास से कम समय से निर्णय को सुरक्षित रखा गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में केवल एक मामले में निर्णय को छह मास के अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। अन्य उच्च न्यायालयों की दशा में ऐसा कोई मामला नहीं हैं जिसमें निर्णय को सुरक्षित रखा गया हो।

धनशोधन के मामले

1765. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी आर आई को अलग पोत भंजक यार्ड में कम माल सूची को दर्शाकर और अन्य हेरफेर के जरिए बढ़ी मात्रा में धनशोधन किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो डी आर आई पदाधिकारियों ने ऐसे कितने मामलों का हाल ही में पता लगाया है; और

(ग) इस बारे में कौन से निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कड़ी निगरानी बरती जा रही है।

चुनाव लड़ने की अर्हताएं

1766. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दो से अधिक बच्चों वालों को सामान्य निर्वाचन और विधान सभा के निर्वाचन में भाग लेने से रोकने के लिए एक कानून तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि राज्य सभा में 22 दिसंबर, 1992 को संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992 नामक एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, जो यह उपबंध करने हेतु कि सभी राज्य जनसंख्या नियंत्रण और छोटे परिवार के सिद्धांत का संवर्धन करने के लिए प्रयास करेंगे, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का संशोधन करने के लिए है। विधेयक के उपबंधों के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति, यदि उसकी दो से अधिक संतान हैं, यथास्थिति संसद के किसी भी सदन या विधान सभा या राज्य के किसी भी विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसका सदस्य होने से निरर्हित होगा। तथापि, यह उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगा, जिनकी पहले ही दो से अधिक संतान हैं या जिनके यहां अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त संतान पैदा होती है। इस प्रकार, यह विधेयक उन व्यक्तियों को लागू नहीं होता है जिनके यहां अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त संतान पैदा होती है। यह विधेयक राज्य सभा के समक्ष विचार तथा पारित किए जाने के लिए लंबित है।

एन.जे.एम.सी. को पुनः चालू करना

1767. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. कोलकाता में कार्यरत 18,000 कर्मचारियों के भविष्य की चिंता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनी को पुन: चालू करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्मचारियों को भवन खाली करने के लिए बाध्य करने हेतु कम्पनी के निगमित मुख्यालय और एकक मुख्य कार्यालय की जानबूझकर विद्युत और जल आपूर्ति बंद करने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम एन.ने.एम.सी. के कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा कर रही है। एन.जे.एम.सी. का मामला वर्ष 1993 में बीआईएफआर को भेजा गया था और यह मामला अभी भी बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीआईएफआर द्वारा कंपनी का पुररुद्धार करने के लिए नियुक्त की गई प्रचालन एजेंसी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईआईबीआई) द्वारा निगम के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न सर्वांगीण सुधार योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने कामगार सहकारी समितियों के द्वारा राज्य सरकार अथवा निजी पार्टियों के लिए खुली बोलियों के द्वारा मिलों के अधिग्रहण से उनका एककवार पुररुद्धार करने के प्रयास भी किए हैं।

(घ) से (च) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सीईएससी लि. कोलकाता (दि इलेक्ट्रिसिटी यूटीलिटी) ने 4 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता, जिसमें एन.जे.एम.सी. का निगम कार्यालय स्थित है बिजली का कनेक्शन दिनांक 10.10.2003 को काट दिया है। एन.जे.एम.सी. लि. के प्रबंधकों ने जानबूझ कर बिजली बंद नहीं की थी। वस्तु स्थिति यह है कि परिसर का मालिक बदल गया है और उसके वर्तमान मालिक, जो सीईएससी का पंजीकृत उपभोक्ता है, ने बिजली काटने का अनुरोध किया था। एन.जे.एम.सी. लि. ने बिजली का कनेक्शन बहाल करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय से (दिनांक 5.11.2003 को 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 2183 दायर कर) अनुरोध किया है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.11.2003 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसके अनुपालन में सीईएससी ने उसी दिन एनजेएमसी के निगम मुख्यालय में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी। इस भवन में एलेक्जेंडरा, यूनियन, किन्नीसन, बीजेईएल और आर.बी.एच. एम. कटिहार के कार्यालय और एन.जे.एम.सी. लि. के एकक

भी स्थित हैं। हालांकि इस बीच की अवधि में एनजेएमसी के प्रबंधकों ने किराए के जेनरेटर द्वारा निगम मुख्यालय के भवन में बिजली की व्यवस्था कर दी थी।

जल आपूर्ति अभी बहाल की जानी है क्योंकि नए मालिक मैसर्ज कोल्ड गोल्ड सिंटेक्स प्रा.लि. ने निगम कार्यालय के भवन में पानी की पूर्ति करने वाले पम्प में अभी बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं की है। तथापि एन.जे.एम.सी. ने बाजार से किराए पर कार्यालय में जल की आपूर्ति की अस्थाई व्यवस्था कर दी है।

नेशनल और खरदा मिल के एकक मुख्यालय पृथक भवन में हैं जो 7 रेडक्रास प्लेस, कोलकाता में स्थित है और हाल ही में बिजली और जल की आपूर्ति का कनेक्शन नहीं काटा गया है।

[हिन्दी]

जनजातियों के कल्याणार्थ नई योजनाएं

1768. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातियों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वर्ष 2003–2004 के दौरान कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में कौन से प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : (क) मंत्रालय ने वर्ष 2003–2004 के दौरान न तो कोई नई योजना बनाई है और न ही शुरू की है। तथापि, मंत्रालय वर्ष 1992–93 से स्वरोजगार हेतु जनजातीय युवकों के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की एक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

(ख) योजना के अंतर्गत जनजातीय युवकों को अच्छे रोजगार की संभावना वाले व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और संचालन हेतु राज्य सरकारों को वर्ष 1992–93 से और गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष 1999–99 से शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता मुहैय्या कराई जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और संचालन हेतु राज्य–वार मंजूर केन्द्रों की संख्या और निर्मुक्त धनराशि विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकलापों की निगरानी राज्य सरकारों के अधिकारियों और मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000–2001		2001–2002		2002–2003	
		केन्द्रों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	केन्द्रों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि	केन्द्रों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	47,77,540	12	188,54,000	4	37,71,000
2.	अरुणाचल प्रदेश					2	4,80,000
3.	असम	1	13,25,500	1	14,46,000	11	58,45,566
4.	छत्तीसगढ़			1	7,22,000	14	1,20,35,500
5.	दादरा व नगर हवेली					1	2,40,000
6.	गुजरात			13	86,20,000	16	36,99,156
7.	जम्मू–कश्मीर	1	6,18,000	1	10,07,000	1	46,71,625

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कर्नाटक	1	2,48,000	7	49,73,000	4	18,00,000
9.	मध्य प्रदेश	2	17,73,500	2	11,45,500	2	15,07,500
10.	महाराष्ट्र	2	19,26,000			1	2,40,000
11.	मणिपुर					2	4,80,000
12.	मेघालय					1	2,40,000
13.	मिजोरम	3	28,89,000	3	18,00,000	3	36,00,000
14.	नागालैंड	3	28,89,000	3	36,78,788	3	29,55,788
15.	उड़ीसा	8	64,61,000	1	3,52,500	18	82,26,000
16.	तमिलनाडु					1	2,40,000
17.	त्रिपुरा	8	54,00,000			8	54,00,000
18.	पश्चिम बंगाल	1	6,02,500			1	6,12,990
	जोड़	34	289,10,040	44	425,98,788	93	560,45,125

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

1769. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि न्याय मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह 'क' और 'ख' के कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, जितनी संख्या में होनी चाहिए उससे बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और रोजगार के अवसरों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में प्रतिनिधित्व को वर्तमान स्थिति के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और संबद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थामस) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में भारत सरकार के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न पदों में आरक्षणों के संबंध में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की निगरानी

1770. श्री के. येरननायडु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास यह सुनिश्चित करने की कोई निगरानी प्रणाली नहीं है कि ऋणियों को दिए गए ऋण उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं जिनके लिए वह लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के रूप में प्रदान किए गए सार्वजनिक धन की समुचित निगरानी को सुनिश्चित करने कि लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बैंक और वित्तीय संस्थाएं इस शर्त पर ऋण देती हैं कि इन ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वे मंजूर किए गए हैं। इस शर्त का अनुपालन खातों के सतत पर्यवेक्षण एवं निगरानी तथा आवधिक निरीक्षणों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

बैंकों और डाकघरों में स्टाम्प पेपरों की बिक्री

1771. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य सरकार से बैंकों और डाकघरों को स्टाम्प पेपर के खुदरा बिक्री केन्द्रों के रूप में स्टाम्प पेपरों की बिक्री करने का निर्देश देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों और अन्य मान्यता प्राप्त अभिकरणों को स्टाम्प पेपर की बिक्री की अनुमति देने की नीति राष्ट्रीय नीति का ही एक भाग है; और

(घ) यदि हां, तो यह नीति कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1968 से स्टाम्पों की बिक्री का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों को अनुमति दी थी।

रुपए के अधिमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव

1772. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डॉलर और अन्य मुद्रा की तुलना में रुपए के अधिमूल्यन के कारण इस वर्ष निर्यात में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्षों की इन्हीं अवधियों की तुलना में इस वर्ष अन्तिम छमाही के दौरान क्षेत्रवार और कुल निर्यात का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष की शेष अवधि में निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। डी जी सी आई एण्ड एस के अनंतिम आंकडों के अनुसार अप्रैल–अक्टूबर, 2003 की अवधि के दौरान निर्यातों में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 8.44% की वृद्धि दर रही है। यह इसी अवधि के लिए आधार वर्ष में हुई 19.13% की निर्यात वृद्धि के अतिरिक्त है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की संगत अवधि के दौरान किए गए निर्यातों की तुलना में चालू वर्ष के पहले छः महीनों के लिए तुलनात्मक कुल निर्यात निम्नानुसार हैं :

	निर्यात डॉलर में (मिलियन)
अप्रैल–सितंबर, 2003–04	27207.76
अप्रैल–सितंबर, 2002–03	24946.03
अप्रैल–सितंबर, 2001–02	21137.90
अप्रैल–सितंबर, 2000–01	21385.65

चालू वर्ष में वस्तु क्षेत्र–वार निर्यात के आंकड़े अप्रैल–जुलाई, 2003–04 के लिए उपलब्ध हैं और तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जनवरी, 2002 में घोषित मध्यावधि निर्यात कार्यनीति 2002–2007 में निहित कार्यनीतियों के आधार पर केन्द्रीय बजट 2003–2004 तथा एक्जिम नीति 2003–2004 के जरिए अनेक कार्यक्रमों/स्कीमों को शुरू किया गया है। एक्जिम नीति 2003–2004 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) 100% निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) आदि को सुदृढ़ करने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। 'फोकस सी आई एस' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को सुदृढ़ किया गया है। चूंकि निर्यातों का संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है इसलिए निर्यात निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

विवरण

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

वस्तुएं	अप्रैल–जुलाई		
	2001–2002	2002–2003	2003–2004
1 2	3	4	5
1. बागान वस्तुएं	220.20	192.81	173.51
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	1260.15	1368.27	1411.06
3. समुद्री उत्पाद	408.39	396.53	390.75
4. अयस्क एवं खनिज	381.18	630.66	591.55
5. चमड़ा एवं विनिर्मितियां	670.84	637.76	618.53
6. रत्न एवं आभूषण	2019.77	2750.65	2834.80
7. खेल सामान	24.04	28.45	28.17
8. रसायन एवं संबंधित उत्पाद	2063.69	2459.79	2792.59
9. इन्जीनियरिंग सामान	1835.46	2256.24	3081.17
10. इलेक्ट्रानिक सामान	403.88	414.52	470.16
11. परियोजना सामान	2.10	31.77	10.03
12. वस्त्र	3229.31	3659.12	3367.65
13. हस्तशिल्प	197.44	244.66	153.42
14. कालीन	171.90	179.93	169.49
15. कपास अपरिष्कृत अपशिष्ट सहित	2.26	3.46	5.87
16. पेट्रोलियम उत्पाद	607.33	821.21	979.38
17. अवर्गीकृत निर्यात	278.18	336.92	728.67
कुल योग	13776.13	16412.76	17806.82

पी एस : आंकडे अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।

सामाजिक क्षेत्र में जीडीपी का व्यय

1773. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक क्षेत्र पर विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, क्षेत्रवार, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया गया,

(ख) उक्त अवधि के लिए अन्य एशियाई देशों द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर किए गए सकल घरेलू उत्पाद के व्यय के साथ देश में किये उक्त की तुलनात्मक रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी आई है;

(घ) यदि नं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) कुल सरकारी व्यय (केन्द्र और राज्यों) सामाजिक क्षेत्र के व्यय को मिलाकर विगत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2000–01	7.7
2001–02	7.7
2002–03 (सं.अ.)	8.3

*सामाजिक क्षेत्र के व्यय में सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्य आर्थिक सहायता के व्यय शामिल है।

*स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के विविध मुद्दे।

(ख) चुनिन्दा एशियाई देशों सहित (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) सामजिक क्षेत्र के व्यय की तुलनात्मक रिपोर्ट नीचे दर्शायी गयी है।

	1996	1997	1998	1999
चीन	2.8	2.9	3.4	6.3
मलेशिया	7.8	7.1	उ.न.	उ.न.
इण्डोनेशिया	2.7	2.9	2.6	2.9
कोरिया	5.2	5.6	उ.न.	उ.न.
सिंगापुर	6.5	4.6	5.2	5.4
भारत	5.2	5.3	5.7	6.0

*यहां सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं। स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित सरकारी वित्तीय सांख्यिकी 2002 और अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी नवम्बर, 2003।

(ग) जी, नहीं। जैसाकि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्षों से भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्ति उर्ध्वमुखी रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2003–04 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के व्यय की बढ़ोतरी के लिए सरकार ने बहुत से उपाय की घोषणा की है। बजट में 1 अप्रैल, 2003 से "अंत्योदन अन्न योजना" के विस्तार के लिए 507 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है। सामान्य जनता और विशेषकर समाज के गरीब वर्गों को उन्नत स्वास्थ्य सुरक्षा सुलभ कराने के लिए सामुदायिक आधार पर 14 जुलाई, 2003 से एक "सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना" आरम्भ की गयी थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के लिए वार्षिक प्रीमियम हेतु सरकार प्रति वर्ष 100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दूसरी विशेष पेंशन नीति "वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना" 55 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 14 जुलाई, 2003 को आरम्भ की गई थी। मासिक पेंशन के लिए एक ही प्रीमियम एकमुश्त न्यूनतम 33,335 रुपए और अधिकतम 2,66,66 रुपए का देय है। वर्ष 2003–04 के बजट में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन संबंधी कई अन्य कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है।

रसायन मुक्त वस्त्र

1774. श्री जी. एस. बसवराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी खरीददार फर्मों द्वारा देश के सूती उत्पादकों पर यह सुनिश्चित करने के लिए दवाब डाला जा रहा है कि उनके वस्त्रों की कीटनाशकों सहित रासायनिक अवशिष्टों से मुक्त होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को करघा वस्त्र निर्यातकों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि अधिकतर महत्वपूर्ण विदेशी क्रेता फर्में इस बात पर जोर डालती हैं कि उन्हें आपूर्ति की जाने वाली सूती फैब्रिक कीटनाशकों सहित हानिकारक रयासनों से मुक्त हो। यह शर्त मुख्य रूप से आयातक और निर्यातक के बीच वाणिज्यिक संविदा शर्त के रूप में तय है।

यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में, वस्त्र में नुकसानदायक रसायनों, रंजनों की मौजूदगी पर नियंत्रण रखने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा कानून पारित किया गया है।

(ग) और (घ) फैब्रिक निर्यातकों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिणी राज्यों में चाय उत्पादन

1775. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में कितने प्रकार की चाय उगाई जाती है;

(ख) इन राज्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान सभी प्रकार की चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चाय की विशेषकर नीलगिरी चाय की दार्जिलिंग, असम और सिक्किम में उत्पादित चाय की तुलना में कितनी मांग है; और

(घ) सरकार ने दक्षिणी राज्यों में उत्पादित चाय के उत्पादन और निर्यात को बढाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी राज्यों में उत्पादित चाय की तीन किस्में होती हैं अर्थात कट-टियर-कर्ल (सीटीसी), परंपरागत और हरी चाय। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में ऐसी चाय का कुल उत्पादन निम्नानुसार रहा है

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)

उत्पादित चाय की किस्में	2002	2001	2000
सीटीसी चाय	162.4	167.4	170.3
परंपरागत चाय	31.2	43.8	35.3
हरी चाय	0.8	0.9	0.6
कुल	194.4	203.1	206.2

(ग) दक्षिणी भारत के उत्पादित चाय के औसतन 50 प्रतिशत से अधिक का प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है। चूंकि चाय का निर्यात अमिश्रित और मिश्रित, दोनों रूपों में किया जाता है इसलिए उद्गम के अनुसार चाय के निर्यात का उल्लेख कर पाना संभव नहीं होगा।

(घ) दक्षिण भारत सहित देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चाय बोर्ड अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करता है वित्तीय सहायता पुनर्रोपण, विस्तार रोपण, नवीकरण छंटाई, रिक्त स्थानों की भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन एवं जल निकासी इत्यादि जैसे कार्यकलापों के लिए प्रदान की जाती हैं। भारतीय चाय के निर्यातों को बढाने के लिए चाय बोर्ड एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसमें हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा तथा मूल्यवर्धन की जागत के एक भाग की पूर्ति करने के लिए चाय उत्पादकों को वित्तीय सहसयता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा चाय बोर्ड विभिन्न प्रमुख बाजारों में असंवर्धनात्मक अभियान चला रहा है और भारतीय चाय के संवर्धन में निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

कल्याणकारी योजनाएं

1776. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) मुफ्त अथवा अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है,

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार कितने खाद्यान्न की आपूर्ति की गई,

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न को नहीं उठा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने एफ सी आई के गोदामों से पुराने खाद्यान्न भंडार को समाप्त करने के लिए कौन से नए उपाय किए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) किसी भी कल्याण योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति

नहीं की जाती है। तथापि, निम्नलिखित कल्याण योजनाओं के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है :

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
2. मध्याह्न भोजन योजना
3. गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की योजना
5. अन्नपूर्णा
6. किशोरियों के पोषाहार कार्यक्रम

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (2001–02, 2002–03 और 2003–04) के लिए खाद्यान्नों के स्कीम–वार आवंटन और उठान बताने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए गए हैं कि वह तीन वर्ष से अधिक पुराने खाद्यान्नों के स्टाक का तत्काल निपटान करे। पुराने स्टाक के मूल्य खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन अपेक्षाकृत कम स्तर पर निर्धारित किए गए हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम से पुराने गेहूं के उठान में वृद्धि हो सके। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा की राज्य एजेंसियों को भी तीन वर्ष से अधिक पुराने गेहूं का खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन निपटान करने की अनुमति दी गई है।

विवरण

2001–02, 2002–03 और 2003–04 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन और उठान

योजना का नाम	2001–02		2002–03		2003–04	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
मध्याह्न भोजन योजना	28.63	0.76	28.24	21.20	26.79	9.09
गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम	2.55	1.35	4.74	2.82	4.03	1.05
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./छात्रावास	1.96	0.83	11.11	1.44	11.42	0.71
अन्नपूर्णा	1.62	0.93	0.78	1.15*	1.23	0.38
ल.सा.वि.प्र	300.08	135.67	743.28	198.56	414.93	121.00
जोड़	334.84	159.54	788.15	225.17	458.40	132.23

*इसमें 2001–02 का बैकलॉग कोटा शामिल है।

व्यापार संतुलन

1777. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री राम टहल चौधरी :
डा. वी. सरोजा :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार भारत के व्यापार संतुलन की क्या स्थिति है;

(ख) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान हुए निर्यात की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गयी है और आयात बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान कितना निर्यात बढ़ा है;

(घ) वे कौन से प्रमुख मद हैं जिनका निर्यात घटा है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसी अवधि के दौरान अनुमानित आयात वृद्धि कितनी है और उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका आयात बढ़ा है एवं इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आयात बढ़ने से व्यापार गड़बड़ा गया है और इससे हमारा उद्योग भी प्रभावित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने और निर्यात की स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) डी जी सी आई एंड एस के अनंतिम आंकडों के अनुसार अप्रैल–अक्टूबर 2003 की अद्यतन अवधि जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान भारत का व्यापार संतुलन (–)9269.2 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

(ख) से (ङ) डी जी सी आई एंड एस के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–सितम्बर 2003 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात वृद्धि डॉलर के रूप में 9.07 प्रतिशत थी। पिछले महीनों के दौरान हुए निर्यात तथा आयात के माहवार आंकड़े विवरण में दिए गए हैं। डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन असमेकित व्यापार आंकडों के अनुसार, अप्रैल–जुलाई 2003–2004 के दौरान बागानों जिसमें चाय, मांस तथा इससे बने उत्पाद, परियोजना सामान, हस्तशिल्प, वस्त्र, खेलकूद सामग्री, अयस्क तथा खनिज एवं कालीन शामिल हैं, के निर्यातों की निर्यात वृद्धि में (डॉलर के रूप में) गिरावट प्रदर्शित हुई है। इसी अवधि के दौरान खाद्य तेल, लोहा तथा इस्पात, मशीनरी, अलौह धातुओं, कच्चा पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों, सोना एवं चांदी, न्यूजप्रिंट, परिवहन उपकरण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के मामले में डालर के रूप में औसत से उच्च आयात वृद्धि देखी गयी है। निर्यातों में यह कमी मुख्यतः निर्यातों के उच्च आधार, सार्स, इराक युद्ध तथा अमेरिका और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आयातों में कमी के कारण हुई है। आयातों में उच्च वृद्धि दर्ज करने वाली मदों में कुछेक आवश्यक वस्तुएं हैं तथा अन्य निर्यातों तथा औद्योगिक कार्यकलापों के लिए निविष्टियों के रूप में आवश्यक वस्तुएं हैं।

(च) जी, नहीं। यद्यपि व्यापार घाटा अप्रैल–सितंबर 2003–04 में बढ गया है तथापि यह प्रबंध योग्य सीमा के भीतर है। इसके अतिरिक्त, गैर–तेल आयातों में हुई वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें भी सुधार आ रहा है के जी डी पी वृद्धि दर में सहायता मिल रही है।

(छ) जनवरी, 2002 में घोषित, मध्यावधि निर्यात रणनीति 2002–07 में निहित नीतियों पर आधारित बहुत से कार्यक्रम/स्कीमें केन्द्रीय बजट 2003–04 तथा निर्यात–आयात नीति 2003–04 के जरिए आरंभ की गई है। निर्यात आयात नीति, 2003–04 में सेवा निर्यात पर ध्यान देने के अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड), 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई ओ यू) इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। "फोकस सी आई एस" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों को सुदृढ़ किया गया है। निर्यात संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास होने के कारण निर्यात निष्पादन पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

विवरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

(विलम्ब से प्राप्त विवरणों के लिए असमायोजित)

माह	2002–03	2003–04	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4
माहवार निर्यात			
अप्रैल	3994.67	4176.92	4.56
मई	3982.21	4491.11	12.78
जून	3861.12	4308.83	11.60
जुलाई	4433.53	4688.35	5.75
अगस्त	4376.97	4560.34	4.19
सितम्बर	4297.54	4982.20	15.93
अक्टूबर	4649.16	4884.66	5.07
अप्रैल–अक्टूबर	29595.19	32092.42	8.44
माहवार आयात			
अप्रैल	4207.22	5586.52	32.78

1	2	3	4
मई	5180.98	6026.39	16.32
जून	4250.70	5553.50	30.65
जुलाई	4873.60	5848.17	20.00
अगस्त	4861.37	5529.42	13.74
सितम्बर	5085.74	5911.96	16.25
अक्टूबर	5593.07	6905.70	23.47
अप्रैल–अक्टूबर	34052.68	41361.66	21.46

पुनश्च – आकडे अनतिम हैं तथा उनमे परिवर्तन हो सकता है।

आर आई डी एफ ऋण पर ब्याज दर

1778. प्रो. उम्मारेडडी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए ऋणों पर नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नाबार्ड और आर आई डी एफ को जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) घटी हुई ब्याज की दरें कब से प्रभारित होंगी;

(घ) क्या सभी कृषि ऋणों पर ब्याज की दरों में कमी की जाएगी; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने ग्रामीण आधारिक विकास निधि–IV से IX की अवितरित राशियों के संबंध में उधार एवं जमा दरों को 1 नवम्बर, 2003 से पुन–निर्धारित किया है। संशोधित ब्याज ढांचा नीचे दिया गया है :

आरआईडीएफ	बैंकों को देय जमा दरें (वार्षिक प्रतिशत)	राज्य सरकारों द्वारा देय उधार दरें (वार्षिक प्रतिशत)
1	2	3
IV	6	7
V	6	7
VI	6	7
VII	6	7
VIII	3-6% (कमी की सीमा तक जुड़ी)	बैंक दर + 0.5 (6.5)
IX	3-6% (कमी की सीमा तक जुड़ी)	बैंक दर + 0.5 (6.5)

(घ) और (ड) घटती ब्याज दर प्रणाली में पूरे लाभ उठाने के लिए किसानों को सामर्थ्यशाली बनाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने 50,000/– रुपये तक के फसल ऋण के लिए उधार दर को घटाकर 9 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की एकल अंकीय दर रखने की घोषणा पहले ही कर दी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप नाबार्ड ने 9 प्रतिशत से अनधिक की ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण देने के उद्देश्य से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, (डीसीसीबी) को सीधे पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की है। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न प्रयोजनों, विशेषतः फसल ऋणों, के लिए उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दर की समीक्षा करने के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं ताकि ऐसे ऋणों पर उनकी ब्याज दर अंतिम स्तर पर आ जाएं।

निर्यात किए जाने वाले धान की खरीद

1779. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के निर्यात पर नए सिरे से रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका निर्यातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने निर्यातकों को पुनर्भुगतान/मुआवजा देने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अपने निर्णय की समीक्षा करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार अपीलीय बोर्ड

1780. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार अपीलीय बोर्ड (आई.पी.आर.ए.बी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह किस तिथि से कार्य शुरू करेगा;

(ग) बोर्ड से संबंधित मामले क्या हैं;

(घ) क्या बोर्ड व्यापार संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (टी.आर.आई.पी.एस.) के अन्तर्गत सभी विवादों का न्याय निर्णय करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) जी, हां। 15 दिसम्बर, 2003 से चैन्नई में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) की स्थापना कर दी गई है। बोर्ड में एक चेयरमैन, एक वाइस–चेयरमैन और तकनीकी सदस्य हैं। व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 84 के तहत, केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद, चैन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को उन स्थानों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है जहां पर बोर्ड की बेन्च बैठेंगी। बोर्ड के पास, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 तथा वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत दिए गए रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

1781. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी गैर निष्पादक आस्तियों से निपटने के लिए प्रतिभूतिकरण निधि हेतु इश्यू जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए निधि का उपयोग किया जाना है;

(ग) क्या ए.आर.सी.आई.एल. 20 बिलियन रुपए के प्रतिभूतिकरण निधि का लक्ष्य रखने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अब तक कितनी गैर निष्पादक आस्तियां अधिगृहीत की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआरसीआईएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, को पंजीकृत किया है।

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी वित्तीय आस्तियों के अर्जन के प्रायोजकों के लिए ऐसी वित्तीय आस्तियों में धारक द्वारा अविभक्त हित की द्योतक प्रतिभूति रसीदें जारी करके अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों (मुख्यालय से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं) से निधियां जुटा सकती हैं।

(ग) से (ङ) आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (ए.आर.सी) को अभी अपना परिचालन शुरू करना है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए राजस्थान को विश्व बैंक का ऋण

1782. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के पास भेजने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) जी, नहीं।

तथापि, विश्व बैंक की सहायता–प्राप्त राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–I (डीपीईपी–I) और राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–II (डीपीईपी–II) नामक दो परियोजनाएं दिनांक 6.7.99 और 27.7.2001 से राजस्थान के क्रमशः 10 और 9 जिलों में चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए ऋण राशि क्रमशः 85.7 मिलियन अमरीकी डॉलर और 74.40 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

सोयामील का निर्यात

1783. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित सोयामील की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ रही है, और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के सोयामील का निर्यात बढ़ाने हेतु किन संभावनाओं का पता लगाया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोया खाद्य का निर्यात निम्नानुसार रहा है

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2000–01	22.57	1970
2001–02	23.83	2062
2002–03	14.41	1336

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन, मुंबई ने यह संकेत दिया है कि खरीफ की अच्छी फसल और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के दौरान सोया खाद्य के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

1784. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि कि अनुसार चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध किसानों का राज्य–वार कितना बकाया है;

(ख) क्या चीनी मिल मालिक जानबूझकर किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) गन्ना मूल्य भुगतान की 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार बकाया राशि की स्थिति बताने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। गन्ना मूल्य की न चुकाई गई राशि और उस पर ब्याज को भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए अलग से उपाय नामतः 20 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का सृजन करना, आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करके चीनी के निर्यात को बढावा देना आदि, किए हैं ताकि वे गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कर सकें। सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पंजाब और हरियाणा राज्यों की सहायता करने के लिए 678.06 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं ताकि 2002–03 मौसम के लिए इन राज्यों की प्राइवेट चीनी फैक्ट्रियां गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कर सकें। सरकार ने चीनी मौसम 2002–03 के गन्ना मूल्य बकाया की सीमा तक राज्यों को बाजार से अतिरिक्त उधारियां लेने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

2002–2003 मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने तथा 30.9.2003 की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य के बकायों हेतु देय भुगतान तथा शेष बकाया गन्ना मूल्य की राज्यवार/जोनवार स्थिति

(आंकड़े लाख रुपए में)

राज्य/जोन	30.9.2003 तक 2002–03 के दौरान खरीदे गए गन्ने का भुगतान योग्य कुल मूल्य	30.9.2003 तक भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	30.9.2003 की स्थिति के अनुसार भुगतान योग्य शेष गन्ना मूल्य
1	2	3	4
पंजाब	60,118.02	45,635.47	14,482.55
हरियाणा	61,913.99	48,242.70	13,671.29
राजस्थान	250.80	250.80	0.00
पश्चिमी उ.प्र.	165,763.67	137,029.47	28,734.20
मध्य उ.प्र.	197,406.30	166,752.05	30,654.25
पूर्वी उ.प्र.	135,826.10	115,490.01	20,336.09
उ.प्र. जोड़	498,996.07	419,271.53	79,724.54
उत्तरांचल	44,186.44	32,644.89	11,541.55
मध्य प्रदेश	6,139.91	5,797.74	342.17
दक्षिणी गुजरात	84,366.22	78,537.68	5,828.54
सौराष्ट्र	3,302.44	3,301.99	0.45
गुजरात जोड़	87,668.66	81,839.67	5,828.99
दक्षिणी महाराष्ट्र	103,778.65	100,846.24	2,932.41
उत्तरी महाराष्ट्र	45,924.07	43,518.04	2,406.03
मध्य महाराष्ट्र	98,186.69	94,827.80	3,358.89
महाराष्ट्र जोड़	247,889.41	239,192.08	8,697.33
उत्तरी बिहार	32,941.68	29,401.90	3,539.78
दक्षिणी बिहार	0.00	0.00	0.00
बिहार जोड़	32,941.68	29,401.90	3,539.78
असम	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	100,157.67	92,524.28	7,633.39
कर्नाटक	126,903.84	114,352.90	12,550.94
तमिलनाडु	125,384.35	105,905.48	19,478.87
केरल	177.00	0.00	177.00
उड़ीसा	2,829.95	2,829.95	0.00
पश्चिमी बंगाल	249.28	0.00	249.28
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	2,473.62	2,325.90	147.72
गोवा	892.70	892.70	0.00
अखिल भारत जोड़	1,399,137.39	1,221,107.99	178,065.40

(अनुवाद)

अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

1785. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और सम्बद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर 'क' और 'ख' में कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, जितनी संख्या में होनी चाहिए, उससे बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और रोजगार के अवसरों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग

के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में प्रतिनिधित्व को वर्तमान स्थिति के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न विभागों, स्वायत्त कार्यालयों, सहायक और सम्बद्ध कार्यालयों से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण ऋण प्रणाली

1786. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हाल ही में एक कार्यक्रम बनाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संबंधी व्यास समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) कपूर समिति एवं विखे पाटील समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने देशभर में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूज्जीवन के लिए योजना तैयार की है। इसमें लगभग 14,500 करोड़ रुपए की पुनरूज्जीवन सहायता का उल्लेख है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। सहकारी बैंकों के लिए पर्याप्त विनियम रूपरेखा तैयार करने के बाद ही वित्तीय सहायता के लिए इस योजना पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण ऋण से संबंधित व्यास समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच की है तथा आस्तिहीन गरीबों, छोटे किसानों/काश्तकारों, शुष्क भूमि कृषि, कृषि उप–क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने एवं ग्रामीण कृषितर कार्यकलापों में निजी पूंजी सृजन, जिला मंडल प्रबंधक कार्यालयों को खोलने तथा कपूर समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न

1787. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न पत्तनों में निर्यातकों, जहाजों और अन्य पोतों को सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्री पत्तनों पर सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा लोगों का उत्पीड़न न हो, अभियान शुरू करने हेतु कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) उत्पीड़न की कभी कभार शिकायतें प्राप्त होती हैं जो मुख्यतया आयात खेपों की निकासी में विलंब के कारण होती हैं। सभी मामलों की जांच पड़ताल की जाती है तथा समुचित कार्रवाई की जाती है।

व्यापार को सुकर बनाने और सीमा शुल्क अधिकारियों और व्यापारियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क को कम करने के लिए भी सतत उपाय किए जा रहे हैं ताकि ऐसी शिकायतों को पर्याप्त रूप से कम किया जा सके। इलेक्ट्रानिक डेटा इन्टरचेंज प्रणाली ऐसा ही एक उपाय है जो देशभर में 23 प्रमुख सीमा शुल्क स्टेशनों पर पहले से कार्य कर रही है।

रेपो रेट

1788. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर में कमी, अच्छे मानसून का प्रभाव और विदेशी मुद्रा भंडार के 85415 मिलियन डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के फलस्वरूप 25 अगस्त, 2003 से 50 बेसिक प्वांइट तक कम करके रेपो रेट 4.5 प्रतिशत कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन हुआ है; और

(ग) "रेपो रेट" को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यमान स्थूल आर्थिक एवं समग्र मौद्रिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त, 2003 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत एक दिवसीय एवं चौदह दिवसीय दोनों रिपो–दर को कम करके 5.0 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत कर दिया था।

(ख) और (ग) बिंदुवार आधार पर थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर में 23 अगस्त, 2003 से 22 नवम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान 3.82–5.39 की सीमा के अन्दर घट–बढ़ हुई है। रिपो दर 25 अगस्त, 2003 से 4.5 प्रतिशत ही रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

1789. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुछ शाखाओं का स्थानांरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में कर दिया है जिससे गरीब किसान इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों और निर्धन लोगों के हितों की रक्षा करने और देश के ग्रामीण भागों में ही इन बैंकों की शाखाएं बनाए रखने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धारणीय ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं बनाने के उद्देश्य से सम्बद्ध शाखाओं के सेवा क्षेत्र के भीतर उनकी हानि वाली शाखाओं को स्थानांतरित/विलयन/पुनर्स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध पर विचार करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानि वाली शाखाओं को सेवा क्षेत्र दायित्वों से संबंधित उनके कार्य निष्पादन को हानि पहुंचाए बिना अनुषंगी/चल कार्यालयों के रूप में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थनांतरित नहीं किया गया है।

वस्त्र मशीनरी का उत्पादन

1790. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र अभियंत्रण उद्योग का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्त्र अभियंत्रण उद्योग ने पिछले वर्ष में 1,072 करोड़ रुपए की तुलना में 1,175 करोड़ रुपए के उत्पादित मशीनों के मूल्य में वर्ष 2002–2003 के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार वस्त्र अभियंत्रण उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी रूप में संगत बनाने के लिए इसका तत्काल पुनर्गठन किए जाने की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्त्र अभियंत्रण उद्योग के पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने वस्त्र मशीनरी उद्योग के विकास के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। कार्यकारी समूह के निम्नलिखित कार्य हैं

(1) वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और क्षेत्र का बेसलाइन नक्शा तैयार करना।

(2) इस क्षेत्र के लिए दृष्टि 2020 विवरण तैयार करना।

(3) इस क्षेत्र के विकास से संबंधित सभी संगत विषयों, तकनीकी, वित्तीय, कानूनी आदि की पहचान करना।

(4) इस क्षेत्र के विकास के लिए मार्ग–दर्शक चित्र तैयार करना और उपाय बताना जिनमें अनुसंधान और विकास तथा निर्यात भी शामिल हैं।

(5) ऐसे विषयों की पहचान करना जिन पर

तत्काल कार्रवाई की जानी है और उनके समाधान के लिए उपाय बताना।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) इसमें उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कार्यकारी समूह के गठन के अलावा, सरकार ने इसके उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए काफी संख्या में वस्त्र मशीनरी और संघटकों पर सीमाशुल्क घटा दिया है और स्वचालित करघों और शटल-रहित करघों को उत्पाद शुल्क से छूट भी दे दी है इसके अलावा, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) वस्त्र और पटसन उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अप्रैल, 1999 से चालू है जिससे वस्त्र मशीनरी उद्योग को भी अपने उत्पाद बेचने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं।

विदेशी प्रसारण कम्पनियों पर कर

1791. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी प्रसारण कंपनियों के करों के भुगतान में छूट देने के इस दावे कि देश में उनका स्थायी प्रतिष्ठान है, के बाद गैर आवासीय कराधान से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में विदेशी प्रसारण कंपनियों के बारे में नीति की समीक्षा करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से प्रावधान विद्यमान हैं और विज्ञापन केबल आपरेटर से उपभोक्ता शुल्क आदि से उनके द्वारा अर्जित आय पर इनमें से किसी कंपनी पर कर लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी पुनरीक्षित मार्गनिर्देश को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। विदेशी प्रसारण कंपनियों के बारे मे नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) भारत में विदेशी प्रसारण कंपनियों पर कर लगाया जाता है क्योंकि भारत में उनका क्रियाकलाप आयकर अधिनियम की शर्तों के अनुसार कारोबार संबंध अथवा दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार की शर्तों के अनुसार एक स्थायी प्रतिष्ठान है। भारत में प्रसारण कंपनियों पर विज्ञापन से प्राप्त उनकी आय तथा केबल आपरेटरों से प्राप्त अंशदान शुल्क पर कर लगाया जा रहा है।

(ग) आयकर अधिनियम के अंतर्गत, केबल आपरेटरों और विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विदेशी प्रसारण कंपनियों को भेजी गई रकम पर स्रोत पर करों की कटौती की जानी अपेक्षित है।

(घ) जी, नहीं। सरकार द्वारा किसी संशोधित दिशा-निर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ड) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं।

शिक्षा ऋण

1792. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण हेतु आवेदनों को संपार्श्विक प्रतिभूति पर बल दिए बिना शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के इस संबंध में दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक केवल 8 शिकायतें मिली हैं। यह रद्द किए जाने, सम्पार्श्विक प्रतिभूति पर बल देने, मंजूरी/संवितरण में विलम्ब से संबंधित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें संबंधित बैंकों के नियंत्रकों के साथ उठाया था और ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार निपटा दिए गए हैं। भारतीय

रिजर्व बैंक ने अपने 20 अक्टूबर, 2003 के परिपत्र द्वारा कार्यान्वयन करने वाले सभी बैंकों के लिए सख्ती से अनुपालन हेतु मौजूदा मार्गनिर्देशों को हाल ही में पुनः दोहराया है।

कपास का निर्यात

1793. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय शिपर्स का ध्यान भारतीय कपास की ओर आकर्षित होने से काफी खुश हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी मात्रा में घरेलू उत्पादन होने के अनुमान ने बंगलादेश, इण्डोनेशिया सहित कतिपय देशों को आकर्षित किया है और उन्होंने इसमें गहरी रुचि दर्शायी है;

(ग) यदि हां, तो थाइलैंड जैसे एशियाई देश ने मूल्यों का लाभ उठाने के लिए भारत से कितना और कपास आयात करने की मांग की है;

(घ) भारत कितना आदेश प्राप्त करने में समर्थ है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न किस्मों के कपास निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) कपास की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत में प्रचलित कीमतों की अपेक्षा चल रही हैं जो भारतीय कपास उपजकर्ताओं के लिए सकारात्मक संकेत है।

(ख) भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास से संबंधित मूल्य के अंतरों और भारत में कपास की अच्छी फसल की संभावना से भारत से कपास के आयात के संबंध में सकारात्मक पूछताछ बढी है। इसमें बांग्लादेश, इटली, हांगकांग और इंग्लैंड से पूछताछ शामिल हैं।

(ग) और (घ) कपास का निर्यात मुख्य रूप से निजी व्यापरियों द्वारा किया जाता है। जब तक निर्यात के सामान का वास्तविक रूप में लदान नहीं कर दिया जाता, तब तक एशियाई देशों, जो इस समय निर्यात की सीमा के साथ भारत से कपास का आयात कर रहे हैं; के वास्तविक ब्यौरे देना कठिन है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत के कपास का देश-वार निर्यात नीचे दिया गया है :

मात्रा गांठ में (मूल्य करोड़ रु. में)

देश	1999-2000		2000-01		2001-02	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अर्जेंटीना	–	–	102	0.01	–	–
अंगोला	–	–	–	–	176	0.16
बहरीन	–	–	22	0.01	–	–
बंगलादेश	1798	2.11	8342	10.84	1080	0.95
बेल्जियम	3966	3.08	3866	2.58	7091	4.06
कनाडा	105	0.06	542	0.36	222	0.19
चाइनिज ताइपे	1588	0.96	–	–	–	–
चेक गणराज्य	–	–	–	–	Neg.	0.0001
मिस्र	148	0.24	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
फ्रांस	10715	6.94	3417	2.23	2142	1.25
जर्मन गणराज्य	2162	1.54	2810	1.97	–	–
ग्रीस	30	0.03	61	0.04	–	–
इंडोनेशिया	–	–	–	–	1202	0.68
इटली	–	–	6	0.004	74	0.03
जापान	27538	23.17	19881	15.24	18551	19.70
लेबनान	–	–	–	–	1	0.0015
मलेशिया	–	–	13951	12.86	8395	7.35
मॉरीशस	41	0.02	–	–	neg.	0.0004
नेपाल	241	0.19	2311	1.54	1328	0.775
नीदरलैंड	47	0.04	71	0.05	–	–
पुर्तगाल	–	–	585	0.67	1274	0.64
सिंगापुर	54	0.06	–	–	–	–
श्रीलंका	215	0.19	98	0.05	–	–
स्वीडन	16	0.02	–	–	–	–
स्विट्जरलैंड	–	–	1001	0.64	–	–
दक्षिण अफ्रीका	80	0.03	24	0.24	–	–
तंजानिया	–	–	34	0.04	–	–
थाइलैंड	–	–	1199	0.73	428	0.24
तुर्की	247	0.25	512	0.50	–	–
संयुक्त अरब अमीरात	–	–	19	0.02	–	–
ऊगांडा	–	–	19	0.009	–	–
यूके	32	0.02	291	0.23	16	0.0089
संयुक्त राज्य अमेरिका	380	0.36	178	0.12	1881	3.04
वियतनाम	–	–	1009	0.65	–	–
कुल	49405	39.313	60351	51.43	43861	39.07

स्रोत : भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी खंड–1 (डीजीसीआईएस, कोलकाता)

अनियमितताओं के मामले

1794. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक सिविल सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत संपत्ति रखने के संबंध में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गई और वास्तव मे कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) क्या सतर्कता विभाग ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध स्वयं कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित होता है, वहां चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को शिकायतें भेजी जाती है। वर्ष 2000 से 2003 (आज की तारीख तक) तक के दौरान सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में 21 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुई 21 शिकायतों में से 5 से संबंधित आरोप प्रथम दृष्ट्या सिद्ध हुए हैं।

इस्पात का निर्यात

1795. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान इस्पात के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की उस अवधि की तुलना में इस्पात के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) किन देशों से इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) क्या इस्पात की कीमत और गुणवत्ता के संबंध में भारत भी कुछ अन्य इस्पात निर्यातक देशों से बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है; और

(ड) यदि हां, तो कौन से मुख्य देश भारतीय इस्पात निर्यातक कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और भारतीय इस्पात की कीमतें और गुणवत्ता अन्य इस्पात निर्यातक देशों की तुलना में कितनी बेहतर हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल–अगस्त 2002 और अप्रैल–अगस्त, 2003 के दौरान प्राथमिक एवं अर्ध–परिष्कृत लौह एवं इस्पात, और लौह एवं इस्पात सिल/छड इत्यादि के निर्यात निम्नलिखित है

(मूल्य करोड रु. में)

मद	अप्रैल–अगस्त, 2002* मूल्य	अप्रैल–अगस्त, 2003* मूल्य	अप्रैल–अगस्त, 2003* के दौरान प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक एवं अर्ध–परिष्कृत लौह एवं इस्पात	2079.12	3698.68	77.89
लौह एवं इस्पात सिल/छड इत्यादि	434.29	474.26	9.20

*(अनंतिम)

स्रोत डीजीसीआई एण्ड एस

(ग) जिन देशों में अप्रैल–अगस्त, 2003 के दौरान वर्ष 2002 की इसी अवधि की तुलना में भारत से प्राथमिक एवं अर्ध–परिष्कृत लौह एवं इस्पात के आयातों में वृद्धि हुई है उनमें अफगानिस्तान, अंगोला, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बेनिन, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, कनाडा, ताईवान, चीन गणराज्य, जिबूती, मिस्र, अरब गणराज्य, इथोपिया, इरीट्रिया, जर्मनी, घाना, गुएना, बिसाउ, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, आयरलैंड, इटली, जापान, जोर्डन, कजाकस्तान, केनिया, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, प्योर्टोरिको,

रियूनियन, सिएरा लियोन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, थाइलैंड, टोगो, तुर्की, यूगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, वियतनाम, समाजवादी गणराज्य, यमन गणराज्य, शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान उक्त देशों को इन मदों का 3355.10 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ था। इसी प्रकार भारत से जिन देशों में अप्रैल–अगस्त 2002 की अवधि के दौरान वर्ष 2002 की उसी अवधि की तुलना में लौह एवं इस्पात सिल/छड़ इत्यादि आयातों में वृद्धि हुई है उनमें अफगानिस्तान, अर्जेंनटीना, भूटान, चीन गणराज्य, चेक गणराज्य, मिस्र, अरब गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, इण्डोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, जापान, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ओमान, फिलीपींस, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, श्रीलंका, तुर्की, तुर्क सीआईएस, यूगांडा, यूके, यूक्रेन, वियतनाम, समाजवादी गणराज्य शामिल हैं। उक्त अवधि के दौरान उक्त देशों को इन मदों के 249.29 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात किए गए थे।

(घ) और (ड) यह विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा है। भारतीय इस्पात की कीमत एवं गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मक है और भारत से इस्पात के निर्यातों में वृद्धि होने का यही कारण है।

थर्ड पार्टी वाहन बीमा

1796. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान थर्ड पार्टी वाहन बीमा के संबंध में निजी बीमा कंपनियों द्वारा सरकार के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी बीमा कंपनियों द्वारा थर्ड पार्टी बीमा दिए जाने से इनकार करने के विरुद्ध कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वादे का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के पश्चात बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को भारत में बीमा कारोबार को विनियमित करने संवर्धित करने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने की शक्तियां और कार्यकलाप विहित किए गए हैं। तदनुसार, यह मामला आईआरडीए के साथ उठाया गया था। बीमा कंपनियों द्वारा मोटर बीमा प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने से संबंधित शिकायतों के मिलने पर प्राधिकरण ने निदेश जारी किए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी बीमाकर्ता चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का, वह वाहनों की किसी भी श्रेणी के संबंध में मोटर बीमा करोबार की हामीदारी करने से मना नहीं करेगा। प्राधिकरण द्वारा यह भी दोहराया गया है कि कोई भी बीमाकर्ता केवल देयता वाले कवचों के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को मना नहीं करेगा। प्राधिकरण आदेशों के अनुपालन की सख्ती से मानीटरिंग कर रहा है।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002

1797. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री भास्करराव पाटील :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :
डा. चरणदास महंत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी पुनर्निर्माण कंपनियां बनाई हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने उनको अनुज्ञप्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों को अनुज्ञप्ति देने का औचित्य क्या है जिनको स्वयं बैंक और वित्तीय संस्थाएं बढ़ावा देती हैं; और

(ग) अन्य कंपनियों को अनुज्ञप्ति न देने के क्या कारण हैं जिन्होंने प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आवेदन किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के अधिकांश निदेशक बोर्ड सदस्य संस्थाएं प्रायोजित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दो आवेदन–पत्र वापस कर दिए गए हैं, क्योंकि ये आवेदन–पत्र कंपनियों को निगमित किए बिना ही प्रस्तुत किए गए थे। अन्य आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

पैकेजों के आकार पर अंकुश

1798. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैकेज कमोडिटी एक्ट, अनुसूची (III माप तोल) नियम के अन्तर्गत बेचे जाने वाले पैकेजों के आकारों पर लगाया गया अंकुश नान मिट्रिक सिस्टम वाले देशों से आयात पर लगाने से यह अनुचित व्यवहार प्रतिबंध के दायरे में आ जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 की तीसरी अनुसूची के अनुसार कतिपय उत्पादों को देश के भीतर बिक्री के लिए निर्धारित आकारों में पैक करना अपेक्षित होता है। 5.4.2002 से पहले आयातित पैकेजों को तीसरी अनुसूची की अपेक्षा का अनुपालन करने से छूट दी गई थी क्योंकि उन्हें बने बनाया ही लिया जाता था और उन्हें विशेष रूप से भारतीय बाजार की जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं बनाया जाता। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे पैकेजों का आयात कई गुना बढ़ गया है और नियमों के तहत दी गई छूट के कारण स्थानीय पैकेजों की तुलना में आयातित पैकेजों की स्थिति लाभदायक हो गई थी। इस अनियमितता को दूर करने के लिए उन्हें देशी पैकेजों के समानान्तर रखते हुए आयातित पैकेजों को दी गई उपर्युक्त छूट को 5.4.2002 से वापस ले लिया गया था। यदि गैर–मैट्रिक देशों से आयात किए गए पैकेजों में निवल मात्रा गैर–मैट्रिक यूनिट में दी गई हो तो उक्त नियमों में इस बात का प्रावधान है कि आयातक पैकेज पर मानक यूनिट के रूप में निवल मात्रा घोषित करे।

केबल आपरेटरों द्वारा आय कर का अपवंचन

1799. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में केबल आपरेटर आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कितने केबल आपरेटरों पर छापे मारे गए;

(घ) क्या सरकार का विचार केबल आपरेटरों से आयकर का भुगतान कराने के लिए एक फूल प्रूफ सिस्टम मैकेनिज्म तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने कई सर्वेक्षण किए हैं और देश के केबल आपरेटरों के बहुत से मामलों की जांच–पडताल की है जिसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन का पता चला है।

(घ) और (ङ) आयकर विभाग संवीक्षा एवं जांच–पड़ताल करता है तथा इसके पास सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती संबंधी कार्रवाई करने की शक्तियां हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल आपरेटर अपने आयकर का सही–सही भुगतान करें।

विदेशी ऋण

1800. श्रीमती प्रभा राव
श्री एस. मुरुगेसन
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं से कितना ऋण लिया गया है;

(ख) देश पर कितना विदेशी ऋण है और उस पर कितनी ब्याज राशि देय है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं को कितनी ऋण राशि का पूर्व भुगतान किया गया है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी ऋण राशि का पूर्व भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न परियोजनाओं हेतु लिए गए ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

संस्था	निम्नलिखित वर्ष के दौरान लिए गए ऋण		
	2000–01	2001–02	2002–03
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	2145.11	1913.63	2519.14
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)	4848.07	5736.95	4277.92
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)	3234.55	3765.99	3202.78

(ख) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास अभिकरणों के संबंध में वर्तमान विदेशी ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। देय ब्याज दर विवरण–II में दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं को पूर्व–भुगतान किए गए ऋण की राशि निम्नानुसार है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

संस्था	मूल राशि		
	2000–01	2001–02	2002–03
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	0.00	0.00	6336.79
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)	1151.98	0.00	7793.17

(घ) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :

इस वर्ष 6378.29 करोड़ रु. की मूल राशि का आईबीआरडी को पूर्व–भुगतान किया गया है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एडीबी को 5187.74 करोड़ रु. की मूल राशि का पूर्व–भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

(करोड़ रुपये में)

संस्था/देश	बकाया ऋण (9.12.2003 की स्थिति के अनुसार)
एशियाई विकास बैंक	13880.76
ईईसी (एसएसी)	190.17
बेल्जियम	171.69
चेक और स्लोवाक गणराज्य	4.28
जर्मनी	15548.56
फ्रांस	3242.785
इटली	421.73
जापान	49752.33
नीदरलैंड	2073.17
रूसी परिसंघ	2278.83
स्विट्ज़रलैंड	32.87
संयुक्त राज्य अमरीका	4341.72
आईबीआरडी	17711.71
आईडीए	99649.78
आईएफएडी	1182.53
ओपेक	62.81
नार्वे	0.77

विवरण-II

भारत सरकार को विदेशी ऋणों की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

क्र.सं.	संस्था/देश	मुद्रा	छूट अवधि (वर्ष)	छूट अवधि के बाद वापसी अदायगी की अवधि (वर्ष)	ब्याज दर (प्रतिशत में)	वचनबद्धता प्रभार (प्रतिशत में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
बहुपक्षीय							
1.	एडीबी	अमरीकी डालर	3 से 5	12 से 20	परिवर्तनीय*	0.75	***ब्याज**–प्रत्येक छह माह में परिवर्तनीय। ब्याज दर का निर्धारण ऐसे ऋणों के वित्तपोषण हेतु स्थापित बकाया उधारों के संबंधित पूल के पूर्ववर्ती छह महीनों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है। एकल मुद्रा अमरीकी डालर ऋणों पर ऋण दर दि. 1.1.2003 से 30.6.2003 की अवधि के लिए 6.31 प्रतिशत है और बहु–मुद्रा ऋणों के संबंध में यह दर 2.74 प्रतिशत है। वचनबद्धता प्रभार असंवितरित ऋण राशियों पर 0.75 प्रतिशत। तथापि, असंवितरित ऋण का निर्धारण परियोजना ऋणों के संबंध में श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम ऋणों के संबंध में यह संपूर्ण ऋण राशि पर लागू होते है।
2	आईबीआरडी	अमरीकी डालर	5	15	परिवर्तनीय*	0.75	(i) **ब्याज–प्रत्येक 6 महीने में परिवर्तनीय** **(क) करेंसी पूल्ड लोन (वीएलआर-1989)** ब्याज दर सशर्त ऋणों की लागत तथा उनके विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 1.1.2003 से दि. 30.6.2003 की अवधि के लिए लागू ऋण दर इस प्रकार है : 1. ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था– 4.62 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 50 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है)। 2. ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था– 4.87 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 75 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है।)

1	2	3	4	5	6	7	8
							(ख) अमरीकी डालर मुक्त-दर एकल मुद्रा ऋण
							ब्याज दर 6 मास "लिबोर" तथा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 15.4.2003 से 14.10.2003 तक ब्याज अदायगी की तारीख हेतु लागू दर इस प्रकार है
							1. ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था-- 1.47 प्रतिशत वार्षिक (21 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)।
							2 ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 को अथवा उसके बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था--1.71 प्रतिशत वार्षिक (46 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)।
							(ii) **वचनबद्धता प्रभार**--0.75 प्रतिशत की दर पर असंवितरित ऋण राशि पर देय हैं। बैंक जुलाई, 91 से 0.50 प्रतिशत की छूट को अधिसूचित कर रहा है।
							(iii) **फ्रंट एण्ड शुल्क**--दि. 1.7.1998 के बाद तय किए गए ऋणों के संबंध में ऋण राशि का 1 प्रतिशत (एकबारगी में भुगतान) देय है।
							(iv) **तत्काल अदायगी हेतु ब्याज में छूट**--बैंक द्वारा यथा अधिसूचित, वर्ष 2001 के लिए लागू छूट इस प्रकार है :
							ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था--0.15%
							ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था--0.25%
3.	आईडीए	एसडीआर	10	25	0.75	0.50	(i) जुलाई 1988 तक अंतिम रूप दिए गए क्रेडिटों के संबंध में, वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 50 वर्ष थी। इस समय आईडीए के क्रेडिटों की 25 वर्ष की वापसी अदायगी अवधि में 10 वर्ष की छूट अवधि है।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(ii) वचनबद्धता प्रभार असंवितरित क्रेडिटों पर 0.50 प्रतिशत की दर से देय होते हैं। इसे वर्ष 1989–90 से बैंक द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।
							(iii) ब्याज कालम में दिखाए गए 0.75 प्रतिशत के भुगतान को सेवा प्रभार कहा जाता है।
4. आईएफएडी	एसडीआर	10	40	0.75			ब्याज कॉलम में दिखाए गए 0.75% के भुगतान को सेवा प्रभार कहा जाता है।
5. ओपेक	अमरीकी डालर	5	12	3.00			
द्विपक्षीय							
1. आस्ट्रेलिया	अमरीकी डालर	4	8	1.63			
2. आस्ट्रिया	यूरो	10	20	2.00			
3. बेल्जियम	यूरो	10	20	0.00			
4. कनाडा	कनाडियन	10	40	0.00			
5. डेनमार्क	डेनिश क्रोनर	10	25	0.00			
6. ईईसी (एसएसी)	यूके पाउंड	10	40	0.75			
7. फ्रांस	यूरो	5	17	2.6%			
8. रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	6	14	4.00			
9. जर्मनी	यूरो	10	30	0.75	0.25		
		2	10	6.13	0.25		
10. इटली	अमरीकी डालर	10	20	1.50			
11. जापान	येन	10	20 और 30	1.8 और 0.75			ब्याज प्रत्येक ऋण करार में निर्दिष्ट नियत दर पर प्रभारित किया जाता है।
12. कुवैती निधि	कुवैती दीनार	5	20	3.50 से 4.50			
13. नीदरलैंड	डच गिल्डर	2	10	2.50 से 3.50			

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	चेक और स्लोवाक गणराज्य	रुपया	3	12	2.50		
15.	सऊदी निधि	सऊदी रियाल	5	15	3.00 से 4.00		
16.	स्वीडन	स्वीडिश क्रोनर	2.5	8	1.50	0.50	
17.	स्विट्जरलैंड	स्विस फ्रांक	3	8.50%	परिवर्तनीय		देय ब्याज स्विस निर्यात आधार पर जमा वार्षिक निर्यात जोखिम गारंटी से 0.50 प्रतिशत अधिक होता है। देय ब्याज उपयोग की अवधि से संबद्ध 4 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के बीच होता है।
18.	संयुक्त राज्य अमरीका	अमरीकी डालर	10	30	2.50		

टिप्पणी : *ब्याज दर प्रत्येक छह माह पर परिवर्तित की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की अतिरिक्त भूमि की बिक्री

1801. श्री मोहल रावले :
श्री राजैया मल्याला :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई नगर निगम द्वारा उत्तर तथा दक्षिण मुम्बई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की अतिरिक्त भूमि की बिक्री के विवाद को निपटाने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिनके विनिवेश पर विचार किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार मुंबई के डी.सी. विनियम, 58 का अनुसरण करने और उसमें विनिर्दिष्ट बीएमसी/एमएचएडीए के लिए भूमि अभ्यर्पित करने के लिए सहमत हो गई है। मुंबई में एनटीसी मिलों की भूमि के लिए उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार बनाई गई एक एकीकृत विकास योजना बीएमसी को 3 मई, 2003 को प्रस्तुत कर दी गई है। बीएमसी ने विद्यमान विनियम के आधार पर आवेदन पर विचार करने के बजाय एनटीसी से कहा है कि वह बीएमसी और एमएचएडीए को और भूमि अभ्यर्पित करे। चूकि विगत में अन्य निजी वस्त्र मिलों से ऐसी मांग नहीं की गई थी और यह विनियम के उपबंधों के अनुसार भी नहीं है, अतः बीएमसी से अनुरोध किया गया है कि वह विनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करे और योजना के लिए शीघ्र मंजूरी दे। बीएमसी का उत्तर अभी प्राप्त होना है। अनुमोदित विनियम के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बीएमसी पर दबाव डालने के वास्ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ बैठक की गई है।

(घ) इस समय विनिवेश के लिए एनटीसी की किसी भी मिल के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।

विद्युत करघा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

1802. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कतिपय अन्य राज्यों में विद्युत करघा क्षेत्र मुख्य रूप से आधुनिकीकरण के अभाव से उत्पन्न गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों में कितने विद्युतकरघा और सहायक उद्योग बंद किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश का विकेंदीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, उद्योग की कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम् भूमिका निभाता है व विभिन्न कमियों का सामना करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

(1) प्रौद्योगिकीय अप्रचलन;

(2) एककों के छोटे आकार का होना;

(3) मानव संसाधन विकास के कौशल का स्तर निम्न होना तथा गुणवत्ता के प्रति कम जागरूकता होना; और

(4) उत्तम कोटि की विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता।

(ग) उद्योग के बंद होने के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, विद्युतकरघा सेवा केंद्रों की हाल की तिमाही कार्य–निष्पादन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि जिन करघों को जाकर देखा गया उनमें से 3.15 प्रतिशत करघे ऐसे पाए गए हैं जो विभिन्न कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा उद्योग में विकास को सुकर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) केंद्र सरकार ने बेहतर कार्य–परिवेश तैयार करने तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विद्युतकरघा समूह कार्यशाला के वास्ते सहायता तथा विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना प्रदान कर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर विद्युतकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय बजट 2003–04 में एक विद्युतकरघा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज पूरी तरह लागू किया गया है।

(ii) सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण शुरू किया है। इन सेवा केंद्रों की स्थापना प्रशिक्षण, परीक्षण, परियोजना की तैयारी आदि की तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।

(iii) लघु विद्युतकरघा एकक नए डिजाइन प्राप्त कर सके और उत्पाद विकास इनपुट्स द्वारा फैब्रिक का उन्नयन कर सके इसके लिए कंप्यूटर साहायित डिजाइन केंद्रों की स्थापना की गई है।

(iv) विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों और 2.50 लाख अर्द्धस्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

(v) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्युतकरघा मालिक या तो 20 प्रतिशत अपफ्रंट पूंजी संबद्ध सब्सिडी लेकर या उसके द्वारा लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर उधार पूंजी की लागत को घटा सकता है।

(vi) शटलरहित करघों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है और स्वदेशी स्वचालित करघों को उत्पाद शुल्क की छूट दे दी गई है। टीयूएफएस के तहत संस्थापित बुनाई मशीनरी पर 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास के लाभ दिए गए हैं।

(vii) विद्युतकरघा निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटा की व्यवस्था की गई है।

शेयर बाजार में सार्वजनिक धन

1803. श्री पी. जी. एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास शेयर यूनिट पर विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेश किए गए सार्वजनिक धन का पूर्ण रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों को उचित रूप से जानकारी नहीं देने के संबंध मे शिकायतें दर्ज कराई गई थीं;

(घ) आम निवेशकों की कुल कितनी अनुमानित राशि गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के पास मूल्यांकन–मूल्यवर्धन हेतु लंबित है; और

(ड) इस संबंध में सरकार द्वारा सेबी पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उसके पास शेयर यूनिटों पर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशित सार्वजनिक धन की प्रमात्रा की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) दिनांक 30 नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार, सेबी के पास 3404 सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें लंबित हैं।

(घ) किसी कंपनी को उसके द्वारा सार्वजनिक पेशकश किए जाने के बाद सूचीबद्ध किया जाता है। इसलिए, सूचीबद्ध कंपनियों मे सार्वजनिक निवेशक होते हैं। किन्तु, असूचीबद्ध कंपनियां सार्वजनिक पेशकश के प्रत्युत्तर में निवेश प्राप्त नहीं करती हैं।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में एटीएम

1804. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिहार के किन स्थानों पर स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) की सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का निकट भविष्य में कुछ और स्वचालित गणक मशीनें संस्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं श्री जसवन्त सिंह की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी विधि निपटान (जम्मू–कश्मीर) स्कीम, 2003 जो 30 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1136 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कंपनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हता) (संशोधन) नियम, 2003, जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) के अंतर्गत निदेशकों की निरर्हता) नियम, 2003, जो 21 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 830(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8218/2003]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620 की उपधारा

(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 829(अ) जो 21 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (छ) किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी., 8219/2003]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी., 8220/2003]

(3) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी., 8221/2003]

(4) (एक) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी., 8222/2003]

(5) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी., 8223/2003]

(6) (एक) वूल एंड वुलेंस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एंड वुलेंस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी., 8224/2003]

(7) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8225/2003]

(8) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बतूर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8226/2003]

(9) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8227/2003]

(10) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8228/2003]

(11) (एक) नादर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नादर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8229/2003]

(12) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8230/2003]

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8231/2003]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8232/2003]

(2) (एक) इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए), थाणे के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए), थाणे के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8233/2003]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ) जो 14 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 426(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8234/2003]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 6 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 19 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8235/2003]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) जो 2 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2002–2003 के चीनी सीजन के लिए न्यूनतम गन्ना मूल्य को अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8236/2003]

(3) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और मानक (पैक की हुई वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2003 जो 24 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 760(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका शुद्धिपत्र जो 31 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8237/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत ताजे, प्रशीतित एवं प्रसंस्कृत मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा मानीटर करना) (तीसरा संशोधन) नियम, 2003, जो 9 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1034(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8238/2003]

(2) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8239/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2002–2003 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8240/2003]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 2132 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "स्वामी रामानन्द तीर्थ मेमोरियल कमेटी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2133 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड (आईबीईएफ) ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2134 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "यूसुफ मेहरैली सेंटर, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे मे है।

(चार) का.आ. 2135 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारतीय विद्या भवन, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2136 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड विवेकानंद केंद्र, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2137 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2138 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "संत श्री आसाराम आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2139 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुरुदेव सिद्द पीठ, गणेशपुरी, जिला थाणे, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2140 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "संत निरांकारी मंडल, दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2004–2005 से 2006–2007 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2141 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, सिकंदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2142 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत, "नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2143 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाम्बे आयरन एंड स्टील लेबर बोर्ड, काकम्बली, जिला रायगढ़, महराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–1991 से 1992–1993 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2144 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत, "कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, अजमेर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2145 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत, "श्री आनंदपुर ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2146 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द मुस्लिम एजुकेशनल बैंक रोड, कालीकट" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 2147 जो अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

10(23ग) के अंतर्गत "तिब्बतन होम्स फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2148 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेंटर फार एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2149 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल काउंसिल फार अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2150 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कृष्ण चन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट, गंजम, उड़ीसा" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2151 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (महाराष्ट्र), मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996 1997 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2151 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड, कर्नाटक ब्रांच, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाइस) का.आ. 2153 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "विवेकानंद निधि, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेइस) का.आ. 2154 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "वाइल्डलाइफ एसोसिएशन आफ साउथ इंडिया, विक्टोरिया रोड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2155 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (महाराष्ट्र), मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2156 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार ब्लाइंड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2157 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "पंजाब स्त्री सभा रिलीफ ट्रस्ट, अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997–1998 से 1999–2000 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2158 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द दिल्ली सोसायटी फार द वेलफेयर आफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2159 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति, डोंगरागढ, (मध्य प्रदेश)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 से 2002–2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2160 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री रामकृष्ण आश्रम, 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001–2002 से 2003–2004 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2161 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2162 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "आदिपराशक्ति चैरीटेबल, मेडिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, मेलमारुवथुर, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2163 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रोसरी मार्केट्स एंड शाप्स बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–1991 से 1992–1993 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2170 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेंटर फार हाई टेक्नालाजी नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995–1996 से 1997–1998 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2171 जो 2 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग अनप्रोटेक्टेड डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–1994 से 1995–1996 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का. आ. 2792 जो 4 अक्टूबर, 2003 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल इंस्टिट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का. आ. 2795 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–1991 से 1992–1993 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का. आ. 2796 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990–1991 से 1992–1993 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का. आ. 2797 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज इश्वरीय विश्वविद्यालय, माउंट आबु, राजस्थान" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003–2004 से 2005–2006 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का. आ. 2798 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का. आ. 2799 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंस्टीट्यूट आफ रेल ट्रांसपोर्ट (रजि.) रूम नं. 17, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का. आ. 2803 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रासरी मार्केट्स एंड शॉप्स बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996–1997 से 1998–1999 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का. आ. 2804 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ग्रासरी मार्केट्स एंड शॉप्स बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993–1994 से 1995–1996 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का. आ. 2807 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराणा राणा प्रताप स्मारक समिति, मोती मागरी, उदयपुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का. आ. 2808 जो 4 अक्टूबर, 2003 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गुड्स ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002–2003 से 2004–2005 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का. आ. 2809 जो 4 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "महाराष्ट्र स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998–1999 से 2000–2001 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2003 जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1307(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) आयकर (27वां संशोधन) नियम, 2003 जो 20 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1332(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2003 जो 21 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1335(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8241/2003]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 887(अ) जो 12 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित स्पेसिफाइड फ्लोट ग्लास पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 888(अ) जो 12 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003–सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 890(अ) जो 13 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान में उद्भूत या वहां से निर्यातित मेटलर्जिकल कोक पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 891(अ) जो 14 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चायनीज ताइपे में उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्राक्साइड पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) संशोधन नियम, 2003 जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8242/2003]

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत जारी

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 672(अ) जो 19 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002–के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 744(अ) जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के उत्पादन और उसकी निकासी करने और अन्य संगत ब्यौरों और सेनवेट क्रेडिट के लिए विवरणी दाखिल करने हेतु फार्मेट विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 745(अ) जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष आर्थिक जोनों में निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा और उत्पाद शुल्क, माल शुल्क की अदायगी किये बिना निविष्टियों और पूंजीगत माल की प्राप्ति की मासिक विवरणियां दाखिल करने के लिए एक फार्मेट विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 746(अ) जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के यहां पंजीकृत डीलरों के लिए तिमाही विवरणी का एक फॉर्मेट विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8243/2003]

(5) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 2003 जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट (अठारहवां प्रतिवेदन) नियम, 2003 जो 15 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8244/2003]

(6) सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838(अ) जो 23 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री श्रीकृष्ण, मुख्य आयुक्त को उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8245/2003]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 682(अ) जो 25 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 12/99–सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 877(अ) जो 10 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 12/99–सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 862(अ) जो 4 नवम्बर, 2003 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 148/94–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 882(अ) जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8246/2003]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ओमबडसमेन) विनियम, 2003 जो 21 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 953(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेंट्रल लिस्टिंग अथारिटी) विनियम, 2003 जो 21 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इशु आफ स्वेट इक्यूटी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 27 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 977(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 28 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 990(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपोजिटरीज एंड पार्टीसिपेंट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 2 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1014 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक ब्रोकर्स एंड सब–ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 23 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेंट्रल लिस्टिंग अथारिटी) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 14 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8247/2003]

(9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 21 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/25/पी. 119/550 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ इंडिया सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ एसडी/एसकेबी/1592 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) देना बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 47 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब नेशनल बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/एसडी/114 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केनरा बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या आरडब्ल्यू/लीगल/32/1323/वीएसबी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 6 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 6 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/पीईएन/अमेंड/02/2003 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8248/2003]

(10) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) डाकघर (मासिक आय खाता) (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 23 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 758(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर बचत बैंक सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8249/2003]

(11) लोक भविष्य-निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2003 जो 27 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8250/2003]

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 4 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का परिहार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 4 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय या अन्य जगह पर व्यापार की स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का परिहार) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 1 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 11 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की रीति) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल का निर्यात तथा सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (चौथा संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 अक्टूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 849(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 23 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 835(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निगमित निकायों में सामान्य अनुमति का वापस लिया जाना) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 23 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 836(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा या कार्यालय अथवा अन्य स्थान पर व्यापार की स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 847(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर स्थावर सम्पत्ति का अर्जन और अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 29 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 848(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (फारेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कान्ट्रेक्ट्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 880(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (फारेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कांन्ट्रेक्ट्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2003 जो 11 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी किया जाना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल का निर्यात और सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8251/2003]

(13) 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के तैंतीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी., 8252/2003]

(14) (एक) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8263/2003]

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8253/2003]

(16) (एक) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8254/2003]

(17) (एक) इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इक्नोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इक्नोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8255/2003]

(18) (एक) इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8256/2003]

(19) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट इकनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल आफ इकनॉमिक्स), दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट इकनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल आफ इकनॉमिक्स), दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8257/2003]

(20) (एक) इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8258/2003]

(21) (एक) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8259/2003]

(22) भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय आयात–निर्यात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 जो 8 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/पेंशन/2003 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8260/2003]

(23) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001–2002 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8261/2003]

(24) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (चौथा संशोधन) नियम, 2003 जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 16 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी., 8249/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 को यथा पारित रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक 2003; तथा रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक 2003 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[हिन्दी]

पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्न विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 'पोटाश/पोटाशिक उर्वरकों की मांग, उपलब्धता, तथा आयात' के बारे में पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक

सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की वर्ष 2001–2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।'

(3) 'पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2001–2002 की अनुदानों की मांगों' के बारे में पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(4) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की वर्ष 2002–2003 की अनुदानों की मांगों' के बारे में पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 34वें प्रतिदेवन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

(5) 'पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 की अनुदानों की मांगों' के बारे में पैट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 50वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 107वां प्रतिवेदन

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 107वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

142वां से 147वां प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनन्तनाग) : महोदय, मैं अनुदानों की मांगों (2003–2004) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 136वें, 137वें, 138वें, 139वें, 140वें, 141वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में परिवार कल्याण विभाग, भारतीय चिकित्सा और होम्योपेथी पद्धति, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में समिति के 142वें, 143वें, 144वें, 145वें, 146वें, और 147वें, प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13, माननीय वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य वह उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या 14–संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मद संख्या 13 का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री को बुलाने के लिए कोई गया हुआ है, वह किसी भी क्षण यहां आ सकते हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

[हिन्दी]

सभा का कार्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मै यह सूचित करती हूं कि सोमवार, 15 दिसम्बर, 2003 से प्रारंम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (i) आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2003
   (ii) भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003
3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना।
4. वर्ष 2003–2004 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
5. विनियोग (सं.5) विधेयक, 2003 का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।
6. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (i) संविधान (97वां संशोधन) विधेयक, 2003
   (ii) पैट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002
7. विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना।
8. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (i) रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 2003
   (ii) रेल (संशोधन) विधेयक, 2003
   (iiii) रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003
   (iv) विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2003
   (v) ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003
9. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. चाय उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। अनेक चाय बागान बंद हो गए हैं और अनेक बंद होने के कगार पर हैं। हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। चाय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुसीबत का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार को उद्योग के सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक पैकेज बनाना चाहिए। इस पर चर्चा की जानी चाहिए और सभा में इस पर एक समुचित नीति बनाई जानी चाहिए।
2. देशभर में नकली दवाइयों की व्यापक कालाबाजारी और बिक्री हो रही है। यह जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो गया है। सरकार करों और शुल्क की भारी धनराशि का नुकसान उठा रही है। सेल्समैन बेरोजगार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अनुमान लगाया है कि विश्व में निर्मित 35 प्रतिशत नकली दवाइयां भारत में बेची जाती हैं और 20 प्रतिशत भारतीय ओषधियों नकली होती है, सभा में इस गंभीर मामले पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

अपने कार्यकरण के 28 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने घोषित लक्ष्य की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 511 जिलों को कवर करते हैं जिसमें उनकी 14265 शाखाएं हैं। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य हो गए हैं। उनका पुनर्गठन किया जाए और समुचित विधान लाकर शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के संरक्षण में क्षेत्र विशिष्ट राज्य अथवा जोनल स्तरीय ग्रामीण बैंकों में इनका विलय किया जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए

1. छत्तीसगढ राज्य के बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या तथा किसानों की माली हालत एवं अकाल पड़ने से कमजोर होने एवं मजदूरों को काम नहीं मिलने के कारण व्याप्त हताशा को दूर करने हेतु 2000 करोड रुपये की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

2. ग्राम–पंचायतों में जन प्रतिनिधियों के विकास मद के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु विधायक, सांसद की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव नहीं देने पर आलोचना के शिकार होते हैं। सांसदों, विधायकों के अनुशंसा में निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट एवं नक्शा–खसरा के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिए बगैर स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है। एस्टीमेट एवं नक्शा–खसरा को आधार बनाया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड के बी. एंड के. प्रक्षेत्र में प्रति माह 4–5 करोड़ रुपये का नुकसान बचाने हेतु करगली वारारी के क्षतिग्रस्त बंकर का अनुरक्षण/पुनः निर्माण करने की अपेक्षा।

बोकारो जिला (झारखंड) के बेरमों अनुमंडल में सरकार एवं संचार निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार बी.एस.एन.एल का मोबाइल/सेल्यूलर सेवा शीघ्र चालू कराने और सरकार का आदेश शीघ्र अनुपालन कराने की अपेक्षा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के बावजूद भारत सरकार ने शिक्षा पर व्यय नहीं बढ़ाया है, इसे तत्काल आठ प्रतिशत किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए।

भारतवर्ष तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक बड़ा स्रोत है, इस मानव शक्ति की विदेशों में भारी मांग है। भूमंडलीकरण के इस युग में सरकार मानव शक्ति को व्यवस्थित रूप से निर्यात करने के लिए स्पष्ट नीति बनाए तथा मानव शक्ति के निर्यात को अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं सूचना देता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि तटीय क्षेत्र से सटा 20 मीटर की गहराई वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांस–शिपमेंट कंटेनर टर्मिनल खोलने के लिए भारत में विजिनजाम पत्तन ही एकमात्र उचित स्थान है।

2. तिरुअनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल के निर्माण में विलंब हुआ है। यह कार्य अविलंब पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, राची झारखंड राज्य की राजधानी है जब से राज्य बना, रांची शहर में वाहनों की संख्या दो गुना, तीन गुना बढ़ गई है। सभी शहर की सड़कें प्रतिदिन जाम रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। छोटे–छोटे शहरों में बाईपास सड़क बनी, परंतु रांची शहर की बाईपास सड़क अभी तक नहीं बनी है जिससे आम जनता काफी परेशानी में है। मैं कई वर्षों से यह मामला सदन में उठाता रहा हूं। पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा राशि भी राज्य सरकार को दी गई है, परंतु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

अतः केंद्र सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार को निर्देश दे कि रांची की बाईपास सड़क का कार्य शीघ्र पूरा करें। रांची, गुमला सिमडेगा सड़क, जो मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई तक जाती है और यह राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क है जिसकी स्थिति वर्षों से अत्यत जर्जर है। झारखंड अलग होने के बाद भी इन सडकों को बनाया नहीं जा रहा है। अतः जनहित में उक्त सडकों का निर्माण अविलम्ब कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए शामिल किया जाए :

1. रक्षा सेवाओं के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, जो आरंभ से ही अस्तित्व में थी, सहित केवल हिन्दी को इसमें शामिल करके भारत के गैर–हिन्दी भाषियों को हुई गंभीर कठिनाइयों और बाधाओं पर चर्चा करना।

2. सामान्यतः भारत में लेकिन तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में लघु पत्तनों के विकास पर चर्चा करना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें एक जानकारी चाहिए कि जो अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए माननीय सदस्य अपने विषय रखते हैं, उनमें से कितने विषय अगले सप्ताह में चर्चा के लिए आते हैं। अगले सप्ताह में चर्चा के लिए हम जो सब्जैक्ट रखते हैं, उनमें से एक भी अगले सप्ताह में नहीं आता है। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इनमें से कोई न कोई विषय तो आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेता से पूछिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिजनेस तय हुआ है।

श्री रामदास आठवले : हम जिस विषय का यहां उल्लेख करते हैं, उनमें से एक भी विषय सदन में बहस के लिए नहीं आता है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.16 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही की प्रगति

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : स्पीकर साहब, मुझे खेद है कि जब आपने पहले मेरा नाम पुकारा था तो उस वक्त मैं हाउस में गैरहाजिर था। कुछ आग्रह ही ऐसा था कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं यहां उसे टेबल नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल सही है। मैंने सदस्यों को सूचित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में कार्रवाई संबंधी प्रगति रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस संयुक्त संसदीय समिति ने 19.12.2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। की गई कार्रवाई रिपोर्ट 9 मई, 2003 अर्थात ठीक 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई थी। जैसी कि संयुक्त संसदीय समिति ने इच्छा व्यक्त की थी, सरकार संसद की पूर्ण संतुष्टि होने तक 6 महीने के अंतरालों पर की गई कार्रवाई की आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती रहेगी।

सरकार को संयुक्त संसदीय समिति के विमर्शों से बहुत लाभ हुआ है और यह समिति के व्यापक और कीमती सुझावों के लिए इसकी आभारी है। जबकि सेबी अधिनियम का संशोधन और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम का निरसन जैसे कुछ विधायी उपाय पहले ही प्रभावी हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंजों का पृथक्कीकरण और निगमीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम में संशोधन और सहकारी बैंकों के बेहतर विनियमन के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम में संशोधन जैसे अन्य प्रस्ताव संसद के समक्ष हैं।

सरकार कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक तथा सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2003 जैसे अन्य विधान लाने पर भी विचार कर रही है।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8262/2003.

पिछली तथा वर्तमान की गई कार्रवाई रिपोर्ट के मध्य कई उपाय किए गए, जिनमें वित्तीय बाजारों पर नियमित नजर रखने के लिए अतिरिक्त संस्थागत तंत्र की स्थापना, विनियामकों तथा जांच एजेंसियों के साथ समन्वय तंत्र की स्थापना, तारापोर समिति द्वारा चिन्हित 89 कंपनियों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वितीयक बाजार में निवेश निर्णयों के बारे में सेबी को संदर्भ, गम्भीर घोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना, इत्यादि सम्मिलित हैं। जबकि विधायी अधिदेशों के अभाव में कुछ सिफारिशें लम्बित हैं, अन्य सिफारिशें न्यायालय में चल रही जांच अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात ही कार्यान्वित की जा सकती हैं। सरकार सतत आधार पर प्रगति का अनुवीक्षण कर रही है तथा चल रहे जांच कार्यों में अच्छी प्रगति रही है। हमारा प्रयास होगा कि जहां भी कोई कार्रवाई लम्बित हो, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये।

———

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ) : महोदय, उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो बेईमानी करने के दोषी हैं। हम आपसे अनुरोध करने हैं कि कृपया सभा में इस मामले पर चर्चा करवाई जाए...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा करवाइये।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : सेबी की भूमिका तो इसमें और भी संदिग्ध है, आप इस पर चर्चा करवाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : यह मामला बहुत गम्भीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : सभा को प्रस्तुत की गई लापरवाहीपूर्ण की–गई–कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है ...*(व्यवधान)* सभा में प्रस्तुत की गई यह रिपोर्ट सुनियोजित है। यह पर्याप्त नहीं है। यह संतोषजनक नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आप लोग तशरीफ रखिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए। वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो माननीय पवन कुमार बंसल जी ने कही, पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। एक जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने इतना काम किया, उस पर इतना विचार किया और फिर संसद में विस्तृत बहस न हो, यह हमें भी स्वीकार नहीं है। हम भी चाहते है कि बहस हो। आप अपने कायदों के अनुसार तय कर लीजिए सरकार की ओर से उस बहस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहेंगे कि बहस हो। उसमें जो प्रगति हुई या नहीं हुई है, वह सब ब्यौरा आ सकेगा।

———

अपराह्न 12.20 बजे

[हिन्दी]

कार्यमंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 11 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 57वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 11 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। कल हमने मांग की थी कि राष्ट्रीय कर न्यायाधीकरण के गठन संबंधी विधेयक स्थायी समिति को भेजा

जाए। कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर चर्चा की है और इस पर चर्चा करने के लिए समय आवंटित किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राष्ट्रीय कर न्यायाधीकरण अध्यादेश और मूल विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने, कल इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय नहीं दिया था। यह विनिर्णय अभी भी लंबित है कि क्या इसे तकनीकी रूप से स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा, सत्तारूढ़ दलों तथा विपक्षी दलों—दोनों के सदस्य एक साथ बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं निजी पहल करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मुद्दे का समाधान हो जाए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, आपको इस सभा के सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन इस सभा को प्रस्तुत किया गया है। अंततः इस सभा को यह निर्णय लेना है कि कार्य किस क्रम में शुरू करना होगा। अंतिम निर्णय इस सभा का होगा। कल आपको यह देखने का अवसर मिला कि सदन क्या महसूस कर रहा है और किस तरह के तर्क दिए गए। यदि यह देश की वित्तीय और आर्थिक दशाओं के लिए जटिलता रहित और परिणाम रहित सरल विधेयक होता तो हम अपनी बात पर अड़े नहीं रहते। इसलिए, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सभा प्रस्ताव पर सहमत हो गई है और इस पर विचार किया जाए। इस मद का प्रतिवेदन से लोप किया जाना चाहिए। आपके निर्णय और उस मुद्दे पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह पार्टली डिसकस्ड है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजना है या नहीं भेजना, यह तो आपके ऊपर बात आ जायेगी। अभी तो मोशन इतना है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल आपके आने से पहले समस्या इसी बात पर उठी थी जब हम इस चीज पर एतराज कर रहे थे। मिनिस्टर साहब ने अभी अपने रिमार्क्स भी नहीं दिये थे कि उधर से मैम्बर ने इस बिल पर बोलना शुरू कर दिया जबकि बहस इधर से शुरू होनी थी।

हमें ताज्जुब हुआ जब हमें यह पता लगा कि उधर से माननीय सदस्य इस बिल पर बोल रहे हैं। तभी तो हमें एतराज हुआ था। एक ऐसा तरीका अपनाया गया, जो सही मायने में ठीक नहीं था। इसलिए हम लोगों ने एतराज किया था। अभी तो हम यह जिक्र कर रहे हैं कि आर्डिनेंस को डिसएप्रूव करना चाहिए। वही बात फिर न हो जाये इसलिए कल हम लोगों ने आब्जेक्शन किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : हम इसके लिए 'हां' या 'न' नहीं कह रहे हैं। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पूरी सभा इस पर चर्चा करने हेतु सहमत है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं जो बात कह रही थी, वह कुछ और थी।...*(व्यवधान)*

मैं उसी पर कह रही हूं। मेरी बात पूरी सुन लेते तो पवन जी को कुछ कहना नहीं पड़ता। हमने इसमें कहा कि बकाया मदों पर विचार हो। वह तो इसलिए इसमें आया है। बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है या नहीं भेजना, यह हमेशा आपके अधिकार में है। इस समय मोशन केवल इतना है कि बीएसी की रिपोर्ट एक्सैप्ट कर ली जाए। बीएसी की रिपोर्ट हाउस एक्सैप्ट कर ले। उसके बाद भी इस बिल के बारे में आपका जो भी निर्णय होगा। वह अंतिम होगा। उसे सरकार स्वीकार करेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : वह गलत दृष्टांत होगा। यदि सभा 'हां' या 'न' कहने का निर्णय करती है तो यह माननीय अध्यक्ष के लिए बहुत बोझिल हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : फिर हाउस तय कर ले। अगर आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो फिर पूरा हाउस तय कर ले कि क्या करना है और क्या नहीं करना...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप स्पीकर साहब पर बर्डन मत डालिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब पर बर्डन मत डालिए। फिर उस बिल पर हाउस तय कर ले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तो मोशन केवल बीएसी का है। अगर आपको स्पीकर साहब पर बर्डन नहीं डालना तो फिर हाउस तय कर ले।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यही कह रहा हूं। मैं आपसे सहमत हूं। सभा में निर्णय न लें। यह माननीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह उल्टा कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि स्पीकर साहब पर बर्डन मत डालिए, हाउस पर छोडिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यदि सभा 'हां' कहती है और अध्यक्ष को 'ना' कहना पड़ता है तो यह गलत होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को और अधिक जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव पारित करना किसी भी तरह माननीय सदस्यों को मुद्दों को उठाने से वंचित करना नहीं है जो कि वह पहले ही उठा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप स्पीकर पर छोड़ें तो भी हमें मंजूर है और अगर हाउस पर छोड़ें तो भी मंजूर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यदि यह प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि आपने सभा के समक्ष इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया है। यह टिप्पणी रिकार्ड में सम्मिलित की जाएगी। अतएव, मैं अब इस विशेष प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। जैसा कि मैंने कहा है, मैं इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाने वाला हूं प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद, मुझे यह बात स्पष्ट करने दें कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। आपने वायदा किया है कि आप इस मुद्दे पर केवल दो मिनट बोलेंगे। मैं आपको और एक अन्य माननीय सदस्य को एक-एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा नहीं है। इन लोगों की एक मांग है। केवल वह सदन के सामने आएगी और यह पांच मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा।

अपराह्न 12.27 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

हज यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, भारत सरकार ने हज यात्रा राजसहायता को केवल उन हाजियों तक सीमित और विनियमित करने का निर्णय लिया है जो कि केंद्रीय हज समिति के अंतर्गत हज यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार केंद्रीय हज समिति के अंतर्गत 72,000 हज यात्री हज पर जा रहे हैं। इस 12,000 रुपये की हज यात्रा राजसहायता पर प्रतिबंध और विनियमन ने हज यात्रियों में खलबली मचा दी है। ऐसा इसलिए है कि जब उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था तब कोई

प्रतिबंध नहीं था। अब सरकार चाहती है कि प्रत्येक हज यात्री पब्लिक नोटरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक हलफनामा प्रस्तुत करे। हाजी इसी महीने की 24 तारीख को जा रहे हैं। समय की कमी है। नोटरी पब्लिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सभी हलफनामों को एकत्रित करना हज समिति के लिए असम्भव होगा। यदि हाजी नहीं जा सके तो हज समिति को लगभग 25 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा क्योंकि वे पहले ही आवास और यात्रा योजना का प्रबंध कर चुके हैं और उन्होंने एयर इंडिया और सऊदी एयरलाइंस को इसकी सारणी भी दे दी है। सरकार का यह निर्णय किसी भी स्थिति में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

महोदय, अतः समुदाय को इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति है और उन्होंने सरकार से यात्रा राजसहायता वापिस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, क्योंकि यह अन्यायपूर्ण, अनुचित एवम् अनावश्यक है। तथापि मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इस समय मंत्रिमंडल को यह निर्णय अगले हज तक स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि अगला हज फरवरी, 2005 में शुरू होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह हाजियों के प्रति घोर अन्याय होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी माननीय सदस्यों जो खडे हुए हैं, का नाम इस मुद्दे से जोड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।...*(व्यवधान)* यदि यह निर्णय कार्यान्वित हो गया तो हजारों हज यात्री हज नहीं कर पायेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी का नाम ऐसोसिएट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और लगता है कि यह हज यात्रियों को परेशान करने की साजिश है। जो लोग इस वर्ष हज पर जाने वाले थे, उनके प्रार्थना पत्र 25 जुलाई तक आमंत्रित किए गए और सितम्बर के महीने में भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो लोग आयकर दाता हैं, उनको हज पर जाने के किराए में छूट नहीं दी जाएगी। हज करने वालों के लिए तमाम शर्तें लगाई गईं। यह कितना अव्यावहारिक निर्णय है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का आयकर दाता व्यक्ति हज करने जाएगा तो उसकी उड़ान दिल्ली से होगी। उसकी बूढ़ी मां, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े बाप, जो आयकर दाता नहीं हैं, उनको लखनऊ से जाना होगा। इसके बारे में न कोई हज कान्फ्रेंस हुई, न मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया।

न किसी से बात हुई, बगैर लोगों को विश्वास में लिए बगैर उनके जज्बात को समझे सरकार ने यह निर्णय कर लिया है जो किसी भी कीमत पर न तो न्यायसंगत है और न व्यावहारिक है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो निर्णय सरकार ने लिया है, यह हाजियों की भावनाओं के बिलकुल प्रतिकूल है और इसकी हाउस में निंदा की जानी चाहिए तथा सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया? सरकार को इस निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी, आपको बोलने की इजाजत किसने दी है?

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। यह निर्णय बिलकुल अव्यावहारिक है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम. ओ. एच. फारूक।

श्री एम. ओ. एच. फारूक (पांडिचेरी) : महोदय, हज समिति द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले निर्देश मंत्रिमंडल द्वारा सितम्बर में लाए गए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मैम्बर बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठिए। फारूक जी को बोलने दीजिए। वह कई दिनों के बाद बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फारूक जी काफी समय बाद बोल रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दें। वह हज समिति के सदस्य हैं।

श्री एम. ओ. एच. फारूक : महोदय, मैं आपके द्वारा गठित केन्द्रीय हज समिति का एक सदस्य हूं। सितम्बर में मंत्रिमण्डल द्वारा हज के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले राज सहायता संबंधी कतिपय निर्देश लाये गए। इस मुद्दे पर बहुत से कानूनी तथा धार्मिक प्रतिबन्ध हैं। इनके कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय हज समिति के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गयी हैं।

दूसरी बात यह है कि इस प्रतिबन्ध के कार्यान्वयन के बारे में केन्द्रीय हज समिति से कोई परामर्श नहीं किया गया।

मैं इन सब लोगों का समर्थन करता हूं। कल नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक बैठक बुलायी थी और हमने अपनी सब समस्याएं उनके सामने रखीं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे इन सब समस्याओं को मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे। हमारा तर्क है कि ये प्रतिबन्ध अगले वर्ष के लिए टाल देने चाहिए और अब इस मामले में हमें पहले की ही तरह आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में हज की गतिविधियां, पुरानी योजना के अनुसार ही जारी रखी जानी चाहिए। हमारा तर्क है...*(व्यवधान)* इस संबंध में जुलाई में आवेदन दिए गए और यह निर्णय सितम्बर में आया। अतएव इससे समस्याएं खड़ी हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको इससे एसोशिएट करता हूं। जो इनकम टैक्सपेयी के लिए कहा गया है कि उनको रिबेट नहीं मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो सरकारी रिबेट के बाद टिकट देती हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनको अगर चार्टर किया जाए तो हवाई जहाज का जो टिकट है, वह उससे कम पर होगा। यह एक बहुत गलत फैसला है जिसे सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए। इससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। ...*(व्यवधान)* कोई हस्बैंड इनकम टैक्स पे करता है और वाइफ पे नहीं करती तो वाइफ का जाना मुश्किल हो जाएगा और बगैर हस्बैंड के वाइफ हज को नहीं जा सकती।...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हज के मामले में फौरन कदम उठाने चाहिए। जो हाजी इस बार जा रहे हैं, उनके एफीडैविट जमा करने से मुस्तसना करना चाहिए और इस पर दुबारा गौर करके इनकम टैक्स की जो शर्त लगाई गई है, उसे विद्ड्रॉ करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : हर बार क्या आप ऐसे ही करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हज यात्रियों को रिबेट देने के संबंध में जो निर्णय सरकार ने लिया है, उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इस निर्णय को फौरन वापस लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनकी भी सुनें, शायद ये आपका समर्थन कर रहे हों। इसलिए इनको सुनना चाहिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आपकी सरकार ने हज के लिए जितनी सब्सिडी दी, उससे तीन गुना ज्यादा सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पकिस्तान में हाई कोर्ट ने कहा है कि हज के लिए सब्सिडी देना उचित नहीं है, गैर इस्लामिक है इसलिए कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।...*(व्यवधान)* जबकि हम तीन गुणा ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नहीं देता। यह गैर इस्लामिक है। जो इनकम

टैक्स पे कर रहा है, उसको भी सब्सिडी मिले, यह सवाल उठाना निहायत ही गलत तरीका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कोई चर्चा या बहस नहीं हो सकती। आप सब लोग बैठिए।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस के जमाने में जितनी सब्सिडी मिलती थी, उससे तीन गुना ज्यादा हम दे रहे हैं और यह इसको राजनीतिक सवाल बना रहे हैं। कोई आदमी इनकम टैक्स पे करता है, क्या उसको भी सब्सिडी दी जाएगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. पासवान आप बैठिए। आपके बड़े भाई बैठे हैं और छोटा भाई खड़ा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह स्पष्ट करने दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नही देता, जबकि हम तीन गुना ज्यादा दे रहे है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना है। मैंने अपवाद स्वरूप इसे उठाने की अनुमति दी है। श्री ई. अहमद ने आकर मुझे बताया था कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक निश्चित समयावधि के भीतर इस मुद्दे को निपटाया जाना चाहिए। मैंने तीन या चार माननीय सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी है। लेकिन इस मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया इस तरह से मत बोलिए। आप एक भद्र सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप इस तरह से अध्यक्षपीठ को संबोधित नहीं कर सकते। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको यह पता होना चाहिए। अब, मैंने इस मुद्दे पर बहस समाप्त कर दी है। काफी सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। मैं हर सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे आपका मतलब क्या है? यह सभा में आपका शिष्ट व्यवहार नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने एक महत्वपूर्ण बहस का मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आप सबने इस संबंध में आग्रह किया है और मैंने इसकी स्वीकृति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मैं कड़ाई से

नियमों में अनुसार चलूं तो मैं कड़ाई से नियमों के अनुसार ही कार्य करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : ये क्यों जवाब दे रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। देखिए, अगर इस हाउस में डिसीप्लीन नहीं होगा तो मैं स्ट्रीक्टली रूल्स के मुताबिक चलूंगा। विषय महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने उसको यहां उठाने की इजाजत दी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सभी सदस्यों को बोलने की इजाजत दूं।

[अनुवाद]

कृपया इसे समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, इस सभा ने यह देखा है कि यह एक भावनात्मक मुद्दा भी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : शिवराज जी, यह कोई तरीका है!...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे मेरी बात कहने दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवराज पाटील को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री शिवराज पाटील की कही हुई बात ही कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही उचित सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा है इसमें बहुत से मुद्दे शामिल हैं, उन सबकी भली भांति जांच के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। सभी संबंधित मुद्दों की जांच के बाद ही उस निर्णय को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि यदि यह सिद्धांत लागू किया जाता है कि आयकर दाताओं को इसमें से निकाल दिया जाए तो भी कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी क्योंकि केवल सरकारी कर्मचारी ही आयकर देते हैं, दूसरे नहीं। अतः उनको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। वे लोग जो थोड़ा सा आयकर देते हैं, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसके साथ ही, सरकार ने इस देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा है। इसीलिए तो भारत सरकार ने नासिक के कुम्भ मेले के लिए 100 करोड रुपये दिए थे। अतः हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह एक भावनात्मक मुद्दा भी है। इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाए फिर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कैलाश मानसरोवर के लिए सब्सिडी नहीं है, पाकिस्तान में गुरुद्वारों के लिए सब्सिडी नहीं है। इनको 175 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद भी सवाल उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं से मैं संबंधित मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप हज के सवाल पर भी कॉलिंग अटेंशन देने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज इस विषय पर नहीं।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आपने सभा को पहले

आश्वासन दिया था कि इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन लिया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। कॉलिंग अटेंशन के लिए नोटिस देना पड़ता है। इस विषय पर कॉलिंग अटेंशन एडमिट करने को मैं तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, मंत्री जी आ रहे हैं, राज्य सभा में गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉलिंग अटेंशन लेता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आपका विषय महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है। मंत्री जी राज्य सभा में हैं। वहां से फ्री होने के बाद वे यहां आयेंगे। रघुवंश प्रसाद जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता आपकी आभारी है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। रघुवंश जी, आप नियम जानते हैं कि पहले आपको केवल विषय बताना है, बाद में जोरदार भाषण देना है। पहले विषय बताइए। मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, तब बाद में आप तकरीर करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आर्थिक पैकेज की आवश्यकता के बारे में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)* कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आपने रघुवंश जी को पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय : रूल के मुताबिक पाइंट ऑफ प्रोपराइटरी पहले आती है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों के तहत मैंने सभा में यह निवेदन किया था कि सरकार 'हज' सब्सिडी के लिए जो शर्तें लगा रही है उन्हें वापस ले ले। अब सरकार ने उत्तर दिया है कि वह 'शून्यकाल' में सभा में उठाए गए प्रश्नों पर विचार करेगी। मेरा निवेदन यह है कि नियम 377 के अंतर्गत इस बारे में मैंने जो निवेदन किया है उस पर भी विचार किया जाये। राजसहायता के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं वे उचित नहीं हैं और वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए आज यहां जो प्रश्न उठाए गए हैं उनके साथ-साथ इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैंने पूर्व में इस बारे में नियम 377 के अंतर्गत विस्तार से निवेदन किया है...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : महोदय, आप कृपया उन्हें इस विषय पर वक्तव्य देने का निदेश दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो चुका है।

अपराह्न 12.44 बजे

[हिन्दी]

अविलम्बनीयय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में विकास कार्यों के लिए राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"राज्य में विकास कार्यों के लिए बिहार को आर्थिक पैकेज तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो मुद्दे उठाए हैं (i) राज्य में सडकों से जुड़ाव, सिंचाई और विद्युत जैसे क्षेत्रकों के सुधार के लिए आर्थिक पैकेज प्रदान करना और (ii) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के पिछड़े जिले पहल घटक के अंतर्गत बिहार के पिछड़े जिलों को शामिल न करना। मैं इन दोनों मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

(I) बिहार के लिए विशेष योजना

बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और बिहार राज्य के जन प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर विद्युत, सड़क जुड़ाव, सिंचाई, बागवानी, वानिकी और जल संभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता सहित राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत एक विशेष योजना कार्यान्वित किए जाने के लिए तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने पहले ही पहचान की गई परियोजनाओं में जिन्हें बिहार राज्य में कार्यान्वित किया जाना है, 1000 करोड़ रुपये के एक निवेश प्रस्ताव का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

बिहार के लिए चालू वर्ष के संबंध में विशेष योजना हेतु आबंटन 500 करोड़ रुपये है। इस वर्ष शुरू की जाने वाली स्कीमों में (i) मिलियन शैलो ट्यूब वैल कार्यक्रम (ii) बिहार में पूर्वी गंडक नहर की मरम्मत (iii) बिहार के चुनिंदा जिलों में आम, लीची, मखाने की फसलों और मसालों के लिए विशेष परियोजनाएं (iv) बिहार में उप–पारेषण प्रणाली को सुदृढ बनाना (v) बिहार में राज्यीय राजमार्गों का विकास (vi) एकीकृत वनप्रबंधन और (vii) आठ जिलों में एकीकृत जलसंभर विकास शामिल हैं। मिलियन शैलो ट्यूब वैल कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के चयन हेतु भी कदम उठाए गए हैं और आशा की जाती है कि औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात अधिकांश स्कीमों का कार्यान्वयन शुरू को जाएगा।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुख्य सरोकारों के समाधान के लिए बिहार के लिए एक विशेष योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है।

(II) पिछड़े जिले पहल

वे राज्य जिनके संबंध में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत विशेष योजनाओं की मंजूरी दी गई थी उन्हें पिछड़े जिले पहल घटक में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, पिछड़े जिले पहल के उग्रवाद प्रभावित जिले घटक के अंतर्गत बिहार के आठ जिलों अर्थात् औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, पटना, भोजपुर और कैमूर को शामिल किया जा रहा है। चालू वर्ष में चार जिलों अर्थात गया, जहानाबाद, रोहतास और कैमूर को शामिल किया गया है तथा शेष जिलों को अगले वर्ष से शामिल किया जाएगा। इस पहले के अंतर्गत प्रत्येक जिले को तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया जाएगा। बिहार सरकार से इस वर्ष शामिल किए गए चार जिलों के लिए विशेष जिला योजनाएं योजना आयोग को अनुमोदन हेतु भिजवाने का अनुरोध किया गया है। जिला योजनाओं के अनुमोदित किए जाने के पश्चात प्रत्येक जिले के लिए 7.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त (वार्षिक आबंटन का 50 प्रतिशत) जारी कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम बिहार की 8 करोड़ 30 लाख महान जनता की ओर से आपके आभारी हैं और हम उनकी ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी ज्वलंत समस्याओं को सदन में उठाने का अवसर दिया।

महोदय, हिसाब–किताब से पता चलता है कि प्रदेश के 42 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। प्रदेश का सीडी–रेशो 22 प्रतिशत है, जो देश भर में सबसे कम है। इसके चलते वहां की आर्थिक हालत खराब है। केंद्रीय सरकार को 3000 करोड़ रुपया सालाना कर्जा चुकाना पड़ता है, क्योंकि केंद्र की सरकार मुगल की तरह कर्जा वसूल करती है। इसके कारण प्रदेश में रेवेन्यु नहीं बच पाता है और पैसा विकास के कार्यों में नहीं लग पाता है। यह कमिटमेंट है कि बंटवारे से प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी।

उसमें सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने बिहार के बंटवारे के समय घोषणा की थी। मैं एक–एक करके उदाहरण देना चाहूंगा। वहां सड़कों की स्थिति चौपट है। नेशनल हाईवे की स्थिति सबसे ज्यादा चौपट है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत सरकार की सड़क होती है, उसकी हालत खराब है। वहां सन् 1996 से लेकर 2003 तक 1929 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे घोषित की गई थी। राज्य सरकार ने कहा कि उसमें से 1135 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की हालत चौपट है और उसके लिए कम से कम 1046 करोड़ रुपये चाहिए। केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग का कहना है कि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं है। जहां सड़कों की हालत चौपट है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं और उसे बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, उसके बारे में कहना है कि वित्तीय संकट है, पैसा नहीं है इसलिए इसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेशनल हाईवे नम्बर 77 जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा, 17 जिलों से संबद्ध सड़क है। इसी तरह एनएच 101, 102, 103, 104 और उसके अगल बगल सड़कों की हालत खराब है। सब की हालत चौपट है और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। योजना विभाग बताए कि ऐसी योजना बनाने का क्या मतलब है? आपने स्वीकृति दी और उसके बाद ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुईं। आपकी इस बारे में क्या योजना है? 1929 किलोमीटर में से 1135 किलोमीटर सडकें चौपट हैं। उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया? राज्य सरकार का एस्टिमेट आपके यहां लम्बित है। सालों–साल पहले आपके भारत सरकार के मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण किया और महसूस किया कि इन सड़कों की हालत खराब है। पैसे के बिना सड़कें नहीं बन रही हैं। इनकी हालत सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और न ही राशि का आवंटन हो रहा है। इस काम के लिए एक पैसा नहीं मिला। 1046 करोड़ रुपये में से केवल 77 करोड़ रुपये मिले हैं। इतनी राशि में कैसे काम चलेगा? इसी तरह से पीडब्ल्यूडी की सड़कें चौपट हैं। कम से कम 1522 किलोमीटर सड़कें चौपट हैं। उसके लिए जब तक 500 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे तब तक उन सड़कों में सुधार होना संभव नहीं है। आरईओ की सात हजार किलोमीटर सड़क पक्कीकृत है लेकिन चौपट है। राज्य सरकार के पास उनके सुधार कार्य के लिए एमपी कोटा, एमएलए, कोटा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। सात हजार किलोमीटर सड़क के लिए कम से कम साढ़े सात सौ करोड़ रुपये चाहिए। सरकार वचनबद्ध है। इन लोगों ने तय भी किया है कि सड़क, सिंचाई, विद्युत इन सभी मामलों में राष्ट्रीय समविकास योजना से उसकी मदद की जाएगी।

इसी तरह बिजली की हालत है। केंद्र सरकार ने बिजली में ट्रांसमिशन के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है लेकिन अभी तक जेनरेशन में एक पैसे की सहायता नहीं की है। बरौनी थर्मल पावर पुरानी जजर हालत में है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट की भी यही हालत है। इन दोनों के आधुनिकीकरण के लिए एक करोड़ पर–मेगावाट खर्चा आता है। बरौनी में 320 मेगावाट, मुजफ्फरपुर में 220 मेगावाट...*(व्यवधान)* कुल 540 करोड़ रुपये चाहिए। मुजफ्फरपुर में 500 मेगावाट का एक्सटैंशन स्वीकृत है लेकिन पैसे के अभाव में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। इस काम के लिए दो हजार करोड़ रुपये चाहिए। जेनरेशन में कम से कम 2540 करोड़ रुपये चाहिए तभी बिजली के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। 1999 में इसका शिलान्यास हुआ था। पांच–छः बरस हो गए हैं। इस बीच में थर्मल पावर प्लांट तैयार होना चाहिए था लेकिन वह अभी तक तैयार नहीं हुआ। वहां ढिलाई से काम हो रहा है।

बिहार बाढ़ सुखाड़, जल जमाव और कटाव से तबाह होता है। वह चार प्राकृतिक आपदाओं से तबाह होता है। इससे हर साल 1200 से 1500 करोड़ रुपये की तबाही होती है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सुखाड़ और बाढ़ से तबाह है लेकिन भारत सरकार की उपेक्षा से भी तबाह है। मैं सरकार की असलियत सदन को बताना चाहता हूं। न केवल अपने देश की नदियों बल्कि नेपाल से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदियों से भी बिहार तबाह है। हर साल 1200–1500 करोड़ रुपये की बरबादी होती है। बिना केंद्र सरकार की मदद के बिहार सरकार के बस में इसका समाधान नहीं हो सकता। दस लाख हैक्टेयर जमीन जल जमाव से ग्रसित रहती है जिससे जल निकासी का कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिये भारत सरकार की सहायता के बिना जल जमाव को खत्म नहीं किया जा सकता। गंगा नदी के कटाव से तबाही है। इसके अलावा बागमती, बूढी गंडक, कोसी नदियों से कटाव होता है। जब भी बिहार सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाता है, वह इस पर धन नहीं देती। इस तरह बिहार की उपेक्षा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996–97 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसने देश के ऐसे 100 पिछड़े जिलों का चयन किया था जिनका विकास किया जाना था। उन 100 जिलों में से 27 जिले बिहार के थे। अब सरकार ने एक नई योजना तैयार की है जो देश के 100 पिछड़े जिलों के लिए है लेकिन शर्म और अफसोस की बात है कि इस सूची में बिहार का एक भी पिछड़ा जिला नहीं है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ऐसे 55 जिलों का चयन किया गया जिनमें 8 जिले बिहार के उग्रवाद से प्रभावित हैं। गैर–उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ऐसे 7 जिलों का चयन किया गया है, लेकिन उनमें बिहार का एक भी जिला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड) : महोदय, मैंने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के बारे में एक सूचना दी है...*(व्यवधान)* मैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वोच्च पंचायत है और आप सभी को देखने वाले अधिष्ठाता हैं। इस तरह से 8 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले पिछड़े राज्य बिहार में से एक जिला भी नहीं लिया गया। जब उग्रवाद और गैर–उग्रवाद क्षेत्र के जिलों को लिया गया, फिर बिहार को क्यों छोड़ दिया गया? क्या भारत सरकार उग्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है? इस तरह बिहार के उग्रवाद और गैर–उग्रवाद क्षेत्रों के जिलों को न लेना बिहार के साथ सरासर अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, श्री नीतीश कुमार जी यहां बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि उनके नेतृत्व में 60 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधान मंत्री जी से इस संदर्भ में मिलकर ज्ञापन दे चुका है। माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग की गई थी कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, बिहार का बकाया कर्जा माफ किया जाए। बिहार पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से दो–तिहाई सदियों का इतिहास रहा है। वह हिंदुस्तान का भी इतिहास है। भगवान बुद्ध का बौद्ध सर्किट और भगवान महावीर का जैन सर्किट बनाकर पर्यटन के लिए उपाय किए जा सकते हैं। बिहार के साथ भारी उपेक्षा हो रही है। बिहार में सड़क, सिंचाई और बिजली की हालत खराब है। मैंने जो बिंदु उठाए हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में नए 5 आई.आई.टी. केंद्र खोले जाने की घोषणा की है।

अपराह्न 1.00 बजे

बिहार में आई.आई.टी. खत्म हो गए, बी.आई.टी. खत्म हो गए। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में चले गए। आई. आई.टी. की शाखा बिहार में क्यों नहीं होनी चाहिए। ये सारे सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं। इन सारे सवालों पर सरकार ध्यान दे और उस पर कार्रवाई करे। बिहार की जनता और उनकी समस्याएं बहुत नाजुक हैं। बिहार आर्थिक संकट में है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार भेदभाव भूलकर कार्रवाई करे।

अध्यक्ष महोदय, कृषि पर देश में चालीस रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। लेकिन बिहार में नौ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। जब कि नेशनल एवरेज चालीस रुपये प्रति व्यक्ति है। ग्रामीण विकास पर सब राज्यों में पर–कैपिटा खर्च बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में घट रहा है। अब यह 112 रुपये प्रति व्यक्ति से घटकर 109 रुपये हो गया है। यानी बिहार

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

में घटोतरी हो रही है, इसका क्या कारण है, बिहार के पैसों में कटौती हो रही है। पिछले साल ग्रामीण विकास का 301 करोड़ रुपया काट दिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकर बिहार का हिस्सा दे और जो बिहार को पैकेज देने का कमिटमैंट है, उस पैकेज में सड़क, बिजली, राष्ट्रीय मार्ग आदि में सुधार के लिए कार्रवाई करे। यही सवाल में यहां उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास और तीन नाम हैं–प्रथम श्री राजेश रंजन जी का नाम है, दूसरा श्री रघुनाथ झा जी का नाम है और तीसरा श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी का नाम है। आप सब लोग नियम जानते हैं कि जो दूसरे बोलने वाले मैम्बर्स हैं, वे केवल मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर भाषण करने की इस नियम में कोई सुविधा नहीं है।...*(व्यवधान)* अभी मैंने पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग जरूर बोलना चाहेंगे और इसीलिए इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस पर लंच के बाद चर्चा शुरू होगी और पहला भाषण श्री राजेश रंजन जी का होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सर, मेरा विशेष अनुमति का मामला है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सर, आज शुक्रवार है, अभी आप मेरा भाषण करवा दीजिए, उसके बाद लंच कर दें।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको बोलने के लिए केवल दो मिनट मिलेंगे और मैं जानता हूं कि आप दो मिनट में नहीं रुकेंगे, इसलिए लंच के बाद आप बोलें तो आपका भाषण अच्छा हो जाएगा। दो मिनट में आप रुकेंगे नहीं और फिर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। आप लंच के बाद शुरू करें, चर्चा हो जाएगी।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : मैं कहना चाहता हूं कि केवल कॉलिंग अटेंशन बिहार के लिए काफी नहीं है। बिहार को जानना है, वहां की बदहाली को जानना है, इसके लिए केंद्र दोषी है या वहां की राज्य सरकार दोषी है, इसका फैसला केवल एक कॉलिंग अटेंशन से नहीं होगा। इसके लिए पूरे तीन घंटे रखे जाएं और इस सैशन में ही बिहार के ऊपर डिस्कशन कराया जाए। बिहार के बारे में क्या भूलूं और क्या याद करूं, यह सवाल हमारे सामने है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस पर तीन घंटे का डिस्कशन भी कम हो सकता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक मिनट सुनिए। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में यह विषय आया था और श्री पप्पू यादव जी ने यही मांग की थी कि इस पर तीन घंटे की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बी.एस.सी. मीटिंग में निर्णय हुआ कि इस विषय पर केवल कॉलिंग अटेंशन देना चाहिए और इसलिए चर्चा कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से आई है। यदि आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि सोमवार को बी.ए. सी. की मीटिंग है, वहां यह विषय फिर रखिये, यदि आपके नेता सहमत होंगे तो इस पर चर्चा दी जा सकती है।

श्री लाल मुनी चौबे : सोमवार या मंगलवार को बिहार के सदस्यों की या सदन की राय ले ली जाए, चूंकि बिहार का मामला पूरे देश का मामला बना हुआ है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों के प्रति बड़ा अन्याय होगा, चूंकि मैं बिहार से हूं।

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद दो–तीन मैम्बर्स को एक–एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जायेगी, उनमें पासवान जी आप भी होंगे। लेकिन मैं दूसरे लोगों को केवल प्रश्न की इजाजत दूंगा भाषण करने की इजाजत नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

अब सभा **अपराह्न 2.00 बजे** पुनः समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 1.04 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याहन भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

*लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् **अपराह्न 2.04 बजे** पुनः समवेत हुई।*

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

बिहार में विकास कार्यों के लिए राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को **अपराह्न 2.30 बजे** दूसरे सदन में जाना है। अपवादस्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे यह निदेश दिया है कि तीन या चार सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। यदि माननीय मंत्री जी यहां रहे तब ही वे उत्तर देने की स्थिति में होंगे। लेकिन अपराह्न 2.30 बजे उन्हें दूसरी सभा में जाना है। इसलिए आप कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ सदन में अपना भाषण करने के लिए ट्रेन छोड दी।

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का दुर्भाग्य है कि उसका किस परिस्थिति में बंटवारा हुआ और बिहार बंटने के बाद, आज वह जिस मुकाम पर खड़ा है, अगर उस परिस्थिति में जाएंगे, तो हम यही पाएंगे कि बिहार बांटने वाले लोग सदन में भी हैं, सदन के बाहर भी बैठे हैं और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार बंट गया। बिहार बंटने के बाद 8.5 करोड़ गरीब लोगों की हालत पर, उनकी परिस्थिति पर कभी भी बिहार में रहने वालों और बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोगों ने चिन्ता नहीं की।

महोदय, जब बिहार बंट रहा था, तो केन्द्र सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों ने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की जिसे बिहार के बंटने से पहले घोषित किया जाना था, लेकिन वह घोषणा बिहार बंटने से न पहले की गई और न बिहार बंटने के बाद। बिहार में बेरोजगारी और गरीबी का आलम यह है कि जो उत्तर उन्होंने दिया, उसके अनुसार मैं यहां बताना चाहूंगा कि बिहार में 5334 फैक्ट्रीज थीं। यदि हम शुरू से चलें, डालमिया नगर से, गया से, भागलपुर आ जाएं, सीवान चले जाएं, छपरा चले जाएं, दरभंगा चले जाएं, पेपर मिल, गोपाल गंज सिल्क मिल, दालचीनी मिल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। बिहार सरकार में जो को–आपरेटिव संस्थाएं हैं तथा जिनके अंतर्गत 14 और 19 छोटी और बड़ी चीनी मिलें हैं, वे सारी की सारी बंद हो गई हैं। ऐसी परिस्थिति में बार–बार यह कहा जाता है कि आज बिहार चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसे कैसे मजबूत किया जाए और यह बात केंद्र की ओर से होती है।

महोदय, कई राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष छूट दी जाती है, लेकिन बिहार विशेष छूट वाले राज्यों में नहीं आता है जबकि देश की आधे से अधिक आबादी यानी 62.3 प्रतिशत निरक्षर है। जहां देश का शहरीकरण 27 प्रतिशत है वहां बिहार का शहरीकरण केवल 10 प्रतिशत है और केवल 37 प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं। यदि ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, तो निरक्षरता की स्थिति और भी ऊपर है। यदि देश के शत–प्रतिशत साक्षर वाले राज्य केरल को छोड़ दें, तो देश की आधी आबादी के बराबर 8 हजार 500 करोड़ रुपये की फसल, हर वर्ष जनसंख्या की आबादी के तीन हिस्से के बराबर, बाढ़ से बर्बाद हो जाती है और आज तक आजादी के बाद देश में इस बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई, लेकिन नेपाल और हिमालय से निकलने वाली नदियों से बिहार में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोई वृहद् योजना न आज तक बनाई गई और न इस पर चर्चा की गई है। कोसी, कमला, महानन्दा, गंडक, पुनपुन और गंगा आदि कई ऐसी नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, लेकिन इनकी बाढ़ से बचाव के लिए कोई चिंता नहीं की गई।

महोदय, जो सबसे ज्यादा जरूरत है उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। वहां आठ जिलों की घोषणा कर दी कि वे टैररिस्ट्स इलाके हैं, लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि उत्तर बिहार में 18–19 और जिले हैं, मध्य बिहार के जिले हैं, दक्षिण बिहार के जिले हैं, वे पूरी तरह से सुखाड़ में हैं। हम सात महीने बाढ़ में रहते हैं और पांच महीने सुखाड़ में रहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक क्लेरीफिकेटरी प्रश्न पूछ

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

सकते हैं, अगर भाषण करेंगे तो दूसरे किसी को चांस नहीं मिलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लीची, केला, जूट, ईख और मखाना के बारे में कहना चाहता हूं, देश की 25 प्रतिशत चीनी का बिहार में उत्पादन होता है। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि सनगंज में कम से कम सौ ऐसे चाय के बागान हैं, जहां यदि आप चाय की बागानों के लिए किसी फैक्ट्री की व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं कि किशनगंज का इलाका अपने पर आत्मनिर्भर होगा। जूट का इलाका, पूर्णिया का किशनगंज...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, ये सारा खुलासा कर दिया है। आप फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? ये बताएं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कटिहार की जूट मिल, बनमनखी और मधुबनी की चीनी मिल या इस तरह की जितनी चीनी मिलें हैं, सहरसा और दरभंगा की पेपर मिल, इनके लिए आपने यहां से क्या योजना बनाई है? मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने कम पैसे नहीं दिए—चाहे आरएफ में हों या प्रधान मंत्री सड़क योजना हो। मैं जानता हूं कि वहां से भारत सरकार का पैसा लौट जाता है और यह भी मैं मानता हूं कि आज प्रधान मंत्री सड़क योजना का तीन—चार बार दूसरे राज्यों में पैसा गया, लेकिन बिहार में आप एक बार भी पूरा पैसा नहीं भेज सके, इसका क्या कारण है? इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है, आपने अभी तक उन्हें पूरा पैसा क्यों नहीं भेजा? अपने अन्य राज्यों में दो—तीन—चार बार पैसा भेजा और बिहार में एक बार भी नहीं भेजा।

महोदय, मेरा आग्रह है कि यदि आप बिहार को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष छूट दीजिए। बरौनी और मुजफ्फरपुर का जो विद्युत थर्मल पावर है उसे नई तकनीक से और डेवलप करके वृहद करिए। यदि इससे भी ज्यादा उसे सुंदर करना चाहते हैं तो जो किसान का बिहार में ऋण है, जब देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने तो विशेष पैकेज कर्नाटक को मिला और गुजराल जी बने तो पंजाब को मिला। जो पंजाब देश में सबसे ऊपर है। वहां तीन नदियां हैं और वह सबसे ऊपर है, हम सौ नदियों वाले सबसे नीचे हैं, 32वें स्थान पर हैं। गुजराल साहब बिहार से बने, लेकिन पैकेज पंजाब को मिला। देवगौड़ा जी को किंग मेकर बनाने वाले बिहार वाले हैं और पैकेज कर्नाटक को मिल गया। बिहार सरकार कहती है कि बिहार में कुछ नहीं है तो मेरा कहना है कि बिहार की सरकार को बिहार छोड़ कर केंद्र के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बिजली और रोड नहीं है। मंत्री जी, जब तक दस हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं होगा तब तक बिहार के लोग और वहां का गांव सुंदर नहीं हो पाएगा। एनएच में पैसा देने की बात हो रही है, आप उन्हें लिखिए, मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

मैं एनएच के बारे में बताना चाहता हूं, किशनगंज से पटना वाया पूर्णियां, खगड़िया होते हुए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आपके अन्य साथियों को भी प्रश्न पूछने हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मेरा बिहार के विशेष पैकेज से मतलब है, बिहार जिस परिस्थिति और हालात में दूसरे से 32वें स्थान पर चला गया है, उसे फिर से उसी हालात में लाने के लिए अगर राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो मेरा केंद्र से आग्रह है कि आप विशेष पैकेज के रूप में सारी फैक्ट्रियों को ले लीजिए। कृषि पर आधारित जो लघु, कुटीर उद्योग हैं, बिग और स्माल इंडस्ट्रीज हैं, उनका आप पूरा मूल्यांकन करिए।

वह मूल्यांकन करने के बाद बिहार में कैसे रोजगार डेवलप हो, कैसे वहां के मजदूर बाहर न जाएं और बाहर जाने की जहां तक बात है, छात्र बाहर नहीं जाएं, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, यह आपको तय करना पड़ेगा, मेरा आपसे आग्रह है, यहां बिहार के नीतीश जी बैठे हैं, ये रेल मंत्रालय में हैं, दूसरे लोग भी हैं, सभी लोग हैं, आपने एक भाग में बहुत काम किया, लेकिन उसकी और जो परिस्थितियां हैं, रोजगार की जो परिस्थितियां हैं, वहां से विद्यार्थी, बिहार के नौजवान बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब किसी को भी चांस मिलने की उम्मीद नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उनके लिए रोजगार कैसे पैदा हो, सबसे ज्यादा केंद्र को वहां रोजगार पैदा करने के लिए कोई नई ताकत, कोई नई फैक्टरी, बंद पड़ी फैक्टरी का काम करना चाहिए। मैं अंतिम बात बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अंतिम बात नहीं, क्लैरीफिकेटरी क्वश्चन पूछना है। आप भाषण कर रहे हैं, इससे सब को चांस नहीं मिलेगा। मिनिस्टर अपर हाउस में चले जाएंगे। अब आप सवाल पूछिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं वही कर रहा है, मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। बिहार बंटने के बाद वहां पर एक टैक्नीकल कालेज नहीं है। क्या कोई आई.आई.टी. , आई.टी.आई. या कोई ऐसा टैक्नीकल कालेज, जो कर्नाटक में 40 से ऊपर हैं और जगह 60 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, क्या बिहार में भी आपकी ऐसी योजना है, क्या पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की योजना है?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि योजना है तो आप बता दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या आप नए टैक्नीकल कालेज खोलेंगे। क्या जैन और बौद्ध का जो बिहार है, वैशाली राजगीर में से आप सिर्फ राजगीर और बोधगया एक ऐसी जगह है, यदि भारत सरकार उसे सुसज्जित और सुंदर बना दे तो पूरे बिहार की रायल्टी दो जगह से दी जा सकती है। मैं इनसे अंत में कहना चाहता हूं कि चाहे वैशाली की धरती हो या शेरशाह सूरी की हो या वीर कुंवर सिंह जी की हो, दुनिया के सभी देशों के बुद्धिस्ट बिहार आते हैं। यदि आप सिर्फ उसे पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के पैमाने पर विक्रमशिला और नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में डवलप कर देते हैं तो बिहार सरकार...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण के बदले मिनिस्टर से एक सवाल पूछिए। यह आप क्या कर रहे हैं?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं वही कह रहा हूं। क्या आप उसे करना चाहते हैं और यदि करना चाहते हैं तो इससे निश्चित रूप से बिहार का हित होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि आप किसान का ऋण माफ करें, वहां रोजगार डवलप करें, साथ-साथ बिहार को विशेष पैकेज देकर सिंचाई, जल, सड़क और फैक्टरियों के मामले में वृहद करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। बिजली और सड़कों को जितना सुंदर हो सके, वह आप करने की कृपा करें।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखा है और उन्होंने जो पढ़ा, उसे भी ध्यान से सुना। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार के साथ केन्द्र की सरकार ने घोर उपेक्षा की है। जब योजना आयोग का गठन हुआ था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस प्रथम बैठक का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि योजना आयोग जहां देश के त्वरित और क्रमिक विकास करने के लिए योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ेगी, वहां देश में जो रीजनल इम्बेलेंसिज हैं, क्षेत्रीय असमानता है, उसे दूर करने का काम करेगी। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक आप अगर देखेंगे तो बिहार के साथ पूरे तौर पर भेदभाव किया गया। जब बिहार और झारखण्ड एक साथ थे, उस समय भी हमारी रायल्टी हमें नहीं दी गई, मूल्य के साथ उसे नहीं जोड़ा गया।

हमारे यहां जो बड़े-बड़े कल-कारखाने रहे, उनमें से किसी का हैडक्वार्टर कलकत्ता, किसी का हैडक्वार्टर मुम्बई और किसी का हैडक्वार्टर दिल्ली में रहा, जिसके चलते हमारे प्रदेश का सेल्स टैक्स और कन्साइनमेंट टैक्स नहीं मिल पाया। हमारे यहां नेपाल से आने वाली नदियों से नुकसान होता है। बिहार का बहुत बड़ा भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा नेपाल से आने वाले नदियों से प्रभावित होता है। उससे होने वाले नुकसान के कारण हमारा इलाका और पूरा उत्तर बिहार आज गरीबी की गर्द में है। हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, चाहे सड़क हो, स्कूल भवन हो, मकान हो जमीन हो या खेती हो, वे सब बर्बाद होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने उसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।

हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि क्या उनका पता है कि बिहार में आने वाली 90 प्रतिशत नदियां नेपाल से निकलती हैं, चाहे वह गंगा हो, कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला बालान हो आदि जितनी भी नदियां हैं, वे अदवारा समूह की नदियां हैं। उन नदियों से बिहार के बड़े भू-भाग को और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को नुकसान होता है। आप उसकी भरपाई करने के लिए नेपाल सरकार से बात करें। नेपाल सरकार से वार्ता करके आप कोई कारगर उपाय कीजिए जिससे बिहार इस गरीबी और गर्द से अपने

[श्री रघुनाथ झा]

को निकाल सके अन्यथा जैसे बड़े–बड़े साइक्लोन या भूकम्प आने पर दूसरे राज्य को केन्द्रीय सहायता देते हैं, उसी तरह से बाढ से होने वाली क्षति की भरपाई केन्द्र सरकार को अपनी तरफ से उठानी चाहिए ताकि बिहार अपने पैर पर खड़ा हो सके।

माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, इसी सदन में चर्चा हुई थी, उस समय हमारे साथी श्री प्रभुनाथ सिंह जी उसका विरोध कर रहे थे। हम लोग भी उसके विरोध में थे। हम इस बात को मानते हैं कि केन्द्र और बिहार की दोनों सरकारें ईक्वल रूप से बिहार को बांटने में जवाबदेह हैं। बिहार बंट गया और बंटने के बाद माननीय रेल मंत्री जी ने बिहार के तमाम मंत्रियों, जो केन्द्र सरकार में हैं उनको और बिहार के सांसदों को बुलाने का काम किया, बिहार के विकास के लिए कि बिहार कैसे अपने पैरे पर खड़ा हो, उनसे यह बात की। हमें जितना रेवन्यू मिलता था, वह झारखंड में चला गया और आबादी हमारे पास रही गयी। सारा नुकसान हमको उठाना पड़ा। माननीय रेल मंत्री जी ने एक मेमोरेंडम तैयार किया और उसे लेकर वे आदरणीय प्रधान मंत्री जी से मिले। इसी सदन में माननीय गृहमंत्री जी ने घोषणा की। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों के साथ बहुत अच्छे ढंग से बात की और कहा कि हम लोग हर तरह से इसमें मदद करेंगे लेकिन मदद के नाम पर बिहार को शून्य मिला।

बिहार के बारे में भले ही दूसरी जगह तरह–तरह की भ्रान्तियां पैदा होती हों लेकिन बिहार को देखने के लिए, बिहार व., समझने के लिए अगर केन्द्र सरकार नहीं सोचेगी तो कुछ नहीं होगा। अभी पप्पू यादव जी ने दूसरे राज्यों का जिक्र किया। गुजराल जी ने पंजाब के बारे में यही किया। सबसे नम्बर वन पर रहने वाले हरियाणा और पंजाब का कर्जा आप माफ करते हैं लेकिन बिहार जो सबसे दरिद्र है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय नदियों से नुकसान उठाना पड़ता है, प्रति वर्ष हम उसे दरिद्र करते हैं। दिन रात कर्पूरी ठाकुर जी याद आते हैं। चाहे वे विपक्ष के नेता रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों, वे बराबर कहते रहे कि जब तक केन्द्र सरकार और नेपाल सरकार कारगर ढंग से वार्ता करके नेपाल से आने वाली नदियों से जो हमारा नुकसान होता है, उसे रोकने का काम नहीं करेगी तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगी। लेकिन आज तक बिहार की हालत वही है। हमारे यहां बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा नदी के दोनों किनारे में सैकड़ों गांव कटकर गंगा में विलीन हो गये। हजारों एकड़ जमीन विलीन होती है। दूसरी नदियों के साथ भी यही हो रहा है।

हम जानना चाहते हैं कि इसे रोकने के लिए आपने क्या काम किया है? माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में मोकामा टाल, बडहिया टाल, लक्खीसराय टाल में सालों भर पानी रहता है। वहां फसल मुश्किल से होती है। हमारा बहुत बड़ा भू–भाग वाटर लागिंग से प्रभावित होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे निजात दिलाने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं? इस समय बूढी गंडक के तटबंध की आप मरम्मत करने जा रहे हैं। नदी में सिलटेशन हो गया। नदी काफी ऊंची हो गयी। हर साल बाढ आ रही है। आप इसे फेज वाइस करके बिहार को नहीं बचा सकते। अगर उसे पूरे तौर पर बचाना है तो आपको नदियों पर तटबंध बनाना चाहिए।

यह ठीक है कि बिजली के क्षेत्र में भारत सरकार ने पावर ग्रिड कार्पोरेशन को ट्रांसमिशन ठीक करने का काम दिया है। उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। राजनाथ जी के समय में जब नीतिश जी भूतल परिवहन मंत्री थे, उस समय बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुए, रघुवंश बाबू कह रहे थे कि वे पीडब्ल्यूडी से भी बदतर हालत में हैं। आखिर आपने स्वीकृति दी है तो उसे कौन बनाएगा, कौन चलाएगा। हमारे यहां मोहम्मदपुर से मलमलिया होकर प्रभुनाथ सिंह जी के क्षेत्र छपरा तक एक रोड जाती है–एनएच–101, जिस पर 5–7 किलोमीटर मोहम्मदपुर से काफी गड्ढे हैं और उसी से सिदबलिया शुगर फैक्ट्री में किसान अपना गन्ना ले जाते हैं। उनको गन्ना ले जाने में कठिनाई हो रही है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल पूछिए।

श्री रघुनाथ झा : हम जानना चाहते हैं कि नेपाल से आने वाली नदियों और उनसे होने वाले कटाव, वाटर लॉगिंग रोकने की सरकार के पास कोई योजना है या नहीं? दूसरा प्रश्न है कि जितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुए, क्या आप टाइम लिमिट फिक्स करके पैसा देकर उन्हें बनवाना चाहते हैं या नहीं। तीसरे, आपने किस तरह ट्रांसमिशन का काम दिया है लेकिन ग्रामीण विद्युत के दूसरे क्षेत्रों में जनरेशन के लिए पैसा देना चाहते हैं या नहीं? हमारे यहां जो जल जमाव है, जो ताल इलाका है और सुखाड़ इलाका है, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं?

इन्होंने बहुत चालाकी से बिहार के कुछ जिलों को जोड़ने का काम किया। जब देश के सौ जिले जोड़े गए, हमारी पौपुलेशन के हिसाब से आपने हमारा हिस्सा क्यों काट दिया। हमें उग्रवादी इलाका समझ कर सिर्फ आठ जिले जोड़े। आप सरकार चला रहे हैं, आपको जानकारी है, उत्तर बिहार का एक भी जिला–पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन, शिवहर, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो माओवादी इंसर्जेंसी से प्रभावित नहीं है। माओवादियों नक्सलवादियों ने कितने थाने लूट लिए। आपने उन जिलों को इसमें क्यों नही सम्मिलित किया? रेलवे लाइन भी उन्होंने उडा दी। आपकी नजर में आने के बाद भी आपने उसे रोकने का काम नहीं किया। आप यह काम कब तक करना चाहते हैं, बिहार के लोग यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। आप आज बताएं कि आप उन्हें कब तक ठीक करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज बिहार के आर्थिक पैकेज, सड़क, पानी और बिजली के संदर्भ मे विचार व्यक्त किए। यह विषय बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दुखद बात है। आज से ही नहीं, चाहे किसी का भी शासन रहा हो, केंद्र के जरिए बिहार की लगातार घोर उपेक्षा होती रही है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं इस बारे में तर्क देना चाहता हूं, प्रमाण देना चाहता हूं कि बिहार की उपेक्षा कैसे–कैसे हुई। बिहार को जो बजट का आकार मिलता रहा है, वह किस बेसिस पर मिलता है। वह अभी तक आंतरिक संसाधनों के आधार पर मिलता रहा है। आंतरिक संसाधन मोबीलाइज करने की कोई क्षमता बिहार में नहीं बची। खास तौर से जब बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड अलग हो गया, उस समय भी हमने इस सदन में घोर आपत्ति व्यक्त की थी और चालीस मिनट तक बिल को रोका था कि यह आने वाले दिनों में बिहार की फटेहाली और गरीबी को और बढ़ाएगा। आज बिहार की हालत नार्थ–ईस्ट से भी ज्यादा खराब हो गई है। हम नार्थ–ईस्ट की हालत के बारे में संसद में चिंता करते रहते हैं। लेकिन अभी बिहार की जो ज्वलंत समस्या है, वह बहुत ही दुखदायी है। मैंने इसलिए आपका ध्यान इस ओर दिलाया है कि ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही बिहार के साथ यही व्यवहार केंद्र के जरिए होता रहा है। बिहार को बजट का जो आकार दिया जाता है, योजना आयोग के राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे उसका यही आधार देना चाहते हैं कि बिहार में इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं। झा जी ने ठीक कहा कि झारखंड में सारा खनिज रायल्टी चला गया। जो था, वह झारखंड में चला गया। रघुवंश बाबू ने सवाल उठाया था। इंजीनियरिंग कालेज झारखंड में चला गया। सब कुछ झारखंड में चला गया। गाडगिल का जो पुराना ऐतिहासिक फॉर्मूला है, उसको बदले बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता क्योंकि इसके तहत जो बजट का आकार मिलता है, वह इंटरनल रिसोर्सेज मॉबिलाइजेशन के आधार पर मिलता है। जब हमारी इंटरनल रिसोर्सेज है ही नहीं तो हम मोबिलाइज क्या करेंगे? मैं सुझाव देना चाहता हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं तथा केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक बिहार के बजट का आकार संबद्ध राज्य अर्थात बिहार के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि वहां 52 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब तक बिहार के प्लान का आकार निर्धनता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, राज्य की आवश्यकता के आधार पर तय नहीं होगा, तब तक बिहार सात जन्म में विकास नहीं कर सकता। जो बैंकिंग है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही सवाल पूछ सकते है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, अन्य माननीय सदस्यों को भी आपने मौका दिया है, हमें भी थोड़ा और समय दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के 8 जिले उग्रवाद में चुने गए हैं। 36 जिले उग्रवाद में चुन लिए जाएंगे, यह परिस्थिति भी वहां पैदा हो सकती है। उग्रवाद को बढ़ाने का काम कम से कम केंद्र सरकार न करे।...*(व्यवधान)* मेरा दूसरा सवाल है कि जो पूंजी का वितरण होता है, जो पूंजी का निवेश होता है, बैंक में सी.डी. रेशियो देखा जाए चाहे कोई वित्तीय संस्था बिहार में हो, उसका उन सभी बैंकों का सी. डी. रेशियो 15 प्रतिशत है। अनुपात किसी का 16 प्रतिशत है, किसी का 17 प्रतिशत भी है लेकिन अनुपात रेशियो 15 प्रतिशत ही बिहार में जमाकर्ता के द्वारा जो बैंक में वहीं की जनत जमा करती है, उसका वहां खर्च मात्र 15 प्रतिशत होता है और 85 प्रतिशत पैसा बड़े–बड़े महानगर चाहे वह महाराष्ट्र हो, मुम्बई हो, चाहे कोलकाता हो, वहां चला जाता है। इस प्रकार से बिहार का विकास कैसे होगा? एक हिस्टोरिकल बात कही है और मैं जो बात कह रहा हूं, उसको प्रमाणित कर सकता हूं। इसीलिए मेरा तर्क है कि आरबीआई की गाइडलाइंस कृषि का विकास करने के लिए है कि संबंधित राज्य में तीस

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

से चालीस प्रतिशत पैसा उसी राज्य में खर्च होना चाहिए। बिहार में केवल 15 प्रतिशत होता है और सब पैसा बाहर चला जाता है। प्रधान मंत्री योजना का तो बैंक को सहयोग है ही नहीं है, निल है। तीसरी बात मैं एन.एच. से संबंधित कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 197 के मुताबिक आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वहां एन. एच. की हालत इतनी जर्जर है कि एन.एच. 104 जो है, भीखामोड़ है, जो माननीय सदस्य का गृह क्षेत्र है, वहां सीतामढी से लेकर जयनगर–मधुबनी, जिला अंतर्गत जयनगर–लदनिया–लौकहा–लौकही–नरहिमा तक चला जाता है। इस रोड की इतनी हालत खराब है कि भारत नेपाल सीमा पर यह एन.एच. है और जब राज्य सरकार का एन.एच कनवर्ट कर गया, केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया तो उसमें एक पैसा उन्होंने रिलीज नहीं किया।

जहां तक बाढ और सुखाड़ का मामला है, जल–जमाव और कटाव का मामला है, उत्तर भारत से हम लोग आते हैं। आपको स्मरण होगा कि इसी सदन में दो दिन तक इस पर सवाल उठता रहा था जब हम पर लाठीचार्ज हुआ था और हमारे सैकड़ों साथी घायल हुए थे और जब 9 दिसम्बर, 2002 को संसद मार्च हुआ था तब बहुत जबर्दस्त रूप में सरकार आई थी कि हम कुछ करेंगे और क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूं। जो हाइ–लैवल डैम उत्तर बिहार में बनना था, चाहे कमला हो या कोसी हो और गंडक नदी हो, वहां बागमती नदी पर हाइ–लैवल डैम बनाने के लिए ज्वाइंट–प्रोजेक्ट कार्यालय सात जगह खुलना था और नेपाल में सन् 2000 में ही भारत नेपाल का समझौता हुआ था कि फंडिंग का काम भारत करेगा और वहां ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलकर मल्टी–पर्पज हाइ–लैवल डैम बनेगा जिससे पन–बिजली भी पैदा होगी। एक अकेले कोसी नदी से 3300 मेगावॉट बिजली पैदा हो सकती है।

चूंकि हमारा जो ध्यानाकर्षण है, उसमें बिजली का भी सवाल है। सड़क, पानी और बिजली का सवाल है। पानी और बिजली पर हम बोलकर खत्म करेंगे। पानी की हालत क्या है कि वहां न बाढ़ पर नियंत्रण है और करोड़ों की फसल, हर साल उत्तर बिहार में 8 करोड़ 30 लाख में से 6 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और 2 करोड़ 30 लाख लोग सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं। दक्षिण बिहार में सुखाड़ और उत्तर बिहार में बाढ से लोग प्रभावित रहते हैं। छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ बिहार की यही नियति बन गई है। बिहार में पानी की समस्या का हल निकाला जा सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यसूची की नई मद नियम 193 के अंतर्गत चर्चा भी बिहार से ही संबद्ध है। आप अभी से अपनी ऊर्जा समाप्त क्यों कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जब बिहार में नेपाल की सहायता से हाइड्रो बिजली पैदा होगी तो सस्ती दर पर लोगों को बिजली मिल सकती है। पिछले सत्र में कहा गया था कि बिहार के लिए डीपीआर की 24,600 करोड़ रुपये की योजना बनाई जाएगी। उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जब तक बिहार में सुखाड़ और बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं होगा, उत्तर बिहार के छः करोड़ लोगों के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वह ध्वस्त हो जाएगा। वहां हर साल करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद हो जाती है।

डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हर साल केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये की राहत और पांच हजार करोड़ रुपये नकदी के रूप में बांटे जाते हैं। लेकिन यह सारा पैसा बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बजाय हर साल वहां पैसा दें, इसका स्थाई समाधान निकाल कर बाढ़ को रोकने का प्रयास करें। सरकार क्यों हर साल डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों को रिलीफ बांटती है और देश में पुरुषार्थी बनने से हमें समाप्त किया जा रहा है। हर साल बाढ़ और सुखाड़ के नाम पर हम लोग भीख नहीं चाहते, हम इस तरह से हर साल रिलीफ नहीं चाहते। हम यहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा करते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते। हमें सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज दिया जाए और इन समस्याओं का स्थाई समाधान किया जाए। आपने कहा था कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, वह क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको स्पष्ट किया जाए।

उत्तर बिहार में एकमात्र कृषि ही जीविका का साधन है। लेकिन सारी जमीन पानी से डूबी रहती है, जल जमाव रहता है। फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। वहां सारी 15 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इस तरह से सारा आर्थिक जरिया समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। यही कारण है कि बिहार आज सबसे गरीब राज्यों की सूची में अव्वल नम्बर पर गिना जाता है। वहां मखाना की खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर में काफी संभावनाएं हैं, तालाबों में परम्परागत तरीके से मछली पालन किया जा सकता है। इसके अलावा फलों मे आम, लीची आदि की फसलें उगा कर, प्रोसेसिंग करके उस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। लेकिन यह कुछ नहीं हो रहा है।

अभी सरकार की तरफ से पूरे देश के 100 पिछड़े जिलों की सूची बनाई गई। उसमें बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। यह जरूर है कि उग्रवादी जिलों के रूप में बिहार के कुछ जिले शामिल किए गए हैं और कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये देकर उनको विकसित किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर के 100 पिछड़े जिलों की सूची बनाते समय ऐसा कौन सा मानदंड बनाया गया जिससे बिहार का एक भी जिला उसमें नहीं लिया गया? उग्रवादी जिलों के बारे में आप कहते हैं कि कुछ पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उग्रवाद को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम उग्रवादी बनें तो आप पैसा देंगे। लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें तो आप कहेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, आप कम्पीट नहीं करते। क्या उग्रवाद मानदंड बन गया है कि जहां उग्रवादी गतिविधियां होंगी, उसको पिछड़ा जिला मानेंगे? सारे देश के लिए एक मानदंड और बिहार के लिए दूसरा मानदंड अपनाया जा रहा है। पूरे देश में बैकवर्डनैस है, उसका अलग पैरामीटर बनाया गया है, लेकिन हमारे यहां उग्रवाद को पैरामीटर बना दिया गया है। केंद्र की ओर से यह दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। केंद्र की ओर से ऐतिहासिक रूप से बिहार की उपेक्षा की जाती रही है। इससे बिहार रसातल में जा रहा है। इसलिए सरकार संवेदनशील होकर इस पर विचार करे और बिहार को आर्थिक पैकेज देने की तुरंत घोषणा करे। इसके अलावा बाढ़ और सुखाड़ के लिए 24,600 करोड़ रुपये का डीपीआर तुरंत रिलीज करे और इस काम में तेजी लाकर इसको अंजाम दे, तब बिहार खुशहाल हो सकता है। वरना बिहार में दूसरी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। केंद्र की सबसे लम्बी सूची (सी) कैटेगरी की है और उसमें बिहार को रखा गया है। दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनकी दिन रात बढ़ोतरी हो रही है लेकिन कैटेगरी (सी) की नहीं हो रही है। बिहार में एनएच–57 भी है, एक्सप्रेस हाइवे भी है जो सिल्चर से पोरबंदर तक है। उसमें मुजफ्फरपुर से फारबिसगंज तक कोई प्रगति नहीं हो रही है। पैसा अलॉट होता है और वहां पर कहते हैं कि एस्टीमेट नहीं आता है। जब एस्टीमेट भेज दिया जाता है तब वह फाइनेंस डिपार्टमेंट को चला जाता है। फाइनेंस का कोई मैम्बर है वह कहता है कि बाढ़ क्या होती है, फ्लड–प्रोन एरिया क्या होता है ...*(व्यवधान)* उसका पैरामीटर क्या होता है? मेरा अनुरोध है कि (सी) कैटेगरी को बदलकर उसमें पैसा रिलीज किया जाए और वहां एनएच की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। केवल मूर्ति लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। विकास के काम करने के लिए संकल्प चाहिए, इच्छा–शक्ति चाहिए। इस सरकार में इच्छा–शक्ति की कमी है। सभी जानते हैं कि बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। बिहार जब गर्म होता है तो पूरे देश की दिशा बदल देता है। इसलिए कहता हूं कि बिहार अगर गर्म हो जाएगा तो आप लोग बेचैन हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार पर इससे ज्यादा प्रहार मत कीजिए, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए और उसे मुख्य–धारा से जोड़िए, उसे मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कॉलिंग–अटेंशन में रूल 197 के मुताबिक जो लिस्ट है उसमें पांच से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं। चार का सवाल–जवाब भी हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने तीन–चार सदस्यों को एक–एक सवाल पूछने की स्पेशल पर्मिशन दी है। इसलिए एक–एक सवाल पूछिएगा। उसके बाद मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। श्री राम विलास पासवान जी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अभी हमारे माननीय सदस्य रघुवंश जी, देवेन्द्र जी और झा साहब ने मुद्दे उठाए बिहार में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश का एक राज्य तो बहुत विकसित हो जाए और एक पिछड़ा हुआ रह जाए तो क्या देश की एकता और अखंडता पर भविष्य में खतरा उत्पन्न नहीं हो जाएगा। हम सभी भारत मां की संतान हैं। अगर एक

[श्री राम विलास पासवान]

बच्चे के एक अंग को लकवा मार जाए और दूसरा अंग बहुत ने होता जाए तो देश का क्या होगा। इसलिए बिहार की चिंता केवल बिहार के लोगों को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे देश के लोगों को होनी चाहिए। इसलिए यह जो जवाब आया है यह असंतोषजनक जवाब है। जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, उस समय बिहार के लोगों के मन में कितनी आशाएं जगी थीं कि सब कुछ झारखंड में चला गया है तो हमें यह मिलेगा, हमें वह मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है हम उस भाषा को समझ नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हम यहां रोड, बिजली, पन–बिजली, सिंचाई पर डिस्कशन कर रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? जो चीज हमारे यहां पहले थीं जैसे बरौनी थर्मल कारखाना था, उसको सरकार ने बंद कर दिया, सिंदरी का कारखाना सरकार ने बंद कर दिया। एचईसी रांची बंद हो गया। अमजोर का कारखाना बंद हो गया। वहां कोई नई परियोजना शुरू नहीं हो रही है। चीनी मिल से लेकर सभी कारखाने एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। सहकारी संस्थाओं का पैसा रोक दिया गया है। अशोक पेपर मिल से लेकर तमाम चीजें बंद हो रही हैं। ठीक है, दक्षिण के राज्य खुश हो लें। बहुत तरक्की कर रहे हैं। वहां नई–नई टैक्नोलोजी आ रही है, लेकिन बिहार जैसा राज्य पिछड़ा है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बिहार को देश से अलग करना चाहते हैं? कुछ दिनों के बाद सभी राज्य कहेंगे कि हमारा पैसा बिहार में क्यों जाएगा, सारा कुछ तो हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों जाएगा, सारा कुछ तो हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने ही देश में दो तरह के राज्य होंगे–एक विकसित राज्य और दूसरा अविकसित राज्य। जो अविकसित राज्य हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि वहां उग्रवाद फैले, गंदा नाला बहे और दूसरी तरफ स्वर्ग को भोगो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह गंभीर मामला है और मैं नहीं समझता हूं कि मंत्री जी इन समस्याओं का जवाब देने में सक्षम हैं। उनको तो जो नोट मंत्रालय से मिला होगा, वही वे पढ़ देंगे। इस विषय में यदि गंभीरता से बात करनी है, तो प्रधान मंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों को इस विषय पर बात करने के लिए बुलाना चाहिए। जिस प्रकार नॉर्थ–ईस्ट के विकास के लिए बैठक करते हैं, वहां जाते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर वहां जाते हैं, हर मंत्रालय को लेकर वहां जाते हैं, उसी तरीके से प्रधान मंत्री को हर मंत्रालय के लोगों को बुलाना चाहिए, पोलिटिकल लोगों को बुलाना चाहें, तो बुला सकते हैं और नहीं बुलाना चाहें, तो न बुलाएं, लेकिन पीस वर्स से काम नहीं चलेगा। अगर बिहार को बढ़िया तरीके से पैकेज देना है, तो दीजिए और उसकी मोनिटरिंग कीजिए। हम जानते हैं कि इसमें आरोप–प्रत्यारोप लगेगा। केंद्र सरकार कहेगी कि राज्य सरकार द्वारा क्या होता है और एनएच के बारे में कहेंगे कि वहां कोई टैंडर नहीं निकाला जाता है। इन बातों में कोई गंभीरता नहीं है, यदि इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, तो बिहार का विकास होगा, अन्यथा बिहार अपने रास्ते पर जा ही रहा है। बिहार का भविष्य क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बिहार प्रदेश के निवासी हैं, हम जान रहे हैं कि आगे आने वाले 20–25 वर्षों में बिहार की क्या स्थिति होगी, जब यह सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। यदि बिहार को देश का अंग बनाकर रखना है, भारत का अंग बनाकर रखना है, तो बिहार के विकस के लिए एक स्पेशल पैकेज दीजिए। सामान्य रूप में एक–एक रुपया देने से काम नहीं चलने वाला है। आपको बिहार के लिए स्पेशल पैकेज बनाना होगा और उस पैकेज के कार्यान्वयन को भी देखना होगा। इसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी को इंटरैस्ट लेना होगा, तब जाकर बिहार बचेगा। नहीं तो चर्चा करने के लिए हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन भविष्य में बिहार में क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो मिनट बोलने के लिए समय दिया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश के अनुसार सिर्फ मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं।

महोदय, जब बिहार राज्य के बंटवारे का सवाल आया, तो हम उसके विरोध में खड़े थे। हमारे साथ देवेन्द्र प्रसाद जी भी थे। दूसरे, नीतीश कुमार जी को भी जानकारी है, उप प्रधान मंत्री जी से बात की थी, जो कहा गया था कि राज्य की जो भी क्षति होगी, उसकी भरपाई करेंगे। महोदय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने अब तक क्या समीक्षा

की है? क्या योजना आयोग ने इस बात की भी समीक्षा की कि राज्य के बंटवारे से राज्य को प्रतिवर्ष कितना नुकसान उठाना पड़ता है? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं, अगर उन्होंने समीक्षा की, तो राज्य के विकास के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और धनराशि बिहार को आवंटित की है? मंत्रालय द्वारा 100 पिछड़े जिलों का चयन किया गया है, उन पिछड़े जिलों में बिहार का नाम नहीं है, इसलिए कि बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ उग्रवादी जिलों के चयन में बिहार के 8 जिलों का चयन किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या विकास के लिए हर जिले को उग्रवाद का रूप पकड़ना आवश्यक है? साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार में 34 जिले हैं। इन 34 जिलों में से उत्तर बिहार में लगभग 19 जिले हैं। इन्होंने 19 जिलों में एक भी जिले का चयन नहीं किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के माध्यम से क्षतिपूर्ति की चर्चा हुई थी। उत्तर बिहार के छपरा, सीवान, गोपालगंज और अन्य जो जिले हैं क्या वह उन्हें शामिल करना चाहते हैं जिससे वहां भी विकास की गति तेज हो।

एनएच के संबंध में इन्होंने कहा कि राज्य को पैसा देते हैं, लेकिन राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं करती। यह रुपया देते हैं या नहीं, हम मानते हैं कि यह सरासर गलत बयान देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यदि यह रुपया देते हैं और राज्य सरकार खर्च नहीं करती है तो वैसी परिस्थिति में एनएचआई के माध्यम से, जिन पथों को एनएच बना दिया है, जो इनकी एजेंसी है, उसके माध्यम से जिन सड़कों को एनएच में लिया है, यह उनका काम कराना चाहते हैं या नहीं? पटना हाई कोर्ट का भी यह निर्णय आया था कि केंद्र सरकार चाहे तो दूसरी एजेंसी से काम करा सकती है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में मैंने सवाल उठाया था कि क्या राइट्स से काम कराया जाएगा? राज्य सरकार पहले इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। बाद में तैयार हो गई। अब राइट्स कह रहा है कि हम बिहार में काम नहीं करेंगे। जब राइट्स ने इंकार कर दिया तो कौन सी एजेंसी का चयन किया है जिससे प्रधान मंत्री ग्राम योजना का काम बिहार में हो सके? रेल विभाग की रेल विस्तार की योजना दो साल से योजना आयोग में पैंडिंग पड़ी है। मसला महाराजगंज रेल लाइन विस्तार का था। क्या आप इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करा कर तुरंत यह काम करवाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रेलवे का मामला भी पैकेज में आना चाहिए?

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह योजना आयोग में पैंडिंग है। योजना आयोग ने अब तक समीक्षा करके कोई नई योजना नहीं दी और यह नहीं बताया कि कितना घाटा, मुनाफा बिहार को हुआ? यदि उसका हिसाब नहीं किया तो हम जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो सरकार के विश्वासपात्र अफसर चाटुकार होते हैं, जो योजना आयोग में अभी हैं और वहां उपनिवेश बनाए हैं, क्या योजना आयोग को भंग करने का सरकार विचार रखती है ताकि उपनिवेश न बन सके?

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बिहार पैकेज देने की बात हुई थी सभी सांसदों ने मिल कर संयुक्त रूप से एक मैमोरेंडम दिया था। उसमें बिहार के विकास से संबंधित बातों को कहा था। बिहार के बंटवारे के बाद जो विषमता पैदा हो गई थी, उसे दूर करने के लिए और बिहार के लोगों को इस बात की अनुमति के लिए कि वे देश का वही एक हिस्सा हैं जिन्होंने देश के निर्माण में और देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, हमने कहा था कि भारत सरकार वहां रेल और सिंचाई के विकास की तरफ ध्यान दे। वहां के लोगों को बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिए, सड़कों की जो बदतर स्थिति है, उसे दूर करने के लिए, सिंचाई की बड़ी–बड़ी योजनाएं जो ठप्प पड़ी हैं, उन्हें चालू करने के लिए, तमाम कल–कारखाने जो बंद होने के कारण रुग्ण हैं जिससे हजारों–हजार नौजवान, कर्मचारी, मजदूर बेकार हैं, उन्हें काम दिलाने के लिए, भूमि सुधार को मजबूती से लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं। वहां लाखों खेत मजदूर भूमिहीन हैं और उन्हें पलायन करना पड़ता है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा वहां लाखों बुनकर करघे बंद होने से बेकार हैं। वहां बिजली की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। इन तमाम चीजों के लिए पैकेज देने की बात हुई थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं बिहार के सांसदों के साथ बैठक करके इन समस्याओं का निदान निकालने के लिए, उनकी एक–एक समस्या के बारे में जानकारी लेकर सारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था। ताकि बिहार उग्रवाद के रास्ते पर न बढ़े। बिहार किसी भी तरह से इस स्थिति में न जाए जो पूरे देश के लिए चिंता का कारण बने और सरकार की नींद

[श्री सुबोध राय]

हराम हो। क्या सरकार इसके समाधान के लिए कोई प्रयास करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारत का प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा स्थान है। उसके सुधार के लिए सरकार क्या करने जा रही है। बिहार की सिंचाई परियोजनाओं में गंगा–बटेश्वर पम्प नहर योजना के निर्माण से 20 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इससे न केवल बिहार बल्कि झारखंड के लोगों को भी लाभ पहुंच सकता है। साथ ही स्पष्ट करे कि रेल के विकास के लिए और लूप लाइन बिछाए जाने के लिए सरकार क्या कोई स्पष्ट घोषणा करेगी तथा भागलपुर में एल. पी.जी. गैस प्लांट स्थापना में क्या कर रही है?

श्रीमती कान्ति सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बंटवारे के बाद वहां की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुए 1,79,900 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? लगता है कि केंद्र सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमारे बिहार में अमझोर में जो पुराने उद्योग सालों से बंद पड़े हुए हैं, माननीय रेल मंत्री जी ने जाकर देखा था, उनका पुनरुद्धार करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। जैसा श्री राम विलास पासवान ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर राजस्व में बढ़ोतरी के उपाय सुझाए जा सकते हैं। हमारा रोहतास जिला राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित के नाम पर रखा गया था। अगर इस जिले को परियोजना के रूप में लिया जाएगा तो हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। पहाड़ की गुफा में शिव मंदिर, जो गुप्तधाम नाम से पर्यटन स्थल है, उसे लिया जा सकता है। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से तारा चण्डी मंदिर पहाड़ की गुफा में बसा हुआ है। वह हमारे क्षेत्र में है।

उपाध्यक्ष महोदय, आरा–सासाराम रेलमार्ग 1996 में स्वीकृत हुआ था लेकिन मात्र 20 किलोमीटर अब तक बन पाया है। यह क्षेत्र धान का कटोरा है। यदि रेलमार्ग बन जाता है तो न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए, भाषण क्यों कर रही हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह : उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार इन्द्रपुरी जलाशय पन–बिजली परियोजना है जिसकी 450 मेगावाट क्षमता है। बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, उसे पूरा करवाया जाए। यह काफी समय से केंद्र सरकार के पास लंबित है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी कैमूर पम्प नहर योजना को भी पूरा करवाएं। मेरा निवेदन है कि हम भाषणबाजी न करें। मुझे लोक सभा में आए हुए चार साल हो गए हैं। हर बार बहस होती है लेकिन नतीजा – 'ढाक के वही तीन पात' जहां से चीज चलती है, वहीं आकर रुक जाती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह कहावत इस बार चरितार्थ न हो, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए तभी बिहार का विकास हो सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न है कि नीतीश जी के अधीन हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाकर योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया था। उस आवेदन के आलोक में योजना आयोग ने कितनी बार बैठकें की हैं और उस पर योजना आयोग ने क्या फैसला किया है? इसका ब्यौरा हमें चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं? हाल ही में इलाहाबाद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बिहार में भी पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा?

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मध्य बिहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मगर वहां विकास की भारी संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में वहां का पुनपुन, दरधा मोरहर परियोजना है तो बहुत दिनों से लंबित है, क्या सरकार उसको क्रियान्वित कराने का विचार रखती है?

मध्य बिहार में पर्यटन के कई केन्द्र बन सकते हैं जैसे बाणावर पहाड़ है जहां अशोक के समय के प्रमाणित अभिलेख हैं। वहां कई ऐसे स्थान हैं जिनसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सब राजगीर और नालंदा तथा बोध गया के बगल में हैं। इन सैन्टर्स को भी डैवलप किया सकता है। एग्रीकल्चर के लिये वह बून है। पुनपुन, दरधा, मोरहर परियोजना

पर भारत सरकार को एक पैकेज के तहत क्रियान्वयन कराने के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। उस बारे में भी बताएं कि कब तक वह पूरी होगी?

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की बदहाली पर पूरी चर्चा हुई है। महोदय, बिहार बंट गया--जो रह गया वह ,खेती प्रधान क्षेत्र रह गया। मेरा सीधा प्रश्न है कि खेती पर आधारित उद्योग लगाने के लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई बृहत्तर योजना है? अगर है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र कटिहार और उसके अगल-बगल के जो जिले हैं, जहां पटसन उत्पादन होता है, वहां आर. बी. एच. एम. जूट मिल है, जो बीमार है और जहां हजारों मजदूर काम करते हैं, उस जूट मिल के रिवाइवल के लिए क्या कोई योजना सरकार रखती है? तीसरा सवाल यह है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैन्शन में एक ही सवाल पूछा जा सकता है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : यहां माननीय सदस्यों ने पांच-छः सवालों का भाषण कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : महोदय, बिहार में जो सड़कों की दुर्दशा है, वहां राज्य सरकार ने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए बोर्ड लगा दिए हैं कि यह सड़क भारत सरकार के अधीन है। मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि जहां बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस बदनामी से बचने के लिए एन.एच. के सुधर की दिशा में आपके द्वारा कौन से तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं? चौथा सवाल यह है कि बिजली की स्थिति सुधारने के लिए बिहार में कौन से तात्कालिक उपाय किए जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार पर पांच-छः सवाल एक ही सवाल हो जाते हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी सवालों का उत्तर दें, लिखा हुआ मत पढ़ें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने का मौका तो दें। आपको संतुष्टि न हो तो फिर पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, यहां पर मैं भी एक निवेदन करना चाहती हूं जो न केवल बिहार के हित में है अपितु दूसरे राज्यों के हित में भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सरोजा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

डा. वी. सरोजा : महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उच्चतम न्यायालय के एक ऐसे फैसले की प्रति सभा पटल पर रखना चाहती हूं। जो यहां पर हो रही हमारी सभी चर्चाओं पर पानी फेर सकता है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निदेश में जो बातें कही हैं क्या भारत सरकार ने उन्हें संज्ञान में लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इससे बिहार का क्या संबंध है? ...*(व्यवधान)*

डा वी. सरोजा : यह सबके हित में है। बिहार एक अल्प विकसित राज्य है और हम सब इस बारे में चिंतित हैं। उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले में कहा गया है :

> "इस मंत्रालय के 10.7.2003 के समसंख्यक पत्र के क्रम में कृपया पत्र के साथ आदेश की संलग्न प्रति पाएं।
>
> उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी को यह प्रेषित करने का निदेश हुआ है कि 30.10.2002 के बाद विपथन हेतु स्वीकृत वन क्षेत्र की गैर वनीय उद्देश्य से सकल वर्तमान कीमत का संग्रहण उच्चतम न्यायालय के 30.10.2002 के आदेश के अनुसार, जिसे 12.11.2002 को जारी किया था, निश्चित दरों के अनुरूप किया जाएगा।"

महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है क्योंकि इससे तो चर्चा ही निरर्थक हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. सरोजा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विशेषकर बिहार के विकास के उद्देश्य से, उसे वित्तीय पैकेज देने के विषय से संबंधित है। इसलिए, निर्णय कुछ भी हो, उस पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा। माननीय

सदस्यों द्वारा इस बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मंत्री महोदय को विशेष रूप से उन प्रश्नों का उत्तर देने का निदेश दिया गया है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, माननीय सदस्यों ने बिहार के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसकी सराहना करता हूं। यदि मुझे अपने राज्य की स्थिति के बारे में कुछ कहने को कहा जाता तो शायद मैं भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करता।

यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिस पर मैंने एक वक्तव्य दिया है और माननीय सदस्य उस वक्तव्य पर केवल स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में, इस बारे में एक बहस हो चुकी है। परंतु मैं अपनी पूरी क्षमता से इस बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सवाल ही पूछा है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मैंने जवाब दिया है और उसके मातहत ही सवाल पूछे जाने चाहिए। सपाल फायनेंशियल पैकेज का है और इन्होंने फायनेंशियल पैकेज के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, क्या यह हमारी गलती है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया है। हमने एक–एक सवाल अलग–अलग पूछा है और मंत्री महोदय ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है बल्कि ये पहले से ही ऐसी भूमिका बांध रहे हैं जिससे लगता है कि ये सब गड़बड़ करने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा सुनने के बाद पुनः क्लैरीफिकेशन पूछना चाहेंगे, तो मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए पुनः समय दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उप प्रधन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और अब मंत्री महोदय यहां लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा?...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हों और वे जवाब दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों के फायदे के लिए मंत्री के वक्तव्य से एक वाक्य दोहराता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप पूरा वक्तव्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत बातें कही गई हैं। बिहार हेतु विशेष योजना के तहत यह कहा गया है :

> "केंद्र सरकर ने पहले ही पहचान की गई परियोजनाओं में जिन्हें बिहार राज्य में कार्यान्वित किया जाना है, 1000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।"

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : यह तीन वर्ष में एप्रूव हुआ है और केवल 77 करोड़ रुपये गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है, इसमें लिखा है।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, इस 77 करोड़ रुपये से इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हर राज्य को मिलता है। बिहार को अलग से जो आर्थिक पैकेज देना था, उस बारे में बताएं। जो आप पढ़ रहे हैं, यह विशेष पैकेज का मामला नहीं है। यहां विशेष पैकेज की चर्चा हुई है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो

77 करोड़ रुपये मात्र हैं। यह तो रूटीन का मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप मंत्री जी का जवाब सुन लें यदि आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे, तो मैं आपको पुनः सवाल करने का मौका दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री को जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जवाब दें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की फटेहाली को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मुखर्जी साहब, हम लोगों के अच्छे मित्र हैं। इनके प्रति हम लोगों का बहुत रिगार्ड है, लेकिन मुद्दा ऐसा है कि ये पूरे स्टेट का मामला है, कोई पार्टी का नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए सब एक साथ हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें आउट ऑफ द वे जाकर ...*(व्यवधान)* इस मामले में हम सब एक हैं, यह पैकेज का सवाल है। आपने एक हजार करोड़ रुपया पढ़ कर सुनाया और दिया गया केवल 77 करोड़ रुपया। मंत्री जी, इसका क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इनसे पूछा जाए कि एक हजार करोड रुपया कब गया?...*(व्यवधान)* यह तो आंख में धूल झोंकने का काम है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी पूरी जवाबदेही स्वीकार करें, ये सदन को बताएं कि कितना रुपया गया है? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी जवाब दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। मैंने कहा कि यह कालिंग अटेंशन है, आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तात्पर्य बिहार में विकास कार्यों के लिए उसे वित्तीय पैकेज देने की आवश्यकता की ओर योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद कुछ होगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तदनुसार, माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था। वह वक्तव्य आपके सामने है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक वाक्य पढ़ कर सुनाया, कब हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं और मेरे से ज्यादा आपको मालूम है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप क्या समझते हैं कि हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था, वह इर्रिलेवेंट है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : इस विषय के लिए कैबिनेट मंत्री माननीय प्रधान मंत्री हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने दो वाक्य बोले और उसके बाद आपने इन्हें बोलने नहीं दिया। इसलिए, मैंने कहा कि आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, ऐसे सवाल पर प्रधान मंत्री जी आकर जवाब दें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, विषय की गंभीरता को देखें। प्रधान मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए ...*(व्यवधान)* हिन्दुस्तान में पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से भी बिहार दूसरे नम्बर पर है और यह सबसे गरीब है। केंद्र सरकार विषय की गंभीरता को क्यों नहीं समझती है? ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : महोदय, जिस पैकेज के लिए माननीय नीतीश कुमार जी, उस समय के सारे मंत्रिमंडल के लोग तथा सांसदों ने प्रधान मंत्री जी को कहा, उसकी उन्होंने बैठक की और उसे रिव्यू किया कि कितना गया।...*(व्यवधान)* आप ये बताएं कि मीटिंग की या नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, बिहार पर तीन घंटे की पूरी चर्चा कराइए।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी, इसका जवाब दें, कालिंग अटेंशन से बिहार की चर्चा खत्म नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य यह है कि उप प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जिस दिन राज्य के बंटवारे का यहां बिल पास हो रहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनके यहां कोई फाइल नहीं जाती है। यह क्या इसका उत्तर दे पाएंगे।...*(व्यवधान)* इसलिए प्रधान मंत्री जी सदन में आएं और इसका उत्तर दें तथा हमें संतुष्ट करें कि बिहार को क्या दे रहे हैं। बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब तक प्रधान मंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे तब तक सदन संतुष्ट नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इन्हें इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति है। और उस सहानुभूति को व्यक्त करते हुए हम लोग चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी आकर जवाब दें। यह मंत्री जी के बलबूते के बाहर की चीज है। यह पॅलिसी मैटर है और केबिनेट मिनिस्टर ही पॅलिसी मैटर को डील करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमने इनको तो पहले भी सुन लिया। लेकिन बिहार बंटवारे के बाद क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आप इनको सुन लें, अगर आपकी तसल्ली न हो तो वह बाद की बात है। आप इनको सुनिए। आप एक मंत्री को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : विजय गोयल जी, आप लोगों से हम लोगों को सहानुभूति है, इन मंत्री जी से भी हमें सहानुभूति है। ये बेचारे किसी लायक नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : मैं उत्तर दूंगा। कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)* आपको धैर्य से मेरी बात सुननी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आप पहले इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए, जो कुछ बोलना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इन्होंने तो पढ़कर सवालों का उत्तर दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मंत्री जी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनेंशियल पैकेज पर कुछ बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। कृपया मुझे प्रश्न का उत्तर देने का मौका दीजिए। क्या मैं प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : जब ये बोल लेंगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा। उप-प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी उत्तर दें, चेयर से यह निर्देश हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव, योजना मंत्रालय अमें राज्य मंत्री को संबोधित किया गया है।

[हिन्दी]

मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कालिंग अटेंशन

मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को एड्रैस किया गया है। अगर आप उत्तर सुनने के बाद सैटिसफाई नहीं हों तो आगे क्या करना है, वह तय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह मिनिस्ट्री प्रधान मंत्री जी के जिम्मे है।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह बिहार के 8.5 करोड़ लोगों का सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : क्या मैं प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करूं ?...*(व्यवधान)* क्या मैं यहां पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप सुनिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप आसन से निर्देश दीजिए, प्रधानमंत्री जी यहां आकार हम लोगों के सवालों का उत्तर दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आसन से ऐसा कोई निर्देशन गवर्नमेंट को नहीं दे सकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप इस आसन पर मौजूद थे, जब दो दिन तक यहां बिहार बंटवारे का बिल पास नहीं हो सका। जब उप–प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसके बाद यहां लोक सभा में बिल पास हुआ था। उस आश्वासन के बाद सरकार मुकर गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर हम कैसे समझौता कर सकते हैं, इसलिए यहां पर प्रधान मंत्री जी को आना चाहिए। अब इस पर कोई बात नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इस पर कोई समझौता नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आप चेयर पर हैं, आप सदस्यों की भावनाओं को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? बिहार के सदस्यों की भावना है, मंत्री जी के प्रति हम लोगों का पूरा रिगार्ड है, लेकिन जिस तरह का जवाब आया है, इस जवाब के चलते इससे हम लोगों की समस्या का निदान नहीं होने वाला है। समस्या का निदान तब होगा, जब इसके केबिनेट मिनिस्टर, जो प्रधान मंत्री हैं, जो योजना आयोग के चेयरमैन भी हैं, वे यहां रहें, जवाब दें, तब उनसे सवाल–जवाब भी किया जा सकता है और वे समस्या का निदान भी कर सकते हैं। इन्होंने तो जो जवाब दिए हैं, इसी को जस्टीफाई करते रहेंगे, उससे क्या मतलब है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : श्री पासवान, मैं वक्तव्य को उचित ठहराने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं पूछे गए प्रश्न का उनको उत्तर दूंगा कृपया मुझे प्रश्न का उत्तर देने का मौका दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : विजय गोयल जी, यह चांदनी चौक नहीं है, बिहार बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब बिल पास हो रहा था तो इसी सदन में प्रभुनाथ सिंह जी ने और हम लोगों ने बायकाट किया था, तब कहा गया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सैल गठित किया गया है। यह बिल में है कि फाइनेंशियल मैमोरेण्डम के साथ ही बिल पास होगा, यह नियमों में बाकायदा हम लोगों ने उठाया, प्रोसीडिंग्स को देख लिया जाए। बिहार के सवाल को हमने और प्रभुनाथ सिंह जी ने उठाया और सभी माननीय सदस्यों ने साथ दिया था, सभी ने उठाया। मेरा व्यवस्था का सवाल इसीलिए है, जब बिल में ही फाइनेंशियल मैमोरेण्डम के साथ ही किसी राज्य का बंटवारा हो सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रधान मंत्री जी को उत्तर देना होगा। ...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं पहले भी कह रहा था।...*(व्यवधान)* मैं तो शुरू में ही कह रहा था।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री से हमने अवगत कराया था।...*(व्यवधान)* जब बिहार पर बहस हुई तब उन्होंने पूछा था कि किसने इसका उत्तर दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उसे प्रोसीडिंग्स में से निकाल कर देखा जाए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन बिहार राज्य का बंटवारा हुआ, उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखी जाए। उस दिन हमने यह सवाल किया था।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप 9 अगस्त, 2002 की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप 2 अगस्त, 2002 की प्रोसीडिंग्स को निकाल कर देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्या आप अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप कम से कम मुझे सुनने की कृपा कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम आपको नहीं सुनेंगे तो किसे सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम आपको जरूर सुनेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा कि वे इसी जवाब पर नहीं रहेंगे। आप इसके आगे जो सवाल पूछेंगे, उसका वह जवाब देंगे। आप पूरा जवाब सुनने के बाद कहिए। वह आपसे अपील कर रहे हैं। वह तो स्टेटमैंट है। इसके अलावा आपने जो सवाल पूछा है, वह उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। वह तैयार होकर जवाब देते हैं और उनका जवाब सुनने के बाद भी आप संतुष्ट न हों तब भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : पहले भी यह सवाल पूछा था।...*(व्यवधान)* रघुवंश बाबू ने इसे उठाया था। उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे योजना विभाग की प्रभारी थीं। उन्होंने उस समय जवाब दिया था। जब प्रधान मंत्री जी ने पूछा कि किसने जवाब दिया तो हमने बताया कि उन्होंने जवाब दिया है। उसी समय उन्होंने कहा कि नहीं, वित्त मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए था। हमें जवाब देना चाहिए था। यह क्या जवाब देंगे? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि स्टेट मिनिस्टर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बार जब बिहार पर बहस हुई, तब प्रधान मंत्री ने...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग मेरे लिए आपत्ति मत खड़ी करिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है कि आप एक तिथि दे दीजिए और उस दिन प्रधान मंत्री जी जवाब दे दें।...*(व्यवधान)* दूसरी कार्यवाही शुरू हो। इसमें विवाद न हो।...*(व्यवधान)* आप हमारी सुविधा के अनुसार डेट न देकर प्रधान मंत्री जी की सुविधानुसार डेट दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* हम नहीं कहते कि वे कल बयान दें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तीन साल तक बर्दाश्त किया है। हम तीन दिन और बर्दाश्त कर लेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आप कालिंग अटैंशन के जवाब को स्थगित करें और प्रधान मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहें।...*(व्यवधान)* यहां श्री विजय गोयल

जी बैठे हुए हैं। विजय गोयल जी, यह बिहार है, चांदनी चौक नहीं है। बिहार की समस्या अलग है और चांदनी चौक की समस्या अलग है। इसलिए आप उस समस्या को गंभीरता पूर्वक समझिये।...*(व्यवधान)*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : आप बिहार में किडनैपिंग को बंद कराइये। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह कौन बोल रहा है?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.23 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 3.23¼ बजे

(इस समय प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.24 बजे

(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री प्रभुनाथ सिंह और अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय मंत्री, कृपया अपने मंत्री को नियंत्रित कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। तीन वर्षों तक बिहार के इस सवाल पर सरकार लुका छिपी करती रही है।...*(व्यवधान)* इसलिए इस विषय पर प्रधान मंत्री जी का जवाब ही मान्य है। इस विषय पर दलों का सवाल नहीं है, पूरे बिहार के अस्तित्व का सवाल है।...*(व्यवधान)* इसलिए कटिंग ऐक्रास दी पार्टी लाइन सब लोगों ने यही सवाल उठाया है। आज बिहार के अस्तित्व का सवाल है।...*(व्यवधान)* अभी तक जिन राज्यों को पैकेज दिया गया है, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया है।...*(व्यवधान)* इसलिए बिहार की जनता इसमें निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहती है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उप प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था।...*(व्यवधान)* वर्ष 2000 की प्रोसीडिंग्स निकाली जाए।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, साढ़े तीन बजने वाले हैं। साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : वैसे भी अब मंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इसे स्थगित करके प्राइम मिनिस्टर को डायरैक्ट कीजिए। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आ चुकी हैं। सदस्यों की भावना को समझिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि यह स्टेट मिनिस्टर–प्लानिंग का विषय नहीं है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पहुंच गई हैं। एक मिनट इनकी बात सुनने के बाद हम फैसला करेंगे।

(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : यहां इस समय जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि बिहार की गंभीर अर्थव्यवस्था के मामले पर प्रधान मंत्री जी का बयान होना चाहिए। इस सदन के कुछ नियम हैं। कॉलिंग अटैंशन मोशन किसी एक

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्पैसीफिक मिनिस्टर के नाम एडमिट होता है। उनको लोक सभा सचिवालय से कहा जाता है कि आपके नाम इस विषय को लेकर फलां सांसद ने नोटिस दिया है, आप इसके ऊपर अपना रिप्लाई भेजें। यहां जब मैम्बर खड़े होकर कहते हैं कि "मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं" मैं फलां मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं, तो जिस व्यक्ति के नाम वह नोटिस होता है, वही संबंधित मंत्री खड़े होकर उसका स्टेटमैंट देता है। उसकी स्टेटमैंट के ऊपर चर्चा होती है। उस चर्चा का जवाब वह मंत्री देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। आप ऐसा क्यों करते हैं?

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह स्टेट मिनिस्टर, प्लानिंग के जूरिस्डिक्शन में नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसका जवाब वित्त मंत्री जी अथवा प्रधान मंत्री जी दें।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उसी का जवाब दे रही हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को जानना चाहिए कि कोई भी मैम्बर कभी भी राज्य मंत्री के नाम से नहीं लिखता। वह जब भी लिखता है, मंत्री लिखता है।...*(व्यवधान)* सुषमा जी, आप नहीं थीं। कॉलिंग अटैंशन का फार्म निकाल कर देखिए। उसमें राज्य मंत्री नहीं लिखा हुआ है, उसमें संबंधित मंत्री लिखा हुआ है। संबंधित मंत्री का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, संबंधित मंत्री का मतलब राज्य मंत्री नहीं होता। आप क्यों ऐसा कर रही हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने मिनिटर ऑफ प्लानिंग को नोटिस नहीं दिया है, यह सच है। जो प्रभुनाथ सिंह जी और रघुवंश प्रसाद सिंह जी कह रहे हैं कि नोटिस निकाल कर देखें, तो नोटिस निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है। आपने इन्हें नोटिस नहीं दिया। मैं ऐसा कब कह रही हूं। आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन बहुत बार यह होता है कि किसी और मंत्री के नाम आप नोटिस देते हैं लेकिन स्पीकर साहब अपने विवेक में सही मंत्री जो उन्हें लगता है, उन्हें नोटिस भेजते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपने इन्हें नोटिस, दिया लेकिन यह जब लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगा, ऑर्डर पेपर में लगा, जब कार्यसूची में आपके घर पहुंचा तो इनका नाम लगा हुआ था इस समय आप ऑबजेक्शन कर रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि अगर उस समय स्पीकर साहब से कहा होता कि हमारा नोटिस प्रधान मंत्री के लिए है, आपने नोटिस इनके लिए लगा दिया और जब आपने इनका ध्यानाकर्षण किया और ये खड़े हुए तो उस समय ये कहते कि हम आपका ध्यानाकर्षण नहीं कर रहे हैं, हम प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। बेशक इसे आज की बजाय कल लगाओ, परसों लगाओ लेकिन प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे, आपको नहीं सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनको हमने सुना लेकिन प्रथम पंक्ति में ही उनकी लाचारी पर हम लोगों ने कहा कि ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी का ही उत्तर सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्हीं के स्टेटमेंट पर चर्चा हुई। अब आप उनका रिप्लाई नहीं सुनना चाह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले कम्पलीट तो होने दीजिए। उसके बाद बोलूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। महोदय, नियम 197 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : राम विलास पासवान जी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।...*(व्यवधान)* महोदय, नियम 197 के अंतर्गत कॉलिंग अटैंशन का जो भी दिया जाता है, वह मंत्री के नाम से दिया जाता है। इस विभाग के मंत्री प्रधान मंत्री जी हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा होगा कि राज्य मंत्री जवाब देंगे लेकिन नोटिस प्रधान मंत्री के नाम से गया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी का यह कहना कि स्पेसिफिक मंत्री का सैक्रेटरिएट से चुना होता है, यह लोक सभा सचिवालय का जॉब नहीं है। यह मंत्री के नाम से जाता है और मंत्री कह सकते हैं कि राज्य मंत्री इनका जवाब देंगे। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जो कह रही हैं, वह सही नहीं कह रही हैं। यही मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रभुनाथ जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात का मैं समाधान करूंगी।...*(व्यवधान)* राम विलास जी, एक तो आप बिना जानकारी के बात कहते हैं। मेरे हाथ में लोक सभा सचिवालय का कागज है। यह प्रधान मंत्री सैक्रेटरिएट का कागज नहीं है। जो इनको गया है, जहां इनको कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से होगा। लेकिन मैं यह बात कह रही हूं कि...*(व्यवधान)* राम विलास पासवान जी, बीच-बीच में आप खड़े होंगे तो कैसे चलेगा? मेरा यह कहना है कि इधर से सांसद कह रहे हैं कि हमने इनका जवाब सुन लिया। मैं यह कह रही हूं कि स्टेटमैंट और रिप्लाई में अंतर है। इन्होंने रिप्लाई नहीं सुना, स्टेटमैंट सुना है। वक्तव्य और जवाब में अंतर है। आपने वक्तव्य सुना है, जवाब नहीं सुना है।...*(व्यवधान)* वक्तव्य पर चर्चा हुई है। उन्होंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है। वक्तव्य के ऊपर चर्चा हुई है। अब चर्चा का जवाब होगा। वाद-विवाद के बाद उत्तर और वाद-विवाद से पहले वक्तव्य होता है।

श्री अरूण कुमार : इस पर प्रधान मंत्री जी का जवाब ही उचित होगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स का टाइम है। वह मुझे एक्सटेंड करना है, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा यह कहना है कि सिर्फ एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगी। आपकी बात का समाधान करूंगी। आपकी बात का समाधान प्रधान मंत्री जी की बात से होगा न?...*(व्यवधान)* मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते। अगर बात पूरी नहीं होने देंगे तब कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप पर हमें भरोसा है। आप जरूर प्रधान मंत्री जी से बुलवाइएगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : नियम पूरा हो जाने दें। अब नियम क्या है? पहले मंत्री का स्टेटमैंट, उसके बाद चर्चा। चर्चा के बाद मंत्री का रिप्लाई। उसके बाद असंतोष का प्रकटीकरण, अगर संतुष्ट नहीं होते तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टेटमैंट हो गया। पहले इन्होंने ध्यानाकर्षण किया। इन्होंने स्टेटमैंट दे दिया। स्टेटमैंट पर चर्चा हो गई। अब चर्चा का जवाब हो जाए। जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते तो कह दें। तब हम प्रधान मंत्री जी को निवेदन करेंगे।...*(व्यवधान)* पहले जवाब तो सुनिए।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण कुमार : उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह आपको कैसे पता है। यह ठीक नहीं है। पहले आप उनका जवाब सुन लें। अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर कहें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जवाब में कुछ भी नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने वक्तव्य सुना है, जवाब नहीं सुना। आप पहले जवाब की प्रक्रिया तो पूरी होने दें।

श्रीमती कान्ति सिंह : उनके जवाब में लाचारी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई लाचारी नहीं है।

श्रीमती कान्ति सिंह : आप प्रोसिडिंग में देख लें। पहले उनको जवाब तो देने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके आने से पहले यही कहा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इनका जवाब होने दें।

श्री अरूण कुमार : हम मंत्री जी के जवाब से पूर्णतः असंतुष्ट हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तो जवाब आने के बाद निर्णय करेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : बिना जवाब के ही असंतोष व्यक्त कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले जवाब सुनिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मूल प्रश्न के बारे में एक वाक्य भी इनके जवाब में नहीं आया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या आपने जवाब देख लिया, पहले जवाब तो सुनिए। जवाब आने के बाद संतुष्ट न हों तो फिर कहें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : स्टेटमैंट सुना है, जवाब भी सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कहा है कि मंत्री जी के जवाब से अगर आपको सैटिसफैक्शन नहीं होती तो उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर सोचा जा सकता है। लेकिन उन्हें एक मौका तो देना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, अब हमारी भी सुन लें और फिर निर्णय करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले कालिंग अटैंशन डिस्पोजल होना चाहिए, उसके लिए पी.एम.बी. के टाइम में एंक्रोच करना पड़ेगा। क्या सभा इस मद के लिए समय बढ़ाना चाहती है?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : नो, नो।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम एक निवेदन करना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ झा : आप प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को शुरू कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय की बात करें, हमें इस तरह से कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : सुषमा जी ने कहा है कि मंत्री जी के जवाब से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो प्रधान मंत्री जी से वह आग्रह करेंगी। यहां दोनों पक्ष के लोग मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जवाब नहीं दिया गया है।

श्री राम विलास पासवान : जवाब है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्टेटमेंट था।

श्री राम विलास पासवान : आप प्रधान मंत्री जी से जवाब दिलाएं और भविष्य के लिए इस पर रूलिंग दें कि यह मंत्री जी के नाम से जाता है, राज्य मंत्री के नाम से नहीं जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने स्पीकर साहब को यह लैटर लिखा है। उसमें कहा है कि यहां प्लानिंग का काम मेरे सहयोगी मुखर्जी देखेंगे और अध्यक्ष महोदय ने उसको हां करके यह किया है। फिर भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर उनके जवाब से संतुष्टि नहीं होगी, तो प्रधान मंत्री जी के बारे में भी सोचा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब ये संतुष्ट नहीं होंगे, तब सोचेंगे। पहले आप मंत्री जी को तो सुन लें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम एक निवेदन करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि मंत्री जी को सुन लें। हम आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहते हैं कि इसके पहले भी एक बार ऐसा ही सवाल उठा था। उस समय वसुंधरा राजे जी ने उत्तर दिया था। प्रधान मंत्री जी जब यहां आए तो कहा कि आप नहीं थे, उस समय उन्होंने पूछा कि किसने उत्तर दिया तो कहा गया कि वसुंधरा राजे जी ने दिया है। उस समय उन्होंने कहा था, नही, नहीं। इस मामले में या तो वित्त मंत्री को उत्तर देना चाहिए या स्वयं मैं रहता। यह हम सभी के सामने सदन में प्रधान मंत्री जी द्वारा कहा हुआ वाक्य है। आज जब वह सवाल आया है तो प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ और है। प्रश्न पूर्व के बारे में है और उत्तर पश्चिम के बारे में है। तो कैसे इन

पर यकीन किया जा सकता है। सदन में जुदेव जी का मामला हुआ। जिस समय सवाल उठा था माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं थे। जब सवाल उठा तो सुषमा जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को अवगत कराया और माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में आकर जवाब दिया। आज माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। इनके मंत्री जी ने सवाल को नोट किया है। मंत्री जी और सुषमा जी माननीय प्रधान मंत्री जी को बताएं। हमने यह मांग तो नहीं की कि कल जवाब दें। जब माननीय प्रधान मंत्री को सुविधा हो, तब जवाब दें। यह हमारी भावनाओं का और प्रदेश का सवाल है। माननीय प्रधान मंत्री जी को जब सुविधा हो, तब जवाब दें, हम स्वीकार करने को तैयार हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, सदन की भावना से निश्चित ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दूंगी। जिस तरह की भावनाएं मैं देख रही हूं, उसमें सदन बंटा हुआ नही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय, सभी लोग एक ही तरह से यह बात बोल रहे हैं। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी को सुनने की बात है तो फिर उनकी सुविधा से हम लोग समय तय करेंगे और वे जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर कॉलिंग–अटैंशन का जो नियम है उसके अनुसार तो इसे अभी डिस्पोज–ऑफ करना है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नियम तो ये खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं उसको करिए।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष जी, 3.30 बजे पर प्राइवेट मैम्बर बिजनेस लिस्टिड है। जो बिजनैस जहां है वहीं खत्म होना चाहिए। यह हमारी व्यवस्था का प्रश्न है। अगर कॉलिंग–अटैंशन यहीं डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो इसी रूप में रहेगा। आगे आप कोई डेट निकाल कर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। आज उसका डिस्पोजल कैसे हो सकता है? 3.30 बजे पर प्राइवेट मैम्बर बिजनैस शुरू हो जाए। जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उनकी सुविधा देखकर आगे के दिन इसको लगा सकते हैं। इसमें कोई नियम बाधक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : जिस दिन प्रधान मंत्री जी जवाब दें, उसी दिन लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगे।

श्री नीतीश कुमार : 3.30 बजे के बाद तो यह स्थगित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी में एक नयी परम्परा हम कायम करना चाहते हैं।

(अनुवाद)

हम पहले ही गैर–सरकारी सदस्यों का समय ले चुके हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य का क्या हुआ?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : 3.30 बजे के बाद हम यह सारा डिस्कशन ईर्रेगुलर कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : परम्परा और नियम का समाधान यह है कि माननीय मंत्री जी खड़े हों। उन्हें एक–दो वाक्य जो बोलने हैं, उसके साथ कॉलिंग–अटैंशन डिस्पोज ऑफ हो जाए और स्वतः स्पष्ट स्टेटमेंट माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार पैकेज पर आकर कर लें।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, कॉलिंग–अटैंशन में जवाब पर्सनल होता है लेकिन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर कोई पर्सनल जवाब नहीं होता है। इसलिए यह पर्सनल जवाब के रूप में होगा। इसलिए कॉलिंग–अटैंशन रूल में आपको संशोधन करना भी पड़े तो यह चेयर का अधिकार है कि वह कर सकता है। आप इसको करें। लिस्ट ऑफ बिजनैस में इसको दुबारा लाया जाए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि दुबारा कॉलिंग–अटैंशन चले।

श्रीमती सुषमा स्वराज : दुबारा व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती है कि उसी विषय पर उसी सत्र में...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : चेयर को विशेषाधिकार है, डायरेक्शन दे सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्याय जी, जो व्यवधान हो रहा है उस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे माननीय मंत्री महोदया ने अर्ज किया स्वतः स्पष्ट स्टेटमेंट के लिए। संसद सर्वोपरि है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। कॉलिंग–अटैंशन में चार मैम्बर नामित थे। कालिंग–अटैंशन में

चार सदस्यों के नाम के बाद पांचवें नाम का नियम नहीं है। विशेष परिस्थितियों में चेयर को यह अधिकार है कि माननीय सदस्यों को एक प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया गया है और यह आज हुआ है। जहां तक परम्परा के समाधान का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई नई परम्परा नहीं है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर बिजनेस लिया जाना था, आपने सदन से सैंस ले लिया और सदन को यह अधिकार हासिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं लिया जा सका, आपने लोगों ने छोड़ा ही नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : देखिए, फिर रेल मंत्री जी ने जो कहा है, हम उससे सहमत हैं। आपने सैंस नहीं लिया, तो सैंस ले लिया जाए। संसदीय प्रक्रिया में हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी का जवाब हो जाए, लेकिन सुओ–मोटो स्टेटमेंट नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : महोदय, नीतीश जी ने बिलकुल सही बात कही है। साढ़े तीन बजे कालिंग अटैंशन चल रहा था और उस समय तक इसका डिसपोजल नहीं हुआ था, मंत्री जी का जवाब नहीं मिला था। तीन बजे प्राइवेट मेंबर बिजनेस शुरू हो जाता है और उस वक्त तक मंत्री जी का जवाब नहीं हुआ था, मतलब यह कि जवाब अधूरा है। इसलिए जवाब के लिए अगली तारीख दे दी जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने ही कहा कि कालिंग अटैंशन का जवाब नहीं हो सकता है, जबकि उसी दिन डिसपोजल होता है। यह भी बताया गया कि चार लोग से ज्यादा लोग बोले हैं।

[अनुवाद]

इसका अर्थ है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक प्रकार से चर्चा में बदल गया है। यह अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है। यह अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं रहा क्योंकि अनेक वक्ता बोल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसका अर्थ है कि यह एक प्रकार से चर्चा में बदल गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पहले ही सूचीबद्ध कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि तीन या चार सदस्यों को एक विशेष मामले के रूप में बोलने का अवसर दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अत:, विशेष मामले के रूप में प्रधान मंत्री उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह निर्णय करूंगा कि सर्वप्रथम सभा यह चाहती है कि इस प्रयोजन के लिए हमने अब तक जो भी कार्य किया है, उसके लिए समय को विनियमित करें? सबसे पहले मुझे इसके बारे में बताइए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं अब आपको अपने निष्कर्ष बताता हूं। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर और इसका निपटान प्रश्नकाल के पश्चात सोमवार को होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी नहीं, यह अगले दिन नहीं होगा।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी की सुविधा से समय तय कर लिया जाएगा, जिससे चर्चा का वह जवाब दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला समाप्त हो गया।

[अनुवाद]

अब सभा गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करेगी।

अपराह्न 3.49 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 10 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 दिसम्बर, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.50 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण वाद-विवाद स्थगित

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 23 पर विचार करेगी। श्री सुरेश कुरुप बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभा में विनिवेश मंत्री उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : यहां कौन है? यहां कोई मंत्री नहीं है? मंत्री महोदय कहां हैं?...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : माननीय केंद्रीय मंत्री विदेश गए हुए हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु जेनेवा गए हैं। वह माननीय अध्यक्ष को पहले ही लिख चुके हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने लिखा है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : क्या मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वह सक्षम हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : क्या विनिवेश उपमंत्री यहां हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोई उपमंत्री उपस्थित नहीं है। यहां केवल दो–स्तरीय प्रणाली है। यहां केवल राज्य मंत्री है और उप मंत्री नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : श्री तिरुनावुकरसर एक सक्षम मंत्री हैं लेकिन वह विनिवेश मंत्रालय का कार्य नहीं देख रहे हैं। प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि उन्हें पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है इसलिए प्रश्न यह है कि उनके उत्तर देने से पूर्व ही आप उनके कार्यनिष्पादन को किस तरह कम करके आंक सकते हो?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : मैं माननीय मंत्री के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन जैसाकि हम सभी जानते हैं कि विनिवेश मंत्रालय में कोई राज्य मंत्री नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं ...*(व्यवधान)* मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप, आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए आप यहां उनके कार्यनिष्पादन पर कोई टिप्पणी न करें। यह आपके लिए उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं। मैं संबंधित मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं जो यहां हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित मंत्री ने माननीय अध्यक्ष को लिखा है। माननीय अध्यक्ष ने 'हां' कहा है। जिन मंत्री महोदय को उन्होंने प्राधिकृत किया है वह उनकी ओर से कार्य कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : यहां तक कि कैबिनेट मंत्री, श्री अरुण शौरी भी यहां पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं

[श्री सुरेश कुरुप]

हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सरकार इसका निर्णय करेगी। वह मंत्री की योग्यता के बारे में किस तरह निर्णय कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : मैने कहा कि मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध नहीं हूं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत अथवा इस तरह की कोई बात नहीं है...*(व्यवधान)* क्या विनिवेश मंत्रालय में कोई राज्य मंत्री है?...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : लेकिन वह विनिवेश मंत्रालय का काम नहीं देख रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इससे अभी निपट सकते हैं। उन्हें पहले ही इसके लिए प्राधिकृत किया जा चुका है। क्या आप समझते हैं कि वह बिना तैयारी के यहां आएंगे? वह इसके लिए तैयार हैं। वह यहीं पर हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप, आप बोल रहे थे। यदि आप चाहें तो अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, वह किसी भी तरह से विनिवेश मंत्रालय से जुड़े हुए नहीं हैं। इस कार्य में काफी गड़बड़ी है...*(व्यवधान)*

श्री सु. तिरुनावुकरसर : श्री सुरेश कुरुप, कृपया अपनी सीट पर बैठें। यह सही है कि विनिवेश मंत्रालय मे कोई राज्य मंत्री नहीं है और केबिनेट मंत्री ही इसके प्रभारी हैं। श्री अरुण शौरी हमारे केबिनेट मंत्री हैं। जेनेवा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह विदेश गए हैं। चूंकि यह मामला आंशिक रूप से यहां उठाया जा चुका है इसे आज की सूची में शामिल कर लिया गया है। यदि माननीय मंत्री जी मुझसे संतुष्ट हैं तो हम उनके तर्क सुन सकते हैं। मैं उनको जवाब देने को तैयार हूं...*(व्यवधान)* मैं उनके प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : क्या वह इस बात का आश्वासन दे पाएंगे कि एच.एन.एल. का निजीकरण नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्री अरुण शौरी भी ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय मंत्रिमंडल या सरकार द्वारा लिया जाता है। यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तो वह हां कहेंगे अन्यथा नहीं

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : मैं अपने माननीय मित्र का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन उनके पास विनिवेश का मामला नहीं है। वह किसी भी तरह इससे जुड़े नहीं हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें माननीय मंत्री जी द्वारा पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है और माननीय अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दी है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो यह ठीक है...*(व्यवधान)*

श्री सु. तिरुनावुकरसर : चूंकि पिछले सत्र में इस मुद्दे पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है इसीलिए अनुसूची के अनुसार इसे आज की कार्यवाही में शामिल किया गया है। यदि इसे आज की सूची में नहीं रखा जाता तो यह इस सत्र में नहीं लिया जाएगा और अगले सत्र में ही आ पाएगा। अगले शुक्रवार को गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लिया जाएगा और उससे अगले शुक्रवार को सत्र नहीं है इस प्रकार, यह संकल्प अगले सत्र में ही आ पाएगा।

महोदय, चूंकि यह आज की सूची में सम्मिलित किया गया है और मैं इस बहस के लिए तैयार आया हूं...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : कृपया इसे व्यक्तिगत रूप में मत लीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूं।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा वास्तव में अधीर हो रही है। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, अभी हमने देखा है कि माननीय

प्रधान मंत्री ने एक अन्य मंत्री को जवाब देने हेतु प्राधिकृत किया और कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है।...*(व्यवधान)* इस मंत्रिमंडल का कोई भी अन्य मंत्री नहीं जानता कि विनिवेश मंत्रालय में क्या चल रहा है। क्या कोई जानता है? कोई नहीं जानता...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिए।

श्री सुरेश कुरुप : कोई भी इस बारे में नहीं जानता है। मंत्री जी इसे अपनी निजी जागीर समझ रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं कि यदि माननीय सदस्य विनिवेश मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री से जवाब सुनना चाहते हैं तो इसे किसी अन्य दिन लिया जा सकता है जब वे यहां उपस्थित होंगे...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : नहीं, इसे अभी प्रस्तुत करना मेरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री सु. तिरुनावुकरसर : महोदय, मैं अन्य विकल्प दूंगा। माननीय सदस्य अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप : आप किसी सदस्य के अधिकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

श्री सु. तिरुनावुकरसर : वह अपनी बात कह दें और इसका जवाब माननीय मंत्री जी जब आएंगे तब दिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, आप बहस शुरू कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बोलने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैं बोलने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि विनिवेश मंत्री यहां नहीं हैं, उनकी जगह राज्य मंत्री को नामजद किया है। सबसे पहला सवाल बहस की सार्थकता का है कि जब कैबिनेट मंत्री यहां नहीं हैं और जो राज्य मंत्री हैं, उनका इस विषय से संबंध नहीं है, चर्चा की सार्थकता नहीं रहती। यदि कैबिनेट मंत्री यहां होते तो चर्चा का महत्व रहता। विषय की गंभीरता को देखते हुए उतना माकूल जवाब नहीं आ पाएगा, जितना आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह हाउस की परम्परा रही है कि यदि संबंधित मंत्री न हों तो दूसरे मिनिस्टर अथौराइज किए जाते हैं और वे यहां बहस का उत्तर देते हैं। आपको मालूम है क्योंकि आप एक सीनियर मैम्बर हैं। चर्चा शुरू की जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि चाहे माननीय राज्य मंत्री जवाब दें या श्री अरुण शौरी उन्हें बहस का जवाब देने के लिए प्राधिकृत करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महोदय, जैसा कि इस सभा में हर कोई जानता है कि यहां तक केबिनेट मंत्री भी विनिवेश मंत्रालय में हो रही घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। श्री राम नाईक तेल मंत्रालय की घटनाओं के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञ थे और केवल सर्वोच्च न्यायाल के हस्तक्षेप से ही सरकार के इस कार्य को रोका जा सका।

अभी–अभी हमने देखा कि माननीय प्रधान मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री को जवाब देने के लिए प्राधिकृत किया, परंतु कोई भी संतुष्ट नहीं था। आप किसी भी केबिनेट मंत्री से पूछें कि विनिवेश मंत्रालय में क्या चल रहा है। तो वे कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं यह बात यहां उठा रहा हूं। कोई बात नहीं मैं अब अपनी बात जारी रखता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री सु. तिरुनावुकरसर : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। महोदय, मैंने उन्हें कुछ वैकल्पिक सुझाव भी दिए हैं...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : जहां तक विनिवेश मंत्रालय का संबंध है, विनिवेश का सवाल दूसरे राज्य मंत्री पर छोड़ दिया जाए, यह कैसे हो सकता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर का दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से सामंजस्य नहीं है, एक–दूसरे के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। इतना गंभीर विषय हो, फिर भी

[श्री सुरेश कुरुप]

एक दूसरे मिनिस्टर के डिफ्रेंस वर्शन्स हों, चर्चा की सार्थकता कहां रह जाती है? मैं राज्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं। चर्चा के लिए यह बिलकुल उचित नहीं है कि जिस विभाग का मंत्री यहां नहीं है, राज्य मंत्री इस गंभीर मुद्दे पर ठीक जवाब दे पाएंगे या नहीं? जब श्री अरुण शौरी जी यहां नहीं हैं तो चर्चा का कोई ज्यादा महत्व नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सु. तिरुनावुकरसर : मैं आपसे इसी सुझाव के बारे में ही बता रहा हूं। मैंने इस बारे में माननीय अध्यक्ष जी से भी बात की है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे अपनी बात जारी रख सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री सुरेश कुरुप : मैं बिलकुल चाहता हूं।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : अन्यथा वह अपनी बात जारी रख सकते हैं और इसका जवाब संबंधित मंत्री के पहुंचने के बाद दिया जाएगा, यदि माननीय सदस्य उनकी ही बात सुनना चाहते हों। यह दूसरी बार है कि इस विषय को आंशिक रूप से सुना जा रहा है। इसे अगले सत्र में भी सुना जा सकता है। नियमों के अनुसार इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्हें अपना भाषण शुरू करने दीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चर्चा में भाग ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश, उन्हें कौन रोक रहा है?

श्री सु. तिरुनावुकरसर : यदि वह मेरी बात सुनने को तैयार हों, तो मैं भी बहस का जवाब देने को तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिरुनावुकरसर, आप अपनी सीट पर बैठिए। श्री सुरेश कुरुप को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, गत सप्ताह हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड के प्रतिनिधि और हम संसद सदस्यगण उद्योग मंत्री से मिले थे और तब उन्होंने कहा था कि वह इस बारे में पूरी तरह असहाय हैं और उन्हें पता नहीं कि इसका निजीकरण होगा या नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम यहां बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में सदस्यों द्वारा जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, विनिवेश मंत्री को उनका उत्तर देना चाहिए।

महोदय, जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, इस सभा में कई बार निजीकरण के मुद्दे को उठाया जाता है और उस पर बारीकी से चर्चा की जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस सभा में पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मंत्री जी समर्थ नहीं थे। निजीकरण भाजपा की आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु हो गया है। इसलिए वह निजी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम का निजीकरण और विनिवेश करने पर तुले हैं। जब एपचीसीएल तथा बीपीसीएल जैसी प्रमुख तेल कंपनियां निजीकरण की राह पर थीं तो उस समय इस सभा में बार–बार इस बात का उल्लेख किया गया चूंकि संसद के एक अधिनियम द्वारा इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसलिए इन कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन सरकार यह बात सुनने को तैयार नहीं है। जब उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में हस्तक्षेप किया और कहा कि सरकार को इसके लिए लोकसभा से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, तो महोदय, आपको पता है कि मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक "बहुत बड़ा धक्का" है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कैबिनेट मंत्री यह कहता है कि इस मुद्दे को संसद के समक्ष लाना और इस सम्मानित सभा की अनुमति प्राप्त करना एक बहुत बड़ा धक्का है। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए, इस विषय पर चाहे सभा के अंदर की गई आलोचना का प्रश्न हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई आलोचना हो, या सभा के बाहर जनता द्वारा किया जा रहा संघर्ष हो, निजीकरण की राह पर अग्रसर होने से सरकार को कोई नहीं रोक पाया है। सरकार ने कहने को उत्तर तो दिया है, लेकिन वह इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए किसी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने में समर्थ नहीं हुई है।

अपराह्न 4.03 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय पीठासीन हुए।)

सरकार यह नहीं बता पाई है कि लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का निजीकरण क्यों हो रहा है। सरकर यह भी स्पष्ट नहीं कर सकी है कि निजीकरण से प्राप्त धन का वह किस तरह उपयोग करेगी। सरकार के लिए कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है और उनके लिए हर चीज गैर–महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी उद्योग हो, उसकी चाहे जो भी महत्ता हो, सरकार उनके निजीकरण पर उतारू है। सरकार का मानना

है कि हमारी अर्थव्यवस्था में व्याप्त कमियों को केवल निजीकरण के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को ही ले लें। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं केरल में कुछेक ही केंद्रीय सरकारी उपक्रम हैं और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह एकमात्र केंद्रीय सरकारी उपक्रम है। यह उपक्रम शुरू से ही लाभ अर्जित करता रहा है। भारत की यह एकमात्र न्यूजप्रिंट फैक्ट्री है जो भारत के बाहर न्यूजप्रिंट का निर्यात करती है। कोई दूसरी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री ऐसा कर दिखाने में समर्थ नहीं थी। महोदय, अब वहां एक नए डि–इंकिंग संयंत्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जब भारी उद्योग मंत्री थे, तब वह केरल गए थे और वह उस फैक्ट्री में भी गए थे तथा वहां डि–इंकिंग संयंत्र का उद्घाटन भी किया था ताकि इसमें अखबारों में प्रयुक्त किए गए कागज को पुनः लुगदी में बदला जाए और उसे पुनः फैक्ट्री में उपयोग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाए और जब भी कच्ची सामग्री की कमी हो तो उस स्थिति से निपटा जा सके। इसलिए इस संयंत्र में एक हजार से अधिक श्रमिक अनुबंधित श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगभग 10,000 लोग यहां रह रहे हैं जो यहां के अनुषंगी प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं।

महोदय, केरल सरकार ने इस फैक्ट्री को केरल में स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इसके लिए लगभग 687 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और केरल सरकार ने इसके लिए धन का भुगतान भी किया। इस फैक्ट्री को इसकी कच्ची सामग्री के उत्पादन के लिए लगभग 3800 हेक्टेयर वन भूमि दी गई। इस फैक्ट्री में जब भी कोई समस्या हुई, केरल सरकार ने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया।

मुझे याद है 1987 में, तब मैं इस सभा का सदस्य था, कच्ची सामग्री का बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया, और फैक्ट्री इसके लिए अतिरिक्त भूमि की मांग कर रही थी। मैं इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसलिए मैं, फैक्ट्री के तत्कालीन महाप्रबंधक और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ केरल के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री ई. के. नयनार से मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने फैक्ट्री के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने में एक मिनट की भी देरी नहीं की और केरल सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम था। क्या आप जानते हैं कि इस फैक्ट्री को वन भूमि आवंटित करने के बारे में केरल उच्च न्यायालय में दायर मामले में केरल सरकार ने अपने शपथ पत्र में क्या कहा? केरल सरकार ने कहा कि वह यह भूमि हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को इसलिए दे रही है क्योंकि यह एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है, कि केंद्र सरकार केरल सरकार से परामर्श किए बिना और उसकी अनुमति प्राप्त किए बगैर इसका निजीकरण कैसे कर सकती है? इस बात की क्या गारंटी है कि इस फैक्ट्री के निजीकरण के बाद केरल सरकार वन भूमि निजी कंपनी को देगी भी या नहीं? केरल सरकार ने वन भूमि इसलिए दी थी क्योंकि यह केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम है। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उपक्रम केरल में आए और कार्य करे। और अब इन सभी बातों को ध्यान में रखे बिना केंद्र सरकार हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड के 74 प्रतिशत शेयर निजी हाथों में बेच रही है।

केरल में इस बात को लेकर लोग काफी आंदोलित हैं। श्रमिक हड़ताल पर हैं और कंपनी पर बोली लगाने के लिए आए निविदाकर्ताओं को कंपनी में नहीं घुसने दिया गया। जिला में इस बात को लेकर हड़ताल होने जा रही है। यदि सरकार इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है तो वहां कंपनी के निजीकरण के विरुद्ध काफी प्रतिरोध होगा।

महोदय, कोई भी निजी उद्यमी इस फैक्ट्री में न तो प्रवेश कर सकता है, न इसे खरीद सकता और न ही इसे चला सकता है। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों का क्या होगा? फैक्ट्री में जो आरक्षण नीति लागू थी उसका क्या होगा? सरकार हमारे इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे रही है, और उसने यह तय कर लिया है हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। वास्तव में मैंने यह चर्चा इसलिए आरंभ की ताकि यह सभा इस बात को जान सके कि इस को लेकर हमारे जिला में कितना बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है।

महोदय, आप एफएसीटी से संबद्ध मुद्दे से अवगत होंगे। यह केरल का एक महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। यह एक निजी क्षेत्र का उपक्रम था जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। बाद में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एफएसीटी का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। महोदय, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान सहकारिता मंत्री

[श्री सुरेश कुरुप]

केरल के सांसदों के साथ कई बार दिल्ली आए हैं और वे माननीय प्रधान मंत्री तथा विनिवेश मंत्री वगैरह से मिले हैं। केरल सरकार इस फैक्ट्री को सहाकारिता क्षेत्र में लेने और रखने के लिए तैयार है।

लेकिन, विनिवेश मंत्री इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। इस समय एफएसीटी में 5000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, और इस फैक्ट्री के पास कोचीन के उप शहरी क्षेत्र में 2,500 एकड़ जमीन है। इसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। इस फैक्ट्री ने हमारे देश के कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके कारण यहां हरित क्रांति लाने में काफी सहायता मिली है। केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश के माध्यम से प्रबंधन को एक अमोनिया संयंत्र आरंभ करने का निदेश दिया है और इसके कारण फैक्ट्री घाटे में जा रही है। अब, ट्रेड यूनियनों तथा फैक्ट्री प्रबंधन ने केंद्रीय सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव सौंपे हैं। हम सभी दो बार प्रधान मंत्री जी से और कई बार विनिवेश मंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन न तो प्रधान मंत्री और न ही विनिवेश मंत्री इन प्रस्तावों के बारे में कुछ सुनने को तैयार है। केरलवासियों और केरल सरकार का यह मत है कि एफएसीटी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए।

इस संकल्प में मैंने जिस एक और बात का उल्लेख किया है, वह कोचीन शिपयार्ड से संबंधित है। केरल में इस शिपयार्ड की स्थपना के पीछे एक इतिहास है। 1965 में जब केंद्रीय सरकार ने इस शिपयार्ड को केरल से अन्यत्र हस्तांतरित करने का प्रयास किया था, तो इस बात पर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। उस समय कामरेड गोपालन प्रतिपक्ष के नेता थे। उनके नेतृत्व में सभी राजनीतिक दल एक हुए और इस शिपयार्ड को केरल में ही स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तब, केंद्र सरकार कुछ नरम पड़ी और शिपयार्ड की स्थापना केरल में हुई। शुरू से ही यह शिपयार्ड लाभ अर्जित करता रहा है। केरल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। अब केंद्र सरकार इसके निजीकरण पर विचार कर रही है।

केरल में कुछेक ही केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। उनमें से जो तीन महत्वपूर्ण उपक्रम हैं वे हैं–एफएसीटी, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड तथा कोचीन शिपयार्ड।

मैं कहना चाहूंगा कि केरलवासी इन उपक्रमों जो कि केरल का एक अंग हैं, के निजीकरण की अनुमति नहीं देंगे। ये उपक्रम केरलवासियों द्वारा प्रदत्त धन से बने हैं। इन फैक्ट्रियों की स्थापना और परिचालन के लिए केरल सरकार ने बहुत अधिक योगदान किया है। जब भी इस बारे में कोई संकट पैदा हुआ, केरल सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। जहां तक हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड का प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

मेरी आपत्ति यह है कि केन्द्र सरकार इस बारे में केरल सरकार से परामर्श नहीं कर रही है। यद्यपि इन फैक्ट्रियों की स्थापना और परिचालन में केरल सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथापि इस बारे में केरल सरकार की राय नहीं ली जा रही है। यदि केन्द्र सरकार जनमत की और केरल सरकार की अवहेलना करती है, तो इसका पुरजोर विरोध होगा और किसी निजी उद्यमी के लिए केरल आना और इन फैक्ट्रियों को खरीद पाना मुश्किल हो जायेगा। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री रमेश चेन्नितला को बोलने के लिए पुकार रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : माननीय सभापति महोदय, यहां जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन सदन में कोई सक्षम प्राधिकारी नहीं है, मैं समझता हूं कि इस चर्चा में भाग लिया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं, मैं पहले ही श्री रमेश चेन्नितला का नाम पुकार चुका हूं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन न तो यहां सदस्य हैं और न ही मंत्री। इस मामले को यहां उठाने का क्या फायदा?

श्री रमेश चेन्नितला : इस विषय को हम पहले ही उठा चुके हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : चर्चा में हम भाग लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय : केरल राज्य से संबंधित यह बहुत ही गंभीर विषय है।

श्री अधीर चौधरी : सरकार की लापरवाही के कारण पूरा विषय ही फीका पड़ गया है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : माननीय, सभापति महोदय, अपने माननीय साथी, श्री सुरेश कुरुप द्वारा उठाए गए संकल्प के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह एक अति गंभीर विषय है और इस पर केरल के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा समूहों में आम सहमति बन गई है।

विनिवेश मंत्री, श्री अरुण शौरी आज सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे विद्वान साथी श्री तिरुनावुकरसर, जिसने तमिलनाडु में अपने आप को कुशल प्रशासक साबित किया, इस सम्माननीय सदन के सदस्यों तथा विशेषकर केरल के सदस्यों की भावना को मंत्री जी तक पहुंचाएंगे क्योंकि यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है।

इस सम्माननीय सभा में विनिवेश के मुद्दे पर 14–15 से अधिक बार चर्चा हो चुकी है। हर बार संसद सदस्यों ने सरकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, दुर्भाग्यवश विनिवेश मंत्री और सरकार, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई थी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी माना गया था। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर माना है। वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को बेचा जा रहा है। बिना किसी निर्देश के या विचार के इन उपक्रमों को बंद किया जा रहा है, इसी वजह से औद्योगिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

हमें नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार विनिवेश के प्रयोजनार्थ विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का चयन करती है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का चयन करने के लिए सरकार क्या मानदण्ड अपना रही है? मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के पास विनिवेश के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। किसी को यह भी नहीं मालूम कि विनिवेश प्रक्रिया से एकत्रित धन का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा।

पहले, जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने विनिवेश प्रक्रिया के कारण और उद्देश्यों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। विनिवेश प्रक्रिया से एकत्रित किए गए धन का उपयोग समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया जाना था इसका उपयोग सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों तथा सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जाना था। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो सरकार ही और न ही विनिवेश मंत्री, श्री अरुण शौरी इस बात को स्पष्ट कर पाए कि विनिवेश प्रक्रिया द्वारा एकत्रित किए गए धन का उपयोग कैसे होगा।

अगर सरकार इस धनराशि का उपयोग बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए ही करेगी तो इससे करोड़ों पीड़ित लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या विनिवेश प्रक्रिया से एकत्रित धनराशि सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी, जिसकी देश में बहुत आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में कोई संदर्शी नीति नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य 1991–92 में 60,300 करोड़ रुपए था जो 1999–2000 में 1,61,000 करोड़ रुपए हो गया। 1991'–92 में 4 प्रतिशत निवल मूल्य था जो 1995–96 में दस प्रतिशत हो गया और 1999–2000 में यह 9 प्रतिशत रहा।

महोदय, संगठित क्षेत्र के रोजगार में 70 प्रतिशत कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी हैं, जिसमें से आधे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का चौथाई भाग है। केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रम इसका केवल एक भाग है।

वर्ष 2000–2001 के दौरान, कुल निवेश में 31 प्रतिशत निवेश सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया। विनिवेश के पूरे पहलू पर अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि 30,000 करोड़ रुपए का विनिवेश पहले ही किया जा चुका है इसका दो–तिहाई भाग म्यूचवल फंड को शेयर बेचने से हुआ है। दुर्भाग्यवश, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। इस संबंध में अनेक शिकायतें आ रही हैं। इस पर न केवल अपनी ओर से आलोचना हो रही है, बल्कि नेशनल डैमोक्रेटिक अलायंस के समर्थक घटक दलों से भी हो रही है। इस क्षेत्र की संदर्शी नीति के बारे में उभरे अंत के बारे में भी वे खुल कर बोल रहे हैं।

महोदय, अगर हम प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए विनिवेश

[श्री रमेश चेन्नितला]

करने में सफल हो भी जाते हैं, तो भी इस क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए 10 वर्षों से अधिक का समय और लगेगा। हालांकि इससे संबंधित अनेक विषय हैं लेकिन अभी केवल दो इकाइयों पर चर्चा हो रही है। कोई स्पष्ट नीति नहीं है और इसके लिए कोई भी संदर्शी योजना नहीं है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी चल रही है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है।

अतः महोदय इस क्षेत्र में मानचित्र तैयार करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में दसवीं योजना के अंतर्गत भी कुछ नहीं कहा गया है।

पारदर्शिता के संबंध में मैं कह रहा था कि सत्तारूढ़ सदस्यों की ओर से भी शिकायतें और आलोचनाएं आ रही हैं। विनिवेश मंत्री ने खुद सार्वजनिक रूप से कहा कि एनडीए सरकार में शामिल एक राजनीतिक दल ने मुम्बई के एक होटल की विनिवेश प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस मामले पर हमने खुद इस सम्माननीय सदन में पहले ही शोरगुल सुना है। इसलिए यह एकमात्र विषय नहीं है। ऐसे ही अनेक अन्य मामले आए हैं जिन पर न केवल इस सदन में विभिन्न समूहों से आलोचनाएं हुई हैं बल्कि बाहर से भी हुई हैं।

इसलिए विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए। इस संबंध में सभा में एक श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। इस सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

मेरे विद्वान मित्र श्री सुरेश कुरुप ने तेल कंपनियों के विनिवेश पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर ठीक ही कहा है। सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने एक नया अध्याय शुरू किया है। निश्चय ही, इस सरकार ने सदन को विश्वास में नहीं लिया और इसीलिए सभी जगहों पर आलोचानाएं हो रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप कर पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बीपीसीएल और एचपीसीएल के विनिवेश पर दिए गए निर्णय से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। सरकार को इस पूरे विषय पर सोच–विचार करना चाहिए। सरकार को स्थिति का जायजा लेना चाहिए। इस दिशा में सरकार को रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। स्थिति कितनी गंभीर है, इस बात से वे अवगत नहीं होना चाहते।

महोदय, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड और हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड–सरकारी क्षेत्र के ये तीनों उपक्रम मेरे राज्य केरल में अत्यन्त प्रतिष्ठित उपक्रम माने जाते हैं। इन तीनों को विनिवेश के लिए चुना गया है। श्री सुरेश कुरुप ने हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड के बारे में ठीक ही कहा है।

मैंने तीन बार उसी निर्वाचन क्षेत्र अर्थात कोट्टायम का प्रतिनिधित्व किया जिसका प्रतिनिधित्व श्री सुरेश कुरुप अब कर रहे हैं। यह हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की सर्वोत्तम इकाइयों में से एक है। हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की अनेक इकाइयां हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक आपके राज्य में 'नेपा' इकाई है। एक समय में यह प्रतिष्ठित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक था। अब यह काम ठप्प हो गया है, इसे बंद कर दिया गया। दूसरी इकाई, असम में नौगांव में है जिसे पहले बंद कर दिया गया था लेकिन अब यह इकाई लाभ कमा रही है। एक अन्य इकाई मैसूर में है, उसे भी बंद कर दिया गया है। एचपीसी की एकमात्र इकाई अर्थात एचएनएल लाभार्जन करने वाला सरकारी उपक्रम है।

केरल सरकार ने इस सरकारी क्षेत्र की इकाई की सहायता की है, यहां कच्चे माल की बहुत कमी थी। केरल सरकार ने आगे बढ़कर एचएनएल की सहायता की। उन्होंने इस मिल के सुचारु कार्यकरण के लिए पर्याप्त कच्चा माल प्रदान किया। हजारों कर्मचारी इस सरकारी क्षेत्र की इकाई में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ग इस इकाई को बचाने हेतु एकजुट हो रहा है।

इससे पहले भी, इस फैक्टरी में अखबारी कागज का ढेर लगने के कारण समस्या थी। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अंधाधुंध आयात के कारण इस इकाई को नुकसान हुआ; इससे पूर्ण आघात लगा। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कामगारों तथा राज्य सरकार की सहायता से एचएनएल चलता रहा और अब सरकार विनिवेश प्रस्ताव के साथ आगे आई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अन्य सभी इकाइयों को बंद कर दिया गया है अथवा वे कार्य नहीं कर रही हैं तथा एचपीसी की केवल यही इकाई जो अर्थक्षम, लाभप्रद है और सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उसका निजीकरण करने अथवा बेचने के पीछे क्या औचित्य

है? अन्य किसी इकाई को विनिवेश के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। सरकार नेपानगर इकाई के मामले में ऐसा क्यों कर रही है? सरकार नौगांव पेपर मिल्स के मामले में ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सरकार मैसूर पेपर मिल्स के मामले में ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें लेने वाला कोई नहीं है; ये सभी इकाइयां काम नहीं कर रही हैं; इन सभी को बंद कर दिया गया है।

एकमात्र इकाई जो कार्य कर रही है और लाभ कमा रही है, इस पर विचार हुआ और विनिवेश के लिए उसका चयन हुआ। यदि पूर्ण एचपीसी का विघटन होगा जिसमें नेपानगर, नौगांव, मैसूर और केरल की सभी इकाइयां शामिल होंगी, तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। दुर्भाग्य से, अन्य सभी इकाइयों को छोड़ दिया गया है और केवल एचएनएल को विनिवेश के लिए चुना गया है। यह अन्यायपूर्ण है। इसके कारण सभी मजदूर संघ और केरल की राज्य सरकार आगे बढ़कर प्रधान मंत्री और विनिवेश मंत्री के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस लाभप्रद इकाई का विनिवेश न किया जाए।

दूसरा, "फैक्ट" एक वृहत औद्योगिक इकाई है जो केरल के बीचोंबीच स्थित है। श्री कुरुप ने इसके बारे में बताया है। यह संगठन 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। यह हमारे राज्य में पुराने संगठनों में से एक है। केरल सरकार ने इस संगठन का समर्थन किया है। उन्होंने इस संगठन के लिए पर्याप्त जमीन और हर संभव सहायता दी और वह लाभार्जन कर रहा था।

जैसाकि उचित ही बताया गया था कि अमोनिया संयंत्र के कारण यह इकाई घाटे में आ गई। सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं बल देना चाहता हूं। इस संगठन को पर्याप्त समर्थन देने हेतु केन्द्र सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया जिससे यह लाभप्रद बन सके। इस संगठन को लाभप्रद बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई पैकेज नहीं दिया गया था।

श्री कुरुप ने एचएनएल के संबंध में यह बात ठीक ही कही कि डि–इंकिंग इकाई का एक प्रस्ताव था। यदि एचएनएल में डि–इंकिंग इकाई शुरू हो जाती तो यह अधिकाधिक लाभप्रद हो जाती क्योंकि वह कच्चे माल का उपयोग करती तथा कच्चे माल का आयात करने अथवा अन्य स्रोतों से इसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डि–इंकिंग इकाई संबंधी प्रस्ताव एक व्यवहार्य परियोजना थी और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

सरकार ने "फैक्ट" को सहायता नहीं दी। मैं आरोप लगाता हूं कि केन्द्र सरकार जानबूझकर इस संस्थान को रुग्ण बना रही है। सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान इस संस्थान की सहायता हेतु आगे नहीं आ रहे हैं। किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना यह संस्थान किस तरह अस्तित्व में रह सकता है? भारी उद्योग मंत्रालय क्रमशः सुव्यवस्थित और सुनियोजित रूप से इस संगठन को रुग्ण बना रहा है। 'फैक्ट' तथा ऐसे अन्य संगठनों के प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति में महीनों लगेंगे जिससे संगठन समाप्त हो जाएं, रुग्ण हो जाएं और सरकार उसे बेच सके। वास्तव में यही हो रहा है।

श्रमिक सहकारिता बन रही हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। चीन में, श्रमिक सहकारिताएं आगे आ रही हैं और ऐसे उपक्रमों, फैक्टिरियों तथा अन्य लघु इकाइयों का कार्यभार संभाल रही हैं तथा उन्हें लाभप्रद इकाइयों में बदल रही हैं। भारत सरकार इस पद्धति का अनुसरण क्यों नहीं कर सकती है? जब श्रमिक सहकारिताएं इनका कार्यभार संभालने के लिए आगे आ रही हैं तो भारत सरकार इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? 'फैक्ट' का मामला लीजिए। केरल सरकार, मुख्यमंत्री तथा यूनियन के नेता सहकारिता के गठन हेतु एकजुट हुए और उन्होंने अनुरोध किया कि यह उन्हें सौंप दिया जाए लेकिन केन्द्र सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई। विडम्बना यह है कि केन्द्र सरकार कह रही है कि इस सहकारिता को बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता के रूप में ही माना जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि केरल सरकार द्वारा समर्थित श्रमिक सहकारी सोसायटी को बोली के लिए आ रही निजी पार्टियों में से एक पार्टी के रूप में माना जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है। कोई भी जिम्मेदार मंत्री ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है। श्रमिक सहकारी सोसायटी, निजी बोलीदाता, बहुराष्ट्रीय अथवा निगमित कंपनियों की स्थिति अलग–अलग है। दुर्भाग्य से, पूरा मुद्दा, श्रमिक सहकारी सोसायटी के प्रति केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण है। यदि केन्द्र सरकार श्रमिक सहकारी सोसायटी के प्रति अपना रवैया नहीं बदलती है तो 'फैक्ट' और ऐसे अन्य बड़े सरकारी उपक्रम निगमित और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में होंगे।

[श्री रमेश चेन्नितला]

अंत में, मैं शिपयार्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केरल के लोग कोचीन शिपयार्ड से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का कोचीन आना और कोचीन शिपयार्ड में निर्मित पहले पोत को पानी में उतारना याद है। केरल के लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सभी राजनैतिक दलों ने केरल में नया शिपयार्ड शुरू करने हेतु भरसक प्रयास किया है। यदि किसी शिपयार्ड को कोई क्रयादेश नहीं दिया जाएगा तो वह किस तरह से लाभप्रद हो सकता है? कोचीन शिपायार्ड को कितने क्रयादेश दिए गए हैं? उन्हे कोई क्रयादेश नही दिया गया था। शिपयार्ड का मुख्य उद्देश्य पोत निर्माण है लेकिन यदि भारत सरकार इसे कोई क्रयादेश नहीं दे रही है तो यह किस तरह से लाभप्रद बन सकता है? मैं तो यह कहूंगा कि इन संगठनों को क्रमशः व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से रुग्ण बनाया जा रहा है। विनिवेश मंत्रालय पूर्व गणना से इन संस्थानों को बेच रहा है जो सरकारी धन अथवा करदाताओं के पैसे से चल रहे हैं। यह अन्यायपूर्ण है।

केरल राज्य का अलग से अवलोकन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से किसी भी क्षेत्र में इसका कोई सरकारी निवेश नहीं है। हम औद्योगिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हम केवल उपभोक्ता राज्य हैं। हमारे राज्य में केवल तीन या चार सरकारी उपक्रम हैं। यदि इन सरकारी इकाइयों का विनिवेश किया जाता है तो इससे हमारे आर्थिक और औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और मेरे विचार से सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और इस विनिवेश प्रस्ताव को स्थगित कर देगी।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं श्री सुरेश कुरुप द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूर्णतः समर्थन करती हूं।

जहां तक इस सरकार की विनिवेश नीति का संबंध है, मैं, आरंभ में यह कहूंगी कि इसकी कोई दिशा नहीं है। लाभप्रद उपक्रमों के विनिवेश के पीछे क्या औचित्य है जबकि घाटे में चल रहे उपक्रमों को छोड़ दिया गया है।

इस संकल्प में तीन मुख्य सरकारी उपक्रमों का उल्लेख किया गया है। यह उपक्रम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड हैं। ये सभी केरल राज्य में स्थित हैं। जहां तक केरल की जनता का संबंध है, हम नैतिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं और इन प्रतिष्ठित उपक्रमों के निजीकरण अथवा विनिवेश के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। श्री कुरुप, जो पहले ही बोल चुके हैं, इन तीन सरकारी उपक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बता चुके हैं।

जहां तक केरल के हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड का संबंध है, यह अपने अस्तित्व के दौरान लाभप्रद उपक्रम बने रहे हैं। जब कभी इस उपक्रम के संबंध में कोई समस्या आई या पैदा हुई, केरल सरकार को इस प्रतिष्ठान के बचाव में आना पड़ा। अब भी भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठान के निजीकरण अथवा विनिवेश का निर्णय ले लिया है, भारत सरकार ने केरल सरकार से कोई राय अथवा सलाह नहीं मांगी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि केरल सरकार का परामर्श अथवा सुझाव अथवा सलाह मांगे बिना इतना महत्वपूर्ण निर्णय किस तरह ले लिया।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहती हूं कि विनिवेश किए जाने वाले सरकारी उपक्रमों का मूल्यांकन कार्य करते समय उनके वास्तविक मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। मैं आपको 'बाल्को' का उदाहरण दूंगी। 'बाल्को' के पास हजारों हैक्टेयर बहुमूल्य भूमि है। माननीय सभापति महोदय, आपको इसके बारे में अधिक पता होगा,। हजारों श्रमिक यहां काम कर रहे हैं और आम आदमी भी इसका सही मूल्यांकन कर सकता है, इसके पास 5000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां थीं लेकिन इसको काफी कम दामों पर, और वह भी काली सूची में डाली गई एक कंपनी को बेच दिया गया। इस तरह से कार्य करने में इस सरकार का क्या हित है? इसीलिए मैंने कहा है कि इसकी कोई दिशा नहीं है। जब कांग्रेस सरकार द्वारा इस नई आर्थिक नीति को शुरू किया गया था तो इनकी पार्टी, जो उस समय विपक्ष में थी, ने इसका जोरदार व मुखर विरोध किया था। लेकिन जब वे सत्ता पक्ष में आए तो इस नीति को अपनाना शुरू किया। वे इस नई आर्थिक नीति का अनुसरण काफी प्रबलता और उत्कृष्टता से कर रहे हैं। जब इस नई आर्थिक नीति को शुरू किया गया था, तो हमें बताया गया था कि इस नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप होने

वाले विकास का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबको इसका लाभ मिलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश की बिक्री प्रक्रिया से प्राप्त धन का मुख्य भाग सामाजिक क्षेत्र तथा समाज कल्याण के कार्यों में लगाया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? भाजपा जिसने 'स्वराज' और 'स्वदेशी' के नारे दिए थे, आज उन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार हमारे लाभकारी उद्यमों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच रही है। यहां बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग समाज कल्याण गतिविधियों में निवेश करने के बजाय बजटीय घाटे को पूरा करने में किया जा रहा है।

इस बहस में मैं एक अन्य बात भी उठाना चाहूंगी। 1999 में चुनावों के दौरान अपने चुनाव घोषणा–पत्र के माध्यम से इन्होंने सत्ता में आने पर 10 करोड़ नए रोजगार के अवसरों के सृजन का वायदा किया था। अब ये क्या कर रहे हैं? वास्तव में ये और अधिक संख्या में लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विशेषकर लाभकारी उद्यमों को कम दामों पर बेचा जाता है, तो ये बोलीदाता वहां रोजगार में लगे लोगों के साथ क्या करेंगे? हम इसे ऐसे संस्थानों के अपने अनुभवों से देख सकते हैं विशेषकर बाल्को के अनुभव से। उस संस्थान में अब क्या हो रहा है? एक बार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को बेचे जाने पर या विनिवेश किए जाने पर उनका सबसे पहला निर्णय कर्मचारियों की संख्या कम करने के बारे में होता है। सरकारी सेवाओं के संबंध में भी ऐसा किया जा रहा है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से हमने एक बात देखी है। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ पद खाली हो जाते हैं और एक या दो वर्षों तक खाली पड़े रहने के बाद समाप्त हो जाते हैं। सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कटौती की जाएगी। पांच वर्षों में यह 10 प्रतिशत हो जाता है। क्या इसी तरह ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और किसी भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस समस्या का समाधान करे और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करे। इसके बजाय इस तरह की विनिवेश नीति से वे बेरोजगारी की समस्या में गंभीर इजाफा कर रहे हैं।

अब मैं तर्क देने के लिए यह कहूं कि यदि एफएसीटी या हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड या कोचीन शिपयार्ड का विनिवेश किया जाता है तो निविदाकर्ताओं, जो कि इन संस्थानों को खरीद रहे हैं, उनका पहला कदम कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी करना होगा। यह सरकार ऐसा ही कर रही है। क्या इस संबंध में यह सरकार कुछ कर पाने की स्थिति में होगी? यह इस समस्या से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई बात है।

मेरा अन्य मुद्दा यह है कि सरकार समाज कल्याण की सभी गतिविधियों से पीछे हट रही है। हर बात की जिम्मेदारी गैर–सरकारी संगठनों और दूसरे संस्थानों को दी जा रही है। चुनाव के समय लोगों से किए गए वायदों और उनके द्वारा अब किए जा रहे कार्यों में कोई संबंध नहीं है। चुनाव के समय, सत्ता में आने पर बहुत से कार्य करने के वायदे किए गए थे, और उनमें से एक है 10 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का वायदा।

अब वे पहले से विद्यमान रोजगार के अवसरों में भी कटौती कर रहे हैं। जैसा कि एफएसीटी के बारे में बताया गया है कि न्यायालय के निर्णय के बाद से, हाल ही में उसमें घाटा होना शुरू हुआ है। इसके बावजूद वहां अमोनिया संयंत्र होने के कारण कुल मिलाकर इसे घाटे वाला प्रतिष्ठान नहीं माना जा सकता। यह एक आस्ति है। एफएसीटी के पास महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित 2500 हेक्टेयर भूमि है। यदि इसका विनिवेश किया जाता है तो एफएसीटी की इस महत्वपूर्ण भूमि पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा और इसे टुकड़ों में बांट कर बेच दिया जाएगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तब संयंत्र का क्या होगा? करोड़ों रुपयों का संयंत्र वहां है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 5000 कर्मचारी कार्यरत हैं और बहुत से अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। उन सबका रोजगार छिन जाएगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन प्रतिष्ठानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले बोलीदाता सभी कर्मचारियों को कार्य से हटा देंगे और नए कर्मचारी लाएंगे। उनकी नीति 'काम कराओ और निकलो' की होगी। हम पहले ही इसका अनुभव कर रहे हैं। इन बोलीदाताओं की नीति 'काम कराओ और निकालो' की होगी। वे लोगों को कम समय के लिए काम पर लगाएंगे और अपना उद्देश्य प्राप्त करने के बाद उन्हें निकाल देंगे। इस तरह वे अपना लाभ बढ़ा पाएंगे क्योंकि वे मुनाफाखोर हैं। उनकी हमारे देश और लोगों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है।

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

मैं अपने भाषण को लंबा नहीं करना चाहती। मेरा आग्रह है कि सरकार इस मामले में उदार हृदय से सामने आए और अपनी विनिवेश नीति की समीक्षा करे।

वास्तम में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले दशक के सकल घरेलू उत्पाद से इसमें केवल 0.01 प्रतिशत का अंतर है अर्थात नई आर्थिक नीति के शुरू होने से एक दशक पहले और उदारीकरण, निजीकरण आदि सहित नई आर्थिक नीति शुरू किए जाने के दशक में यही अंतर हुआ है। मैं यह अपने स्रोतों से उद्धृत नहीं कर रहा हूं बल्कि यह मुझे इसी सप्ताह मिले एक जवाब से उद्धृत है। 1981 से 1991 के दशक तथा 1991 से शुरू हुए दशक, जबकि निजीकरण के साथ नई आर्थिक नीति की शुरूआत हुई, अर्थात 1991–2001 के बीच सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 0.01 प्रतिशत का अंतर आया है। इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 0.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह 0.01 प्रतिशत का अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद कहां जाएगा? क्या यह धन खेतों में काम कर रहे, कारखानों मे लगे या भूखे मर रहे लोगों के पास जाएगा? वास्तव में यह लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के पास जाएगा।

यदि यह सरकार इस तरह की नीतियां अपनाती है तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से राष्ट्र लड़खड़ा जाएगा। इससे स्वतंत्रता के बाद से भारत द्वारा शुरू की गई समाज कल्याण की गतिविधियां अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इस सरकार ने इस सीमा तक सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा की है। सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को नकार रही है। यह अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है। तब सरकार का होना ही क्यों जरूरी है?

अत:, इन परिस्थितियों में, मैं सरकार और सभा में इस संकल्प पर हुई चर्चा के दौरान उठाए मुद्दों के विशिष्ट जवाब देने के लिए उपस्थित माननीय मंत्री से अपील करूंगी। मेरा यह भी अनुरोध है कि इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। लाभकारी इकाइयों का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं श्री सुरेश कुरुप द्वारा लाए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। ऐसा करने से पहले मैं गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के संचालन के संबंध में कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा।

सभी सदनों में, राज्यों की विधानसभाओं के साथ–साथ संसद में भी एक दिन विशेष तौर पर गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए नियत किया गया है। यह सरकारी कार्य के समान ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि उस नियत दिन कोई अवकाश हो जाता है तो अगले कार्यदिवस को गैर–सरकारी सदस्यों के दिन में परिणत कर दिया जाता है, क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

कल, संसद के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह था। राज्य सभा के 200वें सत्र का समारोह था। राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा एक मूल्यांकन किया गया था जिसमें गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों, प्रस्तुत किए गए विधेयकों और सभा में हुई बहस का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया गया था और उसे बहुत महत्व दिया गया था। उन्होंने बताया कि राज्य सभा में हुए कार्यों में गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को इतना महत्व दिया गया है। इस प्रकार, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि यह कार्य भी सभा के कार्य का अभिन्न अंग है। यह सरकारी कार्य के समान ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सभा में हुए कार्यों में गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को सरकार द्वारा महत्व न देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह विडम्बना ही है कि वह सरकार जो निजीकरण की प्रक्रिया में इतनी रुचि ले रही है, गैर–सरकारी सदस्यों को महत्व देने में कोई रुचि नहीं ले रही। मुझे इसका कारण नहीं पता। एक बात यह है कि इसमें से पहली बात लाभकारी है और दूसरी बात लाभकारी नहीं है। यह कारण हो सकता है...*(व्यवधान)*

मैं उनकी सत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। यह कतिपय नियमों के पालन का प्रश्न नहीं है। वे कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। यह किसी मंत्री विशेष की उपस्थिति या अन्य मंत्री विशेष की अनुपस्थिति का प्रश्न नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात कार्यपालिका का गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के प्रति दृष्टिकोण है।

यदि किसी मंत्री के पास कोई दूसरा कार्य है तो उसे उस कार्य को निरस्त कर सभा के उस विषय से संबंधित कार्य को करना चाहिए जिस पर इस सभा में विचार किया

जाना है। विषय से संबद्ध मंत्रालय के प्रभारी मंत्री का अनिवार्य रूप से यह दायित्व बनता है कि वह यहां उपस्थित रहे। चूंकि वह इसे कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहां कोई उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों है? फिर हम सबको यहां क्यों होना चाहिए। सरकार इसे कोई महत्व नहीं दे रही है। यदि सरकार ने कभी इस बात को महत्व दिया होता कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर कब विचार किया जाए, और यदि इसे गंभीरता से लेते हुए कोई कैबिनेट मंत्री यहां उपस्थित हो तो दूसरे सदस्य भी यहां उपस्थित रहेंगे। और अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यदि केरल के किसी सदस्य द्वारा कोई संकल्प पेश किया जाता है तो केवल केरल के सदस्य ही उसके समर्थन में आगे आते हैं।

सभा में 545 सदस्य हैं। केरल से केवल 20 सांसद हैं। यह संख्या सभा के कुल सदस्यों की केवल तीन प्रतिशत बनती है। इस कार्य में किसी की कोई रुचि नहीं है। इसलिए इसमें भाग लेने के लिए कौन आएगा। केरल के एक सांसद संकल्प पेश करते हैं और केरल के दूसरे सदस्य उसका समर्थन करते हैं। केरल के सभी सदस्य यहां उपस्थित हैं। हमें तो यह करना ही है क्योंकि हम मौका नहीं गंवाना चाहते। स्थिति यह है। यदि सरकार इस पर गंभीर होती तो यहां निश्चय ही अधिक सदस्य उपस्थित होते, अब इनका मानना है कि जैसे मंदिर में दिखावा मात्र के लिए पूजा होती है वैसे ही यह दिखावा मात्र है। जैसे हम मंदिर में पूजा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं वैसे ही यह कार्य भी मात्र दिखावे के लिए होता है।

महोदय, मेरा आपसे कोई विवाद नहीं है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां पर मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वह सभा में गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के प्रति कार्यपालिका के उदासीन रवैये से संबंधित है। जब सभा में सरकारी कार्य चल रहा हो तो यह अपेक्षा रहती है कि प्रधानमंत्री जी यहां होंगे और सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देंगे।

महोदय, आखिर यह संसदीय लोकतंत्र है क्या? जैसा कि हम जानते हैं, सहिष्णुता संसदीय लोकतंत्र का मूलमंत्र है। कार्यपालिका में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वह यहां सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को सुन सके। हो सकता है सरकार को किसी की कोई बात पसंद न हो, पर संसदीय लोकतंत्र का मूल यही है कि यहां पर विभिन्न तरह के अभिमतों और राय को व्यक्त किया जाए। संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? इसकी महत्वपूर्ण कसौटी है इसमें खुलापन होना, इसका बहुलतावादी होना। इसमें एक दृष्टिकोण पर नहीं अपितु अलग–अलग दृष्टिकोणों पर सहनशीलता के साथ विचार करना होगा। लेकिन सरकार का यह सहनशील दृष्टिकोण अब कहां गया?

अब, हम एक ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है। उनके अनुसार, वह नीति सही हो सकती है, फिर भी सरकार भिन्न विचारों को सुनने के लिए बाध्य है। नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें यहां प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सरकार प्रतिपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर यहां मेरे उपस्थित होने का कोई मतलब ही नहीं? मैं अपनी ऊर्जा निरर्थक क्यों खर्च करूं? क्या यह सब यूं ही निरर्थक होता रहे? मैं पूरी विनम्रता के साथ सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री सुरेश कुरुप ने वाद–विवाद के आरंभ में ही इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और अब आप भी इसी विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, नियमों के अनुसार, वे यह तर्क दे सकते हैं कि मंत्री जी उपस्थित हैं। यदि कार्यों के करने का यही ढंग है, तो ठीक बात है। पर, मैं यहां पर एक बार फिर इस बात को दोहराता हूं कि यदि कार्यपालिका ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो निश्चित रूप से यहां ज्यादा सदस्य उपस्थित होते। लेकिन अब हम सबको पता चला गया है कि कोई भी इस मामले में न तो रुचि ले रहा है और न ही इस विषय के प्रति गंभीर है।

श्री रमेश चेन्नितला : श्री तिरुनावुकरसर एक सक्षम मंत्री हैं।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : वह दूसरे सदस्यों की बात कर रहे हैं, मंत्रियों के बारे में नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं मंत्री महोदय की सक्षमता पर संदेह नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं उनका और यहां उपस्थित श्रम मंत्री जी का बहुत अधिक सम्मान करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय उपाध्यक्ष ने इस मामले का निपटान कर दिया। अब कृपया आगे बढ़ें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आज के बाद सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को हल्के–फुल्के ढंग से न लिया जाए और उनके साथ ऐसा बर्ताव न हो। कम से कम सरकार हमें इस बात से आश्वस्त तो करे कि वह प्रत्येक शुक्रवार को होने वाले गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के प्रति समान रूप से गंभीर है। आज हम यहां संकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। अगले शुक्रवार को हम गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करेंगे। इन विधेयकों और संकल्पों के माध्यम से हम कतिपय नीतिगत मामले सामने लाते हैं। इस तरह के संकल्पों को लाकर हम कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां गैर–सरकारी सदस्य के विधेयकों को पुरःस्थापित करने का यही उद्देश्य है और इसी कारण गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प को प्रस्तुत किया जाता है। यहां उन्हें पुरःस्थापित किए जाने का विशेष उद्देश्य है। लेकिन, दुर्भाग्य से कार्यपालिका द्वारा उन पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। अब यह प्रवृत्ति इस हद तक बढ़ गई है कि इसमें कोई रुचि नहीं लेता और यहां उठाए जाने वाले मामलों पर कोई गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करता।

इस विशिष्ट संकल्प का विषय बहुत ही गंभीर है। हम सबको पता है कि निजीकरण से कई समस्याएं पैदा होती हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की स्थापना एक कानून के तहत हुई थी और वे उसी कानून के तहत कार्य कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

किसी निजी उपक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही सहायोग करती हैं। जैसा कि श्री सुरेश कुरुप ने इंगित किया है, राज्य सरकार को करोड़ों रुपए कीमत की वनभूमि देने के लिए तैयार होगी। यहां तक कि किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परिसंपत्तियां भी सौंपनी होती हैं। जब इस उपक्रम का विनिवेश हो रहा है तो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि राज्य सरकार ने इसमें कितना योगदान दिया है। करोड़ों रुपए मूल्य की हजारों एकड़ जमीन निजी क्षेत्र के हाथों में जा रही है। इसकी परवाह किसे है? इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सरकारी उपक्रम के शुभारंभ के लिए राज्य ने जो निःशुल्क भूमि दान में दी थी उसे वह वापस पा भी सकेगा या नहीं।

श्री रमेश चेन्नितला : राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड को बहुत अधिक कच्ची सामग्री प्रदान की है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हजारों एकड़ वनभूमि कोट्टायम के निकट प्रिंट फैक्टरी को दी गई थी। मान लीजिए यदि इस फैक्टरी का विनिवेश हो जाए तो वन भूमि किसके पास रहेगी। यह वनभूमि सबसे अधिक बोली लगाने वाले निजी उद्यमी के हाथ में चली जाएगी। सरकार के इस कार्य से जो गंभीर स्थिति पैदा होने जा रही है हमें उसे समझना होगा।

आज भी, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह इंडियन एयरलाइन्स का विनिवेश हो। प्रेस में इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को लेकर चर्चा हो रही है। इस बारे में एक विवाद है। यह बताया गया है कि एअर इंडिया सस्ती दरों पर विदेशों में अपनी उड़ानें भर सकेगी। अब निजी एअरलाइनों को भी विदेशी उड़ानों की अनुमति दे दी गई है। उड़ान भरने के लिए आसमान सबके लिए खुला है। किसी को कोई डर नहीं है। भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आसमान में कोई भी उड़ान भर सकता है। हम भी उड़ान भरेंगे। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। देश की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब तो इस पर प्रेस में भी चर्चा हो रही है।

पिछली बार जब यहां पेट्रोलियम उत्पादों के निजीकरण पर चर्चा हो रही थी, तो हमने इस ओर इशारा किया था कि एक पेट्रोलियम कंपनी का राष्ट्रीयकरण इस सभा में पारित कानून के आधार पर किया गया था। उस कानून की घोर अवहेलना करते हुए मंत्रालय ने संपूर्ण पेट्रोलियम कारोबार को ही निजी क्षेत्र को सौंपने का निश्चय किया है। इसका क्या परिणाम निकला? इसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने कहा कि विनिवेश प्रक्रिया निधि–सम्मत नहीं है। सरकार संसद की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस सभा की स्वीकृति की परवाह नहीं की। सरकार इस बारे में अंशमात्र चिंतित नहीं है। यह कोई उच्चतम न्यायालय ने यूं ही नहीं कह दिया। उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा पारित कानून की ओर इशारा किया है। संसद ने भारत स्थित कुछ विदेशी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण हेतु कानून पारित किया। उन विदेशी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए हमें केन्द्रीय कानून का प्रावधान करना पड़ा था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में

नहीं रखा गया। अपनी विनिवेश प्रक्रिया की हड़बड़ी, में केन्द्र सरकार ने ऐसा किया है। वह यह नहीं सोचती कि इन सभी मामलों में राज्य की भी भागीदारी है। केन्द्र सरकार राज्यों के हितों की अनदेखी कर रही है। वह केवल बिक्री प्रक्रिया पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित किए हुए है। इसलिए मुझे आशंका है कि इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे भारत में किसी की स्थिति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं विनिवेश मामले में केन्द्र सरकार की नीति का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं रिकार्ड के लिए यह कह रहा हूं। मैं महसूस रकता हूं कि सभा में उपस्थिति काफी कम है। मैं केवल सरकार की आलोचना करने के लिए यह नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ सरकार के दोष ढूंढने मात्र हेतु ऐसा करके खुश होना नहीं चाहता। मैं प्रचार पाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं कि कतिपय मामलों में मेरा दृढ़ विश्वास है।

मैं समझता हूं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित हो ताकि भविष्य में जब इस पर गौर हो तो इसका सही तरीके से आकलन किया जा सके। यदि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका कोई प्रभाव सरकार पर पड़ता है और इससे उसे सही निर्णय लेने में कोई मदद मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी।

दुर्भाग्य से, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गैर–सरकारी सदस्यों को कार्यवाही के समय ही चर्चा की जाती है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए उपलब्ध समय पर होनी चाहिए। जब सरकारी कार्य का समय होता है तब हम झगड़ते हैं और हमारा ध्यान छोटे–छोटे मामलों की ओर जाता है तथा जब सभा में बहुत कम सदस्य होते हैं तब हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं।

पिछले शुक्रवार हमने बेरोजगारी और स्वरोजगार के मुद्दे पर चर्चा की तथा हम अपने देश के नागरिकों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया था। इस बार भी हम निजीकरण से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत मामले पर विचार कर रहे हैं।

मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यस्था के विकास में निजी लोगों अथवा निजी उद्योग के योगदान की अवधारणा का विरोध नहीं करती। यह बात ध्यान में रखी जानी जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ही कृषि क्षेत्र को पूरी तरह निजी हाथों में रखे जाने की अनुमति दी थी। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने सभी व्यापारिक गतिविधियों को निजी हाथों में रखने की अनुमति दी थी।

छोटे पैमाने, मंझोले पैमाने और बड़े पैमाने पर व्यापार, आयात और निर्यात भी निजी क्षेत्र के हाथों में है। एमएमटीसी और एसटीसी और ऐसे कुछ अन्य व्यापारिक संगठनों को छोड़कर सारा व्यापार निजी हाथों में ही है। उद्योग भी निजी हाथों में है। सारा उद्योग–लघु उद्योग, मंझोले उद्योग, बड़े उद्योग और उपभोक्ता उद्योग–निजी हाथों में ही है। केवल वे उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जिनमें प्रारंभिक स्तर पर निजी क्षेत्र आना नहीं चाहता था।

जब भूमि से तेल निकालने की संभावनाओं का पता लगाने का प्रश्न उठा तो निजी क्षेत्र इसमें आने के लिए इच्छुक नहीं था और सरकार निजी क्षेत्र द्वारा इस क्षेत्र में आने की मंशा, इच्छा–शक्ति के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी।

नागर विमानन भी निजी क्षेत्र में था। जब सरकार ने निजी क्षेत्र से नागर विमानन को विकसित करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि वे नागर विमानन के विकास में पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं और वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी नागर विमानन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसे सरकारी अधिकारियों के हाथों में न रखकर श्री जे. आर. डी. टाटा के संरक्षण में सौंप दिया गया, जो कि नागर विमानन उद्योग के विकास में रुचि रखते थे।

वैमानिकी का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से किया गया क्योंकि निजी क्षेत्र इसके लिए इच्छुक नहीं था। जहाजरानी उद्योग का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से किया गया क्योंकि निजी क्षेत्र इसके लिए इच्छुक नहीं था। अतः केवल उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र इच्छुक नहीं था या जहां निजी क्षेत्र ने महसूस किया कि वे अपने द्वारा किए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए दीर्घ अवधि तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वहीं सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना की गई। देश में सभी बिजली उत्पादन केन्द्रों को सरकारी क्षेत्र के माध्यम से विकसित किया गया न कि निजी क्षेत्र द्वारा। भारत में केवल कुछ ही बिजली उत्पादक इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं। बिजली उत्पादन की ज्यादातर इकाइयां सरकारी क्षेत्र के माध्यम से

[श्री शिवराज वि. पाटील]

स्थापित की गईं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो किसानों, उद्योगपतियों और देश के दूर–दराज के भागों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली उपलब्ध नहीं होती। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों ने बिजली का उत्पादन किया और लोगों को बिजली की आपूर्ति की। यदि वे ऐसा नहीं करते तो जैसा विकास हम आज देखते हैं, वह नहीं हो पाता। यदि हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की प्रतीक्षा करते तो हम ऐसा नहीं कर पाते।

महोदय, राजस्थान में पिछली सरकारों ने निर्णय लिया था कि निजी क्षेत्र की सहायता से बिजली का उत्पादन किया जाए। 15 वर्षों तक उन्होंने विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश की प्रतीक्षा की और 15 वर्षों तक निवेश नहीं हुआ। सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की अच्छी मंशा के बावजूद एक मेगावाट बिजली का भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं हुआ। उनकी नीति गलत थी। निजी क्षेत्र निवेश करने का इच्छुक नहीं था और इसीलिए एक मेगवाट विद्युत उत्पादन की भी वृद्धि नहीं हुई। जब पिछली सरकार अर्थात श्री अशोक गहलोत की सरकार वहां सत्ता में आई तो उन्होंने सही निर्णय लिया–मुझे दुख है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय की समुचित प्रशंसा नहीं की गई–यदि निजी क्षेत्र इच्छुक नहीं है तो सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाए। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के माध्यम से निवेश भी किया और विद्युत उत्पादन की इकाई की स्थापना की तिथि से अपेक्षित अवधि के दौरान कार्य शुरू करके लगभग 1500 मेगवाट विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित करके धन की बचत भी की। फिर इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई निजी उद्योग विद्युत उत्पादन हेतु राजस्थान आने का इच्छुक है तो उन्हें इसका अवसर दिया जाएगा। लेकिन यदि वे वहां नहीं आ रहे तो वे इसे स्वयं करेंगे।

महोदय, जब भी सभा में विद्युत उत्पादन का प्रश्न उठा तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 48,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को घटाकर 28,000 मेगावाट किया गया। इसे घटाकर 20,000 मेगावाट कर देने के बाद भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की नीति निजी क्षेत्र द्वारा निवेश पर निर्भर करने की थी। एक बार यह निर्णय लिए जाने के बाद सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निवेश नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार ने एनरॉन पर विश्वास किया। एनरॉन की विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाई और सरकारी क्षेत्र की इकाइयां स्थापित नहीं हुईं।

तब हम उद्योगों का विकास कैसे करें? हम कृषि क्षेत्र का विकास कैसे करें? यदि विद्युत उपलब्ध नहीं हुई तो हम अन्य गतिविधियों का विकास कैसे करेंगे? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

विगत में उन्होंने कहा था कि जहां निजी क्षेत्र अनिच्छुक है वहां सरकारी क्षेत्र आगे आएगा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करेगा। महोदय, हमारे देश में बैंक ही बैंक हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ये बैंक कृषकों को ऋण की सुविधा नहीं देते थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कृषकों को 200 करोड़ रुपए की राशि की ऋण सुविधा प्रदान की गई, अर्थात देश के 70 प्रतिशत लोगों और संपूर्ण कृषि क्षेत्र हेतु 200 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ दिशा–निर्देश जारी किए गए थे और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के कारण इन दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन भी हुआ और आज हमारे यहां यह स्थिति है कि कृषकों के ऋण हेतु 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए तक की सुविधा प्रदान की गई है। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए।

देश में कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु निवेश कौन करेगा। क्या निजी क्षेत्र ऐसा करेगा? यदि निजी क्षेत्र नहीं करेगा और हमारे देश में केवल 45 प्रतिशत भूमि ही सिंचित होगी तथा बाकी भूमि असिंचित रहेगी तो इसके लिए क्या करना होगा? सरकारी क्षेत्र को इसमें निवेश करना पड़ेगा। यदि सरकारी क्षेत्र इसमें निवेश नहीं करेगा तो हमारे पास कृषि क्षेत्र संबंधी सुविधाएं नहीं होंगी। मैं यह सब मुद्दे यह बताने के लिए उठा रहा हूं कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया है जिसमे निजी क्षेत्र की प्रधान भूमिका होगी और सरकारी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी जहां कि निजी क्षेत्र प्रवेश करने का अनिच्छुक है। सरकार को यह बात समझनी होगी।

वर्तमान सरकार क्या कर रही है? यह सरकार किस तरह की नीति अपना रही है? बड़े दुख के साथ मैं यह कहता

हूं कि इससे मुझे परेशानी होती है और में सरकार की आलोचना करना नहीं चाहता।

यदि हम यहां बैठकर भी सरकार की आलोचना नहीं करते तो सरकार अपनी इस नीति को जारी रखेगी। यह कैसी नीति है?

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करते हुए आपको गर्व हो रहा। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम किसके हैं? वे कांग्रेस पार्टी या भाजपा के नहीं हैं न ही वे विनिवेश मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय की संपत्ति है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ये जनता की संपत्ति हैं। इनमें जनता की गाढ़ी कमाई लगी है। जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई थी तो इनकी आयोजना में बहुत अधिक समय और ऊर्जा व्यय हुई थी और इसके लिए काफी प्रयास किए गए थे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अस्तित्व में आएं।

आप वहां बैठे हैं और इस बात में बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक कागज पर हस्ताक्षर करके इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाज के सबसे बड़े निविदाकर्ता को सौंप दिया जाए। आपके पास सरकारी क्षेत्र के जो 300 या 400 उपक्रम हैं आप उनका निजीकरण कर देंगे? फिर, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें गर्व महसूस करने की क्या बात है और किसी कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। आप में इतनी क्षमता और दक्षता नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम जिन्हें आपकी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पूरे प्रयास से स्थापित किया था, उन्हें आप चला सकें। आप इन उपक्रमों को लाभ में नहीं ला सकते। आप इनमें नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के नए तरीके शुरू नहीं कर सकते। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक उत्पादन कर सकें इसके लिए आप इनमें अधिक धनराशि के निवेश को आकर्षित करने में असमर्थ है। इससे आपकी अक्षमता प्रकट होती है। यदि हमें सरकार के खराब प्रदर्शन के लिए उसकी आलोचना करनी है तो हम इस प्रकार इसके खराब प्रदर्शन की आलोचना करेंगे।

हमने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को आप को सौंपा है। आप इन्हें चलाने में समर्थ नहीं हैं। इतना ही नहीं, आप केवल घाटे में चल रहे उपक्रमों को ही नहीं बेच रहे हैं अपितु इससे भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का भी विनिवेश हो। इनके पीछे क्या तर्क है? यही कि यदि भविष्य में इन उपक्रमों में घाटा होने लगा, तो फिर इन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा। क्या गजब का तर्क है। कैसी अक्षमता है। आपको अपने पर ही यह विश्वास नहीं है कि आप इन्हें लाभकारी स्थिति में ला सकते हैं। क्या खूब तर्क है। हर कोई यही बात लिख रहा है, और हमसे भी यही अपेक्षा की जा रही है कि हम उनकी हां में हां मिलाएं। स्पष्ट तौर पर आप इसी प्रवृत्ति का अनुकरण कर रहे हैं।

इस बारे में वर्तमान सोच क्या है? मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि सरकार की वर्तमान सोच यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। ठीक है मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। निजी क्षेत्र भी राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन आप इन्हें किसके हाथों में सौंप रहे हैं। आप इन्हें कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं। यद्यपि हम आपके विरुद्ध आरोप लगाने में सावधानी बरत रहे हैं पर यह मत सोचिए कि जनता ने इस बारे में आंखें बंद कर रखी हैं कि आप क्या कर रहे है और क्यों कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आपको इस बात का जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। एक समय आएगा जब आप से यह पूछा जाएगा कि आपने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का निजीकरण क्यों किया और इन्हें निजी हाथों में क्यों सौंपा। यदि निजी क्षेत्र की कंपनियां काम न कर पा रही हों तो आप उन्हें विदेशी कंपनियों के हवाले कर देंगे। क्या आप देश की अर्थव्यवस्था का विकास इसी ढंग से करेंगे?

आपकी नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी कपनियों के हवाले कर दिया जाए। यदि विदेशी कंपनियां आपके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना चाहें तो आप क्या करेंगे। आप किस तरह का निजीकरण करना चाहते हैं। आप शिपयार्डों का निजीकरण कर रहे हैं। यदि आप शिपयार्डों का निजीकरण करते हैं तो यह बात गांठ बांध लीजिए कि समुद्री परिवहन पर से आपका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। यदि आप एअर इंडिया और एयर लाइन्स को निजी क्षेत्र में सौंप रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि हवाई यातायात से आपका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं पर से नियंत्रण समाप्त हो जाएगा।

मुझे खुशी है, इस मामले पर मुझे इस समय वित्त मंत्री या सरकार में कोई दोष नजर नहीं आता है। भारतीय औद्योगिक

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

विकास बैंक की स्थापना देश में निजी उद्योग की सहायता के लिए और उसके विकास के लिए हुई थी। यह उद्योग क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण तथा ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। अब आप इसे बैंक बना रहे हैं। जब यह बैंक बन जाएगा तो यह कारें, मकान और इसी तरह की दूसरी चीजों को खरीदने के लिए ऋण देगी। लेकिन इसके पास उद्योगों के विकास के लिए तथा निजी उद्योग के विकास के लिए धनराशि नहीं होगी जिसकी आप सदैव चर्चा करते रहते हैं। अब निजी उद्योग का विकास कैसे होगा? मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं है। इस तरह आप न केवल बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं, अपितु एक ऐसी स्थिति भी पैदा कर रहे हैं जिसमें निजी उद्योग का विकास नहीं हो जाएगा। यह बात ठीक नहीं है।

आप फिर, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार के ऐसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जिनमें उसकी 51 प्रतिशत अंशधारिता है को घटाकर 31 प्रतिशत कर देना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां बहुत से प्राइवेट बैंक हैं। इन प्राइवेट बैंकों को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने दीजिए और उन्हें पूरे देश में कार्य करने दीजिए।

मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय ने सभी अर्बन बैंकों को यह निदेश दिए हैं कि वे अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में दें और कुल ऋण का 18 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के इस निदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। इस निदेश से वे परिणाम प्राप्त नहीं हो सके जिन्हें भारत सरकार प्राप्त करना चाहती थी। अपने यहां कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। आप उन्हें यह बताइये कि देखिए समाज का यह वर्ग ऐसा है जिसे पैसे की जरूरत है और आप इन्हें वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप तो गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हर कोई यह कहकर गौरवान्वित हो रहा है कि मैं प्रत्येक वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो केवल इतनी जरूरत है कि आप मन से संवेदनशील न हों, और यह न महसूस करें कि ये सरकारी उपक्रम देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बने हैं, और अब इन्हें कुछेक लोगों के हाथों में बेचे दे रहे हैं।

इस तरह की असंवेदनशीलता से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। इससे लोग आपकी वाहवाही नहीं करेंगे। केवल वही लोग कसीदे पढ़ेंगे जिन्हें इससे कुछ लाभ होगा। लाभार्थी प्रशंसक हो सकते हैं, जनता नहीं। इससे न तो यहां रोजगार सृजित होंगे, न ही आप उद्योग की स्थापना कर पाएंगे। आप ऐसा कर न तो उद्योग के विकास के लिए पैसा दे पाएंगे और न ही विद्युत उत्पादन जैसी दूसरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए योगदान दे पाएंगे। इससे आपको कोई सहायता नहीं मिल पाएगी।

इसलिए मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार की निजीकरण संबंधी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कई बार इसी सभा में इसी स्थान पर खड़े होकर मैंने जानना चाहा है कि आपकी नीति क्या है। हमको इसे समझना चाहिए। यदि निजीकरण की कोई बाध्यता है तो हम सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को निजी क्षेत्र में दिए जाने का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है, इस तरह के निजीकरण के पीछे क्या उद्देश्य है हमें यह सब समझना होगा। सरकार कहती है कि उसकी निजीकरण संबंधी कोई नीति नहीं है, लेकिन वह निजीकरण कार्य को पूरा करेगी। ऐसा कैसे होगा? मेरी समझ में यह नहीं आता। आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? इसे कोई नहीं जानता। उदाहरण के लिए मुंबई और दिल्ली हवाईअड्डों को निजी क्षेत्र में सौंपा जाना है? इन्हें निजी क्षेत्र में क्यों सौंपा जाना है? क्या भारत सरकार इनके संचालन में असमर्थ है इसलिए वह ऐसा कर रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह निजीकरण सिर्फ जमीन के लिए हो रहा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। कोई आम आदमी तो नागर विमानन क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं जा रहा है।

मुंबई में, जे.आर.डी टाटा ने स्वयं कहा था कि मुख्य भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए कोई दो लाख हेक्टेयर जमीन दी जानी चाहिए और इसे निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। इसे निजी क्षेत्र द्वारा क्यों नहीं विकसित किया जाना चाहिए? निजी क्षेत्र मुंबई और दिल्ली के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को क्यों हथियाना चाहता है। अधिक से अधिक उन्हें जमीन दे दो, पैसा दे दो इस बात का प्राधिकार दे दो कि वे हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए किसी भी देश से प्रौद्योगिकी से संबंधित सहयोग ले सकते हैं। लेकिन आप उन्हें सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उपक्रमों को हथियाने की अनुमति न दें। यह कोई निजीकरण का कार्य

नहीं है, यह तो सरासर सरकारी उपक्रमों को हथियाने वाली बात है। उनके दोहन का कार्य है। हम इसका विरोध करते हैं। कोई निडर व्यक्ति आगे बढ़कर यह कहे मैं ऐसा करूंगा तो आप उसे वैसा करने दें। उन्हें ऐसा करने से मत रोकें। लेकिन आप कर क्या रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि इस तरह के विनिवेश से, आपकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यदि आप कोचीन शिपयार्ड निजी उद्यमी के हाथों सौंप रहे हैं, तो इससे क्षमता वृद्धि नहीं हो रही है, देश की जलयान निर्माण की क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है। आप तो इसे केवल हस्तांतरित कर रहे हैं। अब, निजी उद्यमी जो सरकारी उपक्रमों को खरीद रहा है, नए शिपयार्ड बनाने को तैयार है। आप उसे जमीन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए और उससे कहिए कि अब वह अत्याधुनिक शिपयार्ड स्वयं बनाए। इससे यहां जलयान निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। यदि आप मुंबई अथवा दिल्ली अथवा कोलकाता अथवा चेन्नई अथवा बंगलौर, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं तो इससे आपकी क्षमता में वृद्धि ही होगी, क्षमता घटेगी नहीं।

देश की समृद्धि में निजी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए और इसका उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि कोई भी वर्तमान क्षमता का उपयोग कर सके।

अब मैं आईडीबीआई को बैंक में परिवर्तित करने के मुद्दे पर आता हूं। आप वहां हो सकते हैं और मैं वहां नहीं हो सकता लेकिन आप एक ऐसी परिस्थिति बना देंगे जिसमें यह बैंक एक वित्तीय संस्था की भांति कार्य नहीं कर सकेगा और उद्योगों को हानि होगी। आप निजी क्षेत्र को स्वयं अपनी वित्तीय संस्था गठित करने, धन जुटाने तथा दूसरों को ऋण देने की अनुमति क्यों नहीं देते? उन्हें वर्तमान आईडीबीआई को क्यों हथियाना चाहिए? उन्हें इस कोचीन शिपयार्ड को क्यों हथियाना चाहिए? उन्हें मुंबई या दिल्ली विमानपत्तन को क्यों अधिग्रहित करना चाहिए? उन्हें क्षमता विकसित करने दें। उनकी हर प्रकार से सहायता करें। लेकिन यहां, भविष्य किस प्रकार विकसित होने जा रहा है इसके बारे में आपकी कोई इच्छा, कोई कल्पना, कोई दृष्टि नहीं है। आपको उद्योग जगत के तथा व्यापार के बहुसंख्यक लोगों व आम आदमी की कीमत पर अपने पूर्ववर्तियों द्वारा सृजित की गई संपत्ति को समाज के कुछ लोगों के हाथों में सौंपने में गर्व महसूस हो रहा है। अब, हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

हम निजीकरण की कार्यवाही पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। मेरा विचार यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध क्षमता का उपयोग इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु किया जा सकता है तो ऐसा किया जाना चाहिए। आप उसे स्वतंत्रता दें, उसे शक्ति दें; उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप केवल सरकार की वर्तमान परिसंपत्तियों को निजी हाथों में सौंप रहे हैं और वह भी महत्वपूर्ण खरीददारों, जिसका अर्थ आपके अनुसार ऐसे व्यक्ति से है जो उसका अधिग्रहण करने व उसे सुचारु रूप से चलाने में सक्षम है, के नाम पर कुछेक व्यक्तियों को हस्तांतरित कर रहे हैं। यह सही नहीं है। आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह अच्छा शासन नहीं है। यह आपकी जनता के समाने इस अकुशलता की घोषणा है कि आप सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों–वे उपक्रम जिन्हें आपने विकसित नहीं किया है आपितु किन्हीं और लोगों ने उन्हें विकसित करके आपके हाथों में सौंपा था–को चलाने तक में सक्षम नहीं हैं।

आप ऊंची आवाज में, साऊथ ब्लॉक से यह कह रहे हैं कि 'हम इसे चलाने में सक्षम नहीं हैं और आपके इनका अधिग्रहण करना पड़ेगा।' कल आप कहेंगे कि–'हम इस सरकार को चलाने में सक्षम नहीं हैं, आपके इसका अधिग्रहण करना पड़ेगा; हम कानून बनाने में सक्षम नहीं हैं, आपको कानून बनाने पड़ेंगे, हम इस देश की रक्षा प्रणाली को चलाने में सक्षम नहीं हैं, आपको इसका अधिग्रहण करना पड़ेगा।' पूर्व में यही हुआ था। पूर्व में वास्तव में यही हुआ था। पूर्व में हमने जमीन दे दी थी, फिर हमने अपना खजाना दे दिया और इसके बाद हमने विदेशियों को अपनी रक्षा प्रणाली सौंप दी और इसीलिए आपके ऊपर 150 वर्षों तक दूसरों ने शासन किया। आप स्वयं इसे सौंप रहे हैं।

यदि आप शिपयार्ड सौंप रहे हैं, यदि आप हवाई अड्डे सौंप रहे हैं, यदि आप बैंक सौंप रहे हैं, यदि आप दूसरे देशों को अपनी आसूचना एजेंसियां भी सौंप देंगे तो कठिनाई हो जाएगी। आपको सहयोग करना चाहिए। मैं सहयोग करने के विरुद्ध नहीं हूं। मैं सौंपे जाने के विरुद्ध हूं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में दोयम दर्जे की भूमिका निभाए जाने के विरुद्ध हूं। यदि महासागर पर आपका नियंत्रण नहीं है, यदि अंतरिक्ष पर आपका नियंत्रण नहीं है, यदि अपनी वित्तीय संस्थाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है, यदि अपनी एजेंसियों पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का मामला ही लें। हमने एक हरित क्रांति की है। वह हरित क्रांति कैसे हुई? हरित क्रांति नई प्रौद्योगिकी, नए प्रकार के उर्वरकों के उपयोग, नई प्रकार की कृषि पद्धतियों के उपयोग के कारण हुई थी। यदि उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी निजी व्यक्ति को उर्वरकों का उत्पादन करने की अनुमति दीजिए। उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आप उसे क्यों सौंप रहे हैं? मैं इसका उतना विरोध नहीं करूंगा जितना कि कोचीन शिपयार्ड को दूसरों तथा अन्य बातों का भी करूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : कोचीन शिपयार्ड के श्रमिकों की सहकारिता उसका अधिग्रहण करके उसे चलाने को तैयार हैं। कृपया उन्हें अनुमति दें...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हां...*(व्यवधान)* इस बात की क्या गारंटी है कि ये बातें काम करेंगी? क्या आप यह बात भूल गए हैं कि पूरा वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग निजी हाथों में था? पूरा वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग निजी हाथों में था। पूर्व में पूरा वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग संकट में पड़ा था और जब यह निजी हाथों में संकट में था तो सरकार ने इनका अधिग्रहण करके एनटीसी का गठन किया था। देश के कई भागों में चीनी उद्योग की सहकारिताओं के साथ भी यही होने जा रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि निजी क्षेत्र रुग्ण नहीं होगा, निजी क्षेत्र उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना कर पाएगा? यदि आपके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है तो आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं? ये चीजें करने के लिए आपको कौन विवश कर रहा है?

हम आपके विरुद्ध कोई भी आरोप न लगाने के प्रति बहुत सावधान और जिम्मेदार हैं। लेकिन आप यह जानते हैं कि कोई भी यह नहीं मानता कि यह साफ मन से किया जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। यह हो सकता है कि हस्तांतरण के तुरंत पश्चात आपको परिणाम न मिलें। लेकिन आपको इसका लाभ तब मिल सकता है जब आप चुनावों का प्रबंध करेंगे और यदि आप इस प्रकार चुनावों का प्रबंध कर रहे हैं तो आपको धन तो मिल सकता है लेकिन यदि लोग इसे समझते हैं तो आपको मत नहीं मिलेंगे। यदि आपको मत मिल जाते हैं तो वे बहुत अस्थाई होंगे क्योंकि उनका आधार ही सही नहीं है। आप इसे ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। इसे सदिच्छा से नहीं किया गया है। इसीलिए यह हो रहा है।

दुर्भाग्यवश, जब यहां कोई नहीं है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं वह हवा में विलीन हो जाएगा–यह रिकॉर्ड में हो सकता है–और सरकार को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी। वे कहेंगे कि उन्होंने नहीं सुना। मंत्री जी यह कह सकते हैं कि 'मैं समझा नहीं। मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के तर्क का उत्तर देने में समय क्यों नष्ट किया जाए? यह वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है।' अब, क्या चीज वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है? मैं आपको बता दूं कि आप जो नीतियां अपना रहे हैं विश्व मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक आपके द्वारा उन नीतियों को अपनाया जाना नहीं चाहते। यदि आप विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष की भी चर्चाओं में भाग लें तो आप पाएंगे कि वे इस प्रकार की नीतियां नहीं चाहते। शायद, आप इधर–उधर से आदेश या कुछ सुझाव लेकर उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप वहां जाएं और उनकी कार्यवाहियों में भी भाग लें तो आप पाएंगे कि इस प्रकार की नीति ने किसी देश की सहायता नहीं की है। मैक्सिको को क्या हुआ? ब्राजील को क्या हुआ? अर्जेंटीना को क्या हुआ? उन्होंने ऐसी नीति का अनुसरण किया था। वे अपनी आर्थिक कठिनाइयों से बाहर नहीं निकले हैं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : शिवराज जी, ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, यह सब आपने ही शुरू किया था और अब इस सारे मामले पर एजीटेटेड हैं। ये आपके ही द्वारा बोए गए बीज हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : बिल्कुल सही है। यह चुनाव के अंदर बोलने के लिए बहुत अच्छा है। आपने जो सवाल उठाया वह बहुत अच्छा है। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपके और हमारे निजीकरण में इतना ही फर्क है कि आप कहते हैं कि एक्सीस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का विनिवेश करो ओर हमारा निजीकरण यह कहता है कि लोगों के पास जो भी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करके देश की आर्थिक नीति मजबूत बनाने का प्रयत्न करो। उसके अंदर अंतर मत करो। हमने यह नहीं कहा था, हमने तो कहा है कि सिविल एवीएशन में लाना है तो उनको चलाने दो जितने जहाज वे

चलाना चाहते हैं और बनाने दो जितने एयरपोर्ट वे प्राइवेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं। हमने यह नहीं किया कि जो सरकार के पास है, 300–300 करोड़ रुपए साल का जो प्राफिट दे रही है, उसको हैंडओवर कर दो। हमने यह नहीं किया था कि जो बैंक 200 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का लोन नहीं देता था, वह आज 70,000–80,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, उसको भी डी नेशनलाइज करो। प्राइवेट बैंक बनाने के लिए जितनी आपको अनुमति देनी है, वह दो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बार कमेटी में पूछा था कि क्या सरकार ने यह आर्डर निकाला है कि 40 प्रतिशत प्राइवेट बैंक ग्रामीण विकास के लिए, 18 प्रतिशत कृषि के लिए देंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्रांचेज कहां हैं, हम नहीं दे सकते। आपका निदेश होगा, लेकिन हम फिजीकली उसको फालो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करें। यह बहुत आसान तरीका है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स को कहने के लिए कोई नहीं आया। कोई भी हिमालय के फुटहिल्स एरिया में, सिंधयारी, विंध्यारी एरिया में या ईस्टर्न–वैस्टर्न कोस्ट में या राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में नही जाएगा, क्योंकि वहां प्राफिट नहीं है। वहां सर्विस हो सकती है, लेकिन वहां नुकसान है।

नार्थ–ईस्ट स्टेट्स के लिए वायुदूत चलाया जा रहा था। उसमें दस करोड़ रुपए का नुकसान होता था। इंडियन एयरलाइंस हर साल टैक्स देने के बाद करीब–करीब 300 करोड़ रुपए का नैट प्राफिट दे रहा था। वह बजट में से एक पैसा भी नहीं ले रहा था, लेकिन आप इंडियन एयरलाइंस के निजीकरण की बात कर रहे हैं और वायुदूत आपने बंद कर दिया। मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि वहां के कुछ लोग कहते हैं कि ये हिन्दुस्तानी न हमारे लिए सड़कें बनाते हैं, न रेल चलाते हैं, एक जहाज चल रहा था, वह भी बंद कर दिया। जैसे कि वे हिन्दुस्तानी भाई नहीं हैं, हिन्दुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए। जिस सरकार को यह मालूम नहीं है कि दस करोड़ रुपए का नुकसान सहन करके वायुदूत चलाना उस एरिये के लिए जरूरी था, क्योंकि वहां भी हमारे भाई रहते हैं, वह पहाड़ी एरिया है, रेल नहीं है, जल्दी सड़क नहीं बन सकती, कोई हवाई जहाज नहीं जा सकता तो उसको तो चालू रखना चाहिए था। यह समझ कर सरकार की तरफ से इस देश को एक रखने के लिए, नार्थ–ईस्ट स्टेट्स ब्रदर्स को एक रखने के लिए आपने अहम कदम उठाया होता, तो हम आपको सही कहते। लेकिन आपने यह नहीं किया और वायुदूत बंद कर दिया। वहां पर प्राइवेट आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके साथ कानूनन जबर्दस्ती नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप ऐसा कर सकते थे। दस करोड़ रुपए का नुकसान खास नहीं होता है, जबकि इंडियन एयरलाइंस 300 करोड़ रुपए का नैट प्राफिट दे रही थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी मुंबई और दिल्ली की वजह से 150 करोड़ रुपए का लाभ हर वर्ष दे रही थी टैक्स देने के बाद, वही लाभ आप दूसरों को दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मुंबई और दिल्ली में आप नए एयरपोर्ट बनाइए जैसे आप बंगलौर में बना रहे हैं, तो हर्ज नहीं है। लेकिन आप शिपयार्ड देंगे, कोचीन शिपयार्ड दे देंगे, कलकत्ता का शिपयार्ड दे देंगे, हवाई जहाज बनाने का काम अगर आप बंद कर देंगे तो यह क्या देश को चलाने की पद्धति है। दूसरा कोई इकोनोमिक सोवरेनिटी आपसे लेने के लिए नहीं आ रहा है, आप ही इकोनोमिक सोवरेनिटी को बोझा अपने कंधे पर उठाने में समर्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हम नहीं चला सकते हैं, इनको दे देंगे। क्या, किसको दे देंगे। वह भी एक ही कुएं में से आया हुआ पानी है दो अलग–अलग बल्टियों में आया होगा। वे चला सकते हैं तो आप क्यों नहीं चला सकते हैं? मुझे तो बहुत नीचे सिर करके बात करनी पड़ती है जब हम कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं चला सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं चला सकते हैं तो क्या सरकार चला सकते हैं? आप प्राइवेट में सब कुछ देते ही जा रहे हैं। आपके दिल में भी वही बात होगी, जो मेरे दिल में है, मेरे दल के लोगों के दिल में है। जैसा हम सोचते हैं वैसा आप भी सोचते होंगे। हम यहां पर आपसे कोई शब्द कहना नहीं चाहते कि आप हमारी बात यहां उठाएं। लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा कि यह जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, दूरदृष्टि से देश के लिए क्या यह सही हो रहा है? आपको अपने दिल से उत्तर मिलेगा, नहीं। कुछ ऑफिसर्स लोग भी वही कहते हैं, कुछ मीडिया के लोग भी वही कहते हैं, कुछ मिनिस्टर लोग भी वही कहते हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। आप एक–एक अंश प्राइवेट आदमी के पास जो शक्ति का है वह उपयोग कीजिए। लेकिन जो इस सिचुएशन को एक्सप्लोइट करना चाहते हैं, इसका नाजायज फायदा लेना चाहते हैं उनको मत आने दीजिए।

मुझे तो दुख होता है कि इतने बुद्धिमान लोग, जिनके लिए हमारे दिल में आदर की भावना है

[श्री शिवराज वि. पाटील]

[अनुवाद]

लेकिन आपको यह कहने में गर्व होता है कि आपने इसका विनिवेश किया। आपने क्या किया? आपने किस प्रकार का आसूचना प्रयास किया? आपको केवल हस्ताक्षर करने थे। आप एक कोओपरेटिव सोसायटी बनाकर चलाइए, हम मान लेंगे। इतना बनाकर आपको दे दिया और आप उन्हें डिस्मेंटल करने जा रहे हैं और उसमें प्राइड फील कर रहे हैं कि मैंने यह किया। हमारे पास 300 के करीब पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। उनको बेचने के बाद क्या करोगे, आप कैसे काम करोगे। आप एनपीए भी वसूल कर लें, तो भी आपको डिस–इंवैस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्स भी इकट्ठा कर लें तो आपको डिस–इंवेस्टमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर गुड गवर्नेंस का नारा देने वाले लोग ऐसी सिचुएशन का निर्माण कर रहे हैं कि टैक्स भी वसूल जल्दी से न हो, एनपीए भी वसूल जल्दी से न हो। टैक्स वसूल करने के लिए अगर चार लैवल की कोर्ट्स हैं तो आप उन्हें पांच लैवल्स की कोर्ट बना रहे हैं। जो काम 10 साल में हो सकता है शायद वह 12–13 सालों में हो। क्या इसी को आप गुड–गवर्नेंस कहते हैं, इसी को आप कहते हैं कि देश के हित में काम कर रहे हैं। अपनाने जो रिपोर्ट दी है–मिड–टर्म असेसमेंट की, उसमें न डैफिसिट कम हुआ है न ऋण–भार कम हुआ है, न दिया हुआ पैसा खर्च हुआ है, फिर भी आप गुड–गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इसी की वजह से आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचने की नौबत आ रही है। आपके सामने एक ही नुस्खा है जिंदा तिलिस्मात का, एक ही पैनेशिया है कि डिस–इंवेस्टमैंट करो। कितना करोगे डिस–इंवेस्टमेंट? आप 300 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डिस–इंवैस्टमेंट करोगे तो आपके 5–6 लाख करोड़ रुपया मिलेगा, उसके बाद क्या आप संसद की बिल्डिंग को बेच दोगे, साउथ–ब्लॉक और नार्थ–ब्लाक बेच दोगे। पावर नहीं बनाएंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, लोगों को नई तकनीक नहीं देंगे, बैंकों से पैसा नहीं देंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे और डिस–इंवैस्टमेंट करके सरकार चलाएंगे–यह कोई तरीका नहीं है। इसकी भी यहां चर्चा होनी चाहिए। मैं यहां विल्डरनैस में बोल रहा हूं। इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं जानबूझकर यहां बोलकर जा रहा हूं। यहां चार–पांच लोग बैठे हैं इसके बाद भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अन्य अवसरों में बोलने का मौका नहीं मिलता है। छोटी–छोटी चीजें उठाई जाती हैं। इस अहम मसले पर आज बोलने का मौका मिला है और यह बात रिकार्ड पर रहनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में, दुनिया से हमारे जाने के बाद, अगर कोई चर्चा निकालकर देखना चाहे, तो जान सके कि जो बोला था, वह सही था या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, अब उत्तर दे सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, हमें मंत्री जी के उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उन्होंने स्वयं कहा था कि अब विनिवेश मंत्री जी को बहस का उत्तर देने दें। हम उत्तर का इन्तजार कर सकते हैं क्योंकि मंत्री जी को इसका ख्याल नहीं होगा। आखिर उन्हें इसके बारे में बताया गया था, वह पूर्ण सक्षम हैं और वे निश्चित तौर पर उत्तर देंगे, लेकिन वह उनके दिल से होना चाहिए और वह समस्या को ध्यान में रख कर होना चाहिए। यदि वे उत्तर देना चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : इसका निर्णय आपको करना है।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : सभापति महोदय, मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूं कि मुझे बहस का उत्तर देना चाहिए। यह सभा पर छोड़ दिया है। यदि आप चाहते हैं कि संबंधित कैबिनेट मंत्री जी को आना चाहिए क्योंकि आप उन्हें सुनना चाहते है, तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमें बहस पर आपके द्वारा उत्तर देने पर कोई आपत्ति है। हमारा तात्पर्य यही है कि आप उनको इसके बारे में बता रहे हैं। यदि वे उत्तर दें, तो अच्छा होगा। अब उन्हें उत्तर देने दें। हम छोटे मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आधारभूत मुद्दों की बात कर रहे हैं।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : मैं यह सभा पर छोड़ रहा हूं। सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में बोला है और भाग लिया है और आपको ही यह निर्णय करना है। यदि आप उस तरह निर्णय लेंगे, तो आप इसे अगली बार उठा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं उत्तर दूं, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री रमेश चेन्नितला : विनिवेश मंत्री जी को आने दीजिए और उत्तर देने दीजिए।

सभापति महोदय : हमने यह चर्चा अपराह्न 3.50 बजे प्रारंभ की थी। इसका समय समाप्त हो गया है। यदि आप इसे अगले सत्र में उठाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें समय बढ़ाना होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यह बात नहीं है। मंत्री जी बाद में इसका उत्तर दे सकते हैं। चूंकि अब मुश्किल से दस मिनट का ही समय बचा है, इसलिए आप या तो सभा स्थगित कर सकते हैं या कोई अन्य संकल्प ले सकते हैं।

सभापति महोदय : हमें आधा घंटा समय बढ़ाना होगा ताकि मंत्री जी उत्तर दे सकें।

श्री शिवराज वि. पाटील : हम आप पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, कृपया हमें गलत मत समझिए।

श्री सु. तिरुनावुकरसर : महोदय, क्या निर्णय है? क्या मुझे उत्तर प्रारंभ करना चाहिए?

श्री अधीर चौधरी : महोदय, हमारा तर्क यह है कि वे मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं और स्वयं मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि यह अच्छा होगा यदि उत्तर संबंधित मंत्री जी द्वारा दिया जा सके।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार यह मुश्किल है क्योंकि यदि आपको चर्चा स्थगित करनी है, तो फिर यह अगले सत्र में ही हो पाएगी।

श्री शिवराज वि. पाटील : क्या अब मात्र एक शुक्रवार शेष है, दो नहीं हैं?

सभापति महोदय : अगले शुक्रवार को सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करेगी और इसलिए इसे अगले सत्र में ही लेना होगा।

श्री सुरेश कुरुप : अब इसे अगले सत्र में ही लिया जाए।

सभापति महोदय : सभा इसका निर्णय ले सकती है। क्या सभा की राय यह है कि यह वाद-विवाद स्थगित किया जाना चाहिए और अगले सत्र में किया जाए?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री सुरेश कुरुप : इसे अगले सत्र में ही उठाया जाए। इसे अगले सत्र में भी लिया जा सकता है।

सभापति महोदय : ठीक है, मैं औपचारिक रूप से ही प्रश्न पूछूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : तब तक, इन संस्थानों को बेचा नहीं जाना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, जवाब से पहले तो ये तीनों संस्थाओं को बेच लेंगे।

अपराह्न 5.47 बजे

[अनुवाद]

वाद-विवाद स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में श्री सुरेश कुरुप द्वारा पेश किए गए संकल्प पर वाद-विवाद को अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आवंटित पहले दिन तक के लिए स्थगित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.48 बजे

[अनुवाद]

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 29 और 30 का निलंबन

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में श्री सुरेश कुरुप द्वारा पेश किए गए संकल्प पर वाद-विवाद को अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आवंटित पहले दिन तक के लिए

स्थगित किया गया है, के संबंध में लागू होने वाले लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 30 के उपनियम (1) के उपबंध और नियम 29 के परंतुक को निलंबित किया जाए जिससे कि संकल्प को बिना बैलट के कार्य–सूची में पहली मद के रूप में रखा जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. साहिब सिंह वर्मा : मंत्री जी द्वारा उत्तर उसी दिन दिया जाएगा।

सभापति महोदय : अब, श्री सुरेश चन्देल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। –उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगी। –उपस्थित नहीं हैं।

श्री सुनील खां अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

–उपस्थित नहीं हैं।

अब, सभा सोमवार, 15 दिसम्बर, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.50 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 15 दिसम्बर 2003/24 अग्रहायण 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस०—48/37/9/2003 (एन०)

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।